अल्लाह तआला उस शख़्स को तरोताज़ा रखे जिसने मुझसे कोई हदीस सुनी फिर उसको आगे पहुँचा दिया जैसा कि सुना था।

1000 मुन्तख़ब हदीसें मिश्कात शरीफ़ से

तरतीब

मौलाना अमानुल्लाह फ़ैसल व मौलाना मुश्ताक़ अहमद शाकिर

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

इल्मे हदीस की मशहूर व मक़्बूल किताब
से ली गईं

एक हज़ार मुन्तख़ब हदीसें
अज़
मिश्कात शरीफ़

तालीफ़
इमाम वलीउद्दीन अल-ख़तीब तबरेज़ी रह०

तरतीब
मौलाना मुश्ताक अहमद शाकिर व जनाब उबैदुल्लाह साहब

हिन्दी अनुवाद
मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

इस्लामिक बुक सर्विस प्रा० लि०

1000 मुन्तख़ब हदीसें
अज़
मिश्कात शरीफ़

तालीफ
इमाम वलीउद्दीन अल-ख़तीब तबरेज़ी रह॰

तरतीब
मौलाना अमानुल्लाह फैसल व मौलाना मुश्ताक़ अहमद शाकिर

हिन्दी अनुवाद
मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

ISBN 978-93-5169-014-6

First Published 2016

Published by *Abdus Sami* for :

Islamic Book Service (P) Ltd.
1511-12, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-110 002 (India)
Tel.: +91-11-23244556, 23253514, 23269050, 23286551
e-mail: info@ibsbookstore.com
Website: www.ibsbookstore.com
ebooks: www.bit.do/ebs
amazon.in www.bit.do/ibs

OUR ASSOCIATES
Al Mashkoor Bookshop LLC, **Sharjah (U.A.E.)**
Azhar Academy Ltd., **London (United Kingdom)**
Lautan Lestari (Lestari Books), **Jakarta (Indonesia)**
Husami Book Depot, **Hyderabad (India)**

Printed in India

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इस किताब को पढ़ने से पहले इस तरह दुआ़ माँगिये......

(इसी तरह हर काम को शुरू करने से पहले भी अगर आप अल्लाह तआ़ला से मदद माँगें तो आपका हर काम आसान हो जायेगा। इन्शा-अल्लाह)

हर दुआ़ के शुरू में अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त की तारीफ़ व सना बयान करें जिसके लिये सूरः फ़ातिहा पढ़ना काफ़ी है। फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद शरीफ़ भेजिये और इसी तरह हर दुआ़ के आख़िर में भी दुरूदे इब्राहीमी पढ़िये और उसके बाद इस तरह दुआ़ माँगिये।

या अल्लाह! मैं इल्मे हदीस समझना और इस पर अ़मल करना चाहता/चाहती हूँ। मुझे दीन के समझने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाईये और समझने के बाद उस पर अ़मल करना मेरे लिये आसान बना दीजिये और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा ईमान पर कीजिये। उसके बाद निम्नलिखित दुआ़यें भी माँगिये—

رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ ٥ وَیَسِّرْلِیْٓ اَمْرِیْ ٥ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِیْ ٥ یَفْقَهُوْا قَوْلِیْ٥

रब्बिश्रह् ली सद्री, व यस्सिर् ली अम्री, वह्लुल् अुक्दतम् मिल्लिसानी, यफ़्क़हू क़ौली। (सूरः तॉहा 20, आयतें 25-28)

तर्जुमाः ऐ मेरे रब! मेरा सीना खोल दीजिये, मेरे लिये मेरा (यह) काम आसान बना दीजिये, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दीजिये ताकि वे (लोग) मेरी बात समझ लें।

رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا٥

रब्बि ज़िद्नी अ़िल्मा। (सूरः तॉ-हा 20, आयत 114)

तर्जुमाः ऐ मेरे रब! मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाईये।

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ اَسْتَعِيْنُ.

रब्बि यस्सिर् व ला तुअस्सिर् व तम्मिम् बिल्-ख़ैरि व बि-क अस्तअ़ीनु।

तर्जुमाः ऐ मेरे रब! (दीन का सीखना) मेरे लिये आसान कर दीजिये, इसे मुश्किल न बनाईये और भलाई के साथ इसे मुकम्मल कीजिये, और आप ही से मैं मदद का तलबगार हूँ।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اٰمِين

व सल्लल्लाहु तआ़ला अ़ला ख़ातमिन्नबिय्यी-न मुहम्मदिंव्-व अ़ला आलिही व अस्हाबिही अज्मअ़ीन। आमीन।

फ़ेहरिस्त उनवानात

क्या?	कहाँ?

हिन्दी अनुवादक के क़लम से

अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अ़ला हबीबिही मुहम्मदिंव-व अ़ला आलिही व अस्हाबिही अज्मअ़ीन।

दिल में ख़ुशी व एहतिराम के जज़्बात उमंड रहे हैं कि अल्लाह तआ़ला ने अपने हबीब, अम्बिया के सरदार, आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुबारक हदीसें लिखने और उनको हिन्दी भाषा में मुन्तक़िल करने का मौक़ा इनायत फ़रमाया है। अगर गहराई से ग़ौर किया जाये तो यह एक ऐसी नेमत है जिसका मुक़ाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती।

यह अल्लाह के महबूब का कलाम है, यह अल्लाह के कलाम (क़ुरआन पाक) की तफ़सीर है, यह उस ज़ात के मुबारक होंठों से निकले हुए अलफ़ाज़ हैं जिनके बारे में ख़ुद ख़ालिक़े कायनात की गवाही है कि वह अपनी तरफ़ से कुछ नहीं कहते, वही इरशाद फ़रमाते हैं जिसका हुक्म व इशारा हमारी तरफ़ से होता है, यह उस पाक ज़ात का कलाम है जो तमाम आ़लम के लिये रहमत हैं, जो इनसानियत को राहे निजात दिखाने वाले हैं, जो आमना के लाल हैं, जो अ़ब्दुल-मुत्तलिब के दुलारे हैं।

हज़राते सहाबा किराम और मुहद्दिसीन का उम्मत पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने अपनी उम्रें इस मशग़ले में खपा दीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक-एक बात, एक-एक अ़मल, यहाँ तक की एक-एक हरकत व गतिविधि को महफ़ूज़ करके क़ियामत तक आने वाली उम्मते मुहम्मदिया और इनसानियत को एक क़ीमती तोहफ़ा बख़्शा, उलूम का एक ज़ख़ीरा जमा कर दिया जिससे इल्म व अख़्लाक़, दीन व मज़हब और दुनिया व आख़िरत के उलूम से इनसानियत आगाह हुई। ज़रूरत है कि इस क़ीमती और अमूल्य ज़ख़ीरे को सर-आँखों पर रखा जाये, इससे फ़ायदा उठाया जाये, इसकी क़द्र की जाये, इस पर अ़मल करके अपनी दुनिया व आख़िरत को संवारा जाये।

मैं इस किताब के पढ़ने वालों से गुज़ारिश करूँगा कि वे इसे एक आ़म मालूमात या मसले-मसाईल की नीयत से न पढ़ें बल्कि इन क़ीमती मोतियों

को अपने दिल के अन्दर उतारने और इनसे अपनी ज़िन्दगी को रोशन करने की नीयत से दिल के ख़ुलूस, मुहब्बत और इज़्ज़त व क़द्र की निगाह से देखें। जहाँ तक मसले-मसाईल की बात है तो मुहद्दिसीन व उलेमा ने क़ुरआन व हदीस के समझने-समझाने और उम्मत के लिये उनसे रहनुमाई हासिल करके अपनी मेहनत व कोशिश की जो छाप और ज़ख़ीरा छोड़ा है, वह अल्लाह के यहाँ मक़बूल है और क़ियामत तक इन्शा-अल्लाह उसकी पैरवी करने वाले मौजूद रहेंगे।

हनफ़ी मस्लक ही को ले लीजिये, आज भी दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी का आधे से ज़ायद हिस्सा हनफ़ी मस्लक के मुताबिक़ क़ुरआन व हदीस पर अ़मल पैरा है। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. सबसे बड़े इमाम हैं, बाक़ी के तीनों इमाम उनसे बाद के हैं जिनमें से अक्सर इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों के शागिर्द हैं और मुहद्दिसीन में से अक्सर हज़रात चारों इमामों में से किसी न किसी इमाम के मानने वाले हैं, मालूम यह हुआ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हदीस व फ़िक़ा के तक़रीबन सारे इमाम हज़रात इमाम अबू हनीफ़ा रह. के उलूम से फ़ायदा उठाने वाले हैं।

आज जो लोग ज़रा-ज़रा सी बात पर इमामों और ख़ास तौर पर इमामे आज़म अबू हनीफ़ा की तौहीन करते हैं वह बतायें कि मुहद्दिसीन हज़रात और ख़ास तौर पर इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम रह. ने क्या कहीं यह लिखा है कि चारों इमाम या उनमें से कोई एक ग़ैर-हक़ पर थे? क्या किसी ने यह लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा चूँकि ज़ोर से आमीन कहने या इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ने को मना करते हैं तो उन्होंने जो ज़िन्दगी भर नमाज़ें पढ़ी हैं वह नाक़ाबिले क़ुबूल हैं? क्या उनके शागिर्दों से उलूम हासिल करके इमाम के दर्जे तक पहुँचने वालों ने कहीं यह लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा या उनके शागिर्द और मानने वाले हज़रात गुमराह और बेनमाज़ी हैं? कहीं यह नहीं लिखा। बल्कि इसके विपरीत यह ज़रूर हमें तारीख़ में मिलता है कि इमाम शाफ़ई रह. ने इमाम अबू हनीफ़ा के मज़ार के पास वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो अपने मस्लक पर अ़मल नहीं किया, बल्कि इमाम साहिब के मस्लक के मुताबिक़ नमाज़ पढ़ी। इन इमामों का जो इख़्तिलाफ़ (मतभेद) था वह तरजीही था न कि तकज़ीबी, यानी ये मानते थे कि हमारा

मस्लक ज़्यादा सही और वरीयता प्राप्त है, हक़ पर दूसरे हज़रात भी हैं। आज हम लोगों ने दीन के ख़ादिम इन हज़रात के साथ ऐसा रवैया अपना लिया है जैसे ये दीन के ख़ादिम न हों बल्कि नुक़सान पहुँचाने वाले हों। अल्लाह तआ़ला ऐसे सरफिरों को अ़क्ल व समझ से नवाज़े।

मैं सिर्फ़ यह अ़र्ज़ करना चाहता हूँ कि हदीस मुबारक को किसी ख़ास नज़रिये से न देखा जाये, यह तो इस्लामी क़ानून की बुनियाद है, अगर यह मान लें (जैसा कि कुछ अ़क्ल के मारों की सोच है) कि सिर्फ़ बुख़ारी व मुस्लिम ही को मोतबर हदीसी ज़ख़ीरा माना जाये तो बाद में जितनी हदीस की किताबें लिखी गयीं उनका तो कोई मक़ाम ही नहीं बचता। हदीस क़ुरआन की तफ़सीर है और क़ुरआन के बारे में है कि क़ियामत तक इसके नये-नये उलूम ज़ाहिर होते रहेंगे, मतलब यह कि हदीसे पाक से भी इल्म की नयी-नयी धारायें फूटती रहेंगी, तो फिर इस जमूद और सीमितता से यह बात कैसे पूरी हो सकती है। ज़रा सोचिये और समझ से काम लीजिये।

क़ुरआन व हदीस, सहाबा के अ़मल, ख़ास तौर पर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के अ़मली नमूनों, इजमा और क़ियास से दीने इस्लाम की जो यह अ़ज़ीमुश्शान इमारत खड़ी नज़र आ रही है ये उन्हीं मुहद्दिसीन, उलेमा और फ़ुक़हा की मेहनत व जान खपाने का नतीजा है जिनको आज ख़ातिर में नहीं लाया जाता, और चौदहवीं सदी के कुछ अ़क्लमन्द तो सहाबा तक पर उंगली उठाने से बाज़ नहीं आते, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि यह काम तो फ़ुलाँ सहाबी के दौर से शुरू हुआ, यह शरीअ़त का हिस्सा नहीं। अब उन्हीं यह कौन याद दिलाये 'अ़लैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल्-ख़ुलफ़ाइर्राशिदीन' (तुम पर मेरे और मेरे ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के तरीक़े को पकड़ना लाज़िम है) को किस जगह रखेंगे।

बात बहुत लम्बी हो गयी मेरा मक़सद सिर्फ़ इतना है कि जिन हज़रात की मेहनतों का फल हम खा रहे हैं, जिनके ज़रिये क़ुरआन व हदीस और सहाबा के अ़मल का यह ज़ख़ीरा हम तक पहुँचा है वे हमारे मोहसिन हैं। हदीस के इस ज़ख़ीरे को किसी ख़ास ऐनक और नज़रिये के ताबे होकर मुताला मत कीजिये।

मुहम्मद इमरान क़ासमी विज्ञानवी
मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 9456095608

प्रकाशक की ओर से

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ.

"मुन्तख़ब अहादीस" (चुनिन्दा हदीसों) के मजमूए का हर घर में होना ज़रूरी है। हमने एक हज़ार मुन्तख़ब हदीसें (मिश्कात शरीफ़ से लेकर) इस नीयत से तरतीब दी हैं कि जो मुसलमान महंगी किताबें नहीं ख़रीद सकते या जो मस्रूफ़ियात (व्यस्तताओं) की वजह से ज़्यादा वक़्त हदीस के पढ़ने व अध्ययन करने को नहीं दे सकते उनके लिये तक़रीबन हर विषय पर हदीसे पाक का मुख़्तसर इल्म घर में मौजूद हो। जैसा कि आपको मालूम है कि मिश्कात शरीफ़ की पहली फ़स्ल में सिर्फ़ बुख़ारी व मुस्लिम की हदीसें हैं और हमारा इदारा इससे पहले बुख़ारी व मुस्लिम की एक-एक हज़ार मुन्तख़ब हदीसें पेश करने का सौभाग्य हासिल कर चुका है, अधिक इल्मी लाभ उठाने और फ़ायदा हासिल करने के लिये मिश्कात शरीफ़ की दूसरी और तीसरी फ़स्ल से एक हज़ार हदीसों का मुन्तख़ब मजमूआ आपकी ख़िदमत में हाज़िर है जिसमें बुख़ारी व मुस्लिम के अलावा हदीस की दूसरी किताबों (जैसे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, बैहक़ी, दारमी, मुस्नद शाफ़ई, और मुवत्ता इमाम मालिक) की हदीसों का भी ज़ख़ीरा है। इस मजमूए में जहाँ तक संभव हो सका सही हदीसों ही को पेश करने की कोशिश की गयी है।

इन हदीसों में से आपको बज़ाहिर कुछ हदीसों का उनवान से ताल्लुक़ नज़र नहीं आयेगा मगर इल्मी तौर पर उसका कुछ न कुछ ताल्लुक़ ज़रूर होता है। यह एक इल्मी बहस है, एक हदीस से कई-कई मसाईल निकलते हैं और यही इमाम हाफ़िज़ वलीयुद्दीन अल्-ख़तीब अत्तबरेज़ी रह. का इल्मी कमाल है। हमने यह बहस नहीं लिखी है। यह आसान उर्दू तर्जुमा अनेक तर्जुमों को सामने रखकर किया है और इख़्तिसार (संक्षिप्तता) से इस हद

तक काम लिया है कि हदीस का मफ़्हूम न बदले। कुछ जगहों पर मुख़्तसर वज़ाहत ब्रेकिट में दे दी है। जहाँ कहीं किसी सहाबी के नाम के बाद मुख़्तसर 'रज़ि.' लिखा गया है (जगह बचाने के लिये) आप से दरख़्वास्त है कि आप 'रज़ि.' की जगह पूरा 'रज़ियल्लाहु अ़न्हु' ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी तरफ़ से उन सहाबी को एक बेहतरीन दुआ़ का तोहफ़ा पहुँच जाये बिइज़्निल्लाहि तआ़ला। मरहूम हज़रात के लिये दुआ़ बेहतरीन तोहफ़ा है। आप से गुज़ारिश है कि इस किताब को आप तक पहुँचाने वालों को अपनी दुआ़ओं में ज़रूर याद रखें।

दुआ़ है कि अल्लाह करीम हर मुसलमान के लिये इस किताब को नफ़ा देने वाली बनाये और हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तरीक़े और आपकी हदीसों पर अ़मल करने वाला बनाये। आमीन

ऐ अल्लाह! आपकी मग़फ़िरत हमारे तमाम गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है और हमें आपकी रहमत का आसरा है न कि अपने आमाल का, हम सब मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिये। या अल्लाह! हम आपकी पनाह चाहते हैं बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक़्त से, और आपके नागहानी अ़ज़ाब से और हर तरह के ग़ुस्से, और नेमतों व आ़फ़ियतों के छिन जाने से।

ऐ अल्लाह! हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाईये और नेक आमाल करने की भी तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाईये। आमीन

सुब्हा-न रब्बि-क रब्बिल्-इ़ज़्ज़ति अ़म्मा यसिफ़ून। व सलामुन् अ़लल्-मुर्सलीन। वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन।

तालिबे दुआ़

मुहम्मद उबैदुल्लाह अ़ब्दुल्लाह

नाज़िम अल्-अअ़्लामुल्-इस्लामी (रजि.)

12. 11. 2006

इमाम हाफ़िज़ वलीयुद्दीन अल्-ख़तीब अत्तबरेज़ी रह़्मतुल्लाहि अ़लैहि की ज़िन्दगी के हालात

मक़ाम व मर्तबा

इमाम साहिब अपने वक़्त के बड़े रुतबे वाले आ़लिम, बुलन्द दर्जे के मुहद्दिस, फ़साहत व बलाग़त के इमाम, नेकी व परहेज़गारी के मालिक और आला अख़्लाक़ व आ़दात वाले थे। आपने अपने ज़माने के बड़े-बड़े बुज़ुर्गों और उस्ताज़ों से इल्म हासिल किया और बेशुमार लायक़ व क़ाबिल तलबा को अपने इल्म व इरफ़ान से लाभान्वित किया।

किताब लिखने का अन्दाज़

आपने ''मसाबीहुस्सुन्ना'' की तकमील करते हुए उस सहाबी का नाम भी ज़िक्र किया है जिससे हदीस रिवायत की गयी थी और यह भी स्पष्ट किया है कि यह रिवायत हदीस की फ़ुलाँ किताब में ज़िक्र की गयी है, साथ ही हर बाब में आ़म तौर पर तीसरी फ़स्ल का इज़ाफ़ा किया जिसमें ज़िक्र की हुई हदीसें हसन और ज़ईफ़ दर्जे की हैं। इस फ़स्ल में सिर्फ़ मरफ़ूअ़ हदीसों का ज़िक्र करना अपने ऊपर लाज़िम नहीं किया है। चुनाँचे आप उस फ़स्ल में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम और ताबिईन हज़रात के अक़वाल भी कहीं-कहीं ज़िक्र करते हैं।

'मिश्कातुल-मसाबीह' नाम रखने की

मिश्कात दीवार में लगे हुए उस छोटे से ताक़ को कहते हैं जिसमें चिराग़ रखा जाता है। तश्बीह (मिसाल देने) की सूरत यह है कि जिस तरह ताक़चे में चिराग़ रखा जाता है इसी तरह 'मसाबीहुस्सुन्ना' (यानी इस किताब) की हदीसों को मिश्कात शरीफ़ में रख दिया गया है।

आपकी लिखी हुई किताबें

इमाम तबरेज़ी रह़्मतुल्लाहि अ़लैहि के द्वारा लिखी गयी किताबों में सिर्फ़ दो मशहूर हैं–

1. मिश्कातुल-मसाबीह 2. अल-इकमाल फ़ी अस्माइर्रिजाल।

'मिश्कातुल-मसाबीह' की विशेषतायें

'मिश्कातुल-मसाबीह' के नाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हदीसों का जो मजमूआ़ अब से सदियों पहले तरतीब दिया गया था उसकी ताज़गी और मक़बूलियत में अब तक कोई फ़र्क़ नहीं आया। यूँ तो खुद "इल्मे हदीस" एक ऐसा पवित्र फ़न है जिसकी निस्बत एक ऐसी अ़ज़ीम शख़्सियत की तरफ़ है कि जब तक इस ज़मीन के कुर्रे पर इनसान नाम की मख़्लूक़ मौजूद है और उसमें ज़िन्दगी का असर और शऊर व एहसास का वजूद पाया जाता है उस वक़्त तक यह फ़न इसी चमक-दमक और ताज़गी के साथ बाक़ी रहेगा। इन्शा-अल्लाहुल-अ़ज़ीज़।

फिर हदीस की किताबों के दर्जों में हर मुहद्दिस ने अपने मख़्सूस नुक़्ता-ए-नज़र के लिहाज़ से किताब को तरतीब दिया है। मसलन इमाम बुख़ारी रह्मतुल्लाहि अ़लैहि हदीस की रिवायत के साथ-साथ अपनी क़ुव्वते-फ़िक्र का मुज्तहिदाना प्रदर्शन करते हैं। इमाम मुस्लिम रह्मतुल्लाहि अ़लैहि एक हदीस की अनेक सनदों को जमा कर देते हैं। इसी तरह हदीस की बाक़ी की किताबों की अपनी अलग-अलग विशेषतायें हैं और हर एक के अपने कुछ अलग फ़ायदे हैं, लेकिन 'मिश्कातुल-मसाबीह' के नाम से हदीसों का जो गुलदस्ता है उसकी ख़ुसूसियत यह है कि न सिर्फ़ सिहाह-ए-सित्ता (हदीस की छह बड़ी और मशहूर किताबों) बल्कि हदीस की दूसरी मोतबर किताबों वग़ैरह का काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा इसमें मौजूद है।

फिर दूसरी ख़ूबी यह है कि इस किताब में उन हदीसों को जमा नहीं किया गया जिनके समझने में एक आ़म पढ़ने वाले को दुश्वारी हो, बल्कि यह मजमूआ़ तो शुरूआ़ती परिचय या एक मशग़ूल ज़िन्दगी के लिये नबी करीम की पवित्र हदीसों से इल्मी व अ़मली ताल्लुक़ पैदा करने की ग़र्ज़ से वजूद में लाया गया था, चुनाँचे आज भी अ़रबी मदरसों में इसको 'सिहाह-ए-सित्ता' से पहले पढ़ाया जाता है और इसका यही सबब है कि परिचय का शुरूआ़ती मर्हला एक ऐसी किताब के ज़रिये तय पाये कि जिसमें न इतनी

तफ़सील हो कि जिससे सिर्फ़ आ़लिम ही फ़ायदा उठा सकें और न इतनी संक्षिप्तता हो कि जिससे आ़म लोग फ़ायदा ही न उठा सकें। हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा जो शरीअ़त की हिक्मतों और ख़ुदाई उलूम के भेदों के बयान में एक बेमिसाल किताब है उसके मुताल्लिक़ उलेमा का यह फ़ैसला है कि वह दर असल मिश्कात शरीफ़ की शरह (वज़ाहत व व्याख्या) है। जिन लोगों ने इस किताब पर ग़ौर व फ़िक्र किया है वे जानते हैं कि शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह. आ़म तौर पर मिश्कात शरीफ़ ही की हदीसों को सामने रखकर अपने इल्मी कमालात उम्मत के सामने रखते हैं। फिर इस किताब की बुख़ारी व मुस्लिम के बाद सबसे ज़्यादा शुरूहात लिखी गयी हैं। कुछ व्याख्याकारों ने तो सिर्फ़ इसलिये मिश्कात को इख़्तियार किया कि इसमें बड़ी जामिअ़िय्यत है, यानी अ़मली ज़िन्दगी के सिलसिले में आप देखेंगे कि वो बाब बहुत तफ़सील के साथ हैं जिनकी हमेशा रात-दिन ज़रूरत पेश आती रहती है, मसलन दुआ़ व इस्तिग़फ़ार, क़ुरआन व हदीस के साथ मज़बूत ताल्लुक़ क़ायम करना, अल्लाह के पाक नाम और इस क़िस्म के दूसरे बाब।

'मिश्कात शरीफ़' दर असल 'मसाबीहुस्सुन्ना' में कुछ मज़ीद इज़ाफ़ा की गयी हदीसों के मजमूए की नई शक्ल है जिसमें इमाम अबू मुहम्मद हुसैन बिन मसऊद फ़र्रा बग़वी रह. ने फ़िक़ा (मसाईल) की किताबों के बाबों की तरतीब पर अहम और अ़ज़ीमुश्शान हदीसों का ज़ख़ीरा जमा किया था।

इमाम बग़वी रह्मतुल्लाहि अ़लैहि ने 'मसाबीहुस्सुन्ना' की तरतीब दो फ़स्लों पर क़ायम की थी-- पहली फ़स्ल में उन्होंने शैख़ैन यानी इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम की रिवायत की हुई हदीसों को नक़ल किया था और दूसरी फ़स्ल में दूसरे इमामों व मुहद्दिसीन जैसे इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी वग़ैरह हज़रात से मरवी हदीसों को जमा किया था। उन्होंने सिर्फ़ हदीसों के नक़ल करने पर बस किया, न तो किताब के हवाले दिये थे और न रिवायत करने वालों के नाम ज़िक्र किये। लिहाज़ा आठवीं सदी हिजरी के बुलन्द रुतबे के आ़लिम और बड़े मुहद्दिस इमाम हाफ़िज़ वलीयुद्दीन अबू अ़ब्दुल्लाह अलख़तीब अलउमरी अत्तबरेज़ी रह. ने इस किताब को नये सिरे

से तरतीब देने के लिये चुना। आपने सबसे पहले तो इस किताब में एक तीसरी फ़स्ल का इज़ाफ़ा किया और उसमें न सिर्फ़ यह कि दूसरे इमामों और मुहद्दिसीन की हदीसों को नक़ल किया बल्कि ख़ुद इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम की उन हदीसों का भी इज़ाफ़ा फ़रमाया जिन्हें असल किताब 'मसाबीहुस्सुन्ना' में इमाम मुहयियुस्सुन्ना ने छोड़ दिया था। दूसरे आपने हर हदीस के बाद उस किताब या मुहद्दिस का हवाला दिया है जिनसे वह हदीस नक़ल की गयी थी। तीसरे हदीस से पहले रावी का नाम ज़िक्र किया जिनसे वो हदीसें रिवायत की गयी थीं। इस तरह किताब की अहमियत ज़मीन से आसमान तक पहुँच गयी। असल किताब 'मसाबीहुस्सुन्ना' में चार हज़ार चार सौ चौंतीस (4434) हदीसें नक़ल की गयी थीं मगर बाद में अ़ल्लामा ख़तीब तबरेज़ी रह. ने जिन हदीसों का इज़ाफ़ा किया है उनकी तायदाद एक हज़ार पाँच सौ ग्यारह (1511) है, इस तरह मौजूदा मिश्कात शरीफ़ की तमाम हदीसों की तायदाद पाँच हज़ार नौ सौ पैंतालीस (5945) है।

तारीख़े वफ़ात

सन् 737 हिजरी में आपने मिश्कात शरीफ़ मुकम्मल की और सन् 747 हिजरी में आप अपने ख़ालिक़े हक़ीक़ी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ़न।

तर्जुमाः- हम तो ख़ुद अल्लाह तआ़ला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ़ लौटने वाले हैं।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इल्मे हदीस सीखने वाले के लिये कुछ आदाब

1. हदीस का इल्म सही और ख़ालिस नीयत के साथ सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की रज़ा के लिये हासिल करें।

2. हदीस का इल्म नाम कमाने और दुनिया के मक़सदों के लिये हरगिज़ हासिल न करें वरना कुछ फ़ायदा न होगा।

3. अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करते रहें कि इस मुबारक इल्म के हासिल होने में अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त की तौफ़ीक़ हासिल रहे, हालात दुरुस्त रहें, कोई रुकावट और मुश्किल पेश न आये और बारी तआ़ला हदीस के समझने में ख़ुसूसी मदद फ़रमाते रहें और ख़ात्मा ईमान के साथ हो।

4. रोज़ाना कुछ न कुछ वक़्त (या जितना ज़्यादा संभव हो) हदीस का इल्म हासिल करने के लिये ज़रूर ख़र्च करें, बेहतर यह है कि किसी मोतबर और परहेज़गार उस्ताज़ की शागिर्दी भी इख़्तियार करें।

5. उस्ताज़ की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें और जो हदीस पढ़ें या सुनें उस पर अ़मल करने की कोशिश भी करें।

6. हदीस के इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलायें और जो बात मालूम न हो वह अपनी राय से हरगिज़ न बतायें बल्कि यह कहें कि मैं नहीं जानता।

7. इल्म के हासिल करने में शर्म न करें, जब भी कोई बात समझ में न आये तो अपने उस्ताज़ या किसी और आ़लिम से पूछ लें और हर हदीस अच्छी तरह समझें।

8. हदीस का इल्म हासिल करने में हदीस की मशहूर व मोतबर किताबों 'बुख़ारी व मुस्लिम' को तरजीह दें।

हदीस की इस्तिलाहें

हदीस की परिभाषा–

1. **क़ौली हदीस-** रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान।

2. **फ़ेली हदीस-** रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का अ़मल।

3. **तक़रीरी हदीस-** रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इजाज़त (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मौजूदगी में कोई काम किया गया हो या कोई बात कही गयी हो और आप उस पर ख़ामोश रहे हों या मना न किया हो)।

4. **सिफ़ती हदीस-** आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़ात (हुलिया, अख़्लाक़, किरदार)।

हदीस की क़िस्में (संक्षिप्तता के साथ)

1. **सही-** जिसके तमाम रावी (रिवायत करने वाले) मोतबर, परहेज़गार और क़ाबिले एतिबार याददाश्त के मालिक हों और सनद मुत्तसिल हो (मुत्तसिल के मायने 'लगातार' के हैं, यानी सनद शुरू से आख़िर तक मिली हुई हो, बीच से कोई रावी ग़ायब न हो)।

2. **हसन-** जिसके रावी सही हदीस के रावियों के मुक़ाबले में हाफ़िज़े (याद्दाश्त) में तो कम हों, बाक़ी शर्तें (मोतबर, परहेज़गार और सनद मुत्तसिल होने में) सही हदीस वाली मौजूद हों।

3. **मरफ़ूअ़-** जिस हदीस में किसी सहाबी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम लेकर हदीस बयान की हो वह मरफ़ूअ़ हदीस कहलाती है।

4. **मौक़ूफ़-** जिस हदीस में किसी सहाबी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम लिये बग़ैर हदीस बयान की हो या अपने ख़्याल का इज़हार किया हो वह मौक़ूफ़ हदीस कहलाती है।

5. **आहाद-** जिस हदीस के रावी तायदाद में मुतवातिर हदीसों के रावियों से कम हों वह आहाद कहलाती है, आहाद की तीन क़िस्में हैं 1. 'मशहूर' जिस हदीस के रावी हर ज़माने में दो से ज़्यादा रहे हों। 2. 'अ़ज़ीज़' जिसके रावी हर ज़माने में कम से कम दो रहे हों। 3. 'ग़रीब' जिस हदीस का रावी हर ज़माने में कम से कम एक रहा हो, और हर रावी मोतबर, परहेज़गार, क़ाबिले एतिबार याददाश्त का मालिक रहा हो और सनद मुत्तसिल हो।

6. **मुतवातिर-** जिस हदीस के रावी हर ज़माने में इतने हों जिनका झूठ पर इकट्ठे होना मुम्किन न हो।

7. मक़बूल- जिस हदीस के रावियों की दियानत (ईमानदारी) और सच्चाई तस्लीम हो, वह हदीस मक़बूल कहलाती है।

8. ग़ैर-मक़बूल- जिस हदीस के रावियों की दियानत और सच्चाई संदिग्ध हो, वह ग़ैर-मक़बूल कहलाती है।

9. ज़ईफ़- जिस हदीस में न तो सही हदीस की शर्तें मौजूद हों और न ही हसन की। यानी जिस हदीस के रावियों में कोई रावी कम-फ़हम, कमज़ोर हाफ़िज़े वाला हो या सनद में एक या ज़्यादा रावी छूट गये हों।

10. मौज़ूअ़ (मनगढ़त)- जिस हदीस का (कोई एक भी) रावी कज़्ज़ाब (झूठा) हो। 'कज़्ज़ाब' उस रावी को कहते हैं जिससे हदीसे पाक में झूठ बोलना साबित हो चुका हो।

हदीस की किताबों की इस्तिलाहें

1. सिहाहे-सित्ता- हदीस की 6 (मशहूर) किताबें- बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा को 'सिहाहे-सित्ता' कहा जाता है।

2. जामेअ़- जिस किताब में इस्लाम से मुताल्लिक़ तमाम मबाहिस, अ़क़ीदे, अहकाम, तफ़सीर, फ़ितन (फ़ितनों का बयान), आदाबे जन्नत, दोज़ख़ वग़ैरह के हालात मौजूद हों वह 'जामेअ़' कहलाती है। मसलन 'जामेअ़ अस्सहीह बुख़ारी', 'जामेअ़ तिर्मिज़ी'।

3. सुनन्- जिस किताब में सिर्फ़ अहकाम के मुताल्लिक़ हदीसें जमा की गयी हों वह सुनन कहलाती है, मसलन 'सुनन् अबी दाऊद', 'सुनन् नसाई'।

4. मुस्नद- जिस किताब में हर सहाबी की हदीसें तरतीबवार एकट्ठी कर दी गयी हों वह मुस्नद कहलाती है, मसलन 'मुस्नद अहमद'।

5. मुस्तख़्रज- जिस किताब में एक किताब की हदीसें किसी दूसरी सनद से रिवायत की जायें वह 'मुस्तख़्रज' कहलाती है, मसलन 'मुस्तख़्रजुल्-इस्माईली अ़लल्-बुख़ारी'।

6. मुस्तद्रक- जिस किताब में एक मुहद्दिस की क़ायम की हुई शर्तों के मुताबिक़ वो हदीसें जमा की जायें जो उस मुहद्दिस ने अपनी किताब में दर्ज न की हों वह 'मुस्तद्रक' कहलाती है मसलन 'मुस्तद्रक हाकिम'।

ईमान और उसके मसाईल

हदीस 1. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमान वह आदमी है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ रहें और मोमिन वह आदमी है जिस से लोगों के ख़ून और माल महफ़ूज़ हों। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 2. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी में अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं, और जो वायदे का ख़्याल नहीं करता उसके दीन का कोई एतिबार नहीं। (बैहक़ी)

बड़े गुनाहों और निफ़ाक़ की निशानियों का बयान

हदीस 3. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई आदमी ज़िना करता है तो उस (के जिस्म) से उसका ईमान निकल कर उसके सर पर साये की तरह रहता है और जब वह उस फ़ेल (काम) से रुक जाता है तो ईमान उसकी तरफ़ वापस लौट आता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 4. हज़रत सफ़वान बिन अ़स्साल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक यहूदी ने अपने साथी से कहा कि आओ उस नबी (रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के पास चलें तो उसके साथी ने उससे कहा कि उसे नबी न कहो, अगर उसने तुमसे ये अलफ़ाज़ सुन लिये तो उसकी चार आँखें हो जायेंगी (यानी वह ख़ुशी से फूले नहीं समायेंगे) चुनाँचे वे दोनों रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने आप से कुछ स्पष्ट अहकामात के बारे में सवाल किया तो आपने फ़रमाया- तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, चोरी न करो, ज़िना न करो, जिस जान को अल्लाह तआ़ला ने क़त्ल करना हराम क़रार दिया है उसे नाहक़ क़त्ल न करो, किसी बेगुनाह को क़त्ल कराने के लिये (उस पर ग़लत इल्ज़ाम लगाकर) हाकिम के पास न ले जाओ, जादू न करो, सूद न खाओ, पाकदामन औ़रतों पर (ज़िना की) तोहमत न लगाओ, मैदाने

जंग से न भागो और ऐ यहूदियो! तुम्हारे लिये ख़ास हुक्म यह है कि हफ़्ते (शनिवार) के दिन (अल्लाह के हुक्म से) आगे न बढ़ो। (यह सुनकर) उन दोनों ने आपके हाथों और पाँव को चूमा और इक़रार किया कि आप सच्चे नबी हैं। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- फिर तुम्हें मेरी पैरवी से कौनसी चीज़ रोक रही है? उन्होंने कहा कि हज़रत दाऊद ने अपने रब से दुआ़ की थी कि नुबुव्वत का सिलसिला हमेशा उन्हीं की औलाद में चलता रहे लिहाज़ा हमें ख़तरा है कि अगर हमने आपकी इताअ़त की तो यहूदी हमें क़त्ल कर देंगे। (तिर्मिज़ी, नसाई)

वज़ाहतः- यहूदियों की मज़हबी किताबों में आपकी नुबुव्वत का तज़किरा मौजूद था, उन्हें आपके नबी होने का इस तरह यक़ीन था जिस तरह किसी को उसकी औलाद अपनी होने का यक़ीन होता है मगर हसद (जलन) और बुग़ज़ (दिल के कीने) की वजह से वे आप पर ईमान न लाये। हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ यहूदियों की अपनी गढ़ी हुई बात थी उन्होंने ऐसी दुआ़ नहीं की थी इसलिये कि उन्होंने ख़ुद तौरात और ज़बूर में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़ातिमुन्नबिय्यीन होना पढ़ रखा था।

(अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः ब-क़रह 2, आयत 109 और 146)

वस्वसे (दिल की खटक और बुरे ख़्यालात) का बयान

हदीस 5. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने दिल में ऐसे ख़्यालात पाता हूँ कि ज़बान से उनके इज़्हार के बजाय जलकर कोयला हो जाना मुझे ज़्यादा पसन्द है। आपने फ़रमाया- अल्लाह का शुक्र है जिसने उन ख़्यालों को वस्वसों तक सीमित रखा (और उन्हें यक़ीन व अ़मल का हिस्सा नहीं बनने दिया)। (अबू दाऊद)

तक़दीर पर ईमान लाने का बयान

वज़ाहतः- तक़दीर के मायने हैं मिक़्दार मुक़र्रर करना। शरीअ़त की इस्तिलाह (परिभाषा) में मख़्लूक़ के अच्छे या बुरे कामों के बारे में ज़मीन व आसमान के मालिक ने जो कुछ लिखा है वह तक़दीर कहलाता है। दूसरे अलफ़ाज़ में तक़दीर अल्लाह रब्बुल्-इ़ज़्ज़त का वह इल्म है जो भविष्य से संबन्धित है जो कभी ग़लत नहीं हो सकता। तक़दीर के बारे में पाई जाने वाली उलझनों का सबब उसके सही मफ़्हूम की जानकारी न होना है। मायने व मफ़्हूम समझ लेने के बाद उसके बारे में कोई शक व शुब्हा बाक़ी नहीं रहता है।

यह बात रोज़ाना हमारे देखने में आती है कि इनसान अपने इल्म और तजुर्बे की बुनियाद पर किसी चीज़ के बारे में कोई राय क़ायम कर लेता है और उसके बहुत ही ज़्यादा सीमित इल्म के बावजूद कई बार उसकी राय और अन्दाज़ा सौ फ़ीसद दुरुस्त साबित हो जाता है। इनसान के उलट अल्लाह तआ़ला का इल्म इस क़द्र वसीअ़ और न ख़त्म होने वाला है कि उसके लिये अतीत, वर्तमान और भविष्य, ग़ायब और हाज़िर, दिन और रात, रोशनी और अंधेरा जैसी परिभाषायें बिल्कुल बेमायने होकर रह जाती हैं, उसके सामने हर चीज़ खुली किताब की तरह है। इस वसीअ़ और असीमित इल्म की बदौलत मख़्लूक़ के बारे में उसकी लिखी हुई तक़दीर कभी ग़लत नहीं हो सकती, अपने उसी वसीअ़ (बेइन्तिहा) इल्म की रोशनी में अल्लाह तआ़ला ने इनसान के अ़मल करने से पहले ही उसके हिसाब (खाते) में लिख दिया है कि यह इनसान अच्छे या बुरे और क्या-क्या काम करेगा और इसकी जज़ा या सज़ा क्या होगी।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान है- एक शख़्स लगातार नेक काम करता है यहाँ तक कि बिल्कुल जन्नत के क़रीब पहुँच जाता है, फिर अचानक वही शख़्स तक़दीर के मुताबिक़ बुरे काम करने लगता है यहाँ तक कि वह दोज़ख़ में चला जाता है। इसी तरह एक शख़्स बुरे काम करता है और दोज़ख़ के बिल्कुल क़रीब पहुँच जाता है, फिर वह

अचानक तक़्दीर के मुताबिक़ अच्छे अ़मल करने लगता है, यहाँ तक कि वह जन्नत में चला जाता है। (सही बुख़ारी किताबुल्-क़द्र)

इस हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला पहले से जानते हैं कि कौन कब और क्या अ़मल करेगा, वह अपने असीमित इल्म की बदौलत यह भी जानते हैं कि यह गुनाहगार इनसान आख़िरकार तौबा कर लेगा और नेक अ़मल करने लगेगा और उसी (अच्छे अ़मल) पर इसका ख़ात्मा होगा। या यह नेकी करने वाला आख़िरकार नेकी का दामन छोड़कर गुनाहों की तरफ़ राग़िब हो जायेगा और उसी बुराई की हालत में इसका ख़ात्मा होगा। तक़्दीर के बारे में यह धारणा और सोच बहुत ही गुमराह करने वाली है कि इनसान तक़्दीर के हाथों मजबूर है और वह अपनी मर्ज़ी और इख़्तियार से कुछ नहीं कर सकता, हालाँकि नेकी और बुराई की राह इख़्तियार करना इनसान का अपना फ़ेल है (तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः कहफ़ 18, आयत 29 और सूरः दहर 76, आयत 3)। अल्लाह तआ़ला का कोई जबर नहीं है।

इसकी मिसाल यूँ समझें कि एक टीचर इम्तिहान से पहले अपने शगिर्दों के बारे में अन्दाज़ा लगाता है कि फ़ुलाँ पास होगा फ़ुलाँ फ़ेल होगा, और अगर उसका अन्दाज़ा दुरुस्त साबित हो जाये तो यह हरगिज़ नहीं कहा जा सकेगा कि यह टीचर के अन्दाज़े की वजह से पास या फ़ेल हुए हैं। पास या फ़ेल होना उनके अपने अ़मल की वजह से है, जिस तरह टीचर का अन्दाज़ा लगाना शगिर्दों को पास या फ़ेल होने पर मजबूर नहीं करता इसी तरह अल्लाह तआ़ला का मख़्लूक़ के बारे में अपने भविष्य के इल्म की वजह से तक़्दीर लिखना इनसानों को किसी काम पर हरगिज़ मजबूर नहीं करता है।

कई बार कुछ लोग तक़्दीर की आड़ में अपनी ज़िम्मेदारियों से दामन छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अगर उनसे कहा जाये कि आप कारोबार और रोज़गार के लिये भाग-दौड़ छोड़ दें, जो मुक़द्दर में लिखा हुआ है वह मिलकर ही रहेगा, तो उनका जवाब यह होता है कि उसके लिये तक़्दीर के साथ-साथ भाग-दौड़ और कोशिश भी ज़रूरी है, जिस तरह यहाँ तक़्दीर इनसान पर दबाव डालकर उसे कोशिश और भाग-दौड़ से नहीं रोकती बल्कि

वह अ़मल के लिये आज़ाद है इसी तरह किसी भी मामले में उस पर तक़दीर का जबर (ज़बरदस्ती और दबाव) नहीं होता, बल्कि वह हर अ़मल के लिये आज़ाद व ख़ुद-मुख़्तार है। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है-

तर्जुमाः- और इनसान के लिये वही कुछ होगा जिसकी उसने कोशिश की होगी। (सूरः नज्म 53, आयत 40)

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तक़दीर को दुआ़ के अ़लावा कोई चीज़ नहीं बदल सकती और उम्र में इज़ाफ़ा सिला-रहमी (रिश्तेदारी निभाने) के अ़लावा कोई चीज़ नहीं कर सकती। (तिर्मिज़ी शरीफ़, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से) इसलिये हर नमाज़ के बाद यह दुआ़ माँगिये- या अल्लाह! मरते वक़्त मेरी ज़बान पर "ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" हो और मुझे सिर्फ़ अपनी रहमत व फ़ज़्ल से जन्नतुल्-फ़िरदौस अ़ता फ़रमाईये। आमीन

तक़दीर की यह क़िस्म जो ऊपर बयान की गई है इसको "तक़दीर-ए-मुअ़ल्लक़" कहते हैं। तक़दीर की एक दूसरी क़िस्म भी है जिसको "तक़दीर-ए-मुब्रम" कहते हैं। तक़दीर-ए-मुब्रम वह है जिसके होने या न होने पर इनसान को न तो जज़ा मिलेगी और न ही सज़ा, सिर्फ़ इसलिये कि उस पर न तो उसका इख़्तियार है और न ही वह अ़मल करने के लिये आज़ाद है। मसलन मौत, मरने की जगह, पैदाईश की जगह, रिज़्क़ वग़ैरह। तक़दीर पर ईमान लाने और मज़बूत यक़ीन से मुसलमान की ज़िन्दगी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, जब यह यक़ीन हो जाये कि मौत न मुक़र्ररा वक़्त से टल सकती है और न ही उससे पहले आ सकती है तो दिल से मौत का ख़ौफ़ निकल जाता है।

जब यह यक़ीन हो जाये कि अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी के बग़ैर न कोई मुसीबत आ सकती है और न ही जा सकती है तो फिर दिल से अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ का ख़ौफ़ निकल जाता है और सिर्फ़ अल्लाह करीम की रज़ा रह जाती है और यह ईमान बन जाता है कि हमारी हर कामयाबी अल्लाह तआ़ला के सिर्फ़ फ़ज़्ल व करम का ही नतीजा होती है, और जो नाकामी होती है उसमें भी अल्लाह रहीम की कोई न कोई मस्लेहत शामिल

होती है, या ख़ुद हमारे गुनाहों का नतीजा होती है जिसमें सब्र की सूरत में हमारे गुनाह माफ़ होते हैं जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ी मस्लेहत (बेहतरी) है। बहुत सी बार इस बात को देखा गया है कि जिस बात या नतीजे को हम अपने लिये बुरा समझ रहे थे बाद में मालूम होता है कि वह बुरा न था बल्कि बहुत अच्छा था।

(तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः ब-क़रह 2, आयत 216)

हदीस 6. हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले क़लम को पैदा फ़रमाया, फिर उस क़लम को लिखने का हुक्म दिया। क़लम ने अर्ज़ किया- ऐ रब्बुल्-आलमीन! क्या लिखूँ? अल्लाह तआला ने फ़रमाया- तक़दीर लिखो। चुनाँचे क़लम ने उन चीज़ों को लिखा जो अब तक हो चुकी हैं और जो आईन्दा क़ियामत तक होने वाली हैं। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- तक़दीर पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। इनसान को पहुँचने वाली हर अच्छाई या बुराई उसके मुक़द्दर में लिखी हुई होती है, अलबत्ता अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त ने अक़्ल व समझ की दौलत से नवाज़ कर इनसान को नेकी और बदी दोनों के रास्ते वाज़ेह कर दिये हैं, नेकी का रास्ता इख़्तियार करने पर उसे अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त की रज़ा और इनाम व इकराम हासिल होता है, बुराई का रास्ता इख़्तियार करने पर उसे सज़ा और अज़ाब मिलता है। (अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः क़मर 54, आयत 49, सूरः दहर 76, आयत 3, सूरः बलद 90, आयत 8-10)

हदीस 7. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये, आपके हाथों में दो किताबें थीं। आपने सहाबा से मुख़ातिब होकर फ़रमाया- क्या तुम जानते हो कि ये दो किताबें क्या हैं? हमने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! हमें मालूम नहीं, आप ही बता दीजिये। आपने दायें हाथ वाली किताब के बारे में फ़रमाया- यह किताब रब्बुल्-आलमीन की तरफ़ से है जिसमें जन्नत में जाने वालों के नाम, उनके बाप-दादा और उनके क़बीलों

के नाम हैं और फिर आख़िर में इसे मुकम्मल कर दिया है, लिहाज़ा इसमें कमी या ज़्यादती नहीं हो सकती। फिर आपने बायें हाथ वाली किताब के बारे में फ़रमाया कि यह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से ऐसी किताब है जिसमें जहन्नम में जाने वालों के नाम, उनके बाप-दादा और उनके क़बीलों के नाम हैं, फिर आख़िर में इसे मुकम्मल कर दिया है, लिहाज़ा अब इसमें न तो ज़्यादती हो सकती है और न ही कमी। यह सुनकर सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! अगर यह चीज़ पहले ही से तय हो चुकी है तो फिर (नेक) अ़मल करने की क्या ज़रूरत है? आपने फ़रमाया- इस्लामी शरीअ़त के मुताबिक़ अपने आमाल को अच्छी तरह मज़बूत करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला की निकटता हासिल करो इसलिये कि जन्नत में जाने वालों का ख़त्मा जन्नत वालों के आमाल पर होता है चाहे ज़िन्दगी में उसने कैसे ही अ़मल किये हों, और जहन्नम में जाने वालों का ख़ात्मा जहन्नम वालों के आमाल पर होता है चाहे उनके आमाल जैसे भी रहे हों। फिर आपने फ़रमाया- तुम्हारे रब को पहले से ही मालूम है कि एक जमाअ़त जन्नती है और एक जमाअ़त जहन्नमी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 8. हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! वे अ़मलियात जिन्हें हम शिफ़ा के लिये पढ़ते हैं और वे दवायें जिन्हें सेहत को हासिल करने के लिये हम इस्तेमाल करते हैं और वे चीज़ें जिन्हें अपनी हिफ़ाज़त के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं (जैसे ढाल, दम वग़ैरह) क्या ये चीज़ें अल्लाह की तक़दीर को बदल देती हैं? आपने फ़रमाया- ये भी अल्लाह की तक़दीर के मुताबिक़ हैं।

(अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- बीमारी से शिफ़ा के लिये दम करना या दवा इस्तेमाल करना या अपनी हिफ़ाज़त के लिये ढाल वग़ैरह इस्तेमाल करना तमाम चीज़ें अल्लाह तआ़ला की तक़दीर के मुताबिक़ हैं। इसलिये कि इनसान की तक़दीर में उसी तरह लिखा होता है कि अगर यह फ़ुलाँ इलाज करवायेगा तो इसे शिफ़ा मिल जायेगी लिहाज़ा वह इलाज करवाने पर मरीज़ को शिफ़ा मिल जाती है, इसलिये ये तमाम काम करें।

हदीस 9. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला ने आदम अ़लैहिस्सलाम को तमाम ज़मीन से हासिल की गई मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फ़रमाया, लिहाज़ा आदम अ़लैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन के मुताबिक़ पैदा हुई। चुनाँचे इनसानों में बाज़े सुर्ख़, सफ़ेद, सियाह, और बाज़े दरमियाने रंग के हैं, बाज़े नर्म-मिज़ाज, सख़्त-मिज़ाज हैं और बाज़े पाक (मोमिन) और बाज़े नापाक (काफ़िर) हैं। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 10. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने अपनी मख़्लूक़ (जिन्नों और इनसानों) को ज़ुल्मत (यानी शहवत व इच्छा) वाले पैदा किया, फिर उन पर अपने नूर की रोशनी डाली, लिहाज़ा जिसको वह रोशनी मिल गई वह हिदायत पा गया और जिसको वह रोशनी नहीं मिली वह गुमराही में पड़ा रहा। इसी लिये मैं कहता हूँ कि अल्लाह की तक़दीर पर क़लम की तहरीर ख़ुश्क हो चुकी है। (तिर्मिज़ी, अहमद)

हदीस 11. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम कसरत के साथ यह दुआ़ फ़रमाते थे-

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ.

या मुक़ल्लिबल्-क़ुलूबि सब्बित् क़ल्बी अ़ला दीनि-क।

तर्जुमाः- ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर क़ायम रखिये।

मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! हम आप पर ईमान लाये और आपके लाये हुए दीन और शरीअ़त पर भी ईमान लाये तो क्या अब भी आप हमारे बारे में डरते हैं (कि कहीं हम गुमराह न हो जायें)? आपने फ़रमाया- बेशक दिल अल्लाह तआ़ला की दो उंगलियों के दरमियान है, लिहाज़ा अल्लाह जिस तरह चाहता है दिलों को फेर देता है।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- इसलिये ऊपर दर्ज हुई दुआ़ रोज़ाना हर नमाज़ के बाद माँगिये।

हदीस 12. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई आदमी उस वक़्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वह चार चीज़ों पर ईमान न लाये—

1. वह इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अ़लावा कोई हक़ीक़ी (वास्तविक) माबूद नहीं।

2. यह भी गवाही दे कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा रसूल हूँ।

3. मौत और मरने के बाद दोबारा उठने पर यक़ीन रखे।

4. तक़दीर पर ईमान रखे। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 13. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी उम्मत में (पहली उम्मतों की तरह) ज़मीन में धंस जाना और शक्लें तब्दील हो जाना भी होगा और यह अ़ज़ाब उन लोगों को होगा जो तक़दीर को झुठलाने वाले हैं। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

(ऐ हमारे रब! तू हमें उन लोगों में शामिल न फ़रमाईये।)

हदीस 14. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़द्रिया (तक़दीर का इनकार करने वाले) इस उम्मत के मजूसी (आतिश परस्त) हैं, अगर वे बीमार हो जायें तो उनकी मिज़ाज-पुर्सी न करो, और अगर वे मर जायें तो उनके जनाज़े पर न जाओ। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- क़द्रिया फ़िर्क़े को मजूसियों के साथ तश्बीह (मिसाल) इसलिये दी गई है कि जिस तरह वे कई पैदा करने वालों के क़ायल हैं इसी तरह क़द्रिया भी भलाई और बुराई का अलग-अलग ख़ालिक़ मानते हैं। भलाई का ख़ालिक़ अल्लाह तआ़ला और बुराई का ख़ालिक़ शैतान को कहते हैं, हालाँकि दोनों चीज़ों का ख़ालिक़ अल्लाह तआ़ला ही है। लिहाज़ा तक़दीर के इनकारी के बारे में सख़्त वईद (सज़ा का वायदा) बयान हुई है। अल्लाह तआ़ला हमें उससे अपनी पनाह में रखे।

हदीस 15. हज़रत मतर बिन उकामिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब अल्लाह

रब्बुल-इज़्ज़त किसी आदमी के बारे में फ़ैसला फ़रमाते हैं कि वह फ़ुलाँ इलाक़े में मौत पायेगा तो अल्लाह तआ़ला उसको उस इलाक़े की तरफ़ ले जाने का कोई सबब बना देते हैं। (अहमद, तिर्मिज़ी)

हदीस 16. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! (जन्नत या जहन्नम में जाने के एतिबार से) मोमिनों के (नाबालिग़ मरने वाले) बच्चों का हुक्म क्या है? आपने फ़रमाया- वे अपने माँ-बाप के साथ जन्नत में होंगे। मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! बग़ैर आमाल के? आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला को ख़ूब इल्म है कि उन्हें (बालिग़ होकर) क्या आमाल करने थे। मैंने अ़र्ज़ किया मुश्रिक लोगों के बच्चों का हुक्म क्या है? आपने फ़रमाया- वे अपने माँ-बाप के साथ जहन्नम में होंगे। मैंने ताज्जुब से पूछा कोई अ़मल किये बग़ैर? आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला को ख़ूब इल्म है कि उन्हें (बालिग़ होकर) क्या आमाल करने थे। (अबू दाऊद)

हदीस 17. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला ने आदम अ़लैहिस्सलाम को पैदा फ़रमाया, उनकी कमर पर हाथ फेरा तो उससे वे तमाम रूहें निकल पड़ीं जिन्हें अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने क़ियामत तक पैदा फ़रमाना था, और हर आदमी की दोनों आँखों के दरमियान नूर की चमक को रोशन किया फिर उनको आदम अ़लैहिस्सलाम के सामने पेश किया। आदम अ़लैहिस्सलाम ने पूछा ऐ मेरे रब! ये कौन हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला ने फ़रमाया- यह तुम्हारी औलाद है। फिर आदम अ़लैहिस्सलाम ने उनमें एक आदमी को देखा तो उसकी आँखों के दरमियान नूर की चमक उन्हें बहुत अच्छी लगी। हज़रत आदम ने मालूम किया- ऐ मेरे रब! यह कौन हैं? अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने फ़रमाया- यह दाऊद हैं। आदम अ़लैहिस्सलाम ने अ़र्ज़ किया- ऐ रब! इसकी उम्र कितनी है? अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- इसकी उमर 60 साल है। आदम अ़लैहिस्सलाम ने अ़र्ज़ किया- ऐ रब! इसको मेरी उम्र में से भी 40 साल अ़ता फ़रमा दें। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब आदम अ़लैहिस्सलाम की उम्र ख़त्म होने में 40 साल बाक़ी रह गये तो उनके पास

"मलकुल-मौत" (मौत का फ़रिश्ता) आया। आदम अ़लैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मेरी उम्र के अभी 40 साल बाक़ी नहीं हैं? मलकुल-मौत ने कहा- क्या आपने अपनी उम्र के 40 साल अपने बेटे दाऊद को नहीं दिये थे? आदम अ़लैहिस्सलाम ने (भूल जाने की वजह से) इनकार कर दिया तो उनकी औलाद इसी वजह से कुछ चीज़ों का इनकार कर देती है। आदम अ़लैहिस्सलाम ने भूलकर दरख़्त का फल खाया तो उनकी औलाद भी भूलती है और आदम अ़लैहिस्सलाम से ग़लती हुई तो उनकी औलाद से भी ग़लतियाँ होती हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 18. हज़रत इब्ने दैलमी रहमतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि मैंने हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से अ़र्ज़ किया- मेरे दिल में तक़दीर के बारे में कुछ शुकूक व शुब्हात हैं, मुझसे हदीस बयान करें ताकि अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त मेरे दिल के शुकूक व शुब्हात को ख़त्म कर दे। हज़रत उबई बिन कअ़ब ने कहा- अगर अल्लाह तआ़ला तमाम आसमान और ज़मीन वालों को अ़ज़ाब में गिरफ़्तार करे तो उनको अ़ज़ाब में गिरफ़्तार करने से अल्लाह तआ़ला ज़ालिम नहीं होगा, और अगर उन सब पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाये तो उसकी रहमत उनके लिये उनके आमाल से बहुत बेहतर होगी, और अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर अल्लाह की राह में ख़र्च करो तो अल्लाह तुमसे उसको क़ुबूल नहीं करेगा जब तक कि तुम्हारा तक़दीर पर ईमान न हो, और तुम्हें यक़ीन करना चाहिये कि जो ख़ुशी या ग़मी तुम्हें मिली है वह तुम्हारी तक़दीर में से है और जो ख़ुशी या ग़मी तुम तक नहीं पहुँची है वह तुम्हारी तक़दीर में नहीं लिखी हुई थी। अगर तुम इस हालत में मर जाओ कि तुम्हारा तक़दीर पर ईमान न हो तो यक़ीनन जहन्नम में जाओगे।

फिर मैं अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास गया, उन्होंने भी यही जवाब दिया, फिर मैं हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास गया उन्होंने भी यही जवाब दिया, फिर मैं ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास गया उन्होंने भी आपकी यही हदीस बयान की।

(अहमद, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

अ़ज़ाबे क़ब्र के सुबूत का बयान

हदीस 19. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब किसी मय्यित (मर जाने वाले शख़्स) को क़ब्र में दफ़न कर दिया जाता है तो उसके पास काले और नीली आँखों वाले दो फ़रिश्ते आते हैं जिनमें से एक को 'मुन्कर' और दूसरे को 'नकीर' कहा जाता है। वे उस मय्यित से पूछते हैं कि तुम इस आदमी (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के बारे क्या कहते हो? अगर वह मोमिन है तो कहेगा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अ़लावा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसके बन्दे और उसके (सच्चे) रसूल हैं। यह सुनकर वे फ़रिश्ते कहेंगे- हमें मालूम था कि तुम यही इक़रार करोगे। फिर उसकी क़ब्र सत्तर हाथ लम्बाई में और सत्तर हाथ चौड़ाई में खुली कर दी जाती है, फिर उसकी क़ब्र को रोशन कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है तुम आराम से सो जाओ। वह कहेगा मुझे अपने घर वालों के पास वापस जाने दो ताकि मैं उन्हें अपने बारे में (ये हालात) बता सकूँ। फ़रिश्ते कहेंगे तुम उस दुल्हन की तरह सो जाओ जिसे सिर्फ़ महबूब (शौहर) ही जगा सकता है। (फिर वह सो जायेगा) यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला ही उसे उठायेंगे। अगर वह मुनाफ़िक़ होगा तो कहेगा- उस आदमी (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के बारे में मैं वही कहता हूँ जो मैंने लोगों से सुना है। मैं उसकी हक़ीक़त नहीं जानता। फ़रिश्ते कहेंगे हमें मालूम था कि तुम यही कहोगे, उसके बाद ज़मीन को सिकुड़ जाने का हुक्म दिया जायेगा तो उसकी क़ब्र इस क़द्र सिकुड़ जायेगी कि उसकी दायीं पस्लियाँ बायीं तरफ़ और बायीं पस्लियाँ दायीं तरफ़ निकल आयेंगी और इसी तरह वह हमेशा अ़ज़ाब में मुब्तला रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला उसको उसी जगह से उठायेंगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 20. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (क़ब्र में) मोमिन मुर्दे के पास दो फ़रिश्ते आते हैं और वे मुर्दे को बैठाकर उससे पूछते हैं- तेरा

रब कौन है? वह जवाब देता है- मेरा रब अल्लाह है। फिर फ़रिश्ते उससे पूछते हैं- तेरा दीन क्या है? वह जवाब देता है- मेरा दीन इस्लाम है। फिर फ़रिश्ते उससे पूछते हैं- जो आदमी (अल्लाह की तरफ़ से) तुम में भेजा गया था वह कौन है? वह जवाब देगा- वह अल्लाह के रसूल हैं। फिर फ़रिश्ते उससे सवाल करते हैं- तुझे कैसे मालूम हुआ? वह जवाब देगा- मैंने अल्लाह तआ़ला की किताब को पढ़ा, उस पर ईमान लाया और उसको सच्चा तस्लीम किया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला के इस क़ौल का यही मतलब है-

तर्जुमाः- जो लोग ईमान लाये अल्लाह उन लोगों को साबित-क़दमी (मज़बूती और क़दमों का जमना) अ़ता करता है। (सूरः इब्राहीम 14, आयत 27)

आपने फ़रमाया- फिर आसमान से एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि मेरा बन्दा सच्चा है, जन्नत से उसका बिस्तर बिछाओ और जन्नत का ही उसे लिबास पहनाओ और जन्नत की तरफ़ उसकी क़ब्र का दरवाज़ा खोल दो, चुनाँचे उसके लिये जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, उसे जन्नत की ठंडी हवा और ख़ुशबू पहुँचती है और उसकी क़ब्र को जहाँ तक नज़र जाये खोल दिया जाता है। फिर आपने काफ़िर के बारे में फ़रमाया कि उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और उसके पास दो फ़रिश्ते आते हैं, वे काफ़िर मय्यित को बिठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है? वह जवाब में कहता है- मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर वे उससे पूछते हैं- तेरा दीन क्या है? वह जवाब देता है- मैं कुछ नहीं जानता। फिर उससे पूछते हैं- जो आदमी तुम में (नबी बनाकर) भेजा गया था वह कौन था? वह जवाब देता है- मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर आसमान से एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है- इसने ग़लत-बयानी की है, इसके लिये आग से बिस्तर तैयार करो, इसको आग का लिबास पहनाओ और दोज़ख़ की तरफ़ इसकी क़ब्र का दरवाज़ा खोल दो। फिर आपने फ़रमाया- दोज़ख़ की तरफ़ दरवाज़ा खुलने की वजह से उसको आग की गर्मी और ज़हरीली गर्म हवा पहुँचती रहेगी और उसकी क़ब्र उस पर इतनी तंग हो जायेगी कि उसकी दायीं तरफ़ की पस्लियाँ बायीं तरफ़ और बायीं तरफ़ की

दायीं तरफ़ निकल आयेंगी। फिर उस पर एक अंधा और बहरा फ़रिश्ते मुक़र्रर किया जायेगा जिसके पास लोहे का एक हथोड़ा होगा, अगर उसको किसी पहाड़ पर मारा जाये तो वह भी मिट्टी बन जाये। चुनाँचे वह फ़रिश्ता उसे इतनी ताक़त और ज़ोर से मारेगा कि उसकी आवाज़ इनसानों और जिन्नात के अ़लावा पूरब व पश्चिम में मौजूद तमाम मख़्लूक़ सुनेगी और वह उस मार की वजह से मिट्टी बिन जायेगा, फिर उसमें रूह वापस लौटाई जायेगी। (अबू दाऊद)

हदीस 21. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब मय्यित की तदफ़ीन से फ़ारिग़ हो जाते तो क़ब्र पर खड़े होकर फ़रमाते- अपने भाई के लिये मग़फ़िरत और साबित-क़दमी (जमाव) की दुआ़ करो, क्योंकि अब इससे सवाल किया जा रहा है। (अबू दाऊद)

हदीस 22. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- काफ़िर की क़ब्र में उस पर निन्नानवे बहुत ही ज़हरीले और बड़े-बड़े साँप मुसल्लत किये जाते हैं जो क़ियामत तक उसे डसते रहेंगे और वे इस क़द्र ज़हरीले होंगे कि अगर उनमें से कोई साँप भी ज़मीन पर फूँक मार दे तो ज़मीन कभी सब्ज़ी (हरियाली) उगाने के क़ाबिल न रहे। (तिर्मिज़ी, दारमी)

हदीस 23. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सअ़द वह आदमी हैं जिनकी रूह के लिये अ़र्शे इलाही ख़ुशी से झूमने लगा और उनके लिये आसमान के दरवाज़े खोल दिये गये, उनके जनाज़े में सत्तर हज़ार फ़रिश्ते शामिल हुए। उन्हें क़ब्र में एक बार भेजा गया फिर उनकी क़ब्र को खोल दिया गया। (नसाई)

वज़ाहतः- क़ब्र हर इनसान को दबाती है, मोमिन को मुहब्बत और प्यार की वजह से दबाती है और काफ़िर को अ़ज़ाब पहुँचाने के लिये दबाती है, अलबत्ता वे मुसलमान जिनसे गुनाह हुए और वे मरने से पहले तौबा न कर सके हों तो उनके लिये भी क़ब्र एक बार शिकंजा बनती है। सअ़द

रज़ियल्लाहु अन्हु को यह दर्जा इसलिये दिया गया कि उन्होंने बनू क़ुरैज़ा के बारे में अल्लाह तआला की रज़ा के मुताबिक़ फ़ैसला किया था।

हदीस 24. हज़रत असमा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ुतबे में क़ब्र के उस फ़ितने (आज़माईश व इम्तिहान) का ज़िक्र फ़रमाया जिसमें इनसान मुब्तला होता है। उस ज़िक्र से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बहुत ज़्यादा रोने लगे। उनके रोने की वजह से मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कलाम सही तरह समझ न सकी, जब उनकी चीख़ व पुकार रुक गई तो मैंने अपने नज़दीक बैठी हुई एक औरत से पूछा- अल्लाह तुझे बरकत अता फ़रमाये, रसूले अकरम ने आख़िर में क्या फ़रमाया? उसने कहा कि आपने फ़रमाया- मुझे अभी **वही** के ज़रिये बताया गया है कि तुम क़ब्रों के फ़ितने में मुब्तला किये जाओगे।

हदीस 25. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब नेक मय्यित को क़ब्र में दफ़न कर दिया जाता है तो उसके सामने सूरज के छुपने का मन्ज़र होता है तो वह उठकर बैठ जाता है, अपनी आँखें मलता है और फ़रिश्तों से कहता है कि मुझे छोड़ दो ताकि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। (इब्ने माजा)

किताब व सुन्नत को मज़बूती से पकड़ना

हदीस 26. हज़रत अबू राफ़ेअ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं तुम में से किसी आदमी को इस हाल में न देखूँ कि वह अपनी चारपाई पर तकिया लगाये बैठा हो, उसके पास मेरे उन अहकाम में से जिनका मैंने हुक्म दिया है या जिनसे मैंने मना किया है कोई हुक्म पहुँचे तो वह कहे कि मैं नहीं जानता, जो हुक्म हमने अल्लाह तआला की किताब में पाया हमने सिर्फ़ उसकी पैरवी की। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हदीस के इनकार के फ़ितने में मुब्तला होने वालों की भविष्यवाणी फ़रमा दी है जो

बिल्कुल सही साबित हुई कि आपके दौर में भी कुछ लोग इस फ़ितने (बड़े गुनाह) में मुब्तला हैं और जब उनके सामने कोई हदीस पेश की जाती है तो वे कहते हैं कि हमें बस अल्लाह की किताब ही काफ़ी है। इनकारे हदीस हक़ीक़त में क़ुरआन मजीद का इनकार है, क्योंकि क़ुरआन मजीद में बार-बार कहा गया है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैरवी (हुक्म मानना) अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त की पैरवी है।

(अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः आले इमरान 3, आयत 31, सूरः निसा 4, आयत 80)

हदीस 27. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी (मुसलमानों की) जमाअ़त से एक बालिश्त भी अ़लैहदा हुआ उसने इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से निकाल दिया। (अबू दाऊद)

हदीस 28. हज़रत मिक्दाम बिन मअ़्दीकरब् रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझे क़ुरआन और उसके साथ उसके जैसी हदीस भी दी गई है। ख़बरदार! बहुत जल्द एक पेट भरा इनसान जो अपने पलंग पर टेक लगाये होगा, वह अपने साथियों से कहेगा- इस क़ुरआन को लाज़िम समझो, इसमें जो हलाल है उसको हलाल समझो और जो हराम है उसको हराम समझो। हालाँकि जो कुछ रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हराम फ़रमाया है वह उसी की तरह है जिसे अल्लाह तआ़ला ने हराम फ़रमाया है। तुम्हारे लिये घरेलू गधे और कुचली वाले दरिन्दे (फाड़ खाने वाले जानवर) हलाल नहीं हैं और किसी ज़िम्मी (वह काफ़िर जिस से मुसलमानों का अ़हद हो) का गिरा हुआ माल हलाल नहीं है, अलबत्ता अगर उसके मालिक को उसकी ज़रूरत न हो और वह उसको छोड़ दे, जो आदमी किसी क़ौम का मेहमान हो तो उस क़ौम पर लाज़िम है कि वह उसकी अच्छी मेहमान-नवाज़ी करे।

(अबू दाऊद)

वज़ाहतः- क़ुरआन के जैसी से मुराद यहाँ हदीसे रसूल है। ये दोनों चीज़ें अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नाज़िल की हुई हैं। (अधिक मालूमात के

लिये पढ़िये सूरः नज्म 53, आयत 3-4)

हदीस 29. हज़रत रबीआ जुरशी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझसे ख़्वाब में कहा गया कि एक आक़ा ने एक महल तामीर किया, उसमें दस्तरख़्वान लगाया फिर एक बुलाने वाले को लोगों को बुलाने के लिये भेजा, जिस शख़्स ने बुलाने वाले की दावत को क़ुबूल किया वह महल में दाख़िल हुआ और दस्तरख़्वान से खाना खाया, आक़ा उससे खुश हुआ, और जिसने बुलाने वाले की दावत को रद्द कर दिया, न तो वह महल में दाख़िल हुआ और न ही दस्तरख़्वान से कुछ खाया, तो आक़ा उससे नाराज़ हो गया। फिर आपने फ़रमाया- आक़ा से मुराद अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त हैं, बुलाने वाले से मुराद मैं (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और महल से मुराद इस्लाम है और दस्तरख़्वान से मुराद जन्नत है। (दारमी)

हदीस 30. हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमारी इमामत करवाई फिर आपने हमें बड़ा असर-अन्दाज़ वअ़ज़ (नसीहत की बात) फ़रमाया, जिस से आँखें आँसुओं से तर हो गयीं और दिल डर गये। एक सहाबी ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! यह तो आपका अलविदाई वअ़ज़ (जुदाई के वक़्त की आख़िरी नसीहत) मालूम हो रहा है, आप हमें कोई वसीयत फ़रमा दें। आपने फ़रमाया- मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि तुम अल्लाह तआ़ला का तक़्वा (डर और परहेज़गारी) इख़्तियार करो और अमीर (हाकिम) की बात सुनो और इताअ़त करो अगरचे वह हब्शी ग़ुलाम ही क्यों न हो, पस तुम में से जो आदमी मेरे बाद ज़िन्दा रहा वह बहुत ज़्यादा इख़्तिलाफ़ात (झगड़े) देखेगा पस तुम मेरी और हिदायत-याफ़्ता ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नत को थामे रखो। हर सुन्नत को मज़बूती से पकड़ो और अपने आपको दीन में नये काम ईजाद करने से बचाओ, हर नया काम बिद्अ़त है और हर बिद्अ़त गुमराही है (और हर गुमराही दोज़ख़ में ले जाने वाली है)। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 31. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें समझाने के लिये एक सीधा ख़त (लकीर) खींचा और फ़रमाया- यह अल्लाह तआ़ला का रास्ता है। फिर उसके दायें और बायें कुछ और ख़ुतूत (लकीरें) खींचे और फ़रमाया- ये शैतान के रास्ते हैं और हर राह (के किनारे) पर शैतान है जो लोगों को इन रास्तों की तरफ़ बुलाता है। फिर आपने यह आयते मुबारका तिलावत फ़रमाई-

तर्जुमाः- और मेरा यह रास्ता सीधा है तुम इसकी पैरवी करो। (सूरः अन्आ़म 6, आयत 153) (नसाई)

हदीस 32. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई शख़्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसकी नफ़्सानी इच्छायें मेरी लाई हुई शरीअ़त (ख़ुदाई क़ानून) के मुताबिक़ न हो जायें। (शरहुस्सुन्ना)

हदीस 33. हज़रत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने मेरी किसी ऐसी सुन्नत को ज़िन्दा किया जो मेरे बाद मिट चुकी थी तो उसको उन लोगों के सवाब के बराबर अज्र मिलेगा जिन्होंने उस पर अ़मल किया और उनके सवाब में भी कुछ कमी नहीं होगी, और जिसने कोई बिद्अ़त का काम ईजाद किया (यानी दीन में कोई नई बात निकाली और उसको प्रचलित किया) जिसे अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल पसन्द नहीं फ़रमाते तो उसको उन लोगों के गुनाहों के बराबर गुनाह मिलेगा जिन्होंने उस पर अ़मल किया और उनके गुनाहों में कुछ कमी नहीं होगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 34. हज़रत अ़मर बिन औ़फ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा दीने इस्लाम हिजाज़ (मक्का मुकर्रमा और उसके आस-पास के इलाक़ों) में इस तरह सिमट कर आ जायेगा जिस तरह साँप अपने बिल (सुराख़) में सिमट आता है, और इस्लाम हिजाज़ में इस तरह जगह बना लेगा जिस तरह पहाड़ी बकरी पहाड़ की बुलन्दी पर अपनी जगह बना लेती है। बिला-शुब्हा दीने इस्लाम शुरूआ़त के वक़्त ग़रीब था यक़ीनन उसका समापन (यानी

आख़िरी दौर) भी उसके आग़ाज़ (शुरू की हालत) की तरह होगा, पस ख़ुशख़बरी है ऐसे ग़रीबों के लिये जो मेरे बाद मेरी ऐसी सुन्नतों की इस्लाह (सुधार) करेंगे जिन्हें लोग बिगाड़ चुके होंगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 35. हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक़्त आयेगा कि वह पूरी तरह बनी इस्राईल के नक़्शे-क़दम पर चलना शुरू कर देंगे यहाँ तक कि अगर किसी ने अपनी माँ से खुले तौर पर बदकारी की होगी तो मेरी उम्मत में से भी ज़रूर ऐसा आदमी होगा जो यह काम करेगा, और बनी इस्राईल बहत्तर (72) फ़िर्क़ों में बंट गये जबकि मेरी उम्मत तिहत्तर (73) फ़िर्क़ों में बंट जायेगी, उनमें से एक जन्नत में जायेगा और बाक़ी बहत्तर दोज़ख़ में जायेंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने सवाल किया कि वह जन्नत में जाने वाला फ़िर्क़ा कौनसा होगा? आपने फ़रमाया- जिस दीन पर मैं और मेरे सहाबा हैं। मेरी उम्मत में कई क़ौमें पैदा होंगी जिनमें इच्छाओं इस तरह घुस जायेंगी जैसा कि पागल कुत्ते की बीमारी उसके साथ वाले कुत्ते की हर-हर रग और जोड़ में पूरी तरह मुन्तक़िल (ट्रांस्फ़र) हो जाती है। (अबू दाऊद)

हदीस 36. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे (मुख़ातब करते हुए) फ़रमाया- ऐ मेरे बेटे! अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक तुम्हारे दिल में किसी आदमी के बारे में कोई बुग़ज़ व कीना न हो तो तुम ऐसा ही करना, यह मेरी सुन्नत से है, और जिस आदमी ने मेरी सुन्नत को महबूब (प्यारा) जाना उसने मुझसे मुहब्बत की, और जिस आदमी ने मुझसे मुहब्बत की वह जन्नत में मेरे साथ होगा।
(तिर्मिज़ी)

हदीस 37. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हिदायत के बाद जब भी कोई क़ौम गुमराह होती थी तो उसका आपस में झगड़ा हुआ करता था। फिर रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह आयत तिलावत फ़रमाई-

तर्जुमाः- उन्होंने इस मिसाल को आपके लिये सिर्फ़ इसलिये पेश किया है कि वे आप से झगड़ा करें। काफ़िर लोग तो झगड़ालू हैं। (सूरः ज़ुख़रुफ़ 43, आयत 58) (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

इल्म का बयान

हदीस 38. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास दो लोगों का तज़किरा किया गया, उनमें ऐ आ़बिद और दूसरा आ़लिम था। इस पर आपने फ़रमाया- आ़लिम की आ़बिद पर इस तरह फ़ज़ीलत (ऊँचा मक़ाम) है जिस तरह तुम में से अदना दर्जे के इनसान पर मेरी फ़ज़ीलत है। फिर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक अल्लाह तआ़ला, उसके फ़रिश्ते, आसमानों और ज़मीन में रहने वाले यहाँ तक कि चींटी अपने सुराख़ में और मछलियाँ भी समन्दर में उस आदमी के लिये दुआ़यें करती हैं जो लोगों को भलाई की तालीम देता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 39. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी इल्म की तलाश में निकला वह वापस अपने तक अल्लाह तआ़ला के रास्ते में है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 40. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन इल्म की बातें सुनने से सैर नहीं होता यहाँ तक कि वह जन्नत में दाख़िल हो जाता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 41. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस से इल्म की कोई बात पूछी गई और उसने उसे छुपाया (जानते हुए न बताया) तो क़ियामत के दिन उसको आग की लगाम पहनाई जायेगी। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 42. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने अल्लाह तआ़ला की ख़ुशनूदी (रज़ा) वाला इल्म इसलिये हासिल किया कि उसके ज़रिये दुनियावी

फ़ायदा हासिल करे तो वह क़ियामत के दिन जन्नत की ख़ुशबू भी नहीं पायेगा। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 43. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला उस आदमी (के चेहरे) को रौनक़ वाला रखे जिसने मुझसे कोई बात सुनी, उसको उसी तरह आगे पहुँचाया जिस तरह उसने सुना था, क्योंकि बहुत-से ऐसे लोग होते हैं जिनको बात पहुँचाई जाती है तो वे उस बात को सुनने वाले से ज़्यादा महफ़ूज़ रखने वाले और समझने वाले होते हैं।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 44. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस वक़्त तक मुझसे हदीस बयान न करो जब तक तुम्हें सही इल्म न हो। (याद रखो) जिस आदमी ने जान-बूझकर मुझ पर झूठ बाँधा (यानी कोई बात मेरी तरफ़ मन्सूब की) वह अपना ठिकाना दोज़ख़ में बना ले। (तिर्मिज़ी)

हदीस 45. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने क़ुरआने करीम की तफ़सीर अपनी राय के साथ की तो वह अपना ठिकाना दोज़ख़ में बना ले, और जिस आदमी ने क़ुरआने करीम की तफ़सीर बिना दलील के की तो वह अपना ठिकाना दोज़ख़ में बना ले। (तिर्मिज़ी)

हदीस 46. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ुरआने करीम में (शक करते हुए) झगड़ा करना कुफ़्र है। (अबू दाऊद)

हदीस 47. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि वे क़ुरआने करीम के बारे में झगड़ा कर रहे हैं तो आपने फ़रमाया- तुमसे पहले लोग इसी वजह से तबाह व बरबाद हो गये कि उन्होंने अल्लाह तआ़ला की किताब के कुछ मतलबों को दूसरे कुछ के साथ रद्द किया हालाँकि अल्लाह तआ़ला की किताब जब नाज़िल होती है तो उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से

की तस्दीक़ करता है। पस तुम उसके कुछ हिस्से के साथ कुछ को न झुठलाना। तुम्हें जो बातें (क़ायदों के मुताबिक़) मालूम हों तो तुम उनको तस्लीम करो और जिनका इल्म तुम्हें हासिल न हो सके तो उनके इल्म को उसके आ़लिम (यानी अल्लाह तआ़ला) की तरफ़ सौंप दो। (इब्ने माजा)

वज़ाहतः- क़ुरआन मजीद के अहकामात में झगड़ा नहीं करना चाहिये बल्कि अगर कोई बात समझ में न आये तो उसका इल्म अल्लाह तआ़ला के हवाले कर देना चाहिये, यानी यूँ कहो कि अल्लाह बेहतर जानता है।

हदीस 48. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- असल इल्मे दीन तीन हैं—

1. मोहकम आयतें। 2. सही हदीसें। 3. मीरास का इल्म जिसकी रोशनी में वारिसों के दरमियान मय्यित का छोड़ा हुआ माल इन्साफ़ से तक़सीम किया जाता है। और इनके अ़लावा (दूसरे सारे उलूम) ज़ायद हैं। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 49. हज़रत औफ़ बिन मालिक अश्जई रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम न फ़रमाया- अमीर (मुसलमानों का हाकिम) या जिसको इजाज़त दी गई हो, वही वअ़ज़ करता है या फिर घमण्डी आदमी वअ़ज़ (तक़रीर व नसीहत) करता है। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- अमीर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बग़ैर तक़रीर नहीं करनी चाहिये।

हदीस 50. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने इल्म न होने के बावजूद फ़तवा दिया तो उसका गुनाह फ़तवा देने वाले पर है, और जिस आदमी ने अपने भाई को ऐसी बात का मश्विरा दिया जिसके बारे में वह जानता है कि भलाई उसके उलट है तो उसने (मश्विरा तलब करने वाले से) ख़्यानत (चोरी और बद्दियानती) की। (अबू दाऊद)

हदीस 51. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मीरास और क़ुरआन का इल्म मुझसे हासिल करो और लोगों को उसकी तालीम दो, बेशक मैं इन्तिक़ाल करने वाला हूँ। (तिर्मिज़ी)

हदीस 52. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक अल्लाह तआ़ला इस उम्मत में हर सदी (सौ साल) के बाद ऐसे इनसान को भेजेंगे जो उम्मते मुस्लिमा के लिये दीन की तजदीद करेगा (दीन के नाम पर फैलाई गयी ग़लत बातों को स्पष्ट करके असल दीन को निखार देगा)। (अबू दाऊद)

हदीस 53. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन इनसान को उसकी मौत के बाद भी जिन आमाल और नेकियों का सवाब हमेशा मिलता रहता है वो ये हैं–

1. वह इल्म जिसको उसने हासिल किया और फैलाया।
2. नेक औलाद जिसको उसने पीछे छोड़ा।
3. क़ुरआन मजीद जो उसने किसी को दिया।
4. मस्जिद तामीर की।
5. मुसाफ़िरों के लिये मुसाफ़िर ख़ाना तामीर किया।
6. नहर खुदवाई।
7. तन्दरुस्ती और ज़िन्दगी में उसने अपने माल में से सदक़ा अलग कर दिया (या नेक कामों में ख़र्च करने की वसीयत लिख दी)। इन तमाम का सवाब उसको उसकी मौत के बाद भी मिलता रहेगा। (इब्ने माजा)

तहारत (पाकी) का बयान

हदीस 54. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इस्तिक़ामत (मज़बूती और जमाव) इख़्तियार करो और तुम हरगिज़ उस (यानी अल्लाह तआ़ला) का हक़ अदा नहीं कर सकोगे और समझ लो कि तमाम आमाल में से बेहतर अ़मल नमाज़ है और (अच्छे) वुज़ू की पाबन्दी सिर्फ़ मोमिन ही कर सकता

है। (इब्ने माजा)

हदीस 55. हज़रत शबीब बिन अबी रूह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और उसमें सूरः रूम (सूरत नम्बर 30) की तिलावत फ़रमाई। तिलावत के दौरान आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी तरह वुज़ू किये बग़ैर हमारे साथ नमाज़ अदा करते हैं इसी वजह से मुझे क़ुरआन की तिलावत में मुश्किल का सामना करना पड़ा। (नसाई)

हदीस 56. हज़रत अ़ब्दुल्लाह सुनाबिही रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब मोमिन वुज़ू करता है और मुँह में पानी डालता है तो उसके मुँह से गुनाह निकल जाते हैं, और जब वह नाक झाड़ता है तो उसकी नाक से गुनाह निकल जाते हैं, और जब वह अपना चेहरा धोता है तो उसके चेहरे से गुनाह निकल जाते हैं यहाँ तक कि उसकी दोनों आँखों की पलकों से भी निकल जाते हैं, और जब वह अपने दोनों हाथ धोता है तो उसके दोनों हाथों से गुनाह निकल जाते हैं यहाँ तक कि उसके दोनों हाथों के नाख़ूनों से भी गुनाह निकल जाते हैं, और जब वह अपने सर का मसह करता है तो उसके सर से भी यहाँ तक कि उसके कानों से भी गुनाह निकल जाते हैं, और जब वह अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव से भी यहाँ तक कि उसके पावँ के नाख़ूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं, उसके बाद मस्जिद की तरफ़ जाने और नमाज़ अदा करने का सवाब उसके लिये इज़ाफ़ी (इसके अ़लावा) होता है।

(मुवत्ता इमाम मालिक, नसाई)

वुज़ू को वाजिब करने वाली चीज़ों का बयान

हदीस 57. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तक हवा ख़ारिज होने की आवाज़ या बदबू न आ जाये तो वुज़ू नहीं टूटता। (तिर्मिज़ी)

हदीस 58. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नमाज़ की चाबी वुज़ू है

और नमाज़ में (बातें करने को) हराम क़रार देने वाली तकबीर-ए-तहरीमा (नीयत बाँधने वाली तकबीर) है और (बातों वग़ैरह को) हलाल करने वाला अ़मल सलाम (नमाज़ ख़त्म करना) है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 59. हज़रत अ़ली बिन तलक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से किसी आदमी की हवा ख़ारिज हो जाये तो उसे चाहिये कि वह वुज़ू करे, और तुम औ़रतों से दुबुर (सुरीन, यानी पाख़ाने की जगह) में हमबिस्तरी न करो। (अबू दाऊद)

हदीस 60. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दुबुर (सुरीन) की रस्सी दोनों आँखें हैं (आँख सो गयी तो यह रस्सी ढीली हो गयी), जब कोई आदमी सो जाये तो उसे चाहिये कि वह नींद से जागने के बाद वुज़ू करे। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- जागने की हालत में बन्दे को हवा का ख़ारिज हो जाना मालूम हो जाता है और नींद की हालत में हवा का ख़ारिज हो जाना मालूम नहीं होता इसलिये उसे वुज़ू करना चाहिये।

हदीस 61. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा किराम इशा की नमाज़ का इन्तिज़ार करते थे यहाँ तक कि उनके सर (नींद की वजह से) झुकने लग जाते, वे नमाज़ अदा करते और वुज़ू नहीं करते थे। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- बग़ैर टेक लगाये नींद आ जाये तो वुज़ू नहीं टूटता और टेक लगाकर या लेटकर सोने से वुज़ू टूट जाता है।

हदीस 62. हज़रत बुसरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई आदमी जब अपनी शर्मगाह को हाथ लगाये तो उसे चाहिये कि वुज़ू करे।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 63. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बकरे की रान का (भुना हुआ) गोश्त खाया, फिर आपने वुज़ू किये बग़ैर नमाज़ अदा की।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू नहीं टूटता, लेकिन कुल्ली कर लेना बेहतर है।

बैतुल्-ख़ला के आदाब का बयान

हदीस 64. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब (लेट्रीन की) ज़रूरत पूरी करने का इरादा फ़रमाते तो दूर (जंगल की तरफ़) निकल जाते यहाँ तक कि कोई आदमी आपको नहीं देख पाता था। (अबू दाऊद)

हदीस 65. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक मैं तुम्हारे लिये उसी तरह हूँ जिस तरह वालिद (बाप) अपने बच्चों के लिये होता है। मैं तुम्हें तालीम देता हूँ कि जब तुम (पाख़ाने की) ज़रूरत पूरी करने के लिये बैठो तो क़िब्ले की तरफ़ मुँह न करो और न ही उसकी तरफ़ पीठ करो (बल्कि उत्तर या दक्षिण की तरफ़ मुँह कर लो) और आपने इस्तिन्जे के लिये (मिट्टी के) तीन ढेलों के इस्तेमाल का हुक्म दिया और आपने गोबर, हड्डी और दायें हाथ के साथ तहारत (इस्तिंजा) करने से मना फ़रमाया है। (इब्ने माजा)

हदीस 66. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपना दायाँ हाथ पाक कामों और खाने के लिये और बायाँ हाथ इस्तिन्जे और मक्रूह (नापसन्दीदा) कामों के लिये इस्तेमाल करते थे। (अबू दाऊद)

हदीस 67. हज़रत रुवैफ़ा बिन साबित रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे (मुख़ातब करके) फ़रमाया- ऐ रुवैफ़ा! शायद मेरे बाद तुम्हारी ज़िन्दगी लम्बी हो तो लोगों को बताना कि जिस आदमी ने अपनी दाढ़ी को गिरह लगाई या (बुरी नज़र को दूर करने के लिये) गले में गिरह लगी हुई डोरी पहनी या गोबर या हड्डी के साथ इस्तिन्जा किया तो मैं (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) उस आदमी से बरी हूँ। (अबू दाऊद)

हदीस 68. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सरजिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई आदमी (चींटियों या किसी और जानवर के) बिल (सूराख़) में पेशाब न करे। (अबू दाऊद, नसाई)

वज़ाहतः- किसी जानवर के बिल में पेशाब करने की मनाही की वजह यह है कि बहुत सी बार उनमें तकलीफ़ देने वाले जानवर होते हैं जो इनसान को पेशाब करने पर तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं।

हदीस 69. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दो इनसान (बड़े इस्तिन्जे की) ज़रूरत पूरी करने के लिये इस तरह न बैठें कि उन्होंने अपनी शर्मगाहों से कपड़ा उठाया हुआ हो और आपस में बातें कर रहे हों, इसलिये कि अल्लाह तआ़ला उस हालत में बातें करने पर नाराज़ होते हैं। (अबू दाऊद)

हदीस 70. हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इस्तिन्जे की ज़रूरत पूरी करने की जगहों (यानी बैतुल-ख़ला) में शैतान मौजूद होते हैं, पस जब तुम में से कोई आदमी बैतुल-ख़ला में जाये तो वह यह दुआ़ ज़रूर पढ़े—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल्-ख़ुबुसि वल्-ख़बा-इसि।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आपकी पनाह चाहता हूँ ख़बीस जिन्नात मर्दों और औ़रतों से। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 71. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब बैतुल-ख़ला से बाहर तशरीफ़ लाते तो यह दुआ़ पढ़ते— "ग़ुफ़रान-क" (मैं आप से मग़फ़िरत चाहता हूँ)।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 72. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक मर्तबा बैतुल-ख़ला गये तो मैं आपके लिये मशकीज़े में पानी लाया। आपने उस पानी से इस्तिन्जा किया फिर मिट्टी पर अपना हाथ मलकर पानी से धोया। फिर मैं एक दूसरे बर्तन में पानी लाया, आपने उस पानी से वुज़ू किया। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 73. हज़रत उमेमा बिन्ते रुक़ैका रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि (बीमारी की हालत में) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की चारपाई के नीचे खजूर की लकड़ी का एक प्याला था जिसमें आप रात को पेशाब करते थे। (अबू दाऊद, नसाई)

वज़ाहतः- मौत वाली बीमारी में नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये प्याला मंगवाया गया ताकि आप उसमें पेशाब करें। ज़रूरत के वक़्त ऐसा करना दुरुस्त है।

हदीस 74. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं खड़े होकर पेशाब कर रहा था कि आपने मुझे देख लिया और फ़रमाया- ऐ उमर! खड़े होकर पेशाब न किया करो। फिर मैंने कभी भी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 75. हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब यह आयते मुबारका नाज़िल हुई—

तर्जुमाः- उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकीज़ा रहने को पसन्द करते हैं और अल्लाह तआ़ला पाक रहने वालों को बहुत पसन्द फ़रमाता है। (सूरः तौबा 9, आयत 108) तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अन्सारियो! अल्लाह तआ़ला ने पाकीज़ा रहने पर तुम्हारी तारीफ़ बयान फ़रमाई है। तुम्हारी पाकीज़गी क्या है? उन्होंने जवाब दिया हम नमाज़ के अदा करने के लिये वुज़ू करते हैं, नापाकी (यानी जब ग़ुस्ल करना वाजिब हो) के बाद ग़ुस्ल करते हैं और पानी से इस्तिन्जा करते हैं। आपने फ़रमाया- बस इसी बात को लाज़िम पकड़ लो। (इब्ने माजा)

हदीस 76. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जिन्नात के एक वफ़्द (जमाअ़त) ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आप अपनी उम्मत को हड्डी, गोबर और कोयले के साथ इस्तिन्जा करने से मना फ़रमा दें, तो आपने हमें इन चीज़ों से मना फ़रमा दिया। (अबू दाऊद)

मिस्वाक का बयान

हदीस 77. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मिस्वाक मुँह की पाकीज़गी और अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त की रज़ा का सबब है। (अहमद, नसाई)

हदीस 78. हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ये चीज़ें अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की सुन्नतों में से हैं— 1. हया करना 2. ख़तना करना, 3. ख़ुशबू लगाना, 4. मिस्वाक करना, 5. निकाह करना। (तिर्मिज़ी)

हदीस 79. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मिस्वाक करते, फिर आप मुझे मिस्वाक पकड़ाते ताकि मैं उसको साफ़ कर दूँ चुनाँचे मैं पहले मिस्वाक करती फिर उसको साफ़ करती और आपकी ख़िदमत में वापस कर देती। (अबू दाऊद)

हदीस 80. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मिस्वाक फ़रमा रहे थे उस वक़्त आपके क़रीब दो आदमी थे, एक आदमी दूसरे से (उम्र में) बड़ा था, आपको **वही** के ज़रीये हुक्म दिया गया कि उन दोनों में से उम्र में बड़े आदमी को मिस्वाक दे दें। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- अगर लोग तरतीब से बैठे हुए हों तो दाईं तरफ़ वाले इनसान को पहले रखा जाये, अगर तरतीब न हो तो जो आदमी उम्र में बड़ा हो उसको मुक़द्दम (आगे और पहले) रखा जाये।

हदीस 81. हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर मुझे अपनी उम्मत के मशक़्क़त में पड़ने का ख़ौफ़ न होता तो मैं उन्हें हर नमाज़ के लिये मिस्वाक का हुक्म देता, और इशा की नमाज़ को रात के तिहाई हिस्से तक लेट कर देता। (तिर्मिज़ी)

वुज़ू की सुन्नतों का बयान

हदीस 82. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कपड़े पहनते वक़्त और वुज़ू करते वक़्त दाईं तरफ़ से शुरू करो। (अबू दाऊद)

हदीस 83. हज़रत लक़ीत बिन सबरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है

कि मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे वुज़ू का तरीक़ा बतायें, आपने फ़रमाया- मुकम्मल वुज़ू करो और उंगलियों के दरमियान ख़िलाल करो और नाक में पानी चढ़ाने में ज़्यादा एहतिमाम (ध्यान और पाबन्दी) से काम लो, अलबत्ता रोज़े की हालत में हद से न बढ़ो (यानी अगर नाक में पानी पहुँचाने की ज़्यादा कोशिश करोगे तो हो सकता है कि पानी अन्दर चला जाये और रोज़ा टूट जाये इसलिये रोज़े की हालत में नाक में ज़्यादा पानी न चढ़ाओ)। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 84. हज़रत मुस्तौरिद बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को वुज़ू करते हुए देखा, आप दोनों पाँव की उंगलियों में अपनी छंगलियों से ख़िलाल करते थे।

(तिमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 85. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब वुज़ू करते तो पानी का एक चुल्लू अपनी ठोड़ी के नीचे ले जाते और उससे दाढ़ी का ख़िलाल करते और फ़रमाते- मुझे मेरे रब ने इसी तरह करने का हुक्म दिया है। (अबू दाऊद)

हदीस 86. हज़रत अबू हय्या रहमतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि मैंने अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु को वुज़ू करते हुए देखा, उन्होंने अपने दोनों हाथों को कलाईयों तक धोया यहाँ तक कि उन दोनों को अच्छी तरह साफ़ किया, फिर तीन बार मुँह में पानी डाला और तीन बार नाक में पानी डाला और तीन बार अपने चेहरे को धोया और तीन बार अपने हाथों को कोहनियों तक धोया और एक बार अपने सर का मसह किया, फिर अपने दोनों पाँव को टख़्नों तक धोया, फिर फ़रमाया- मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस तरह वुज़ू किया करते थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 87. हज़रत रबीअ़ बिन्ते मुअ़व्वज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि आपने अपने सर के अगले और पिछले हिस्से और कंपटियों और कानों का एक बार ही मसह किया और कानों का मसह करते वक़्त अपनी दोनों उंगलियों को अपने कानों के सुराख़ों में दाख़िल किया। (अबू दाऊद)

हदीस 88. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है

कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को वुज़ू करते हुए देखा, आपने अपने सर का मसह हाथों की तरी के बजाय नया पानी लेकर किया। (तिर्मिज़ी)

हदीस 89. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर आप से वुज़ू का तरीक़ा पूछा। आपने उसे तीन-तीन बार वुज़ू के अंग धोकर दिखाये फिर आपने फ़रमाया- वुज़ू का यही तरीक़ा है। पस जिस आदमी ने इस पर ज़्यादती की उसने ग़लत किया, हद से बढ़ गया और अपने आप पर ज़ुल्म किया। (नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 90. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अपने बेटे को यह दुआ़ करते देखा- ऐ अल्लाह! मैं आप से जन्नत की दाईं जानिब सफ़ेद महल का सवाल करता हूँ। मैंने कहा ऐ मेरे बेटे! अल्लाह से जन्नत का सवाल करो और दोज़ख़ से पनाह तलब करो, इसलिये कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक इस उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो तहारत और दुआ़ में हद से बढ़ जायेंगे। (अहमद)

वज़ाहतः- वुज़ू के अंगों (बदनी हिस्सों) को तीन मर्तबा से ज़्यादा धोना और क़ैद लगाकर दुआ़यें माँगना हद से बढ़ना है।

वाजिब ग़ुस्ल का बयान

हदीस 91. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उस आदमी के बारे में दरियाफ़्त किया गया जो (मनी की) तरी को (जिस्म या कपड़े पर) पाता है और उसे एहतिलाम (सोते में नहाने की हाजत) का ख़्याल नहीं आता। आपने फ़रमाया- वह आदमी ग़ुस्ल करे। साथ ही उस आदमी के बारे में दरियाफ़्त किया गया जिसे एहतिलाम होने का ख़्याल आता है लेकिन (जिस्म या कपड़े पर) तरी नहीं पाता। आपने फ़रमाया- उस पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने दरियाफ़्त किया औ़रत अगर तरी देखे तो क्या उस पर ग़ुस्ल (वाजिब) है? आपने फ़रमाया- बिला-शुब्हा औ़रतें तो मर्दों

की तरह हैं। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

वज़ाहतः- अल्लाह के अहकाम में ख़िताब मर्दों को हो तो उसमें औरतें भी शामिल समझी जाती हैं, अलबत्ता अगर उनको ख़ास करने की दलीलें मौजूद हों तो फिर उनके लिये एक अलग हुक्म माना जायेगा और उसके मुताबिक़ फ़ैसला किया जायेगा।

हदीस 92. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह से मिल जाये तो ग़ुस्ल करना वाजिब हो जाता है।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 93. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आप ग़ुस्ल के बाद वुज़ू नहीं करते थे। (अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- अगर ग़ुस्ले जनाबत (नापाकी से पाक होने के ग़ुस्ल) से पहले वुज़ू किया हुआ हो और ग़ुस्ल के दौरान शर्मगाह को हाथ न लगे तो उस सूरत में ग़ुस्ल के बाद वुज़ू करना ज़रूरी नहीं। (नापाकी वाले यानी वाजिब) ग़ुस्ले जनाबत का मुकम्मल तरीक़ा जानने के लिये किसी मोतबर आलिम या मसाईल की किताब की तरफ़ रुजू फ़रमायें।

हदीस 94. हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को देखा कि वह खुली जगह में बग़ैर पर्दे के ग़ुस्ल कर रहा था। आप मिम्बर पर तशरीफ़ लाये, अल्लाह तआला की तारीफ़ व सना बयान की, फिर फ़रमाया- बेशक अल्लाह तआला बहुत हया (शर्म) वाला है, पर्दापोशी करने वाला है, हया और पर्दापोशी को पसन्द करता है, पस जब तुम में से कोई आदमी ग़ुस्ल करे तो पर्दा कर ले। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 95. हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इस्लाम के शुरू दौर में इनज़ाल (मर्द या औरत की शर्मगाह से वीर्य ख़ारिज) होने पर ग़ुस्ल वाजिब होता था, फिर बाद में (इसे मन्सूख़ करके) सिर्फ़ शर्मगाहें मिलने पर ग़ुस्ल वाजिब क़रार दिया गया।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, दारमी)

जुनुबी से मिलाप और उसके लिये जायज़ कामों का बयान

हदीस 96. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की किसी बीवी साहिबा ने नहाने के पानी से ग़ुस्ल किया, फिर रसूले करीम ने उसी पानी से वुज़ू करने का इरादा किया। बीवी साहिबा ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जुनुबी थी (यानी मेरे ऊपर ग़ुस्ल वाजिब था)। आपने फ़रमाया- पानी जुनुबी (नापाक) नहीं होता। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 97. हज़रत मुहाजिर बिन क़ुन्फ़ुज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप पेशाब कर रहे थे। मैंने आपको सलाम किया, आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया यहाँ तक कि आपने वुज़ू किया, फिर मुझसे माज़िरत करते हुए कहा कि मैंने अच्छा नहीं समझा कि मैं अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र पाक हुए बग़ैर करूँ। (अबू दाऊद)

हदीस 98. हज़रत अबू राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी पाक बीवियों के पास गये। एक के यहाँ ग़ुस्ल किया और फिर दूसरी के यहाँ ग़ुस्ल किया। मैंने आप से अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आप एक बार ही ग़ुस्ल क्यों नहीं करते? आपने फ़रमाया- बार-बार ग़ुस्ल करना ज़्यादा सवाब का सबब है, ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा पाकीज़गी की निशानी है। (अहमद, अबू दाऊद)

पानी के अहकामात का बयान

हदीस 99. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उस पानी के बारे में पूछा गया जो जंगल में होता है और जहाँ जानवर और दरिन्दे (पानी पीने के लिये) आते रहते हैं। आपने फ़रमाया- जब पानी दो मटके हो तो वह नापाक नहीं होता। (अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- खड़ा हुआ पानी जब दो मटके (तक़रीबन 80 लीटर) या दो मटके से ज़्यादा हो तो पाक होता है जिस तरह बहता हुआ पानी पाक होता है।

हदीस 100. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! हम समन्दर में (कश्ती पर) सवार होते हैं और अपने साथ थोड़ी मात्रा में (मीठा) पानी ले जाते हैं। अगर हम उस पानी से वुज़ू करें तो हम प्यास से दोचार हो जायेंगे, क्या हम समन्दर के पानी से वुज़ू कर सकते हैं? रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- समन्दर का पानी पाक है और समन्दर में मरा हुआ समन्दरी जानवर भी हलाल है।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

वज़ाहतः- सहाबी ने आप से सिर्फ़ पानी के बारे में सवाल किया लेकिन आप हकीमुल-उम्मत थे, ज़रूरत को महसूस करते हुए समन्दरी जानवरों की भी वज़ाहत कर दी, यानी मुर्दा हालत में भी मिल जायें तो हलाल हैं।

हदीस 101. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिल्ली नापाक जानवर नहीं है, यह तो तुम्हारे आस-पास घूमने वाले जानवरों में से है। मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बिल्ली के झूठे पानी से वुज़ू करते हुए देखा। (अबू दाऊद)

हदीस 102. हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने और (आपकी बीवी मोहतरमा) मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने एक ही बर्तन के पानी से वुज़ू किया जिसमें गूँधे हुए आटे के निशान थे। (नसाई, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- अगर पानी में कोई पाक चीज़ इतनी कम मात्रा में मिल जाये कि उससे पानी का रंग, बू, ज़ायक़ा तब्दील न हो तो उससे तहरात (पाकी) हासिल करना जायज़ है।

नजास्तों से पाकी हासिल करना

हदीस 103. हज़रत लुबाबा बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत

है कि हुसैन बिन अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की गोद में थे। उन्होंने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया। मैंने अ़र्ज़ किया कि आप दूसरे कपड़े पहन लें और अपने कपड़े मुझे दे दें ताकि मैं इनको धो डालूँ। आपने फ़रमाया- अगर लड़की का पेशाब लग जाये तो कपड़े को धोया जाये और अगर लड़के का पेशाब लग जाये तो सिर्फ़ छींटे मारे जायें। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- लड़की का पेशाब लड़के के पेशाब से गाढ़ा और ज़्यादा बदबूदार होता है। (हुज्जतुल्लाहिल्-बालिग़ा)

हदीस 104. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि आप से एक औ़रत ने पूछा- मेरा दामन काफ़ी लम्बा है और मैं नापाक जगह से चलकर आती हूँ उसके बारे में क्या हुक्म है? रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उसके बाद वाली जगह उस दामन को पाक बना देगी। (मालिक, अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, दारमी)

वज़ाहतः- नापाक जगह पर दामन घिसटने से दामन नापाक हो जाता है लेकिन जब वही दामन पाक जगह से घिसटता है तो पाक हो जाता है, क्योंकि पानी की तरह मिट्टी भी पाक करने की सलाहियत रखती है।

हदीस 105. हज़रत मिक़्दाम बिन मअ़्दीकरब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दरिन्दों (फाड़ खाने वाले जानवरों) की खालों को पहनने और उन पर सवार होने से मना फ़रमाया है। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 106. हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आपने दरिन्दों की खालों की क़ीमत को मक्रूह क़रार दिया है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 107. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुर्दा जानवरों की खालों को जब रंग लिया जाये तो उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। (अबू दाऊद)

हदीस 108. हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि क़ुरैश (क़बीले) के कुछ लोग रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास से गुज़रे वे अपनी मुर्दा बकरी को खींचकर लेजा रहे थे। रसूले पाक सल्लल्लाहु

अ़लैहि व सल्लम ने उनसे फ़रमाया- काश तुम इसकी खाल उतार लेते। उन्होंने कहा यह तो मुर्दा है, इस पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इसकी खाल को पानी और कीकर के छिलके से रंग लो तो यह पाक हो जायेगी। (अबू दाऊद)

हदीस 109. हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ग़ज़वा-ए-तबूक के मौक़े पर एक घर में तशरीफ़ लाये, वहाँ (पानी का) मशकीज़ा लटक रहा था। आपने पानी तलब किया, उन्होंने बताया- ऐ अल्लाह के रसूल! यह मशकीज़ा मुर्दार के (रंगे हुए) चमड़े का है। आपने फ़रमाया- दबाग़त (रंगने) ने इसको पाक कर दिया है। (अबू दाऊद)

जुराबों (मौज़ों) पर मसह करने का बयान

हदीस 110. हज़रत सफ़वान बिन अ़स्साल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब हम सफ़र में होते तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमें हुक्म फ़रमाते कि हम तीन दिन और तीन रातें अपनी जुराबों को न उतारें (बल्कि उन पर मसह करते रहें) अलबत्ता नापाकी से पाक होने के ग़ुस्ल के वक़्त उतारें और पेशाब-पाख़ाने और नींद के बाद न उतारें।

(तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 111. हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा कि आप दोनों जुराबों के ऊपर मसह करते थे। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 112. हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वुज़ू किया और जुराबों पर मसह किया। (तिर्मिज़ी)

हदीस 113. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अगर दीन, राय और क़्यास के मुताबिक़ होता तो जुराबों के निचले हिस्से का मसह ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा मुनासिब होता, जबकि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा है कि आप मौज़ों के ऊपर मसह

किया करते थे। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- अल्लाह के अहकाम में अपने अहकाम (यानी राय व अ़क़्ल) को दख़ल न दें।

तयम्मुम का बयान

हदीस 114. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पाक मिट्टी मुसलमान का वुज़ू है अगरचे उसे दस साल तक पानी न मिले। जब पानी मिल जाये तो उससे नहाये और वुज़ू करे तो यह बेहतर है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 115. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम सफ़र पर निकले तो हम में से एक आदमी के सर पर पत्थर लगा जिस से उसका सर ज़ख़्मी हो गया, फिर (रात में) उसको एहतिलाम (सोते में नहाने की ज़रूरत) हो गया। उसने अपने साथियों से पूछा कि मुझे तयम्मुम करने की इजाज़त है? उन्होंने जवाब दिया- हम लोग तुम्हारे लिये इसमें कोई रुख़्सत (छूट और रियायत) नहीं पाते, क्योंकि तुम पानी की ताक़त रखते हो। चुनाँचे उसने ग़ुस्ल किया जिस से वह मर गया। जब हम वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पहुँचे और आपको इस वाक़िए की ख़बर दी तो आपने फ़रमाया- लोगों ने उसे मार दिया, अल्लाह उनकी पकड़ फ़रमाये। जब उनको (इस मसले का) इल्म नहीं था तो उन्होंने (किसी इल्म वाले से) पूछा क्यों नहीं? जहालत की बीमारी का इलाज सवाल करना है, उस मरने वाले के लिये तयम्मुम काफ़ी था, या वह अपने ज़ख़्म पर पट्टी बाँधकर उस पर मसह कर लेता और फिर अपने जिस्म का बाक़ी हिस्सा धो लेता। (अबू दाऊद)

हदीस 116. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि दो आदमी सफ़र के लिये निकले, नमाज़ का वक़्त आ गया लेकिन उन दोनों के पास पानी नहीं था, उन दोनों ने पाक मिट्टी के साथ तयम्मुम किया और नमाज़ अदा कर ली, फिर उन्होंने नमाज़ के वक़्त में ही पानी पा लिया। एक आदमी ने वुज़ू करके नमाज़ को दोबारा अदा किया और दूसरे

ने नमाज़ को नहीं दोहराया, फिर वे दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने (आप से) इस वाक़िए का तज़किरा किया। आपने उस आदमी से कहा जिसने नमाज़ को नहीं दोहराया था, कि तुमने सुन्नत की मुवाफ़क़त की है, तुम्हारी नमाज़ तुम्हारे लिये काफ़ी है, और जिसने वुज़ू करके नमाज़ को दोहराया था उससे फ़रमाया कि तुम्हारे लिये दोगुना सवाब है। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- जब तयम्मुम करके नमाज़ अदा कर ली जाये और फिर नमाज़ के वक़्त में ही पानी मिल जाये तो वुज़ू करके नमाज़ को दोहराना ज़रूरी नहीं, बल्कि पहली नमाज़ ही काफ़ी है।

मुस्तहब ग़ुस्ल का बयान

हदीस 117. हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने जुमे के दिन वुज़ू किया तो यह काफ़ी है और अच्छा है, और जिस आदमी ने ग़ुस्ल किया तो ग़ुस्ल करना अफ़ज़ल (ज़्यादा बेहतर और अच्छा) है।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 118. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने मय्यित को ग़ुस्ल दिया उसे चाहिये कि वह ग़ुस्ल करे। (इब्ने माजा)

हदीस 119. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम चार मौक़ों पर ग़ुस्ल फ़रमाते थे—

1. जनाबत (नापाकी) के बाद। 2. जुमे के दिन। 3. सींगी लगवाने के बाद। 4. मय्यित को ग़ुस्ल देने के बाद। (अबू दाऊद)

हदीस 120. हज़रत क़ैस बिन आ़सिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब मैं इस्लाम लाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे पानी में बेरी के पत्ते डालकर ग़ुस्ल करने (नहाने) का हुक्म दिया।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

वज़ाहतः- नये मुसलमान पर भी ग़ुस्ल वाजिब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर नये मुसलमान होने वाले को ग़ुस्ल करने का

हुक्म दिया करते थे।

हैज़ (माहवारी) के मसाईल का बयान

हदीस 121. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने हैज़ (माहवारी) की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी (सोहबत) की या ग़ैर-फ़ितरी अन्दाज़ (यानी पीछे के रास्ते) में सोहबत की, या काहिन (नजूमी और ज्योतिषी) की बातों की तस्दीक़ की तो उसने मेरी लाई हुई शरीअ़त (ख़ुदाई क़ानून) का इनकार कर दिया। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, दारमी)

हदीस 122. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई आदमी अपनी बीवी से हैज़ (माहवारी) की हालत में सोहबत करे तो वह आधा दीनार सदक़ा करे। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

वज़ाहतः- आधा दीनार साढ़े चार माशे सोना के बराबर होता है। यह सदक़ा देना सिर्फ़ तंबीह के तौर है दर असल अल्लाह तआ़ला इनसान को घातक बीमारियों से बचाना चाहते हैं क्योंकि उस हालत में सोहबत करने से एड्स, सूज़ाक और आतिशक जैसे रोग पैदा हो सकते हैं। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः ब-क़रह 2, आयत 222।

इस्तिहाज़ा (वाली औ़रत के मसाईल) का बयान

इस्तिहाज़ा उस ख़ून को कहते हैं जो बाज़ी औ़रतों को बीमारी की वजह से माहवारी के दिनों के अ़लावा भी लगातार आता रहता है। इस्तिहाज़ा के अहकाम हैज़ और निफ़ास के अहकाम से अलग हैं। मुस्तहाज़ा औ़रत पाक औ़रत की तरह शुमार होती है और उससे हमबिस्तरी भी की जा सकती है।

हदीस 123. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबू हुबैश रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मुझे इस्तिहाज़ा (का ख़ून) आता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया- हैज़ (माहवारी) का ख़ून हो तो वह काले रंग का होता है जो आसानी से पहचाना जा सकता है, लिहाज़ा जब

हैज़ का ख़ून आये तो नमाज़ से रुक जाओ और जब दूसरा (इस्तिहाज़े का) ख़ून हो तो वुज़ू करो और नमाज़ अदा करो, क्योंकि यह एक रग का ख़ून है। (अबू दाऊद)

हदीस 124. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दौर में एक औरत का ख़ून बहता रहता था, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसके बारे में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया। आपने फ़रमाया- इस बीमारी के लगने से पहले वह महीने की जिन रातों और दिनों में हैज़ वाली होती थी उस गिनती के मुताबिक़ हर महीने में नमाज़ छोड़ दे, जब यह हैज़ के दिन गुज़र जायें तो ग़ुस्ल करे और शर्मगाह पर कपड़ा बाँध ले, फिर नमाज़ अदा करे। (अबू दाऊद)

हदीस 125. हज़रत हमना बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सख़्त क़िस्म के इस्तिहाज़े (ख़ून आने) में मुब्तला हूँ आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आपने फ़रमाया- मैं तुम्हारे लिये रूई (के इस्तेमाल) को ज़रूरी ख़्याल करता हूँ, रूई का इस्तेमाल ख़ून को ख़त्म कर देगा। मेरी बहन ज़ैनब बिन्ते जहश (आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवी साहिबा) ने अर्ज़ किया ख़ून इससे ज़्यादा है। आपने (मुझसे) फ़रमाया- तुम शर्मगाह पर मज़बूती से कपड़ा बाँध लो। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया ख़ून तो उससे कहीं ज़्यादा है। आपने फ़रमाया- तो एक कपड़ा और रख लो। उसने अर्ज़ किया ख़ून तो बहुत ही ज़्यादा है, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (मुझसे) फ़रमाया- मैं तुम्हें दो कामों में से एक काम करने का हुक्म देता हूँ उनमें से जो तुम करोगी तुम्हें काफ़ी होगा, फिर आपने फ़रमाया-

1. यह ख़ून का बहना शैतान की तरफ़ से पेश आने वाली मुसीबतों में से एक मुसीबत है, तुम 6 या 7 दिनों को हैज़ के दिन शुमार करके फिर ग़ुस्ल कर लिया करो यहाँ तक कि जब तुम महसूस करो कि तुम बिल्कुल पाक और साफ़ हो चुकी हो तो 23 या 24 रात और दिन नमाज़ अदा करो और रोज़े रखो, ये तुम्हें काफ़ी हैं और इसी तरह हर महीने किया करो।

2. और अगर तुम में ताक़त हो कि तुम ग़ुस्ल करके ज़ोहर की नमाज़ को लेट करो और अ़सर की नमाज़ जल्दी अदा करो तो ऐसा कर लिया करो यानी तुम ज़ोहर और अ़सर को जमा करके अदा करो, और इसी तरह ग़ुस्ल करके मग़रिब की नमाज़ को देर करके और इशा की नमाज़ को जल्दी अदा करो, यानी इन दोनों को जमा करके अदा करो और फ़जर की नमाज़ के लिये ग़ुस्ल भी करो, और अगर तुम्हें रोज़े रखने की ताक़त हो तो रोज़े भी रखो। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया कि दोनों कामों में से यह आख़िरी काम मुझे ज़्यादा पसन्द है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

नमाज़ (के मसाईल) का बयान

हदीस 126. हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, जो (नमाज़ों की अदायेगी के लिये) अच्छी तरह वुज़ू करे और वक़्त पर नमाज़ें अदा करे और रुकूअ़ अच्छी तरह करे और नमाज़ ख़ुशूअ़ (नमाज़ के आदाब और अल्लाह के ध्यान) के साथ अदा करे तो उसके लिये अल्लाह तआ़ला का वायदा है कि वह उसे माफ़ फ़रमा देंगे, और जो यह नहीं करे तो उसके लिये अल्लाह तआ़ला का वायदा नहीं है। अगर वह चाहें तो उसको माफ़ फ़रमा दें और अगर चाहें तो अ़ज़ाब में मुब्तला कर दें। (अबू दाऊद)

हदीस 127. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पाँच नमाज़ें अदा करो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, माल की ज़कात अदा करो और अमीर (हाकिम) की इताअ़त करो। तुम सलामती के साथ अपने रब की जन्नत में दाख़िल हो जाओगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 128. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपनी औलाद को नमाज़ का हुक्म दो जब सात साल के हो जायें, जब वे दस साल के हो जायें तो उन्हें नमाज़ छोड़ने पर मार-पीट करो और उनके बिस्तर

अलग-अलग कर दो। (अबू दाऊद)

हदीस 129. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हमारे और मुनाफ़िक़ों के दरमियान फ़र्क़ सिर्फ़ नमाज़ है, जिस आदमी ने नमाज़ को छोड़ दिया वह काफ़िर हो गया। (तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 130. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम नमाज़ के अ़लावा किसी और अ़मल के (जान-बूझकर) छोड़ने वाले को काफ़िर नहीं समझते थे। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- क़ियामत के दिन सबसे पहले नमाज़ ही के मुताल्लिक़ सवाल होगा, अगर नमाज़ दुरुस्त हुई तो बाक़ी आमाल भी अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त दुरुस्त फ़रमा देंगे, और अगर नमाज़ दुरुस्त न हुई (ठीक न निकली) तो बाक़ी नेक आमाल जन्नत में जाने के लिये काफ़ी नहीं होंगे। इसलिये आप भी नमाज़ की पाबन्दी कीजिये।

हदीस 131. हज़रत अबू-दर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे वसीयत की है कि तुम अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाना, अगरचे तुम्हारे (जिस्म के) टुकड़े कर दिये जायें और तुमको जला दिया जाये, और फ़र्ज़ नमाज़ जान-बूझकर न छोड़ना इसलिये कि जो फ़र्ज़ नमाज़ को जान-बूझकर छोड़ देता है तो अल्लाह उसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मेदार नहीं होता है। तुम शराब न पीना इसलिये कि शराब हर बुराई की जड़ है। (इब्ने माजा)

वज़ाहतः- शराब पीने से इनसान की अ़क़्ल काम नहीं करती जिसकी वजह से वह बहुत-सी बुराईयों को कर बैठता है। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये सूरः मायदा 5, आयत 90।

नमाज़ों के वक़्तों का बयान

हदीस 132. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बैतुल्लाह के पास जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने दो दिन मेरी इमामत कराई। ज़ोहर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब सूरज का साया ढलने लगा, अ़सर की

नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो गया, मग़रिब की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब रोज़ा रखने वाला रोज़ा इफ़्तार करता है, इशा की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब (आसमान के किनारों से) सुर्ख़ी ग़ायब हो गई और फ़जर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब रोज़ेदार पर खाना पीना मना हो जाता है।

दूसरे दिन जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो गया, अ़सर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उससे दोगुना हो गया, मग़रिब की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब रोज़ेदार ने (रोज़ा) इफ़्तार कर लिया, फिर इशा की नमाज़ रात के तीसरे हिस्से (के ख़त्म होने) पर पढ़ाई और फ़जर की नमाज़ निहायत रोशनी में पढ़ाई। उसके बाद जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने कहा- ऐ मुहम्मद! यह आप से पहले अम्बिया की नमाज़ों के वक़्त हैं और आपकी नमाज़ों के वक़्त इन दोनों वक़्तों के दरमियान हैं। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 133. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ज़ोहर की नमाज़ गर्मियों में उस वक़्त पढ़ते जब हर चीज़ का साया तीन क़दम से लेकर पाँच क़दमों तक होता, और सर्दियों में उस वक़्त पढ़ते थे जब हर चीज़ का साया पाँच क़दमों से लेकर सात क़दमों तक होता था। (अबू दाऊद, नसाई)

वज़ाहतः- दोनों मौसमों में इस फ़र्क़ की वजह यह है कि सर्दी के मौसम में असली साया ज़्यादा और गर्मी के मौसम में असली साया कम होता है।

फ़र्ज़ नमाज़ें अव्वल वक़्त पर अदा करने का बयान

हदीस 134. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अ़ली! इन तीन कामों में देरी नहीं करना- 1. नमाज़ जब उसका वक़्त आ जाये। 2. जनाज़ा जब हाज़िर (तैयार) हो जाये। 3. बेवा और तलाक़-याफ़्ता औरत की शादी जब उसका जोड़ मिल जाये। (तिर्मिज़ी)

हदीस 135. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस फ़ानी दुनिया से रुख़्सत होने तक कभी भी (जान-बूझकर) कोई नमाज़ उसके आख़िरी वक़्त में दो मर्तबा अदा नहीं की। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिर्फ़ एक मर्तबा उम्मत को तालीम देने के लिये तमाम नमाज़ें आख़िरी वक़्त में अदा की थीं, अगरचे नमाज़ के आख़िरी वक़्त में नमाज़ पढ़ने से फ़र्ज़ तो अदा हो जाता है मगर मस्नून और अफ़ज़ल यही है कि वक़्त शुरू होते ही फ़र्ज़ अदा कर लें सिवाय नमाज़े इशा के, इसलिये कि किसी वजह (ज़रूरी काम, हादसे वग़ैरह) से नमाज़ क़ज़ा हो सकती है।

हदीस 136. हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हमेशा मेरी उम्मत ख़ैर (भलाई) पर रहेगी जब तक कि मग़रिब की नमाज़ को सितारों के ज़ाहिर होने तक लेट नहीं करेगी। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- मग़रिब की नमाज़ सूरज ग़ुरूब होते ही पढ़ना बेहतर है क्योंकि उसका वक़्त कम होता है।

हदीस 137. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर मुझे उम्मत के बारे में मशक़्क़त (परेशानी और दिक़्क़त) में पड़ने का ख़ौफ़ न होता तो मैं उन्हें हुक्म देता कि वे इशा की नमाज़ को रात के तिहाई या आधी रात तक लेट करके अदा करें। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 138. हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इशा की नमाज़ को ताख़ीर से (देर करके) अदा करो, बिला शुब्हा तुम्हें उस नमाज़ की वजह से दूसरी उम्मतों पर फ़ज़ीलत अता की गई है, तुमसे पहले किसी उम्मत ने यह नमाज़ अदा नहीं की। (अबू दाऊद)

हदीस 139. हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इशा की नमाज़ तीसरी रात

के चाँद के छुपने के वक़्त अदा करते थे। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- चाँद की तीसरी तारीख़ को चाँद काफ़ी देर से ग़ुरूब होता (छुपता) है।

हदीस 140. हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- फ़जर की नमाज़ रोशन करके अदा करो, इसलिये कि फ़जर को रोशन करने में सवाब ज़्यादा है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

वज़ाहतः- सुबह की नमाज़ अंधेरे में शुरू की जाये और क़िराअत लम्बी हो और नमाज़ उस वक़्त ख़त्म की जाये जब रोशनी फैल जाये। आप फ़जर की नमाज़ में ये सूरतें पढ़ा करते थे– सूरः ब-क़रह, सूरः आले इमरान, सूरः लैल, सूरः जुमा, सूरः दहर, सूरः मोमिनून, सूरः जिन्न, सूरः यूसुफ़ और सूरः हज।

हदीस 141. हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इमामत में इशा की नमाज़ अदा करने के लिये इन्तिज़ार कर रहे थे। जब रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये तो तक़रीबन आधी रात गुज़र चुकी थी, आपने फ़रमाया- अपनी-अपनी जगह पर ही बैठे रहो, चुनाँचे हम अपनी-अपनी जगह पर ही बैठे रहे। आपने फ़रमाया- इस मस्जिद के अ़लावा लोग नमाज़ अदा कर चुके हैं और अपने सोने की जगहों में जा चुके हैं, और तुम नमाज़ में ही रहे हो जब तक तुम नमाज़ के इन्तिज़ार में थे। अगर कमज़ोर इनसान की कमज़ोरी और बीमारी का ख़्याल न होता तो मैं इस नमाज़ को आधी रात तक लेट कर देता। (अबू दाऊद)

हदीस 142. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब गर्मी होती तो ज़ोहर की नमाज़ ताख़ीर से (देर करके) अदा करते और जब सर्दी होती तो जल्दी अदा करते थे। (नसाई)

नमाज़ों के फ़ज़ाईल का बयान

हदीस 143. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से

रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नमाज़-ए-वुसता (से मुराद) अ़सर की नमाज़ है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है-

तर्जुमाः- तुम नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो और (ख़ुसूसन) नमाज़े वुसता (बीच वाली नमाज़) की। (सूरः ब-क़रह 2, आयत 238) लिहाज़ा इसकी सबसे ज़्यादा हिफ़ाज़त करनी चाहिये।

हदीस 144. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अल्लाह तआ़ला के इस क़ौल—

तर्जुमाः- बिला-शुब्हा फ़जर की नमाज़ की क़िराअत में हाज़िरी होती है। (सूरः बनी इस्राईल 17, आयत 78) के बारे में फ़रमाया- इस क़िराअत में रात और दिन के फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 145. हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ज़ोहर की नमाज़ सख़्त गर्मी में ज़वाल के बाद अदा करते थे (गर्मी की वजह से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम पर यह नमाज़ बहुत दुश्वार होती थी), फिर यह आयत नाज़िल हुई—

तर्जुमाः- तुम सब नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो और ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज़ की। (सूरः ब-क़रह 2, आयत 238) आपने फ़रमाया- बिला-शुब्हा इससे पहले दो और बाद में दो नमाज़ें हैं। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- दरमियानी नमाज़ से मुराद अ़सर की नमाज़ है। एक हदीस है कि जिसकी अ़सर की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो उसका घर-बार और माल सब लुट गया।

अज़ान का बयान

हदीस 146. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दौर में अज़ान के कलिमात दो-दो बार थे और तकबीर के कलिमात एक-एक बार थे, अलबत्ता "क़द् क़ामतिस्सलातु" के कलिमात दो मर्तबा कहे जाते थे।

(अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 147. हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे अज़ान के 19 कलिमात और तकबीर के 17 कलिमात की तालीम दी। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- यह 'तरजीअ़' वाली अज़ान कहलाती है जिसमें शहादतैन को चार-चार मर्तबा पढ़ा जाता है।

हदीस 148. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अ़ब्दे रब्बिही रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नाक़ूस (बाजा बजाकर इत्तिला देना) तैयार करने का हुक्म दिया ताकि लोगों को जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा करने के लिये उसे बजाया जाये तो मैंने ख़्वाब में एक आदमी को देखा जो नाक़ूस उठाये हुए था। मैंने उससे कहा ऐ अल्लाह के बन्दे! क्या तुम नाक़ूस बेचना पसन्द करोगे? उसने पूछा कि तुम इसको लेकर क्या करोगे? मैंने कहा हम इसके ज़रिये लोगों को नमाज़ के लिये बुलायेंगे। उसने मश्विरा दिया कि क्या मैं तुझे इससे बेहतर चीज़ न बताऊँ? मैंने कहा कि ज़रूर बताईये। उसने कहा कि तुम 'अल्लाहु अकबर' कहो (फिर उन्होंने अज़ान के आख़िरी कलिमात तक बयान किये) और उसी तरह तकबीर के अलफ़ाज़ भी बयान किये।

जब सुबह हुई तो मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अपना ख़्वाब बयान किया। आपने फ़रमाया- इन्शा-अल्लाह यह ख़्वाब सच्चा है, तुम बिलाल के साथ खड़े हो जाओ और जो कलिमात तुम्हें मालूम हुए हैं वह उसे बताओ। वह इन कलिमात के साथ अज़ान कहे, उसकी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से बुलन्द है। चुनाँचे मैं हज़रत बिलाल के साथ खड़ा हुआ, मैं उन्हें अज़ान के कलिमात से आगाह करता जा रहा था और बिलाल अज़ान कह रहे थे। जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अज़ान के कलिमात अपने घर पर सुने तो वे अपनी चादर समेटते हुए निकले और कह रहे थे ऐ अल्लाह के रसूल! उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, मैंने अभी इसी तरह का ख़्वाब देखा है जैसा कि इसको दिखाया गया है। इस पर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ बयान की। (अबू दाऊद)

हदीस 149. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इमाम मुक़्तदियों की नमाज़ का ज़िम्मेदार है और अज़ान कहने वाला नमाज़ के वक़्तों का अमीन है। ऐ अल्लाह! इमामों की रहनुमाई फ़रमा और अज़ान कहने वालों की मग़फ़िरत फ़रमा। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 150. हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला उस चरवाहे से बहुत ख़ुश होते हैं जो पहाड़ की बुलन्दी पर बकरियाँ चराता है, वह नमाज़ के लिये अज़ान कहता है और नमाज़ अदा करता है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि मेरे इस बन्दे को देखो नमाज़ अदा करने के लिये अज़ान और तकबीर के कलिमात कहता है, मुझसे डरता है, बेशक मैंने अपने बन्दे को माफ़ कर दिया है और उसको जन्नत में दाख़िल कर दिया है। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 151. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुअज़्ज़िन की आवाज़ के पहुँचने की हद तक उसके लिये मग़फ़िरत साबित हो जाती है और सब ख़ुश्क और तर चीज़ें उसके लिये गवाही देंगी, और जमाअ़त के साथ नमाज़ में हाज़िर होने वाले को 25 नमाज़ों का (यानी इतनी नमाज़ों के बराबर) सवाब मिलता है, और उसके दो नमाज़ों के दरमियान किये हुए गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 152. हज़रत उस्मान बिन अबुल-आ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे अपनी क़ौम का इमाम मुक़र्रर फ़रमा दें। आपने फ़रमाया- तुम उनके इमाम हो, उनमें के कमज़ोर लोगों का ख़्याल रखना। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 153. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अज़ान और तकबीर के दरमियान माँगी गई दुआ़ रद्द नहीं होती। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 154. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि एक आदमी ने पूछा- ऐ अल्लाह के रसूल! अज़ान कहने वालों को हम पर फ़ज़ीलत हासिल है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम भी वही कलिमात कहो जो कलिमात मुअज़्ज़िन कहता है। जब तुम अज़ान के कलिमात कहने से फ़ारिग़ हो जाओ तो अल्लाह तआ़ला से जो सवाल करोगे वह तुम्हें मिल जायेगा। (अबू दाऊद)

हदीस 155. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे, हज़रत बिलाल अज़ान देने लगे, जब वह ख़ामोश हुए तो आपने फ़रमाया जिस शख़्स ने (अज़ान के) ये कलिमात दिल के ख़ुलूस से कहे तो वह ज़रूर जन्नत में जायेगा। (नसाई)

हदीस 156. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब अज़ान कहने वाले से शहादतैन (अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु, अश्हदु अन्-न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह' के कलिमात सुनते तो आप फ़रमाते- मैं भी यही गवाही देता हूँ। (अबू दाऊद)

मस्जिदों और नमाज़ अदा करने के मक़ामात का बयान

हदीस 157. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पूरब और पश्चिम के दरमियान क़िब्ला है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- यह हुक्म एक ख़ास आबादी के लिये था। हिन्दुस्तान व पाकिस्तान का क़िब्ला पश्चिम की तरफ़ है।

हदीस 158. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुक्म दिया कि आबादियों में मस्जिदें तामीर की जायें, उन्हें पाक-साफ़ रखा जाये और उन्हें मुअ़त्तर (ख़ुशबू में बसाकर) रखा जाये। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 159. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझे मस्जिदों को

ऊँचा बनाने का हुक्म नहीं दिया गया, तुम मस्जिदों को ज़रूर सजाकर तामीर करोगे जैसा कि यहूदियों और ईसाईयों ने उन्हें सजाया है। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- हमें यहूदियों और ईसाईयों की तरह मस्जिदें सजाने से मना किया गया है।

हदीस 160. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत की निशानियों में से यह भी है कि क़ियामत के क़रीब लोग मस्जिदों की तामीर पर फ़ख़्र करेंगे। (अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई)

हदीस 161. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उन लोगों को क़ियामत के दिन मुकम्मल नूर मिलने की ख़ुशख़बरी दे दी जाये जो लोग अंधेरों में मस्जिदों की तरफ़ (नमाज़ के लिये) जाते हैं। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 162. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन क़िस्म के मुसलमानों की हिफ़ाज़त करना अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे है–

1. वह मुसलमान जो अल्लाह तआ़ला के रास्ते में जिहाद के लिये निकला यहाँ तक कि उसको मौत आ जाये।

2. वह मुसलमान जो मस्जिद (की तरफ़ नमाज़ की अदायेगी के लिये) गया।

3. वह मुसलमान जो घर में "अस्सलामु अ़लैकुम" कहता हुआ दाख़िल हुआ। (अबू दाऊद)

हदीस 163. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी मस्जिद में जिस काम के लिये आया वही उसका हिस्सा है। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- मस्जिद में जिस नीयत से इनसान आये उसे वही कुछ मिलता है। मसलन अगर किसी दोस्त से मिलने आया तो मस्जिद में आने का उसे वह सवाब नहीं मिलेगा मगर नमाज़ के लिये आने पर मिलता है।

हदीस 164. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से

रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मस्जिदों में शे'र कहने, ख़रीद व फ़रोख़्त करने और जुमे के दिन नमाज़ से पहले हल्क़ा (घेरा) बनाकर बैठने से मना फ़रमाया है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 165. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब किसी आदमी को मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त करते देखो तो कहो 'अल्लाह तेरी तिजारत को नफ़ा देने वाली न बनाये' और जब किसी आदमी को मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करते देखो तो उसको कहो कि 'अल्लाह तआ़ला गुमशुदा चीज़ तुझे वापस न लौटाये'। (तिर्मिज़ी, दारमी)

वज़ाहतः- मस्जिद के अन्दर ख़रीद व फ़रोख़्त करना और गुमशुदा चीज़ का ऐलान करना मना है, इसलिये कि मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिये बनाई जाती हैं न कि ख़रीद व फ़रोख़्त वग़ैरह के लिये।

हदीस 166. हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मस्जिद में क़िसास (बदला) लेने, उसमें अश्आ़र पढ़ने और सज़ायें क़ायम करने से मना फ़रमाया है। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- ये तमाम काम मस्जिद से बाहर करें।

हदीस 167. हज़रत मुआ़विया बिन क़ुर्रा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कच्ची प्याज़ और लहसुन खाकर मस्जिद में आने से मना फ़रमाया है, और फ़रमाया- अगर तुमको खाना ही है तो पकाकर उनकी बदबू को ख़त्म करके खाया करो। (अबू दाऊद)

हदीस 168. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ब्रिस्तान और गुस्ल-ख़ाने (बाथरूम) के अ़लावा पूरी ज़मीन सज्दे की जगह है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- क़ब्रिस्तान और ग़ुस्ल-ख़ाने में नमाज़ न पढ़िये।

हदीस 169. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (अगर ज़रूरत हो तो)

बकरियों के बाड़े में नमाज़ अदा कर लो, ऊँटों के बाड़े में नमाज़ अदा न करो। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- ऊँट शरारती जानवर है बहुत-सी बार नमाज़ी को तकलीफ़ पहुँचा सकता है, इसलिये उनके बाड़े में नमाज़ अदा करने से मना किया गया है।

हदीस 170. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब मस्जिद में दाख़िल होते तो ये कलिमात कहा करते थे-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

अऊज़ु बिल्लाहिल्-अज़ीमि व बि-वज्हिहिल्-करीमि व सुल्तानिहिल्-क़दिमि मिनश्शैतानिर्रजीम।

तर्जुमाः- मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो बड़ाईयों वाला, इज़्ज़त वाले चेहरे वाला और सबसे पुरानी बादशाहत वाला है।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई आदमी ये कलिमात कहता है तो शैतान कहता है कि यह आदमी मेरे शर (बुराई) से महफ़ूज़ हो गया। (अबू दाऊद)

सतर को ढाँपने का बयान

हदीस 171. हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं शिकार को जाता हूँ, क्या मैं एक क़मीज़ में नमाज़ अदा कर सकता हूँ? आपने हाँ में जवाब दिया और फ़रमाया- (गिरेबान को) बटन लगाओ अगरचे काँटा ही लगाना पड़े।

(अबू दाऊद)

हदीस 172. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बालिग़ औ़रत की नमाज़ दुपट्टे के बग़ैर क़ुबूल नहीं होती। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 173. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नमाज़ में कपड़े को कंधे से

लटकाने से मना किया, और इससे (भी मना फ़रमाया) कि कोई आदमी नमाज़ में अपना मुँह ढाँपे। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 174. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक बार रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सहाबा किराम को नमाज़ पढ़ा रहे थे, आपने (नमाज़ की हालत में) अपने जूते उतार दिये। जब सहाबा किराम ने आपको जूते उतारते देखा तो उन्होंने भी जूते उतार दिये। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो पूछा- तुमने अपने जूते किस लिये उतारे? उन्होंने अ़र्ज़ किया हमने देखा कि आपने अपने जूते उतारे तो हमने भी अपने जूते उतार दिये। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे पास तो जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम आये थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपके जूतों में नजासत (गन्दगी) लगी हुई है। जब तुम में से कोई आदमी मस्जिद में आये तो उसे चाहिये कि वह (अपने) जूते देखे, अगर वह अपने जूते पर कोई नजासत देखे तो उसे चाहिये कि वह उसको ज़मीन पर रगड़कर साफ़ करे, फिर उन्हें पहनकर नमाज़ अदा कर सकता है। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- अगर जूते पाक व साफ़ हों और फ़र्श भी कच्चा हो तो उन्हें पहनकर नमाज़ अदा की जा सकती है।

हदीस 175. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई आदमी जब नमाज़ अदा करने का इरादा करे तो अपनी दाईं जानिब अपना जूता न रखे और अपनी बाईं जानिब भी न रखे, इसलिये कि वह किसी दूसरे (नमाज़ी) की दाईं जानिब होती है, अलबत्ता अगर बाईं जानिब कोई दूसरा आदमी न हो तो वहाँ जूते रख सकता है (और जब बाईं जानिब कोई नमाज़ी हो तो) अपने पाँव के दरमियान रखे या उन्हें पहनकर नमाज़ अदा कर ले। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 176. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बग़ैर जूता पहने और (कभी) जूता पहने हुए नमाज़ अदा करते हुए देखा। (अबू दाऊद)

सुतरा का बयान

हदीस 177. हज़रत सहल बिन अबू हसमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई आदमी सुतरे की जानिब मुँह करके नमाज़ अदा करे तो वह सुतरे से क़रीब होकर नमाज़ अदा करे ताकि शैतान उसकी नमाज़ को तोड़ न सके। (अबू दाऊद)

नमाज़ अदा करने की कैफ़ियत का बयान

हदीस 178. हज़रत अबू हुमैद साअ़िदी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने दस सहाबा किराम की मौजूदगी में आपकी नमाज़ का तरीक़ा यूँ बयान किया, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब नमाज़ शुरू करने के लिये खड़े होते तो रफ़ा-ए-यदैन करते हुए अपने हाथों को कंधों के बराबर उठाते और "अल्लाहु अकबर" कहते। फिर तिलावत करते, फिर "अल्लाहु अकबर" कहते और अपने हाथों को कंधों तक उठाते और रुकूअ़ में जाते, फिर रुकूअ़ करते और अपने हाथों को घुटनों पर रखते और उस वक़्त अपने सर को न ज़्यादा नीचा करते और न ही ज़्यादा ऊँचा करते। फिर रुकूअ़ से सर उठाते और "समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्" कहते और रफ़ा-ए-यदैन करते यहाँ तक कि हाथों को कंधों के बराबर तक उठाते और "अल्लाहु अकबर" कहते हुए सीधे खड़े हो जाते। फिर "अल्लाहु अकबर" कहकर सज्दा करने के लिये ज़मीन की तरफ़ झुकते और सज्दे की हालत में अपने बाज़ुओं को अपने पहलुओं (करवटों) से दूर रखते और पाँव की उंगलियों को (क़िब्ला-रुख़) खोलते फिर (सज्दे से) अपना सर उठाते और बायाँ पाँव (ज़मीन के बराबर) लिटाकर उस पर बैठ जाते, और सीधे बैठते यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर एतिदाल के साथ (यानी नॉरमल हालत में) हो जाती, फिर दूसरा सज्दा करते, फिर "अल्लाहु अकबर" कहते और (सज्दे से) सर उठाते। फिर बायें पाँव को मोड़कर उस पर इस तरह सीधे बैठ जाते कि हर हड्डी अपनी जगह वापस आ जाती। फिर दूसरी रकअ़त के लिये खड़े होते और दूसरी रकअ़त में भी पहली रकअ़त की तरह

करते, फिर जब दो रक्अ़त से खड़े होते तो "अल्लाहु अक्बर" कहते और अपने हाथों को अपने कंधों के बराबर उठाकर रफ़ा-ए-यदैन करते जैसा कि आपने शुरू नमाज़ में तकबीर-ए-तहरीमा के वक़्त किया था। फिर आप बाक़ी नमाज़ (रक्अ़तों) में इसी तरह करते थे। अलबत्ता जब आप उस रक्अ़त में होते जिस (के समापन) पर सलाम फेरना होता तो अपने बायें पाँव को (नीचे से दाईं तरफ़ बाहर) निकालकर कूल्हे पर बैठ जाते, फिर सलाम फेरते। (नमाज़ का यह तरीक़ा सुनकर) सब सहाबा किराम ने कहा कि तुम सच्चे हो, आप इसी तरह नमाज़ अदा किया करते थे। (अबू दाऊद)

हदीस 179. हज़रत क़बीसा बिन हुलब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (नमाज़ की) इमामत फ़रमाते और (हाथ बाँधते वक़्त) बायें हाथ को दायें हाथ से पकड़ते थे।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 180. हज़रत रिफ़ाआ़ बिन राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी मस्जिद में दाख़िल हुए, उन्होंने नमाज़ अदा की (नमाज़ अदा करने के बाद) वह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपको सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया- तुम नमाज़ दोबारा अदा करो, इसलिये कि तुम्हारी नमाज़ सही (अदा) नहीं हुई। उन्होंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे तालीम दें कि मुझे कैसे नमाज़ अदा करनी चाहिये? आपने फ़रमाया- जब तुम नमाज़ के लिये क़िब्ला-रुख़ (खड़े) हो तो तकबीर-ए-तहरीमा कहो फिर सूरः फ़ातिहा की क़िराअत करो और (फ़ातिहा के बाद) क़ुरआन से कुछ और क़िराअत करो (यानी कुछ आयतें या कोई सूरत पढ़ो) और जब तुम रुकूअ़ करो तो अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखो और रुकूअ़ के दौरान बदन के अंगों में (मुकम्मल) ठहराव और कमर में (मुकम्मल) फैलाव रखो, जब रुकूअ़ से सर उठाओ तो कमर को सीधा रखो और अपने सर को मुकम्मल उठाओ यहाँ तक कि तमाम हड्डियाँ अपने जोड़ों की जानिब वापस आ जायें, और जब सज्दा करो तो तुम सज्दे के वक़्त (पेशानी पर) मुकम्मल दबाव डालो, जब (सज्दे से) सर उठाओ तो अपनी बायीं टाँग पर

बैठो, फिर हर रुकूअ़ और सज्दे में इसी तरह करो यहाँ तक कि तुम्हें इत्मीनान हासिल हो जाये। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ने से नमाज़ नहीं होती।

हदीस 181. हज़रत अबू हुमैद साअ़िदी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब नमाज़ (अदा करने) के लिये खड़े होते तो क़िब्ले की तरफ़ मुँह करते और हाथ उठाते हुए "अल्लाहु अकबर" कहते। (इब्ने माजा)

हदीस 182. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब नमाज़ का आग़ाज़ (शुरूआ़त) फ़रमाते तो यह सना पढ़ते-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰـهَ غَيْرُكَ.

सुब्हानकल्लाहुम्-म व बि-हम्दि-क व तबारकस्मु-क व तआ़ाला जद्दु-क व ला इला-ह ग़ैरु-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आप अपनी तारीफ़ों के साथ पाक हैं, आपका नाम बरकत वाला है और आपकी बुज़ुर्गी बुलन्द व बाला है, और आपके अ़लावा कोई माबूद नहीं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 183. हज़रत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम "ग़ैरिल्-मग़्ज़ूबि अ़लैहिम् वलज़्ज़ॉल्लीन" कहने के बाद ऊँची आवाज़ के साथ "आमीन" कहते।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 184. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मग़रिब की नमाज़ में सूरः आराफ़ को दो रक्अ़तों में तक़सीम करके तिलावत फ़रमाया। (नसाई)

हदीस 185. हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं एक सफ़र के दौरान रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ऊँटनी (की नकेल) थामे हुए था। आपने मुझे मुख़ातब किया और फ़रमाया- ऐ उक़बा! मैं तुझे दो बेहतरीन सूरतें तिलावत के लिये बताता हूँ और आपने मुझे "क़ुल् अऊ़ज़ु बि-रब्बिल्-फ़लक़्" और "क़ुल् अऊ़ज़ु बि-रब्बिन्नास"

सिखला दीं। आपने मेरे बारे में महसूस किया कि मैं इन दोनों सूरतों के बारे में कुछ ज़्यादा ख़ुश नहीं हुआ हूँ। जब आप सुबह की नमाज़ (की इमामत) के लिये आये तो आपने सुबह की नमाज़ इन दोनों सूरतों के साथ पढ़ाई, जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो मेरी तरफ़ मुतवज्जह हुए और (ख़ुश होते हुए) पूछा ऐ उक़बा! तुमने इन (दोनों सूरतों) को कैसा पाया? (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 186. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- मैं क़ुरआने करीम में से कुछ भी हिफ़्ज़ (याद) करने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, आप मुझे ऐसे कलिमात सिखाईये जो मेरे लिये काफ़ी हों। आपने फ़रमाया- तुम (ये) कलिमात कहो-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि व ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरु व ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि।

तर्जुमाः- अल्लाह पाक है। तमाम तारीफ़ व सना अल्लाह के लिये है और अल्लाह के अ़लावा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, और अल्लाह बहुत बड़ा है और नेकी करने और बुराई से बचने की ताक़त सिर्फ़ अल्लाह की मदद से मुम्किन है।

उसने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! यह अल्लाह तआ़ला के लिये है, मेरे लिये क्या है? आपने फ़रमाया तुम ये कलिमात कहो-

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

अल्लाहुम्मर्‌ह़मूनी व आ़फ़िनी वह्‌दिनी वर्‌ज़ुक़्नी।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मुझ पर रहम फ़रमाईये, मुझे आ़फ़ियत दीजिये, मुझे हिदायत दीजिये और मुझे रिज़्क़ अ़ता फ़रमाईये। (अबू दाऊद)

हदीस 187. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब "सब्बिहस्-म रब्बिकल्-अअ़्ला" तिलावत फ़रमाते तो उसके बाद "सुब्हा-न रब्बियल्-

अअ़्ला'' कहते। (अबू दाऊद)

हदीस 188. हज़रत अबू मसऊद अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी आदमी की नमाज़ सही नहीं जब तक कि वह रुकूअ़ और सज्दे में अपनी पीठ सीधी न करे। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- सज्दे में पीठ सीधी करने से मुराद यह है कि सुकून के साथ सज्दा किया जाये, जल्दबाज़ी न की जाये। रुकूअ़ और सज्दे में जल्दी करना नमाज़ के अन्दर चोरी करना है।

हदीस 189. हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब ''फ़-सब्बिह् बिस्मि रब्बिकल्-अ़ज़ीम'' आयत नाज़िल हुई तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इसको (''सुब्हा-न रब्बियल्-अ़ज़ीम'' की सूरत में) अपने रुकूअ़ में कहा करो, और जब ''सब्बिहिस्-म रब्बिकल्-अअ़्ला'' आयत नाज़िल हुई तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इसको (''सुब्हा-न रब्बियल्-अअ़्ला'' की सूरत में) अपने सज्दे में कहो। (अबू दाऊद)

हदीस 190. हज़रत औ़फ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक रात क़ियाम किया (यानी नमाज़ में खड़ा हुआ) जब आपने रुकूअ़ किया तो सूरः ब-क़रह के पढ़ने के बराबर ठहरे रहे और यह दुआ़ बार-बार पढ़ते रहे-

سُبْحَانَ ذِی الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَکُوْتِ وَالْکِبْرِیَآءِ وَالْعَظَمَۃِ.

सुब्हा-न ज़िल्-ज-बरूति वल्-म-लकूति वल्-किब्रिया-इ वल्-अ़ज़्मति।

तर्जुमाः- पाक है वह ज़ात जो ग़ालिब है, बादशाही वाली है, किब्रियाई और अ़ज़मत वाली है। (नसाई)

हदीस 191. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दोनों सज्दों के (दरमियान बैठकर) ये कलिमात पढ़ा करते थे-

اَللّٰھُمَّ ارْحَمْنِیْ وَاھْدِنِیْ وَعَافِنِیْ وَارْزُقْنِیْ.

अल्लाहुम्मरहम्नी वह्दिनी व आफ़िनी वरज़ुक़्नी।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मुझ पर रहम फ़रमाईये, मुझे हिदायत अ़ता फ़रमाईये, मुझे आफ़ियत अ़ता फ़रमाईये और मुझे रिज़्क़ अ़ता फ़रमाईये।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 192. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दोनों सज्दों के दरमियान "रब्बिग़्फ़िर् ली" (ऐ मेरे रब! मुझे बख़्श दीजिये) के कलिमात भी पढ़ा करते थे। (नसाई)

हदीस 193. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन शिब्ल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कौए की तरह चोंच मारने, दरिन्दे की तरह सज्दे में बाज़ू फैलाने, और किसी को मस्जिद में ऊँट की तरह अपने लिये जगह मुतैयन करने से मना फ़रमाया है। (नसाई)

वज़ाहतः- कौए की तरह चोंच मारने से मुराद यह है कि सज्दा इत्मीनान से न किया जाये, और दरिन्दे की तरह सज्दे में बाज़ू फैलाने से मुराद यह है कोहनियों को ज़मीन पर बिछाकर सज्दा किया जाये, और मस्जिद में ख़ास जगह मुतैयन करने से रियाकारी (दिखावे) का ख़तरा है।

हदीस 194. हज़रत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नमाज़ में तशह्हुद (अत्तहिय्यात में बैठने) के दौरान अपने बायें पाँव को बिछाया और उस पर बैठे और बायें हाथ को बाईं रान पर रखा और दायें हाथ को दाईं रान पर रखा, मगर दाईं कोहनी को दाईं रान से अलग रखा और दो उंगलियों को बन्द करके (अंगूठे और दरमियानी उंगली का) हल्क़ा (दायरा) बनाया, फिर शहादत की उंगली को उठाया। मैंने देखा कि आप उस उंगली को हरकत दे रहे थे और उसके साथ इशारा कर रहे थे। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- तशह्हुद के दौरान हाथ को रान पर इस तरह रखना है कि कोहनी रान से न मिले।

हदीस 195. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक आदमी तशह्हुद (अत्तहिय्यात) के दौरान अपनी दो उंगलियों के साथ इशारा कर रहा था, रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक

उंगली से इशारा करो। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 196. हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ में (तशह्हुद के बाद) यह दुआ़ माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡأَلُكَ الثَّبَاتَ فِی الۡاَمۡرِ وَالۡعَزِیۡمَةَ عَلَی الرُّشۡدِ وَاَسۡأَلُكَ شُكۡرَ نِعۡمَتِكَ وَحُسۡنَ عِبَادَتِكَ وَاَسۡأَلُكَ قَلۡبًا سَلِیۡمًا وَّلِسَانًا صَادِقًا وَّاَسۡأَلُكَ خَیۡرَ مَا تَعۡلَمُ وَأَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ شَرِّ مَا تَعۡلَمُ وَاَسۡتَغۡفِرُكَ لِمَا تَعۡلَمُ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलुकस्सबाति फ़िल्-अम्रि वल्-अ़ज़ीमति अ़लर्रुश्दि व अस्अलु-क शुक्-र निअ़्मति-क व हुस्-न अ़िबादति-क व अस्अलु-क क़ल्बन् सलीमंव्-व लिसानन् सादिक़ंव्-व अस्अलु-क ख़ै-र मा तअ़्लमु व अऊ़ज़ु बि-क मिन् शर्रि मा तअ़्लमु व अस्तग़्फ़िरु-क लिमा तअ़्लमु।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आप से दीनी मामलात में मज़बूती और जमाव और सही राह पर साबित-क़दम रहने का सवाल करता हूँ, और मैं आप से आपकी नेमत पर शुक्र (अदा करने) और अच्छे अन्दाज़ में आपकी इबादत करने का सवाल करता हूँ, और आप से सलामती वाले दिल और सच्ची ज़बान का सवाल करता हूँ, और मैं आपके इल्म में बेहतर चीज़ का सवाल करता हूँ और आप से आपके इल्म में बुरी बातों से पनाह तलब करता हूँ, और मैं आप से उन (तमाम) गुनाहों की माफ़ी तलब करता हूँ जो आपके इल्म में हैं। (नसाई)

हदीस 197. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह तआ़ला उस पर दस मर्तबा रहमतें नाज़िल फ़रमाता है, उसकी दस ग़लतियाँ माफ़ हो जाती हैं और उसके दस दर्जे बुलन्द हो जाते हैं। (नसाई)

हदीस 198. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

क़ियामत के दिन मेरे क़रीब सबसे ज़्यादा वे लोग होंगे जो मुझ पर कसरत के साथ दुरूद भेजते हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 199. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा अल्लाह तआ़ला ने फ़रिश्ते मुतैयन किये हैं जो रू-ए-ज़मीन पर चलते-फिरते हैं और मेरी उम्मत की तरफ़ से मुझ पर सलाम पहुँचाते हैं। (नसाई)

हदीस 200. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस आदमी की नाक मिट्टी से भर जाये जिसके पास मेरा ज़िक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद नहीं भेजा, और उस आदमी की भी नाक मिट्टी से भर जाये हो जिस पर रमज़ान का महीना आया और उसके गुनाह माफ़ होने से पहले रमज़ान ख़त्म हो गया, उस आदमी की भी नाक मिट्टी में लग जाये जिसके माँ-बाप या उनमें से एक उसके पास बूढ़ा हो गया लेकिन वह (उनकी ख़िदमत करके) जन्नत का मुस्तहिक़ नहीं बन सका। (तिर्मिज़ी)

हदीस 201. हज़रत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये, आपके चेहरे पर ख़ुशी के आसार थे। आपने फ़रमाया- मेरे पास जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम आये और कहा- आपका रब फ़रमाता है- ऐ मुहम्मद! क्या आपको पसन्द नहीं कि आपकी उम्मत का जो आदमी आप पर एक बार दुरूद भेजे मैं उस पर दस बार दुरूद (रहमत) भेजूँ और जो आदमी आप पर एक बार सलाम भेजे तो मैं उस पर दस बार सलामती नाज़िल करूँ। (नसाई)

हदीस 202. हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं दुआ़ माँगते वक़्त आप पर कसरत के साथ दुरूद भेजता हूँ। मैं आप पर किस क़द्र दुरूद भेजूँ? आपने फ़रमाया- जिस क़द्र तुम चाहो। मैंने अ़र्ज़ किया चौथाई के बराबर? आपने फ़रमाया- जिस क़द्र तुम चाहो, अगर ज़्यादा करो तो बेहतर है। मैंने अ़र्ज़ किया आधे के बराबर? आपने फ़रमाया- जिस क़द्र तुम चाहो, अगर (आधे से) ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिये बेहतर है। मैंने अ़र्ज़ किया दो तिहाई के

बराबर? आपने फ़रमाया- जिस क़द्र तुम चाहो, अगर ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिये बेहतर है। मैंने अ़र्ज़ किया मैं अपनी दुआ़ के तमाम वक़्त आपके लिये ही ख़ास कर दूँ? आपने फ़रमाया- फिर तो तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जायेंगी और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ हो जायेंगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 203. हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ फ़रमा थे, एक सहाबी मस्जिद में दाख़िल हुए, नमाज़ पढ़ी और फिर दुआ़ माँगी–

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा और मुझ पर रहम फ़रमा।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ नमाज़ अदा करने वाले! तुमने जल्दी की है, जब तुम नमाज़ पढ़ो और अत्तहिय्यात में बैठो तो अल्लाह तआ़ला की ख़ूब तारीफ़ व सना बयान करो जिसका वह मुस्तहिक़ है और मुझ पर दुरूद भेजो फिर दुआ़ करो। उसके बाद एक और आदमी ने नमाज़ अदा की, उसने अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व सना की और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद भेजा। आपने उससे फ़रमाया- ऐ नमाज़ अदा करने वाले! दुआ़ करो, तुम्हारी दुआ़ ज़रूर क़ुबूल होगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 204. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं नमाज़ अदा कर रहा था और उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर बैठे थे। नमाज़ के बाद मैंने पहले अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व सना बयान की फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद भेजा, फिर मैंने अपने लिये दुआ़ की। आपने फ़रमाया- सवाल करो तुम्हारा सवाल पूरा होगा।

(तिर्मिज़ी)

हदीस 205. हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फ़रमाया- ऐ मुआ़ज़! मैं तुझसे मुहब्बत करता हूँ। मैंने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं भी आप से बहुत ज़्यादा मुहब्बत करता हूँ। आपने फ़रमाया- हर नमाज़ के बाद तुम ये कलिमात ज़रूर कहना–

رَبِّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِکْرِكَ وَشُکْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

रब्बि अ-अिन्नी अ़ला ज़िक्रि-क व शुक्रि-क व हुस्नि अ़िबादति-क।

तर्जुमाः- ऐ मेरे रब! आप अपने ज़िक्र, शुक्र और अच्छी इबादत करने पर मेरी मदद फ़रमाईये। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 206. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी दाईं तरफ़ सलाम फेरते और कहते "अस्सलामु अ़लैकुम् व रह्मतुल्लाह" यहाँ तक कि आपके दायें रुख़्सार (गाल) की सफ़ेदी हमें नज़र आती और फिर बाईं जानिब सलाम फेरते और कहते "अस्सलामु अ़लैकुम् व रह्मतुल्लाह" यहाँ तक कि आपके बायें रुख़्सार की सफ़ेदी हमें नज़र आती थी।

(अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- सलाम फेरते वक़्त गर्दन ज़्यादा मोड़िये कंधे तक, यह गर्दन की बेहतरीन वर्ज़िश भी है।

हदीस 207. हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इमाम ने जिस जगह फ़र्ज़ नमाज़ अदा की है उसी जगह (नफ़िल) नमाज़ न पढ़े बल्कि दूसरी जगह मुन्तक़िल हो जाये। (अबू दाऊद)

हदीस 208. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा किराम को नमाज़ पाबन्दी के साथ अदा करने की रग़बत (तवज्जोह) दिलाई और लोगों को अपने से पहले नमाज़ से फ़ारिग़ होने से भी मना किया। (अबू दाऊद)

फ़र्ज़ नमाज़ के बाद के ज़िक्र

हदीस 209. हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे तालीम दी कि हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद मुअ़व्वज़तैन (सूर' फ़लक़ और सूरः नास) पढ़ा करो।

(अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 210. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने फ़जर की नमाज़ जमाअ़त के साथ अदा की, उसके बाद सूरज निकलने तक अपने मुसल्ले (नमाज़ की जगह) पर बैठकर अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करता रहा, फिर दो रक्अ़त (नफ़िल) अदा की तो उसको मुकम्मल हज और उमरे का सवाब हासिल होगा। आपने ये अलफ़ाज़ तीन बार फ़रमाये। (तिर्मिज़ी)

हदीस 211. हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमें तालीम दी गई कि हम हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद 33 बार "सुब्हानल्लाह", 33 बार "अल्हम्दु लिल्लाह" और 34 बार "अल्लाहु अक्बर" कहें (लेकिन) एक अन्सारी सहाबी को ख़्वाब में दिखाया गया और उसको कहा गया कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तुमको हर (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद इतनी-इतनी बार तस्बीह कहने का हुक्म दिया है, अन्सारी सहाबी ने ख़्वाब में ही हाँ में जवाब दिया। ख़्वाब में आने वाले ने कहा कि तुम 25-25 बार ये कलिमात कहो और 25 बार "ला इला-ह इल्लल्लाहु" को भी शामिल कर लो, चुनाँचे वह अन्सारी सहाबी सुबह सवेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपको अपना ख़्वाब सुनाया, इस पर आपने फ़रमाया- तुम ऐसे ही कर लो। (नसाई)

नमाज़ के दौरान जायज़ और नाजायज़ कामों का बयान

हदीस 212. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हब्शा के मुल्क की जानिब हिजरत करने से पहले जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सलाम करते थे और आप नमाज़ में होते तो आप हमारे सलाम का जवाब देते थे। जब हम हब्शा की सरज़मीन से (मदीना मुनव्वरा) वापस आये तो मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ, मैंने आपको नमाज़ अदा करते हुए पाया, मैंने आपको सलाम किया लेकिन आपने मेरे सलाम का जवाब न दिया। फिर जब आपने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला जैसे चाहता है नया हुक्म

नाफ़िज़ (लागू) करता है और अल्लाह तआ़ला ने जो नया हुक्म नाफ़िज़ किया है वह यह है कि तुम नमाज़ में कोई बात न करो, (उसके बाद) आपने नमाज़ में कभी सलाम का जवाब न दिया। (अबू दाऊद)

हदीस 213. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि मैंने हज़रत बिलाल से मालूम किया कि जब सहाबा किराम नबी करीम पर नमाज़ की हालत में सलाम कहते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनके सलाम का जवाब कैसे देते थे? उन्होंने बयान किया कि आप अपने हाथ से इशारा कर दिया करते। (तिर्मिज़ी)

हदीस 214. हज़रत रिफ़ाआ़ बिन राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इमामत में नमाज़ अदा कर रहा था मुझे अचानक छींक आई, मैंने कहा-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى.

अल्हम्दु लिल्लाहि हम्दन् कसीरन् तय्यिबम्-मुबारकन् फ़ीहि मुबारकन् अ़लैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा।

तर्जुमाः- तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआ़ला के लिये है। मैं (उसकी) कसरत के साथ (यानी ख़ूब ज़्यादा) तारीफ़ करता हूँ, ऐसी तारीफ़ जो (दिखावे से) पाक है। उस (तारीफ़) में बरकत हो, उस पर बरकत की गई हो जैसा कि हमारा रब पसन्द करता और राज़ी होता है।

जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नमाज़ मुकम्मल की और आप (मुक़्तदियों की तरफ़) फिरे तो आपने पूछा- नमाज़ में किसने कलाम किया था? किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर आपने दोबारा पूछा, फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर आपने तीसरी बार पूछा तो रिफ़ाआ़ ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने कलाम किया था। फिर आपने फ़रमाया- उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, तक़रीबन 30 के लगभग फ़रिश्ते एक दूसरे से आगे बढ़े जा रहे थे कि उनमें से कौन इन कलिमात को (अल्लाह तआ़ला के दरबार में) ले जाता है।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

वज़ाहतः- नमाज़ में रुकूअ़ के बाद खड़े होकर ये कलिमात पढ़ने चाहियें।

हदीस 215. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नमाज़ में जमाई लेना शैतान की तरफ़ से है, जब किसी को जमाई आये तो जिस क़द्र वह रोक सकता हो रोक ले। (तिर्मिज़ी)

हदीस 216. हज़रत कअ़ब बिन अ़जरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई वुज़ू करे तो अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर मस्जिद जाने के लिये (घर से) निकले तो अपने हाथों की उंगलियों को आपस में दाख़िल करे, इसलिये कि वह (हुक्म के एतिबार से) नमाज़ ही में है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 217. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नमाज़ के दौरान भी दो सताने वाले जानवरों, साँप और बिच्छू को मार डालो।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- नमाज़ के दौरान अगर कोई मूज़ी (तकलीफ़ देने वाला) जानवर सामने आ जाये तो नमाज़ ही की हालत में उसे मार देने का हुक्म है, क्योंकि वह इनसान को नुक़सान पहुँचा सकता है।

हदीस 218. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नफ़िल नमाज़ अदा करते वक़्त अगर मैं बाहर से आती और आपको दरवाज़ा खोलने को कहती तो आप चलकर मेरे लिये दरवाज़ा खोलते और वापस अपनी नमाज़ की जगह तशरीफ़ ले जाते। उस वक़्त दरवाज़ा क़िब्ले की तरफ़ था। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 219. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब किसी आदमी का नमाज़ के दौरान वुज़ू टूट जाये तो वह अपनी नाक पकड़कर बाहर की तरफ़ निकल जाये। (अबू दाऊद)

क़ुरआन करीम के सज्दों का बयान

हदीस 220. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मक्का फ़तह होने के साल सज्दे (की आयत) की तिलावत की तो सब लोगों ने सज्दा किया। उनमें से बाज़े ज़मीन पर सज्दा कर रहे थे और जो सवार थे वे अपने हाथ पर सज्दा कर रहे थे। (अबू दाऊद)

हदीस 221. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़ुरआन मजीद के सज्दे (की आयत) में यह दुआ़ पढ़ा करते थे-

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ.

स-ज-द वजूहि-य लिल्लज़ी ख़-ल-क़हू व शक़्-क़ सम्अ़हू व ब-स-रहू बिहौलिही व क़ुव्वतिही।

तर्जुमाः- मेरा चेहरा उस ज़ात के लिये सज्दा करता है जिसने उसको पैदा किया और जिसने अपनी क़ुव्वत और क़ुदरत के साथ उसके सुनने के लिये कान और देखने के लिये आँखें बनायीं। (तिर्मिज़ी, नसाई, अबू दाऊद)

वज़ाहतः- अगर किसी को सज्दा-ए-तिलावत की उपरोक्त दुआ़ याद न हो तो वह आ़म सज्दे में पढ़ी जाने वाली दुआ़ "सुब्हा-न रब्बियल्-अअ़्ला" पढ़ सकता है।

हदीस 222. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सूरः "सॉद" (सूरत नम्बर 38) में मौजूद सज्दे की आयत पर सज्दा किया और फ़रमाया- दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने तौबा करते हुए सज्दा किया था और हम अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करते हुए सज्दा करते हैं। (नसाई)

जिन वक़्तों में नमाज़ अदा करने से मना किया गय है उनका बयान

हदीस 223. हज़रत जुबैर बिन मुतअ़िम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है

कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ बनू अ़ब्दे मुनाफ़! जो लोग बैतुल्लाह का तवाफ़ करना और उसमें नमाज़ अदा करना चाहते हों उनको न रोको, चाहे दिन या रात का कोई भी हिस्सा हो।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई)

वज़ाहतः- बैतुल्लाह में हर वक़्त नमाज़ पढ़ने और तवाफ़ करने की इजाज़त है लेकिन बाक़ी जगहों में तीन वक़्तों में नमाज़ पढ़ना मना है-

1. सूरज निकलने के वक़्त।
2. सूरज ढलते (ज़वाल के) वक़्त।
3. सूरज ग़ुरूब होते वक़्त।

हदीस 224. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जुमे के अ़लावा दोपहर के वक़्त नमाज़ अदा करने को मक्रूह समझा जब तक कि ज़वाल न हो जाये (यानी सूरज ढल न जाये) और फ़रमाया- बेशक जहन्नम जुमे के अ़लावा (दूसरे दिनों में ज़वाल के वक़्त) भड़काई जाती है। (अबू दाऊद)

हदीस 225. हज़रत अ़ब्दुल्लाह सुनाबिही रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सूरज जब निकलता (उदय होता) है तो उसके साथ शैतान का सींग होता है, जब सूरज आसमानी किनारे से ऊँचा होता है तो शैतान उससे अलग हो जाता है, फिर जब बराबर होता है (ज़वाल के वक़्त) तो शैतान उसके साथ मिल जाता है, जब सूरज ढलता है तो शैतान उससे अलग हो जाता है, और जब सूरज ग़ुरूब होने (छुपने) लगता है तो शैतान उससे मिल जाता है, और जब ग़ुरूब हो जाता है तो शैतान उससे अलग हो जाता है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इन वक़्तों में नमाज़ अदा करने से रोक दिया है।

(मुवत्ता इमाम मालिक, अहमद)

जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा करने की फ़ज़ीलत का बयान

हदीस 226. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत

है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपनी औ़रतों को मस्जिदों (में जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा करने) से न रोको, अलबत्ता उनके घर उनके लिये बेहतर हैं। (अबू दाऊद)

हदीस 227. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- औ़रत का अपने घर के अन्दर नमाज़ अदा करना बरामदे में नमाज़ अदा करने से बेहतर है, और उसका अपने घर के अन्दर छोटे कमरे में नमाज़ अदा करना घर के बरामदे में नमाज़ अदा करने से अफ़ज़ल है। (अबू दाऊद)

हदीस 228. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर आँख जो ग़ैर-मेहरम को देखे वह ज़िना करने वाली शुमार होती है, और हर औ़रत जो ख़ुशबू लगाकर किसी मजलिस के पास से गुज़रती है तो वह ज़ानिया (बदकारी करने वाली) शुमार होती है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 229. हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें एक दिन फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, आपने सलाम फेरकर पूछा क्या फ़ुलाँ (आदमी) हाज़िर है? सहाबा किराम ने इनकार में जवाब दिया। फिर आपने पूछा क्या फ़ुलाँ आदमी मौजूद है? सहाबा किराम ने नफ़ी में जवाब दिया। आपने फ़रमाया- ये दो नमाज़ें (फ़जर और इशा) मुनाफ़िक़ों पर बहुत ही भारी हैं, अगर तुम्हें इनके सवाब का इल्म हो जाये और तुम्हें अगर घुटनों पर घिसट कर आना पड़े तो भी ज़रूर आओ, और (नमाज़ियों की) पहली सफ़ फ़रिश्तों की सफ़ के बराबर है, अगर तुम्हें उसकी फ़ज़ीलत का इल्म हो जाये तो तुम उसके लिये जल्दी करो, और एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ नमाज़ अदा करना अकेले नमाज़ अदा करने से बेहतर है, और दो आदमियों के साथ नमाज़ अदा करना एक अदामी के साथ नमाज़ अदा करने से बेहतर है, और जिस क़द्र (अफ़राद) ज़्यादा हों उसी क़द्र वह नमाज़ अल्लाह तआ़ला के नज़दीक ज़्यादा महबूब है। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 230. हज़रत अबू-दर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी आबादी या जंगल में अगर तीन आदमी हों और वहाँ नमाज़ जमाअ़त से न होती हो तो उन पर शैतान ग़ालिब आ जाता है। जमाअ़त को लाज़िम पकड़ो, इसलिये कि भेड़िया उस बकरी को खा जाता है जो रेवड़ से अलग हो जाती है।

(अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 231. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब नमाज़ की तकबीर हो जाये और तुम में से कोई क़ज़ा-ए-हाजत (पेशाब-पाख़ाने का तक़ाज़ा) महसूस करे तो वह पहले क़ज़ा-ए-हाजत से फ़ारिग़ हो जाये (फिर नमाज़ अदा करे)। (तिर्मिज़ी)

हदीस 232. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर घरों में औ़रतें और बच्चे न होते तो मैं यहाँ मस्जिद में इशा की नमाज़ की तकबीर का हुक्म देता और अपने नौजवान सहाबा को हुक्म देता कि वे ऐसे लोगों के घरों को जलाकर राख कर दें जो (बग़ैर शरई उज़्र के) मस्जिद में जमाअ़त के साथ नमाज़ में शरीक नहीं होते। (अहमद)

हदीस 233. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें हुक्म दिया कि जब तुम मस्जिद में मौजूद हो और नमाज़ के लिये अज़ान कही जाये जो नमाज़ अदा किये बग़ैर मस्जिद से न निकलो। (अहमद)

हदीस 234. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मदीना मुनव्वरा में बहुत ज़्यादा मूज़ी (तकलीफ़ देने वाले) जानवर और दरिन्दे हैं जबकि मैं नाबीना हूँ तो क्या मुझे जमाअ़त छोड़ने की इजाज़त है? आपने पूछा क्या तुम "हय्-य अ़लस्सलाह्" "हय्-य अ़लल्-फ़लाह्" (के कलिमात) सुनते हो? मैंने जवाब दिया जी हाँ। आपने फ़रमाया- फिर जमाअ़त के साथ नमाज़ में शरीक हुआ करो। आपने मुझे (नाबीना होने के बावजूद) घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। (अबू दाऊद)

सफ़ों को बराबर (सीधा) करने का बयान

हदीस 235. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नमाज़ में सफ़ों को मिलाओ, सफ़ों में क़रीब होकर खड़े हुआ करो, और (नमाज़ में) अपनी गर्दनों को बराबर रखा करो। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है मैं देख रहा हूँ कि शैतान सफ़ों में (ख़ाली जगह होने की वजह से) बकरी के बच्चे की तरह घुस आता है। (अबू दाऊद)

हदीस 236. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सबसे पहले पहली सफ़ को मुकम्मल करो, फिर उस सफ़ को जो उसके पीछे है। कमी आख़िरी सफ़ में हो। (अबू दाऊद)

हदीस 237. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सफ़ों में दाईं जानिब खड़े होने वालों पर (ज़्यादा) रहमत नाज़िल करते हैं। (अबू दाऊद)

हदीस 238. हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि जब हम (जमाअ़त के साथ) नमाज़ अदा करने के लिये खड़े होते तो आप हमारी सफ़ों को सीधा किया करते थे, जब हम बराबर हो जाते तो आप तकबीर-ए-तहरीमा (अल्लाहु अकबर) कहते थे। (अबू दाऊद)

हदीस 239. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से वे लोग बहुत ही अच्छे हैं जो (जमाअ़त के साथ) नमाज़ के वक़्त सफ़ों के सही और सीधा करने में जल्दी इताअ़त करने वाले हैं। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- जिनको सफ़ दुरुस्त करने के लिये आगे-पीछे होने को कहा जाये तो वे तकब्बुर न करें (यानी इसमें अपनी बेइज़्ज़ती न समझें) बल्कि फ़ौरन मान लें।

हदीस 240. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सफ़ें दुरुस्त

(सही और बराबर) करो और कंधे बराबर और मिलाकर रखो, सफ़ों में ख़ाली जगह हो तो उसे पुर करो, अपने भाईयों के लिये नर्मी इख़्तियार करो, शैतान के लिये ख़ाली जगह न छोड़ो। जो नमाज़ी सफ़ में मिलकर खड़ा होगा अल्लाह उसको (अपने साथ) मिलायेगा और जो नमाज़ी सफ़ में मिलकर नहीं खड़ा होगा अल्लाह उसको अपने साथ नहीं मिलायेगा।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 241. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कुछ लोग हमेशा पहली सफ़ में शामिल होने से पीछे रहते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त (नेकी से) पीछे रहने की वजह से दोज़ख़ में दाख़िल कर देंगे। (अबू दाऊद)

इमामत के मसाईल का बयान

हदीस 242. हज़रत अबू अ़तीया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु हमारे यहाँ हमारी मस्जिद में आते और हदीसें सुनाते थे, एक दिन नमाज़ का वक़्त हो गया, हम लोगों ने उनसे कहा कि नमाज़ की इमामत करायें। उन्होंने जवाब दिया कि तुम अपने में से किसी और को आगे करो जो तुम्हारी इमामत कराये, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारी इमामत क्यों नहीं करता। मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि जो आदमी किसी क़बीले में जाये वह उनकी इमामत न कराये बल्कि उन्हीं का कोई आदमी उनकी इमामत कराये। (अबू दाऊद)

हदीस 243. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को इमाम बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि वह लोगों की इमामत करायें, जबकि वह नाबीना (अंधे) आदमी थे। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- एक जंग के मौक़े पर आपने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को अपना क़ायम-मुक़ाम ख़लीफ़ा (उत्तरांधिकारी) बनाया था और वह लोगों की इमामत भी करते थे। मालूम हुआ कि नाबीना आदमी को भी इमाम बनाया जा सकता है।

हदीस 244. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन आदमी ऐसे हैं कि जिनकी नमाज़ उनके सरों से बालिश्त भर भी ऊपर नहीं जाती (यानी क़ुबूल नहीं होती)--

1. वह आदमी जो लोगों का इमाम हो और लोग उसे नापसन्द करते हों।

2. वह औ़रत जो इस हाल में रात गुज़ारती है कि उसका शौहर उससे नाराज़ हो।

3. वे दो भाई जो नाराज़गी की वजह से (तीन दिन से ज़्यादा) एक दूसरे से बात न करें। (इब्ने माजा)

हदीस 245. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने अच्छी तरह वुज़ू किया फिर वह मस्जिद की तरफ़ चला और उसने लोगों को देखा कि वे नमाज़ अदा कर चुके तो अल्लाह तआ़ला इसको उस आदमी के बराबर सवाब अ़ता फ़रमाते हैं जिसने जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा की, और इसे सवाब देने की वजह से जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा करने वालों के सवाब में कुछ कमी नहीं होगी। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- यह सवाब ऐसे आदमी के लिये है जो किसी शरई उज़्र (मजबूरी) की वजह से जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने से रह जाये, जान-बूझकर नमाज़ में देरी करना मुनाफ़िक़ों की निशानी है। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः निसा 4, आयत 142, सूरः तौबा 9, आयत 54।

हदीस 246. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी मस्जिद में उस वक़्त आये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ अदा कर चुके थे। आपने फ़रमाया- क्या कोई आदमी इस पर सदक़ा कर सकता है कि वह इसके साथ जमाअ़त नमाज़ अदा करे। चुनाँचे एक आदमी खड़ा हुआ उसने उसके साथ जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा की। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

फ़र्ज़ नमाज़ दो मर्तबा अदा करने वाले का बयान

अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है–

तर्जुमाः- रसूल जो तुम्हें हुक्म दें उस पर अ़मल करो।

(सूरः हश्र 59, आयत 7)

हदीस 247. हज़रत यज़ीद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ हज्जतुल्-विदा के मौक़े पर हाज़िर था, मैंने आपकी इमामत में मस्जिद-ए-ख़ैफ़ में फ़जर की नमाज़ अदा की, जब आप नमाज़ मुकम्मल करके पीछे की तरफ़ मुतवज्जह हुए तो आपने दो आदमियों को देखा जो सबसे आख़िर में थे, उन्होंने आपके साथ जमाअ़त से नमाज़ अदा नहीं की थी। आपने फ़रमाया- इनको मेरे पास लाओ। चुनाँचे उनको लाया गया। आपने पूछा तुमने हमारे साथ नमाज़ क्यों अदा नहीं की? उन्होंने जवाब दिया ऐ अल्लाह के रसूल! हमने यह नमाज़ अपने घर ही में अदा कर ली थी। आपने फ़रमाया- जमाअ़त के साथ नमाज़ को न छोड़ो, अकेले नमाज़ पढ़ लेने के बाद अगर मस्जिद में जमाअ़त मिल जाये तो उसमें भी शामिल हो जाओ। वह (बाद में पढ़ी हुई) नमाज़ तुम्हारे लिये नफ़िल हो जायेगी। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 248. हज़रत बुसर बिन मेहजन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मेरे वालिद रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक मजलिस में थे, नमाज़ के लिये अज़ान हुई, रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नमाज़ अदा की और वापस आये जबकि मेरे वालिद हज़रत मेहजन अपनी जगह पर ही मौजूद थे। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने लोगों के साथ नमाज़ क्यों नहीं अदा की? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? उन्होंने जवाब दिया- ऐ अल्लाह के रसूल! क्यों नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ लेकिन मैं अपने घर में यह नमाज़ अदा कर चुका था। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम मस्जिद में आओ और तुम फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर चुके हो और नमाज़ की तकबीर कही जाये तो तुम लोगों के साथ नमाज़ में शामिल हो जाओ। (नसाई)

सुन्नत नमाज़ें और उनके फ़ज़ाईल का बयान

हदीस 249. हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने ज़ोहर से पहले चार रक्अ़त और ज़ोहर के बाद चार रक्अ़त की पाबन्दी की तो अल्लाह तआ़ला दोज़ख़ की आग उस पर हराम फ़रमा देंगे।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 250. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन साइब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सूरज ढलने के बाद ज़ोहर की नमाज़ से पहले चार रक्अ़त (सुन्नत) पढ़ा करते, और आपने फ़रमाया- यह ऐसा वक़्त है जिसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और मैं पसन्द करता हूँ कि उस वक़्त मेरा नेक अ़मल (नमाज़ पढ़ना) अल्लाह तआ़ला की बारगाह में पेश हो। (तिर्मिज़ी)

हदीस 251. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस आदमी पर अल्लाह तआ़ला रहम फ़रमाये जो अ़सर की नमाज़ से पहले चार रक्अ़तें (सुन्नतें) अदा करता है। (तिर्मिज़ी)

रात के नवाफ़िल का बयान

हदीस 252. हज़रत इब्ने अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने दस आयतें पढ़ने के बराबर रात की नमाज़ (तहज्जुद) में क़्याम किया तो उसका नाम ग़ाफ़िलों में नहीं लिखा जायेगा, जिसने सौ आयतें पढ़ने के बराबर रात की नमाज़ (तहज्जुद) में क़्याम किया तो उसका नाम फ़रमाँबरदार लोगों में लिखा जायेगा और जिसने एक हज़ार आयतें पढ़ने के बराबर रात की नमाज़ (तहज्जुद) में क़्याम किया तो उसका नाम उन लोगों में लिखा जायेगा जो ख़ैर-व-बरकत के ख़ज़ानों को समेटने वाले हैं। (अबू दाऊद)

हदीस 253. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (की तहज्जुद के) क़्याम (खड़े होने) में

कभी ऊँची आवाज़ से और कभी हल्की आवाज़ से क़िराअत फ़रमाते थे। (अबू दाऊद)

हदीस 254. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के रात के क़्याम (नमाज़ में खड़े होने) की क़िराअत (क़ुरआन पढ़ना) इतनी आवाज़ के साथ होती थी कि (मस्जिद के) सेहन में मौजूद लोग सुन सकते थे, जबकि आप उस वक़्त घर में क़िराअत कर रहे होते थे। (अबू दाऊद)

हदीस 255. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक रात घर से बाहर तशरीफ़ लाये और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ के पास से गुज़रे जो बहुत हल्की आवाज़ में क़िराअत करते (क़ुरआन पढ़ते) हुए नफ़िल नमाज़ अदा कर रहे थे। फिर आप हज़रत उमर के पास से गुज़रे तो वह ऊँची आवाज़ के साथ क़िराअत करते हुए नफ़िल नमाज़ अदा कर रहे थे। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान किया कि जब वे दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास इकट्ठे हुए तो आपने फ़रमाया- ऐ अबू बक्र! मैं आपके पास से गुज़रा तो आप नफ़िल अदा करते हुए बहुत हल्की आवाज़ के साथ क़िराअत कर रहे थे। उन्होंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सिर्फ़ उस ज़ात को सुना रहा था जिस से मैं सरगोशी (चुपके से कलाम) कर रहा था। फिर आपने हज़रत उमर से कहा कि मैं आपके क़रीब से गुज़रा तो आप नफ़िल अदा करते हुए ऊँची आवाज़ के साथ क़िराअत कर रहे थे। उन्होंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने क़रीब में सोने वालों को जगाना और शैतान को भगाना चाहता था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अबू बक्र! आप ज़रा ऊँची आवाज़ से क़िराअत करें, और ऐ उमर! आप ज़रा पस्त आवाज़ से क़िराअत करें (यानी तहज्जुद की नमाज़ में दरमियानी आवाज़ में क़िराअत करें)। (अबू दाऊद)

हदीस 256. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सारी रात सुबह तक एक ही आयते मुबारका की तिलावत करते हुए क़्याम फ़रमाया (यानी नमाज़ में खड़े रहे)

और वह आयत यह है-

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ

व इन् तुअ़ज़्ज़िबूहुम् फ़-इन्नहुम् अ़िबादु-क व इन् तग़्फ़िर् लहुम् फ़-इन्न-क अन्तल्-अ़ज़ीज़ुल्-हकीम। (सूरः मायदा 6, आयत 118)

तर्जुमाः- अगर आप उनको अ़ज़ाब दें तो बेशक वे सब आपके बन्दे हैं, और अगर आप उनको माफ़ कर दें तो बिला-शुब्हा आप ग़ालिब हिक्मत वाले हैं। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 257. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई आदमी सुबह की दो रकअ़त सुन्नतें पढ़ ले तो (चन्द मिनट) दाईं करवट पर लेट जाये। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 258. हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो मुसलमान वुज़ू की हालत में अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करते हुए (सो जाता है) और रात को जागने पर अल्लाह तआ़ला से ख़ैर व बरकत का सवाल करता है तो अल्लाह तआ़ला उसको माँगी हुई चीज़ अ़ता कर देता है। (अबू दाऊद)

हदीस 259. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब रात को (तहज्जुद के लिये) खड़े होते तो तकबीरे तहरीमा (अल्लाहु अकबर) कहते फिर यह पढ़ते थे-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

सुब्हानकल्लाहुम्-म व बि-हम्दि-क व तबारकस्मु-क व तआ़ला जद्दु-क व ला इला-ह ग़ैरु-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आप पाक हैं मैं आपकी तारीफ़ें बयान करता हूँ, आपका नाम बरकत वाला है, आपकी अ़ज़्मत बुलन्द है और आपके सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं है।

फिर आप "अल्लाहु अक्बर कबीरन्" कहते और उसके बाद पढ़ते-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ.

अऊज़ु बिल्लाहिस्समीअिल्-अ़लीमि मिनश्शैतानिर्रजीमि मिन् ह-मज़िही व न-फ़ख़िही व न-फ़सिही।

तर्जुमाः- मैं अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त की पनाह माँगता हूँ जो हर एक की सुनने और जानने वाला है, शैतान मरदूद से, उसके वस्वसों (दिल में डाले जाने वाले ख़्यालात), उसके तकब्बुर और उसकी झाड़-फूँक से। (तिर्मिज़ी)

हदीस 260. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुजरे (के दरवाज़े) के पास सोता था। जब आप रात को (नमाज़ अदा करने के लिये) उठते तो आप "सुब्हा-न रब्बिल्-आ़लमीन" (दोनों जहानों का रब पाक है) काफ़ी देर तक पढ़ते रहते, फिर "सुब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही" (अल्लाह पाक है मैं उसकी तारीफ़ों के साथ उसकी पाकी बयान करता हूँ) काफ़ी देर तक पढ़ते रहते। (नसाई)

हदीस 261. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रात को क़्याम करो, यह तुमसे पहले नेक लोगों की आ़दत थी और यह तुम्हारे रब की नज़दीकी, बुराईयों के ख़ात्मे और गुनाहों से दूर रहने का ज़रिया भी है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 262. हज़रत अ़मर बिन अ़म्बसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रात के आख़िरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त अपने बन्दे से बहुत ही ज़्यादा क़रीब होते हैं, अगर तुम में ताक़त हो तो तुम भी रात के आख़िरी हिस्से में ज़िक्र करने वालों (तहज्जुद में खड़े होने वालों) में शामिल हो जाओ। (तिर्मिज़ी)

हदीस 263. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला उस आदमी पर रहम फ़रमाये जो रात को बेदार होकर (नींद से उठकर) नवाफ़िल (तहज्जुद) पढ़ता है और अपनी बीवी को भी जगाता है तो वह भी नफ़िल पढ़ती है, अगर वह अदा न करे तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। अल्लाह तआ़ला उस औ़रत पर भी रहम फ़रमाये जो रात को उठती है, नमाज़ पढ़ती है और अपने शौहर को (नींद से) जगाती है तो वह भी

तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, अगर वह न पढ़े तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 264. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया- दुआ कब ज़्यादा क़ुबूल होती है? आपने फ़रमाया- रात के आख़िरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाज़ के बाद। (तिर्मिज़ी)

हदीस 265. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई आदमी रात को अपनी बीवी को जगाता है, वे दोनों इकट्ठे दो रक्अ़त नफ़िल अदा करते हैं, या वह अकेला अदा करता है तो उन दोनों को "ज़ाकिरीन" (ज़िक्र करने वालों) में लिख दिया जाता है। (अबू दाऊद, इब्ने माज़ा)

हदीस 266. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (यानी उनके वालिद) को रात में जिस क़द्र तौफ़ीक़ मिलती नवाफ़िल अदा करते और रात के आख़िरी हिस्से में नवाफ़िल पढ़ने के लिये अपने घर वालों को भी जगाते और उनसे मुख़ातिब होकर फ़रमाते थे कि नफ़िल नमाज़ पढ़ो, फिर यह आयते करीमा तिलावत करते–

तर्जुमाः- अपने घर वालों को नमाज़ का हुक्म दो और नमाज़ पर हमेशगी (पाबन्दी) इख़्तियार करो, हम तुमसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करते बल्कि हम तुम्हें रिज़्क़ अ़ता करते हैं, और परहेज़गारों का अन्जाम बहुत ही अच्छा है। (सूरः तॉ-हा 20, आयत 123) (मुवत्ता इमाम मालिक)

वित्र की नमाज़ का बयान

हदीस 267. हज़रत ग़ुज़ैफ़ बिन हारिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से पूछा कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पाक होने का ग़ुस्ल रात के शुरू हिस्से में करते थे या रात के आख़िरी हिस्से में? हज़रत आ़यशा ने जवाब दिया कि कभी आप रात के अव्वल और कभी रात के आख़िर हिस्से में ग़ुस्ल फ़रमाते। मैंने कहा "अल्लाहु अकबर" तमाम तारीफ़ व सना अल्लाह तआ़ला के लायक़ है

जिसने शरीअ़त में आसानी फ़रमा दी है। मैंने पूछा क्या आप रात के शुरू हिस्से में वित्र (नमाज़) पढ़ते थे या आख़िरी हिस्से में? हज़रत आ़यशा ने जवाब दिया कभी आप रात के शुरू हिस्से में और कभी रात के आख़िर हिस्से में वित्र नमाज़ पढ़ा करते थे। मैंने पूछा आप बुलन्द आवाज़ से क़िराअत फ़रमाते थे या हल्की आवाज़ में? हज़रत आ़यशा ने जवाब दिया कभी आपकी क़िराअत (थोड़ी) ऊँची आवाज़ के साथ होती और कभी आप छुपी आवाज़ से क़िराअत करते थे। मैंने कहा "अल्लाहु अकबर" तमाम तारीफ़ व सना अल्लाह तआ़ला के लिये है जिसने शरीअ़त में आसानी फ़रमा दी है। (अबू दाऊद)

हदीस 268. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़ैस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से पूछा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम कितनी रक्अ़त वित्र पढ़ा करते थे? हज़रत आ़यशा ने जवाब दिया कभी आप चार नफ़िल रक्अ़त (तहज्जुद) और तीन रक्अ़त (वित्र), कभी छह रक्अ़त नफ़िल और तीन रक्अ़त वित्र, कभी आठ रक्अ़त नफ़िल और तीन रक्अ़त वित्र, कभी दस रक्अ़त नफ़िल और तीन रक्अ़त वित्र पढ़ा करते थे, और आप सात रक्अ़त से कम और तेरह रक्अ़त से ज़्यादा रात की नमाज़ नहीं पढ़ता करते थे। (अबू दाऊद)

हदीस 269. हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वित्र की नमाज़ हर मुसलमान पर वाजिब है, जो आदमी पाँच रक्अ़त वित्र पढ़ना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है और जो आदमी तीन वित्र पढ़ना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है और जो आदमी एक वित्र पढ़ना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है। (अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- ज़्यादातर आप तीन वित्र पढ़ा करते थे।

हदीस 270. हज़रत अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ जुरैज रह़्मतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि हमने हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से पूछा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वित्र नमाज़ में कौनसी सूरतों की क़िराअत फ़रमाते थे? हज़रत आ़यशा ने जवाब दिया कि पहली रक्अ़त में

"सब्बिहिस्-म रब्बिकल्-अअ़्ला" और दूसरी रकअ़त में "क़ुल् या अय्युहल्-काफ़िरून" और तीसरी रकअ़त में "क़ुल् हुवल्लाहु अहद्" और "क़ुल् अऊ़ज़ु बि-रब्बिल्-फ़लक़्" व "क़ुल् अऊ़ज़ु बि-रब्बिन्नास" पढ़ते थे।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 271. हज़रत हसन बिन अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि मुझे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह दुआ़ सिखाई जिसको मैं वित्र (की नमाज़) में पढ़ता हूँ-

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَآ اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَاقَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ. اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

अल्लाहुम्मह्दिनी फ़ी-मन् हदै-त व आ़फ़िनी फ़ी-मन् आ़फ़ै-त व तवल्लनी फ़ी-मन् तवल्लै-त व बारिक् ली फ़ी-मा अअ़्तै-त व क़िनी शर्-र मा क़ज़ै-त फ़-इन्न-क तक़्ज़ी व ला युक्ज़ा अ़लै-क इन्नहू ला यज़िल्लु मंव्वालै-त व ला यअ़िज़्ज़ु मन् आ़दै-त तबारक्-त रब्बना व तआ़लै-त।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! जिस तरह आपने हिदायत-याफ़्ता लोगों को हिदायत से नवाज़ा है, मुझे भी हिदायत से नवाज़ दीजिये, मुझे भी आ़फ़ियत अ़ता फ़रमाईये जिस तरह आपने लोगों को आ़फ़ियत अ़ता की है, आप मेरी निगरानी फ़रमाईये जिस तरह आप लोगों की निगरानी फ़रमाते हैं, आपने मुझे जो नेमतें अ़ता फ़रमाई हैं उनमें बरकत पैदा कर दीजिये, मुझे बुरे फ़ैसलों से महफ़ूज़ फ़रमाईये। बिला-शुब्हा आप फ़ैसला करने वाले हैं और आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। जिस से आप दोस्ती रखते हैं उसको कोई ज़लील नहीं कर सकता। ऐ हमारे रब! आप बरकत वाले और आप अ़ज़मत वाले हैं। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 272. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (वित्र की नमाज़ का) सलाम फेरने के बाद 'सुब्हानल्-मलिकिल्-क़ुद्दूस' (यानी पूरी कायनात

का बादशाह निहायत ही पाक है) कहते और तीसरी बार आवाज़ बुलन्द फ़रमाते थे। (नसाई)

हदीस 273. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वित्र के आख़िर में यह दुआ़ माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَآ اُحْصِىْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बिरिज़ा-क मिन् स-ख़ति-क व बिमुआफ़ाति-क मिन् अ़ुक़ूबति-क व अऊज़ु बि-क मिन्-क ला उह्सी सनाअन् अ़लै-क अन्-त कमा अस्नै-त अ़ला नफ़्सि-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं पनाह चाहता हूँ आपकी ख़ुशी के साथ आपकी नाराज़गी से, आपकी बख़्शिश के साथ आपकी सज़ा से, मैं आपकी पकड़ से आपकी पनाह का तलबगार हूँ। मैं आपकी इस तरह तारीफ़ बयान नहीं कर सकता जिस तरह आपने अपनी तारीफ़ ख़ुद बयान की है।

(अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

हदीस 274. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी वित्र नमाज़ पढ़ने से पहले सो गया या वह भूल गया तो जब उसे याद आये या जब वह जागे तो उसी वक़्त वित्र नमाज़ पढ़ ले। (तिर्मिज़ी)

हदीस 275. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने लगातार एक महीने तक ज़ोहर, अ़सर, मग़रिब, इशा और फ़ज़र की नमाज़ की आख़िरी रकअ़त में "समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्" के बाद "क़ुनूत-ए-नाज़िला" पढ़ी। आप बनू सुलैम के क़बीलों रअ़ल, ज़कवान और उसैया पर बददुआ़ करते थे और आपकी पैरवी (में नमाज़ अदा) करने वाले आमीन कहते थे।

(अबू दाऊद)

वज़ाहतः- दुश्मन के लिये "क़ुनूते नाज़िला" पढ़नी मस्नून है, क़ुनूते नाज़िला देखिये इसी किताब के पेज नम्बर 310 पर।

हदीस 276. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक महीने तक 'क़ुनूते नाज़िला' पढ़ी, फिर हालात दुरुस्त हो जाने के बाद उसको छोड़ दिया। (अबू दाऊद, नसाई)

रमज़ान के महीने (की रातों) में क़ियाम

हदीस 277. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ रोज़े रखे। आपने (पूरे) रमज़ान महीने में हमारे साथ क़ियाम नहीं किया। जब रमज़ान के महीने की सात रातें बाक़ी रह गयीं तो आपने हमारे साथ क़ियाम किया (यानी तरावीह की नमाज़ पढ़ी) यहाँ तक कि रात का तीसरा हिस्सा चला गया। छठी रात को आपने हमारे साथ क़ियाम नहीं किया। पाँचवीं रात को आपने हमारे साथ क़ियाम किया यहाँ तक कि आधी रात गुज़र गई। मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! काश आप हमारे साथ बाक़ी रात भी क़ियाम करते। आपने फ़रमाया- बेशक एक आदमी जब इमाम के साथ फ़र्ज़ नमाज़ अदा करता है यहाँ तक कि इमाम (नमाज़ से) फ़ारिग़ होता है तो उसके नाम-ए-आमाल में पूरी रात के क़ियाम (नमाज़ पढ़ने) का सवाब लिख दिया जाता है। चौथी रात को आपने हमारे साथ क़ियाम नहीं किया यहाँ तक कि तीन रातें रह गयीं। तीसरी रात को अपने घर वालों, औरतों और सब लोगों को जमा किया। आपने हमारे साथ क़ियाम किया यहाँ तक कि हमें ख़तरा महसूस हुआ कि हमसे सेहरी का वक़्त ख़त्म हो जायेगा। फिर हमारे साथ बाक़ी महीने आपने क़ियाम नहीं किया। (अबू दाऊद)

हदीस 278. हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इनसान की अपने घर में अदा की हुई नमाज़ मेरी मस्जिद में नमाज़ (अदा करने) से ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली है सिवाय फ़र्ज़ नमाज़ के, वह मस्जिद में अदा करना ज़रूरी है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

चाश्त की नमाज़ का बयान

हदीस 279. हज़रत अबू-दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- ऐ आदम के बेटो! दिन के शुरू में चार रक्अ़त पढ़ा करो, मैं दिन के आख़िर तक तुम्हारे लिये काफ़ी हो जाऊँगा। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- "जुहा" से मुराद दो नमाज़ें हैं—

1. **इशराक़,** जो सूरज निकलने के 15 मिनट बाद पढ़ी जाती है, जिसकी कम से कम दो रक्अ़तें और ज़्यादा से ज़्यादा छह रक्अ़तें हैं।

2. **चाश्त,** जो सूरज निकलने के एक घन्टे के बाद पढ़ी जाती है जिसकी कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा बारह रक्अ़तें हैं।

हदीस 280. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इनसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं, उस पर फ़र्ज़ है कि वह हर जोड़ की तरफ़ से सदक़ा करे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! यह (सदक़ा देने की) किस में ताक़त है? आपने फ़रमाया- मस्जिद में से नाक की गन्दगी को हटा देना और रास्ते से नुक़सानदेह चीज़ को दूर करना भी सदक़ा है। अगर सदक़ा न कर सको तो चाश्त की दो रक्अ़तें पढ़ लेना भी तुम्हें काफ़ी हो जायेगा। (अबू दाऊद)

हदीस 281. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने (रोज़ाना) चाश्त की नमाज़ 12 रक्अ़तें पढ़ीं अल्लाह उसके लिये जन्नत में सोने का महल तामीर करेंगे। (तिर्मिज़ी)

नवाफ़िल का बयान

हदीस 282. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आपने फ़रमाया- जो आदमी भी किसी गुनाह को करता है और फिर खड़ा होता है और वुज़ू करके नमाज़ अदा करता है, फिर अल्लाह तआ़ला से मग़फ़िरत तलब करता है तो अल्लाह तआ़ला उसको माफ़ फ़रमा देते हैं। फिर आपने इस आयत की तिलावत फ़रमाई—

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْآ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا

لِذُنُوبِهِمْ

वल्लज़ी-न इज़ा फ़-अ़लू फ़ाहि-शतन् औ ज़-लमू अन्फ़ु-सहुम् ज़-करुल्ला-ह फ़स्तग़्फ़रू लिज़ुनूबिहिम्। (सूरः आले इमरान 3, आयत 135)

तर्जुमाः- और वे लोग जब बेहयाई का काम कर लेते हैं या अपनी जानों पर ज़ुल्म कर लेते हैं फिर अल्लाह को याद करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 283. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि (एक दिन) रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़जर (की नमाज़) अदा की और बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु को बुलाकर पूछा तुम किस अ़मल की वजह से मुझसे पहले जन्नत में थे? मैं (मेराज के वाक़िए में) जन्नत में जब दाख़िल हुआ तो मैंने अपने आगे तुम्हारी (चलने की) आवाज़ सुनी। बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जवाब दिया ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जब भी अज़ान कही तो दो रक्अ़त (तहिय्यतुल्-मस्जिद) अदा कीं और मैं कभी बेवुज़ू हुआ तो मैंने फ़ौरन वुज़ू किया और दो रक्अ़त (तहिय्यतुल्-वुज़ू) अदा कीं। इस पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (बस) ये दोनों (आमाल) पहले जन्नत में जाने का सबब हैं। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त वुज़ू के साथ रहें और ये नवाफ़िल अदा करें।

सफ़र की नमाज़ का बयान

हदीस 284. हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सफ़र में जाने से पहले जब सूरज ढलता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ज़ोहर और अ़सर की नमाज़ जमा कर लेते थे और अगर सूरज ढलने से पहले सफ़र में जाते तो ज़ोहर की नमाज़ देर से अदा करते और अ़सर की नमाज़ के साथ पढ़ लेते थे, और मग़रिब की नमाज़ भी इसी तरह अदा करते कि जब सफ़र शुरू करने से पहले सूरज डूब जाता तो मग़रिब और इशा को जमा करते, और अगर सूरज ग़ुरूब होने से पहले सफ़र में जाते तो मग़रिब की नमाज़ को लेट करते यहाँ तक कि इशा की

नमाज़ के वक्त दोनों नमाज़ों को जमा करते। (अबू दाऊद)

वज़ाहत:- कोशिश करें कि इशा की नमाज़ का वक्त शुरू होने से पाँच मिनट पहले मग़रिब की नमाज़ पढ़ लें और फिर फ़ौरन ही इशा की नमाज़ पढ़ें।

हदीस 285. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सफ़र में जब नवाफ़िल अदा करने का इरादा करते तो अपनी ऊँटनी का मुँह क़िब्ला-रुख़ करते और तकबीरे तहरीमा (अल्लाहु अकबर) कहते, फिर आपकी सवारी का रुख़ जिधर भी होता आप नमाज़ अदा करते रहते थे। (अबू दाऊद)

हदीस 286. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मुझे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक काम के लिये भेजा, मैं आया तो आप सवारी पर पूरब की जानिब (नफ़िल) नमाज़ अदा कर रहे थे। आपका सज्दा, रुकूअ़ से ज़रा नीचे था। (अबू दाऊद)

जुमा और उसकी फ़ज़ीलत का बयान

हदीस 287. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं तूर (पहाड़) की तरफ़ गया वहाँ मैं हज़रत कअ़ब अहबार रह्मतुल्लाहि अ़लैहि से मिला। उन्होंने मुझे तौरात की कुछ बातें बताईं और मैंने उनको रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इरशादात बताये। मैंने उन्हें जो इरशादात बताये उनमें यह इरशाद भी था कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकलता है वह जुमे का दिन है, इस दिन आदम अ़लैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत से उतारे गये, इसी दिन उनकी तौबा क़ुबूल हुई, इसी दिन उनका इन्तिक़ाल हुआ और इसी दिन क़ियामत क़ायम होगी। इनसानों और जिन्नात के अ़लावा (रू-ए-ज़मीन में मौजूद) हर जानदार जुमे के दिन सुबह से सूरज डूबने तक क़ियामत के इन्तिज़ार में होते हैं, वह क़ियामत से ख़ौफ़ज़दा होते हैं और उसमें एक घड़ी ऐसी है जो मुसलमान उसमें अल्लाह तआ़ला से किसी चीज़ का सवाल करता है तो अल्लाह तआ़ला उसका सवाल पूरा करते हैं।

हज़रत कअ़ब रह्मतुल्लाहि अ़लैहि ने सवाल किया कि क्या यह घड़ी साल में एक दिन आती है? मैंने कहा नहीं, बल्कि हर जुमे के दिन है। चुनाँचे कअ़ब रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने तौरात को पढ़ा और माना कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान दुरुस्त है।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 288. हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम्हारे दिनों में से अफ़ज़ल दिन जुमे का है, उसमें आदम अ़लैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उनकी रूह क़ब्ज़ हुई, इसी दिन सूर फूँका जायेगा और इसी दिन मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ो इसलिये कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर हमारा दुरूद कैसे पेश किया जायेगा जबकि आप इन्तिक़ाल फ़रमा चुके होंगे? आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन (की मिट्टी) पर अम्बिया के जिस्मों को हराम क़रार दिया है। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 289. हज़रत अबुल्-जअ़द ज़मरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी तीन जुमे की नमाज़ें सुस्ती और काहिली की वजह से छोड़ दे तो अल्लाह तआ़ला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 290. हज़रत तारिक़ बिन शिहाब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जमाअ़त के साथ जुमा अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है अलबत्ता चार क़िस्म के लोग-- गुलाम, औ़रत, बच्चे और बीमार इस (हुक्म) से अलग हैं (इन पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है)। (अबू दाऊद)

हदीस 291. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी जुमे के दिन ग़ुस्ल करे और उम्दा लिबास पहने, अगर उसके पास ख़ुशबू हो तो वह लगाये फिर जुमे के लिये आये और लोगों की गर्दनें न फलाँगे, फिर जो उसके मुक़द्दर में है नवाफ़िल अदा करे और जब इमाम ख़ुतबा देने के लिये

आये तो वह ख़ामोश रहे यहाँ तक कि अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाये तो ये सब काम उसके उस जुमे और उससे पहले जुमे के दरमियान के गुनाहों का कफ़्फ़ारा (गुनाहों को मिटाने वाले) बन जाते हैं। (अबू दाऊद)

हदीस 292. हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने जुमे के दिन ख़ुद ग़ुस्ल किया और ग़ुस्ल करवाया (यानी अपनी बीवी से हमबिस्तर हुआ) और जुमे की नमाज़ के लिये जल्दी मस्जिद में गया, इमाम के क़रीब होकर बैठा, ख़ुतबा ग़ौर से सुना और ख़ुतबे के दौरान कोई फ़ुज़ूल हरकत (या बात) न की तो उसे हर क़दम के बदले एक साल के नेक अमल करने, एक साल के रोज़ों और क़ियाम (रातों को नमाज़ पढ़ने) का सवाब मिलेगा। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 293. हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से किसी आदमी पर (कुछ गुनाह) नहीं, अगर वह (सहूलत) पाये तो मेहनत व मशक़्क़त वाले दो कपड़ों के अलावा जुमे के लिये दो (ख़ास) कपड़े बना ले। (इब्ने माजा)

हदीस 294. हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जुमा के ख़ुतबे में हाज़िरी दो और इमाम के क़रीब बैठो, बिला-शुब्हा जो आदमी इमाम से दूर रहता है अगर वह जन्नत का मुस्तहिक़ होगा तब भी जन्नत में देर से दाख़िल किया जायेगा। (अबू दाऊद)

हदीस 295. हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जुमे के दिन उस वक़्त गोट मारने (घुटनों को सीने के क़रीब रखकर हाथों से पकड़ने) से मना फ़रमाया, जब इमाम ख़ुतबा दे रहा हो। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 296. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई आदमी जुमे के दिन (जुमा के ख़ुतबे में) ऊँघने लगे तो वह अपनी जगह तब्दील कर

ले। (तिर्मिज़ी)

हदीस 297. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (जुमे के) दो ख़ुतबे इरशाद फ़रमाते थे। जब मिम्बर पर चढ़ते तो बैठ जाते यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन अज़ान से फ़ारिग़ हो जाता, फिर आप ख़ुतबा देने के लिये खड़े हो जाते, फिर पहला ख़ुतबा देकर बैठते और कलाम नहीं करते थे, फिर खड़े होते और ख़ुतबा इरशाद फ़रमाते। (अबू दाऊद)

हदीस 298. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जुमे के दिन मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुए (तो कुछ लोगों को देखा कि वे खड़े हैं) आपने फ़रमाया- बैठ जाओ। अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु उस वक़्त मस्जिद के दरवाज़े से अन्दर दाख़िल हो रहे थे तो आपका यह फ़रमान सुनते ही दरवाज़े पर ही बैठ गये, आपने जब उन्हें देखा तो फ़रमाया ऐ अ़ब्दुल्लाह! आगे आ जाओ। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम में आपकी फ़रमाँबरदारी का जज़्बा निहायत बुलन्द था कि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने आपका फ़रमान जहाँ सुना वहीं बैठ गये, हालाँकि वह मस्जिद के दरवाज़े की चौखट पर पहुँचे थे, चाहते तो दो क़दम चलकर अन्दर आ सकते थे।

ईदैन की नमाज़ का बयान

हदीस 299. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (हिजरत करके) मदीना तशरीफ़ लाये तो वहाँ के लोगों के (ईद के) दो दिन थे जिनमें वे खेल-कूद में मसरूफ़ रहते। आपने उनसे पूछा कि ये दो दिन कैसे हैं? उन्होंने बयान किया कि जाहिलीयत (इस्लाम से पहले के दौर) में हम इन दो दिनों में खेल-कूद और हंसी-मज़ाक़ में मशग़ूल रहते थे। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें इन दिनों के बदले में दो बेहतर दिन अ़ता किये हैं, वह **ईदुल्-अज़्हा** और **ईदुल्-फ़ितर** के दिन हैं। (अबू दाऊद)

हदीस 300. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ईदुल्-फ़ितर के दिन ईद की नमाज़ से पहले कुछ खाकर ईद की नमाज़ के लिये जाते थे, लेकिन ईदुल्-अज़्हा (बक़र-ईद) के दिन जब तक ईद की नमाज़ अदा न करते उस वक़्त तक कुछ नहीं खाते थे। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 301. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि ईद के दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ था। आपने खुतबे से पहले बग़ैर अज़ान और तकबीर के ईद की नमाज़ अदा की। जब आप नमाज़ अदा कर चुके तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु (के कंधे) पर टेक लगाकर खड़े हुए। आपने अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व सना बयान की और लोगों को वअ़ज़ व नसीहत की और उन्हें अल्लाह तआ़ला की इताअ़त पर रग़बत दिलाई। (फिर) आप औ़रतों की तरफ़ गये, आपके साथ बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु थे, आपने उनको तक़वे (नेकी का रास्ता इख़्तियार करने और परहेज़गारी) का हुक्म दिया और उन्हें वअ़ज़ व नसीहत की। (नसाई)

हदीस 302. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब ईद की नमाज़ के लिये निकलते तो (वापसी पर) रास्ता तब्दील कर लेते थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 303. हज़रत उमैर बिन अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने कल चाँद देखा था, आपने रोज़ा इफ़्तार करने का हुक्म दिया और अगली सुबह ईदगाह में ईद की नमाज़ अदा करने का हुक्म दिया। (अबू दाऊद, नसाई)

क़ुरबानी के मसाईल का बयान

हदीस 304. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम (क़ुरबानी के) जानवर की आँखों और कानों को ग़ौर से देखें और हम ऐसा जानवर ज़िबह न करें जिसका कान कटा हुआ हो, और ऐसा जानवर भी न हो जिसके

कान चिरे हुए हों और न ऐसा जानवर हो कि जिसके कान में सुराख़ हो।
(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 305. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने चार क़िस्म के जानवरों की क़ुरबानी करने से मना फ़रमाया है-

1. लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो।
2. काना जानवर जिसका कानापन ज़ाहिर हो।
3. बीमार जानवर जिसका बीमार होना ज़ाहिर हो।
4. कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों पर गोश्त न हो।

(इब्ने माजा, नसाई, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 306. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सींगों वाले नर मेंढे की क़ुरबानी की, उसकी आँखें सियाह थीं, उसका मुँह सियाह था और उसकी टाँगें भी सियाह थीं। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 307. हज़रत मुजाशे रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- भेड़ का एक साल का बच्चा (क़ुरबानी के लिये) उसी तरह काफ़ी है जिस तरह दो दाँत वाला जानवर (मसलन दुंबा, बकरा, गाय और ऊँट)। (अबू दाऊद)

हदीस 308. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि हम सफ़र में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे। ईदुल्-अज़्हा का दिन आया, हम गाय की क़ुरबानी में सात अफ़राद और ऊँट में दस अफ़राद शरीक हुए। (तिर्मिज़ी)

नमाज़े इस्तिस्क़ा (सूखे के लिये बारिश) का बयान

हदीस 309. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिस वक़्त दुआ़-ए-इस्तसक़ा फ़रमाई तो आप (के जिस्म मुबारक) पर सियाह रंग की चादर थी, आपने उसको अपने कंधे पर ही तब्दील कर लिया (यानी दायें किनारे को

बायीं जानिब और ऊपर वाली जानिब को नीचे वाली जानिब किया)।

(अबू दाऊद)

वज़ाहतः- चादर को तब्दील करने का मक़सद यह था कि अल्लाह तआ़ला ख़ुश्क-साली (सूखे) को इसी तरह ख़ुशहाली में तब्दील फ़रमा दे, यानी उलट दे।

हदीस 310. हज़रत उमैर मौला अबुल्लहम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा कि आप ज़ोरा (स्थान) के क़रीब दोनों हाथ उठाकर क़िब्ला-रुख़ खड़े होकर दुआ़-ए-इस्तिस्क़ा माँग रहे थे। लेकिन आपके दोनों हाथ सर से बुलन्द नहीं थे।

(अबू दाऊद)

वज़ाहतः- दुआ़-ए-इस्तिस्क़ा में आ़म दुआ़ओं की तुलना में हाथ थोड़े ज़्यादा ऊपर उठाये जाते हैं।

हदीस 311. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़-ए-इस्तिस्क़ा के लिये निकले तो आपने निहायत मामूली लिबास पहन रखा था (बहुत ही) तवाज़ो के साथ ख़ुशूअ़ (दिल की आ़जिज़ी, अल्लाह के डर) और कमज़ोरी का इज़्हार करते हुए दुआ़ कर रहे थे। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 312. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दुआ़-ए-इस्तिस्क़ा करते हुए यह दुआ़ माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

अल्लाहुम्मस्क़ि अ़िबाद-क व बही-म-त-क वन्शुर् रह्म-त-क व अह्यि ब-ल-दकल्-मय्यि-त।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! अपने बन्दों और जानवरों पर बारिश नाज़िल फरमाईये और अपनी रहमत को आ़म कर दीजिये और अपने बेआबाद इलाक़ों को तरोताज़गी अ़ता फ़रमाईये। (अबू दाऊद)

हदीस 313. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा कि आप अपने हाथों को

दुआ-ए-इस्तिस्क़ा में आम दुआ से ज़्यादा ऊँचा करते हुए यह दुआ माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْـئًا مُّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَاٰجِلٍ.

अल्लाहुम्मसक़िना ग़ैसम्-मुग़ीसम्-मरीअम्-मुरीअन्-नाफ़िअन् ग़ै-र ज़ारिंन् आजिलन् ग़ै-र अजिलिन्।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! हम पर ऐसी बारिश नाज़िल फ़रमा जो क़हत-साली (सूखे की हालत) को दूर कर दे, जिसका अन्जाम अच्छा हो, ज़मीन में पैदावार लाने वाली, नफ़ा-बख़्श हो और नुक़सानदेह न हो, जल्दी बरसे, देरी न हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़ौरन ही तमाम आसमान पर बादल छा गये। (अबू दाऊद)

हवाओं और आँधियों का बयान

हदीस 314. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हवा अल्लाह तआ़ला के हुक्म से आती है, कभी रहमत लाती है और कभी अज़ाब। उसको बुरा न कहो बल्कि अल्लाह तआ़ला से उसकी भलाई का सवाल किया करो और उसके शर (बुराई) से अल्लाह तआ़ला की पनाह तलब करो।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 315. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने हवा पर लानत की, आपने फ़रमाया- हवा पर लानत न करो, हवा तो अल्लाह तआ़ला के हुक्म की पाबन्द है और जो आदमी ऐसी चीज़ पर लानत करता है जो लानत की मुस्तहिक़ नहीं तो लानत भेजने वाले की तरफ़ लानत वापस आ जाती है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 316. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब हम आसमान पर बादल देखते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी मसरूफ़ियात (व्यस्ततायें) छोड़ देते और बादल की तरफ़ मुँह करके यह दुआ माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا فِيْهِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिन् शर्रि मा फ़ीहि।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! बेशक मैं आपकी पनाह चाहता हूँ उस चीज़ की बुराई से जो इस (बादल) में है, आँधी, तूफ़ान वग़ैरह से। अगर बादल छट जाते तो आप अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ बयान करते और अगर बारिश होने लगती तो आप यह दुआ़ माँगते-

اَللّٰهُمَّ سَقْيًا نَّافِعًا.

अल्लाहुम्-म सक्यन्-नाफ़िअ़न्।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! नफ़ा देने वाली बारिश बरसा। (अबू दाऊद)

मरीज़ की बीमार-पुरसी और बीमारी के सवाब का बयान

हदीस 317. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आपने फ़रमाया- जो मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक़्त बीमार-पुरसी करता (बीमारी का हाल पूछता) है उसके हक़ में शाम तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, और अगर शाम के वक़्त बीमार-पुरसी करता है तो सुबह तक उसके हक़ में फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, और जन्नत में उसके लिये बाग़ (तैयार कर दिया जाता) है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 318. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो मुसलमान किसी मुसलमान की बीमार-पुरसी करता है और सात बार यह दुआ़ पढ़ता है-

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ.

अस्अलुल्लाहल्-अ़ज़ी-म रब्बल्-अ़र्शिल्-अ़ज़ीमि अंय्-यश्फ़ि-य-क।

तर्जुमाः- मैं अल्लाह बड़ाई वाले से सवाल करता हूँ जो अ़र्शे अ़ज़ीम का रब है कि वह आपको शिफ़ा अ़ता फ़रमाये।

अगर उसकी मौत का वक़्त न आ पहुँचा हो तो उस मरीज़ को शिफ़ा हासिल हो जाती है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 319. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब बीमार-पुरसी के लिये जाओ तो बीमार के पास यह दुआ़ पढ़ो-

اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ.

अल्लाहुम्मश्फ़ि अ़ब्द-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! अपने बन्दे को शिफ़ा अ़ता फ़रमाईये। (अबू दाऊद)

हदीस 320. हज़रत जाबिर बिन अतीक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह की राह में मारे जाने वाले शहीद के अ़लावा शहादत की मौत सात क़िस्म की होती हैं–

1. ताऊन (प्लेग) से मरने वाला।
2. पानी में डूबकर मरने वाला।
3. पहलू (करवट, पस्ली) के दर्द में मरने वाला।
4. पेट की बीमारी में मरने वाला।
5. किसी चीज़ के नीचे दबकर मरने वाला।
6. आग में जलकर मरने वाला।
7. बच्चे को जन्म देते वक़्त मरने वाली औ़रत। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 321. हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा आज़माईशों से दोचार होने वाले कौन लोग हैं? आपने फ़रमाया- अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम हैं। उनके बाद फ़ज़ीलत वाले लोग हैं पस फ़ज़लीत वाले लोगों में से हर आदमी को उसके ईमान के लिहाज़ से आज़माईश में मुब्तला किया जाता है। अगर वह दीन (के मामलात) में सख़्त (पाबन्द) है तो उसके लिये आज़माईश भी सख़्त है, और अगर वह दीन के (मामलात) में कमज़ोर है तो उसके लिये आज़माईश भी मामूली है। इसी तरह वह आज़माईश में मुब्तला रहता है यहाँ तक कि वह गुनाहों से पाक होकर ज़मीन पर चलने-फिरने लगता है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 322. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब अल्लाह तआ़ला अपने

(नेक) बन्दे के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उसे (उसके गुनाहों की) सज़ा दुनिया ही में दे देते हैं, और जब अल्लाह तआला (गुनाहगार) बन्दे के साथ बुराई का इरादा फ़रमाते हैं तो उसके गुनाहों की सज़ा को उस से दूर रखते हैं यहाँ तक कि क़ियामत के दिन उसे उसके गुनाहों का बदला मिलेगा। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- इसलिये बीमारी, नुक़सान, ख़ौफ़ और ग़ुर्बत से घबराना नहीं चाहिये।

हदीस 323. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सवाब की अधिकता का ताल्लुक़ मुसीबतों की सख़्ती से है। बेशक अल्लाह तआ़ला जब किसी जमाअ़त को महबूब जानते हैं तो उसे आज़माईशों में डालते हैं, पस जो आदमी आज़माईश पर राज़ी रहे उसको अल्लाह तआ़ला की रज़ा हासिल होती है और जिस आदमी ने रोने-पीटने का इज़हार किया तो उस पर अल्लाह तआ़ला की नाराज़गी होती है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 324. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन मर्द और मोमिना औ़रत के जिस्म, उसके माल और उसकी औलाद पर बराबर मुसीबतें नाज़िल होती रहती हैं यहाँ तक कि जब उसकी मुलाक़ात अल्लाह तआ़ला से होती है तो वह गुनाहों से पाक व साफ़ होता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 325. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक बीमार की इयादत की (बीमारी का हाल पूछा)। आपने (उससे) फ़रमाया- ख़ुश हो जाओ इसलिये कि अल्लाह का फ़रमान है- बुख़ार मेरी आग है, मैं दुनिया में अपने मोमिन बन्दे को उसमें मुब्तला करता हूँ ताकि क़ियामत के दिन यह उसके लिये जहन्नम का बदला हो जाये। (अहमद, इब्ने माजा, बैहक़ी)

हदीस 326. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी जो मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ, मदीना में ही उसका इन्तिक़ाल हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने

उसकी नमाज़े जनाज़ा अदा करने के बाद फ़रमाया- काश! यह पैदाईश की जगह के सिवा किसी और जगह में मरा होता। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने मालूम किया- ऐ अल्लाह के रसूल! किस लिये? आपने फ़रमाया- कोई आदमी जब पैदा होने के स्थान के अ़लावा किसी दूसरे स्थान में मरता है तो उसके पैदा होने के स्थान से लेकर उसकी मौत की जगह तक के बराबर उसको जन्नत में जगह दी जाती है। (नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 327. हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान है कि शहीद लोग और (लम्बी बीमारी की वजह से) बिस्तर पर मरने वाले, उन लोगों के बारे में अपने रब तआ़ला से झगड़ेंगे जो ताऊन (की बीमारी) से मरे। शहीद हज़रात कहेंगे कि (ये) हमारे साथी हैं जैसे हम क़त्ल हुए (यह भी) क़त्ल हुए (बल्कि) बिस्तर पर मरने वाले कहेंगे कि ये हमारे भाई हैं जैसे हम फ़ौत हुए यह भी बिस्तर पर फ़ौत हुए। हमारा रब फ़ैसला फ़रमायेगा, इनके ज़ख़्म देखो अगर इनके ज़ख़्म क़त्ल होने वालों के ज़ख़्मों के जैसे हैं तो ये उनमें से हैं और उनके साथी हैं। जब देखा जायेगा तो उनके ज़ख़्म शहीदों के ज़ख़्मों के जैसे होंगे। (अहमद, नसाई)

मौत की तमन्ना और उसको याद करने का बयान

हदीस 328. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- लज़्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली मौत को कसरत के साथ याद किया करो। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसाई)

हदीस 329. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब मोमिन मरता है तो उसकी पेशानी (माथा) पसीने से तर हो जाती है। (तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 330. हज़रत उबैदुल्लाह बिन ख़ालिद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अचानक मौत अल्लाह की नाराज़गी की वजह से होती है। (अबू दाऊद)

वज़ाहत:- यह हुक्म काफ़िर के लिये है जबकि मोमिन के लिये

अचानक मौत रहमत का ज़रिया होती है।

हदीस 331. हज़रत हारिसा बिन मुज़र्रिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं हज़रत ख़ब्बाब के पास गया, उनके जिस्म पर दाग़ दिये जाने के सात निशानात थे। ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान किया कि अगर मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह फ़रमान न सुना होता कि तुम में से कोई आदमी मौत की तमन्ना न करे तो मैं ज़रूर मौत की तमन्ना करता। (अहमद, तिर्मिज़ी)

मौत के क़रीब वाले आदमी के पास कहे जाने वाले कलिमात का बयान

हदीस 332. हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी का आख़िरी कलिमा "ला इला-ह इल्लल्लाहु" हो वह जन्नत में दाख़िल होगा।

(अबू दाऊद)

वज़ाहतः- जो उस आदमी के पास जाये जो मरने के क़रीब हो उसको चाहिये कि वह ऊपर दर्ज हुआ कलिमा पढ़े ताकि वह भी यह कलिमा पढ़कर जन्नत का मुस्तहिक़ बन सके।

हदीस 333. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का बोसा लिया (चूमा) जबकि आप इन्तिक़ाल फ़रमा चुके थे।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- मय्यित का बोसा लेना जायज़ है।

हदीस 334. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब किसी आदमी की मौत क़रीब होती है तो फ़रिश्ते उसके क़रीब आते हैं। अगर (मरने वाला) आदमी नेक इनसान है तो फ़रिश्ते कहते हैं- ऐ पाक रूह! जो पाक जिस्म में है बाहर आ जा, तू क़ाबिले तारीफ़ है। अल्लाह की रहमत, उसके इनामात

और नाराज़ न होने वाले रब से ख़ुश हो जा। उसको लगातार ये कलिमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर आ जाती है। फिर रूह को आसमान की तरफ़ लेजाया जाता है, उसके लिये (आसमान का) दरवाज़ा खोल दिया जाता है। मालूम किया जाता है कि यह कौन (ख़ुशनसीब) रूह है? फ़रिश्ते बताते हैं कि फ़ुलाँ है। कहा जाता है कि पाकीज़ा (रूह) के लिये ख़ुश-आमदीद (आना मुबारक) हो जो पाक जिस्म में रही, (जन्नत में) दाख़िल हो जा, तू तारीफ़ के लायक़ है और तू अल्लाह की रहमत, उसके इनामात और नाराज़ न होने वाले रब से ख़ुश हो जा। उसको लगातार ये कलिमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह उस आसमान तक पहुँच जाती है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला है।

जब बदकार आदमी मरता है तो फ़रिश्ता कहता है- ऐ ख़बीस रूह! जो नापाक जिस्म में है तू बुराई के क़ाबिल है, बाहर निकल आ। गर्म पानी, पीप और इस क़िस्म के दूसरे अ़ज़ाबों की सूचना क़ुबूल कर। उसको लगातार यही कलिमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह बाहर निकल आती है। फिर उसको आसमान की तरफ़ चढ़ाया जाता है, उसके लिये आसमान का दरवाज़ा खोलने का मुतालबा होता है, मालूम किया जाता है कि यह कौन (बदबख़्त) रूह है? जवाब में बताया जाता है कि फ़ुलाँ है, तो (उसके लिये) पैग़ाम मिलता है कि ख़बीस रूह को ख़ुश-आमदीद न हो, जो नापाक जिस्म में थी, तू वापस चली जा, तू बुराई के क़ाबिल है, तेरे लिये आसमान के दरवाज़े नहीं खुल सकते। चुनाँचे उसको आसमान से वापस भेज दिया जाता है, फिर वह (क़ियामत क़ायम होने तक) क़ब्र में ही रहती है।

(इब्ने माजा)

हदीस 335. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब मोमिन पर मौत का वक़्त आता है तो रहमत के फ़रिश्ते सफ़ेद रेशमी (लिबास) लेकर आते हैं। वे कहते हैं- ऐ रूह! तू (बाहर) निकल आ, तू अल्लाह से ख़ुश है और अल्लाह तुझसे ख़ुश है। अल्लाह की रहमत, उसकी नेमतों और अपने रब

की तरफ़ आ, जो तुझ पर नाराज़ नहीं है। चुनाँचे (उसके जिस्म से) रूह बहुत ही उम्दा कस्तूरी जैसी ख़ुशबू की तरह बाहर आती है, रहमत के फ़रिश्ते उसको एक दूसरे के हवाले करते हैं यहाँ तक कि उसको आसमान के दरवाज़ों के क़रीब ले आते हैं। आसमान के फ़रिश्ते कहते हैं- किस क़द्र उम्दा, ख़ुशबू वाली यह रूह है जो तुम्हारे पास ज़मीन की तरफ़ से आई है। चुनाँचे उसको ईमान वालों की रूहों (की जगह) में लाते हैं। ईमान वाले लोग उस रूह की मुलाक़ात से उससे ज़्यादा ख़ुशी का इज़हार करते हैं जिस क़द्र कि तुम में से कोई आदमी अपने सफ़र पर गये हुए साथी की वापसी पर ख़ुश होता है। चुनाँचे वे उससे पूछते हैं कि फ़ुलाँ आदमी का क्या हाल था, फ़ुलाँ आदमी का क्या हाल था। (फिर) वे कहेंगे- अभी इसको रहने दो क्योंकि यह दुनिया के ग़मों में मुब्तला था। वह मरने वाला आदमी (उनसे) कहेगा- वह तो मर गया था, क्या वह तुम्हारे यहाँ नहीं आया? (इस पर वे) कहते हैं- उसे उसके हाविया स्थान (यानी दोज़ख़) की तरफ़ ले जाया गया है।

काफ़िर की मौत का वक़्त जब क़रीब आता है तो अ़ज़ाब के फ़रिश्ते उसके पास टाट लेकर आते हैं और कहते हैं- ऐ रूह! तू अल्लाह के अ़ज़ाब की तरफ़ आ, तू नाख़ुश है और तुझ पर तेरा रब नाराज़ है। चुनाँचे वह सख़्त बदबूदार मुर्दार की बू (गंध) की तरह निकलेगी यहाँ तक कि (फ़रिश्ते) उसको ज़मीन के दरवाज़े तक ले आयेंगे और कहेंगे- यह किस क़द्र बदबूदार है? यहाँ तक कि फ़रिश्ते उसको काफ़िरों की रूहों (की जगह) में पहुँचा देंगे। (अहमद, नसाई)

मय्यित को ग़ुस्ल देने और उसको कफ़न पहनाने का बयान

हदीस 336. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सफ़ेद लिबास पहना करो इसलिये कि यह बेहतरीन लिबास है और अपने मुर्दों को सफ़ेद चादरों

में कफ़न दो और बेहतरीन सुर्मा अस्फ़हानी है, वह बालों को उगाता है और नज़र को तेज़ करता है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 337. हज़रत अबू सलमा रह़्मतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि जब अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की मौत का वक़्त क़रीब आया तो उन्होंने नया लिबास तलब करके पहना, फिर उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि मरने वाला आदमी उसी लिबास में उठाया जायेगा जिसमें वह मरा होता है। (अबू दाऊद)

हदीस 338. हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेहतरीन कफ़न एक जैसी दो चादरें हैं और बेहतरीन क़ुरबानी सींगों वाले मेंढे की है।

(अबू दाऊद)

जनाज़े के साथ चलने और नमाज़े जनाज़ा अदा करने का बयान

हदीस 339. हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सवार आदमी जनाज़े के पीछे चले और पैदल चलने वाला जनाज़े के पीछे या उसके आगे या दायें या बायें और उसके क़रीब चले। और नामुकम्मल बच्चे की नमाज़े जनाज़ा अदा करो और उसके माँ-बाप के हक़ में मग़फ़िरत और रहमत की दुआ़ करो। (अबू दाऊद)

हदीस 340. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम किसी मय्यित की नमाज़े जनाज़ा अदा करो तो उसके हक़ में ख़ुलूस के साथ (सच्चे दिल से) दुआ़ करो। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 341. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब किसी मय्यित पर नमाज़े जनाज़ा अदा करते तो यह दुआ़ माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا. اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ. اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ.

अल्लाहुम्मग़्फ़िर् लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़्-करिना व उन्साना अल्लाहुम्-म मन् अहयैतहू मिन्ना फ़-अह्यिही अ़लल्-इस्लामि व मन् तवफ़्फ़ै-तहू मिन्ना फ़-तवफ़्फ़हू अ़लल्-ईमान। अल्लाहुम्-म ला तह्‌रिमना अज्रहू व ला तफ़्तिन्ना बअ़्दहू।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! हमारे ज़िन्दों और मुर्दों, हाज़िर और ग़ैर-हाज़िर, छोटे और बड़ों, मर्द और औ़रतों (के गुनाहों) को माफ़ फ़रमा दीजिये। ऐ अल्लाह! हम में से आप जिसे ज़िन्दा रखें उसे इस्लाम पर ज़िन्दा रखिये और हम में से आप जिसको मौत दें उसकी मौत ईमान पर फ़रमाईये। ऐ अल्लाह! हमको इस (मरने वाले) के सवाब से मेहरूम न कीजिये और इसके बाद हमें फ़ितने में मुब्तला न कीजियेगा। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 342. हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक मुसलमान आदमी का जनाज़ा पढ़ाया और यह दुआ़ माँगी-

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهٖ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَآءِ وَالْحَقِّ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

अल्लाहुम्-म इन्-न फ़ुलानब्-न फ़ुलानिन् फ़ी ज़िम्मति-क व हब्लि जवारि-क फ़-क़िही मिन् फ़ित्नतिल्-क़ब्रि व अ़ज़ाबिन्नारि व अन्-त अह्लुल्-वफ़ा-इ वल्-हक़्क़ि, अल्लाहुम्मग़्फ़िर् लहू वर्‌हम्‌हु इन्न-क अन्तल्-ग़फ़ूरुर्-रहीम।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! फ़ुलाँ पुत्र फ़ुलाँ (इसकी जगह मरने वाले और उसके वालिद का नाम लीजिये) आपके हवाले और आपकी पनाह में है।

इसको क़ब्र के फ़ितने और दोज़ख़ के अज़ाब से महफ़ूज़ फ़रमाईये, इसलिये कि आप वादे को पूरा करने वाले और हक़ को क़ायम करने वाले हैं। ऐ अल्लाह! इसको माफ़ फ़रमाईये और इस पर रहम कीजिये, बिला-शुब्हा आप बड़े माफ़ करने वाले मेहरबान हैं। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 343. हज़रत नाफ़ेअ़ रह्मतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु की इमामत में एक आदमी की नमाज़े जनाज़ा अदा की, वह उस मय्यित के सर के बराबर (सामने) खड़े हुए। उसके बाद एक औरत का जनाज़ा आया, लोगों ने कहा ऐ अबू हमज़ा! इस औरत का भी जनाज़ा पढ़ा दें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु उस औरत का जनाज़ा पढ़ाने के लिये चारपाई के दरमियान सामने खड़े हुए। (इस पर) अ़ला बिन ज़ियाद रह्मतुल्लाहि अ़लैहि ने उनसे पूछा- क्या आपने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इसी तरह देखा है कि आप औरत के जनाज़े पर वहाँ खड़े हुए जहाँ आप खड़े हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 344. हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन रह्मतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि हसन बिन अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा और इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा के क़रीब से एक जनाज़े का गुज़र हुआ (जनाज़ा देखकर) हज़रत हसन खड़े हो गये जबकि हज़रत इब्ने अ़ब्बास बैठे रहे, (इस पर) हसन रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहने लगे क्या रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यहूदी के जनाज़े के लिये खड़े नहीं हुए थे? हज़रत इब्ने अ़ब्बास ने इस बात का इक़रार किया और कहा कि बाद में आप बैठे रहते थे। (नसाई)

वज़ाहतः- पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर जनाज़े के एहतिराम (सम्मान) में खड़े होते थे लेकिन बाद में आपने ग़ैर-मुस्लिमों के जनाज़ों के एहतिराम में खड़ा होना छोड़ दिया था।

मय्यित को दफ़न करने का बयान

हदीस 345. हज़रत हिशाम बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जंगे उहुद के दिन आपने फ़रमाया- क़ब्रें खुली, गहरी और उम्दा बनाओ।

एक क़ब्र मैं दो-दो और तीन-तीन अफ़राद को दफ़न करो। उनमें से जिसको क़ुरआन मजीद ज़्यादा हिफ़्ज़ (याद) है उसको पहले क़िब्ले की जानिब दफ़न करो। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 346. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जंगे उहुद के दिन मेरी फूफी, मेरे वालिद की मय्यित को हमारे क़ब्रिस्तान में दफ़न करने के लिये उठा लाईं लेकिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ से ऐलान करने वाले ने (ऐलान करते हुए) कहा कि शहीदों को वहीं दफ़न करो जहाँ वे शहीद हुए हैं। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 347. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों को पक्का करने, उन पर कुछ लिखने और उनकी पैरों तले बेहुर्मती करने से मना फ़रमाया है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- क़ब्र पर क़ब्र वाले का नाम लिखना, तारीख़े वफ़ात तहरीर करना, क़ुरआने करीम की आयतें या अल्लाह के नाम लिखना भी जायज़ नहीं है। एहतियात फ़रमाईये।

हदीस 348. हज़रत मुत्तलिब बिन अबी वदाआ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौत हुए तो उनका जनाज़ा लेजाया गया और उन्हें दफ़न किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को हुक्म दिया कि वह आपके पास एक पत्थर लाये। वह आदमी पत्थर उठा न सका तो आपने ख़ुद उठाकर अपनी आस्तीनों से कपड़ा हटाया। मुत्तलिब बिन अबी वदाआ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उस आदमी ने बताया कि जब आपने कपड़ा उठाया तो मैं आपकी कलाईयों की सफ़ेदी को देख रहा था। फिर आपने पत्थर उठाया और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के सर की जानिब उसे रख दिया और फ़रमाया- मैंने यह पत्थर अपने भाई की क़ब्र पर निशानी के तौर पर रखा है और इसकी क़ब्र के क़रीब उन लोगों को दफ़न करूँगा जो मेरे घर वालों में से फ़ौत होंगे। (अबू दाऊद)

हदीस 349. हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ एक अन्सारी

सहाबी के जनाज़े में गये। हम क़ब्र के क़रीब पहुँचे तो अभी लहद तैयार नहीं हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़िब्ला-रुख़ तशरीफ़ फ़रमा थे और हम भी आपके साथ बैठे हुए थे। (अबू दाऊद, नसाई)

वज़ाहतः- अगर मय्यित के दफ़नाने में देर हो तो ख़ामोशी के साथ बैठकर दिल ही दिल में मय्यित के लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत करनी चाहिये, लेकिन क़ब्रों पर न बैठिये।

हदीस 350. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मय्यित की हड्डी को तोड़ना ज़िन्दे की हड्डी को तोड़ने की तरह (नाजायज़) है।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 351. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक मय्यित की नमाज़े जनाज़ा अदा की फिर उसकी क़ब्र पर आये और उसके सर की जानिब से उसकी क़ब्र पर मिट्टी की तीन मुट्ठियाँ डालीं। (इब्ने माजा)

मय्यित पर रोने का बयान

हदीस 352. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी के तीन नाबालिग़ बच्चे मर गये तो वे उसके लिये दोज़ख़ से बचाव का सामान होंगे। हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मेरे दो बच्चे फ़ौत हुए हैं, आपने फ़रमाया- दो भी दोज़ख़ से बचाव का सामान होंगे। हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मेरा एक बच्चा फ़ौत हुआ है, आपने फ़रमाया- एक भी दोज़ख़ से बचाव का सामान होगा।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 353. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब किसी आदमी का बच्चा फ़ौत हो जाता (मर जाता) है तो अल्लाह तआ़ला अपने फ़रिश्तों से मुख़ातिब होकर फ़रमाते हैं- क्या तुमने मेरे बन्दे के बच्चे की रूह को क़ब्ज़ किया है? वे हाँ में जवाब देते हैं। अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं- क्या

तुमने उसके दिल के टुकड़े को क़ब्ज़ किया है? वे इक़रार करते हैं। फिर अल्लाह तआ़ला पूछते हैं कि मेरे बन्दे ने क्या कहा? वे जवाब देते हैं कि उसने आपकी तारीफ़ व सना की और "इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ़न" के कलिमात दोहराये। अल्लाह तआ़ला हुक्म देंगे- मेरे बन्दे के लिये जन्नत में एक घर तामीर करो और उसका नाम "बैतुल्-हम्द" रखो। (तिर्मिज़ी)

हदीस 354. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब (मेरे वालिद) हज़रत जाफ़र की मौत की ख़बर पहुँची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जाफ़र की औलाद (यानी घर वालों) के लिये खाना तैयार करो, इसलिये कि वे ऐसे हादसे से दोचार हुए हैं जिसकी वजह से वे खाना तैयार नहीं कर सकते।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 355. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी भी मरता है और उस पर रोते हुए कोई आदमी कहता है- हाय तू सरदार था। इस क़िस्म की सिफ़तों व गुणों के साथ नोहा-ख़्वानी करता (बयान करके रोता) है तो उस आदमी के साथ अल्लाह तआ़ला दो फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमाते हैं जो उसे मारते और कहते हैं कि क्या तुम इन सिफ़तों (गुणों और ख़ूबियों) वाले थे? (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- मरने वाला अगर अपनी ज़िन्दगी में नोहा करने (बयान करके रोने) को पसन्द करता था तो इस सूरत में उसे भी अ़ज़ाब होगा, और अगर वह नोहा करने को नापसन्द समझता था और मना भी करता था तो उस सूरत में मरने वाले को अ़ज़ाब नहीं होगा।

हदीस 356. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह फ़रमाता है ऐ आदम के बेटे! अगर तुम मुसीबत पेश आने पर सब्र करो और मुझसे सवाब तलब करो तो मैं तुम्हारे लिये जन्नत (में दाख़िले) से कम किसी सवाब को पसन्द ही नहीं करूँगा। (इब्ने माजा)

ज़कात के मसाईल

हदीस 357. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि जब यह आयत नाज़िल हुई-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.

वल्लज़ी-न यक्निज़ूनज़्ज़-ह-ब वल्-फ़िज़्ज़-त..........।

तर्जुमाः- और वे लोग जो सोना-चाँदी जमा करते हैं.........।

(सूरः तौबा 9, आयत 24)

तो इस आयत का नाज़िल होना मुसलमानों पर भारी गुज़रा। हज़रत उमर ने कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी दूर करता हूँ। चुनाँचे वह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आपके सहाबा के लिये (इस आयत पर अ़मल करना) बहुत मुश्किल है। आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने ज़कात (अदा करने) को इसलिये फ़र्ज़ क़रार दिया है ताकि तुम्हारे बाक़ी माल को पाक कर दे और विरासत को इसलिये फ़र्ज़ किया है ताकि माल तुम्हारे पीछे आने वालों के लिये हलाल हो। (हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि) इस पर हज़रत उमर ने (ख़ुश होकर) अल्लाहु अकबर के कलिमात कहे। फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत उमर से फ़रमाया- क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ न बताऊँ जिसको इनसान हासिल करे? वह नेक बीवी है, जब वह उसकी तरफ़ नज़र उठाये तो वह उसको ख़ुश कर दे, और जब उसको (शरई) हुक्म दे तो उसकी इताअ़त करे, और जब वह उससे ग़ायब हो तो उस (के हक़ूक़) की हिफ़ाज़त करे। (अबू दाऊद)

हदीस 358. हज़रत जाबिर बिन अ़तीक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आगे चलकर तुम्हारे पास (ज़कात वसूल करने) ऐसे लोग आयेंगे जिनको तुम नापसन्द करोगे लेकिन जब वे तुम्हारे पास आयें तो तुम उन्हें ख़ुश-आमदीद कहो (यानी उनका स्वागत करो) और ज़कात का माल उनके सामने हाज़िर कर दो। अगर वे अ़दल (इन्साफ़) करेंगे तो उन्हें सवाब मिलेगा और अगर वे

ज़्यादती करेंगे तो उन पर गुनाह होगा, लेकिन उन्हें ख़ुश रखो इसलिये कि तुम्हारी ज़कात की अदायेगी की तकमील (पूरा होना) उनको ख़ुश रखना है, और उन्हें चाहिये कि वे तुम्हारे लिये दुआ़ करें। (अबू दाऊद)

हदीस 359. हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि चन्द देहाती सहाबा किराम ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! ज़कात वसूल करने वाले कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो हम पर जुल्म करते हैं। आपने फ़रमाया ज़कात वसूल करने वालों को ख़ुश रखो। (अबू दाऊद)

हदीस 360. हज़रत बशीर बिन ख़सासिया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हमने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- ज़कात वसूल करने वाले हम पर ज़्यादती करते हैं, क्या हम उनकी ज़्यादती के बराबर अपना माल छुपा सकते हैं? आपने फ़रमाया- नहीं। (अबू दाऊद)

हदीस 361. हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सही तरीक़े से ज़कात वसूल करने वाला इनसान उस आदमी की तरह है जो अल्लाह तआ़ला के रास्ते में जिहाद करता है, यहाँ तक कि ज़कात वसूल करने वाला घर वापस आ जाये। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 362. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (ज़कात वसूल करने के लिये) मवेशियों को खींचकर न लाया जाये और न ही मवेशियों को (ज़कात के डर से) दूर ले जाया जाये, बल्कि उनके घरों से ही उनकी ज़कात वसूल की जाये। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- यानी मवेशियों (पालतू जानवरों) को ज़कात वसूल करने के लिये किसी ख़ास जगह पर जमा न करें बल्कि रेवड़ जहाँ है वहीं ज़कात वसूल करें।

हदीस 363. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी के माल में इज़ाफ़ा हुआ तो इज़ाफ़े पर ज़कात नहीं है जब तक कि उस पर एक

साल न गुज़र जाये। (तिर्मिज़ी)

हदीस 364. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया कि क्या ज़कात वाजिब होने से पहले ज़कात की अदायेगी की जा सकती है? आपने इजाज़त अ़ता फ़रमाई। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- अगर कोई मुस्तहिक़ आ जाये तो साल के बीच में भी ज़कात अदा कर सकते हैं।

हदीस 365. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता तो क़ियामत के दिन अल्लाह उसके माल को ज़हरीले साँप की शक्ल में उसकी गर्दन में लटका देगा। फिर आपने इसकी ताईद में यह आयते मुबारका तिलावत फ़रमाई-

तर्जुमाः- और जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल व करम से बहुत कुछ दिया हुआ है और वे उसमें कन्जूसी करते हैं तो वे उस (कन्जूसी) को अपने लिये बेहतर न समझें, बल्कि वह उनके लिये बहुत बुरा है, जिस माल में उन्होंने कन्जूसी की, क़ियामत के दिन उन्हें उसी के तौक़ पहनाये जायेंगे। (सूरः आले इमरान 3, आयत 180) फिर मुकम्मल आयत तिलावत फ़रमाई।

(तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 366. हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे जब यमन भेजा तो हुक्म दिया कि मैं हर 30 गाय में से एक साल का बछड़ा (नर या मादा ज़कात) वसूल करूँ और हर 40 गाय में से दो साल का बछड़ा (ज़कात) वसूल करूँ। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 367. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ज़कात (लेने) में हद से निकलने वाला (गुनाह के एतिबार से) उस आदमी जैसा है जो ज़कात (अदा करने) से इनकार करता है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 368. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ग़ल्ले और खजूर में ज़कात नहीं जब तक कि वह पाँच वसक़ (20 मन) न हों। (नसाई)

हदीस 369. हज़रत अ़त्ताब बिन असीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अंगूरों की ज़कात के बारे में फ़रमाया- उनका अन्दाज़ा लगाया जाये जैसा कि खजूरों का अन्दाज़ा लगाया जाता है, फिर अंगूरों की ज़कात मुनक़्क़ा (सूखे हुए अंगूर) की शक्ल में अदा की जाये जैसा कि ताज़ा खजूरों की ज़कात ख़ुश्क खजूरों की शक्ल में अदा की जाती है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 370. हज़रत सहल बिन अबी हसमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम अन्दाज़ा लगाओ तो (अन्दाज़ा लगाये गये बाग़ों की) ज़कात वसूल करो और अन्दाज़े से तीसरा हिस्सा छोड़ दो, अगर तीसरा हिस्सा न छोड़ो तो चौथा हिस्सा छोड़ दो (ताकि वे उतना हिस्सा अपनी मर्ज़ी के ज़कात के मुस्तहिक़ लोगों पर तक़सीम कर सकें)। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 371. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने औ़रतों को वअ़ज़ (नसीहत व बयान) फ़रमाया- ऐ औ़रतो! सदक़ा दिया करो अगरचे अपने ज़ेवर में से हो, क्योंकि क़ियामत के दिन दोज़ख़ियों में तुम्हारी ज़्यादा तायदाद होगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 372. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैं सोने की पाज़ेब पहनती थी, मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! क्या यह 'कन्ज़' (ख़ज़ाना) है? आपने फ़रमाया- जो सोना निसाब को पहुँच जाये और उसकी ज़कात अदा की गई हो तो वह 'कन्ज़' (ख़ज़ाना) नहीं है। (अबू दाऊद)

हदीस 373. हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम उस माल से ज़कात अदा करें जिसको हमने तिजारत के लिये जमा कर रखा है। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- तिजारत के माल पर ज़कात फ़र्ज़ है।

हदीस 374. हज़रत रबीआ बिन अबी अ़ब्दुर्रहमान रहमतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु को समन्दर के किनारे के क़रीब कानें (खानें) जागीर के तौर पर दे दीं और ये कानें 'फ़रअ़' (बस्ती) के किनारे पर थीं, चुनाँचे उन कानों से ज़कात वसूल की जाती थी। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- ज़मीन से निकलने वाले पदार्थों पर भी ज़कात है, मसलन कोयले की कान, नमक की कान वग़ैरह।

सदक़ा-ए-फ़ित्र

सदक़ा-ए-फ़ित्र (रोज़ों का सदक़ा) इसलिये फ़र्ज़ क़रार दिया गया है कि रोज़े की हालत में इनसान से कोशिश के बावजूद अगर कोई गुनाह हो गया हो तो उस सदक़े से वह गुनाह माफ़ हो जायेंगे और रोज़े अल्लाह तआ़ला की बारगाह में क़ुबूल हो जायेंगे। इसी तरह फ़क़ीर और ग़रीब जो ईद की खुशियों में शरीक होने की गुंजाईश व ताक़त नहीं रखते उनके साथ मदद का मामला क़रना भी मतलूब है, जो अल्लाह तआ़ला को बेहद पसन्द है। यह सदक़ा हर अमीर, ग़रीब, छोटे, बड़े, औ़रत और मर्द सब पर ईद की नमाज़ से पहले-पहले अदा करना ज़रूरी है। सदक़ा-ए-फ़ित्र उस जिन्स में से अढ़ाई किलो दिया जाये जो आ़म घर में इस्तेमाल होती है मसलन चावल, आटा वग़ैरह। इसके हक़दार वही लोग हैं जो ज़कात के हक़दार हैं।

हदीस 375. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सदक़ा-ए-फ़ित्र को फ़र्ज़ क़रार दिया है ताकि बेकार और बेहूदा बातों से रोज़े पाक हो जायें और मिस्कीनों को खाने-पीने का सामान मयस्सर आये। (अबू दाऊद)

जिनके लिये सदक़ात लेना जायज़ नहीं

हदीस 376. हज़रत अबू राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बनू मख़ज़ूम (क़बीले) के एक आदमी को ज़कात वसूल करने के लिये भेजा। उसने अबू राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु

अ़न्हु से कहा कि आप मेरे साथ चलें ताकि आप भी ज़कात में से (कुछ) ले सकें। अबू राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इनकार किया और कहा कि नबी पाक से पूछे बग़ैर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। फिर उसने आप से (इसके बारे में) सवाल किया तो आपने फ़रमाया- ज़कात (का माल) हमारे लिये हलाल नहीं है और क़बीले के आज़ाद किये हुए ग़ुलाम भी उसी क़बीले में दाख़िल होते हैं। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

वज़ाहतः- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपकी आल पर ज़कात हलाल नहीं है। और अबू राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु आपके आज़ाद किये हुए ग़ुलाम थे इसलिये आपने उन्हें मना फ़रमा दिया।

हदीस 377. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ज़कात लेना मालदार आदमी और सही आज़ा वाले (यानी जिसके बदनी अंग सही हों) तन्दुरुस्त आदमी के लिये जायज़ नहीं है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 378. हज़रत उबैदुल्लाह बिन अ़दी रहमतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि दो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए उस वक़्त आप हज्जतुल्-विदा के मौक़े पर सदक़े का माल तक़सीम फ़रमा रहे थे। उन्होंने आप से सदक़ा माँगा। आपने हमारी तरफ़ नज़र उठाई और फिर नीचे कर ली, फिर फ़रमाया- अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सदक़ा दे देता हूँ लेकिन सुन लो कि किसी मालदार और ताक़तवर आदमी को, जो कमाई कर सकता हो, ज़कात में से कुछ लेना अच्छा नहीं है। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 379. हज़रत ज़ियाद बिन हारिस सुदाई रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर आप से बैअ़त की। फिर आपकी ख़िदमत में एक आदमी ने आकर सवाल किया कि मुझे सदक़ा इनायत करें। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उससे फ़रमाया- बेशक अल्लाह तआ़ला ने सदक़ों में नबी या ग़ैर-नबी के भी फ़ैसले को पसन्द नहीं किया, बल्कि ख़ुद अल्लाह तआ़ला ने उसके बारे में फ़ैसला फ़रमा दिया है और सदक़ों को आठ

मसारिफ़ (ख़र्च के मौक़ों और अफ़राद) में तक़सीम कर दिया है, अगर तुम उनमें दाख़िल हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। (अबू दाऊद)

(अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः तौबा 9, आयत 60)

सवाल करना किसके लिये जायज़ या नाजायज़ है?

हदीस 380. हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सवाल करना एक ज़ख़्म है कि जिसके ज़रिये इनसान अपना चेहरा ज़ख़्मी करता है। इस तरह कि किसी के आगे हाथ फैलाना अपनी इ़ज़्ज़त व आबरू को ख़ाक में मिलाता है जो कि अपने चेहरे को ज़ख़्मी करने के बराबर है, लिहाज़ा जो शख़्स अपनी इ़ज़्ज़त व आबरू को बाक़ी रखना चाहता है वह सवाल से परहेज़ करे, और जो अपनी इ़ज़्ज़त व आबरू को बाक़ी न रखना चाहे वह लोगों से सवाल करता रहे। अलबत्ता इनसान हाकिमे वक़्त से सवाल कर सकता है या इन्तिहाई मजबूरी की हालत में लोगों से सवाल कर सकता है।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 381. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने मालदार होने के बावजूद लोगों से सवाल किया वह क़ियामत के दिन इस हाल में आयेगा कि उसके चेहरे पर सवाल करने की वजह से ज़ख़्म के निशानात होंगे। आप से पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल! ग़नी (मालदार) कौन है? आपने फ़रमाया- जिसके पास 50 दिरहम या इतनी क़ीमत का सोना हो। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 382. हज़रत अ़ता बिन यसार रहमतुल्लाहि अ़लैहि बनू असद के एक आदमी से रिवायत करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से जो आदमी सवाल करता है जबकि उसकी मिल्कियत में एक ऊक़िया (चालीस दिरहम) या उसके बराबर माल है तो

गोया उसने चिमटकर सवाल किया। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 383. हज़रत सहल बिन हन्ज़ला रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी के पास इतना माल हो कि वह उसे ग़नी कर दे मगर वह इसके बावजूद लोगों से सवाल करता है तो गोया वह अपने लिये आग जमा कर रहा है। आप से सवाल किया गया- मालदार होने की क्या हद है कि जिसकी मौजूदगी में सवाल करना मना है, आपने फ़रमाया- जिसके पास एक दिन और एक रात का खाना मौजूद हो वह ग़नी (मालदार) है। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- इन तीनों हदीसों से मालूम हुआ कि जिसके पास एक दिन और एक रात का खाना मौजूद हो उसे भी सवाल करने से बचना चाहिये।

हदीस 384. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी फ़क्र व फ़ाक़े का शिकार हुआ और उसने अपने फ़क्र व फ़ाक़े (तंगदस्ती) को लोगों के सामने पेश किया उसका फ़क्र व फ़ाक़ा दूर नहीं होगा, और जिस आदमी ने अपने फ़क्र व फ़ाक़े (ग़रीबी की हालत) को अल्लाह की बारगाह में पेश किया तो अल्लाह तआ़ला उसको जल्द ग़नी (खुशहाल) कर देगा या कुछ देर के साथ मालदारी उसे बख़्श देगा। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 385. हज़रत अल्-फ़िरासी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं (लोगों से) सवाल कर सकता हूँ? आपने फ़रमाया- नहीं। अगर सख़्त ज़रूरत की वजह से तुम्हें ज़रूर सवाल करना हो तो नेक लोगों से सवाल करो। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 386. हज़रत इब्ने साअ़िदी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर ने मुझे सदक़ात जमा करने पर मुक़र्रर फ़रमाया। जब मैं इस काम से फ़ारिग़ हुआ और सदक़ात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के सुपुर्द कर दिये तो उन्होंने मेरे लिये (इस काम की) उजरत देने का हुक्म दिया। मैंने कहा मैंने तो यह काम सिर्फ़ अल्लाह (की रज़ा) के लिये किया है और मेरा अज्र व सवाब अल्लाह पर है। हज़रत उमर ने कहा जो कुछ तुम्हें दिया

जा रहा है वह ले लो इसलिये कि मैंने भी नबी पाक के ज़माने में एक काम किया था, आपने मुझे उसकी उजरत देनी चाही तो मैंने भी तुम जैसा जवाब दिया था, उस पर मुझे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम्हें बिना माँगे कुछ दिया जाये तो उसे ले लिया करो, उसे खाओ और उसमें से सदक़ा करो। (अबू दाऊद)

हदीस 387. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी मुझे ज़मानत (गारंटी) देता है कि वह लोगों से बिल्कुल सवाल नहीं करेगा, मैं उसके लिये जन्नत की ज़मानत देता हूँ। (नसाई)

ख़र्च करने और कंजूसी को बुरा जानने का बयान

हदीस 388. हज़रत अबू-दर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस आदमी की मिसाल जो मौत के वक़्त सदक़ा करता है या (ग़ुलाम) आज़ाद करता है, उस आदमी की तरह है जो सैर होने के बाद अ़तीया देता है। (नसाई, तिर्मिज़ी)

हदीस 389. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी आदमी में बहुत बुरी आ़दत ऐसी कंजूसी है जिसमें बहुत ज़्यादा लालच और बड़े दर्जे की बुज़दिली हो। (अबू दाऊद)

हदीस 390. हज़रत उम्मे बुजैद रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! ग़रीब मिस्कीन मेरे दरवाज़े पर खड़ा होता है, मुझे (उस वक़्त) शर्म आती है जब मैं घर में उसको देने के लिये कुछ नहीं पाती, रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उसके हाथ में कुछ रखो अगरचे एक पाया ही क्यों न हो। (अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

सदक़ा करने की फ़ज़ीलत

हदीस 391. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो मैंने आपके चेहरे (मुबारक) को ग़ौर से देखा तो मुझे मालूम हुआ

कि आपका (मुबारक) चेहरा उन लोगों के चेहरे जैसा नहीं है जो झूठे होते हैं। आपने सबसे पहले जो बातें इरशाद फ़रमाईं वह ये थीं- ऐ लोगो! "अस्सलामु अ़लैकुम" को आ़म करो, खाना खिलाओ, सिला-रहमी करो, रात (के वक़्तों) में जब लोग सो रहे हों नवाफ़िल पढ़ो, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाख़िल हो जाओगे। (इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

हदीस 392. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (अल्लाह) रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ, "अस्सलामु अ़लैकुम" को आ़म करो तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाख़िल हो जाओगे।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 393. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर नेक काम सदक़ा है और नेकियों में से एक नेकी यह भी है कि आप अपने (मुसलमान) भाई से ख़ुशी के साथ मुलाक़ात करें और अपने डोल से अपने भाई के बर्तन में पानी डालें। (तिर्मिज़ी)

हदीस 394. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने बेआबाद (बंजर) ज़मीन को आबाद किया उसके आबाद करने की वजह से उसे सवाब मिलेगा, और जिस क़द्र उसमें से जानवर और परिन्दे खा जायें वह उसके हक़ में सदक़ा है। (नसाई)

हदीस 395. हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने दूध देने वाले जानवर या चन्द दिरहम का अ़तीया (दान) दिया या किसी राह भटके हुए को रास्ता दिखाया तो उसको गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस 396. हज़रत जाबिर बिन सुलैम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं मदीना मुनव्वरा गया (वहाँ) मैंने एक आदमी को देखा कि लोग उसकी राय के मुताबिक़ अ़मल करते हैं, वह जो कुछ कहता है लोग उसकी

बात को क़ुबूल कर लेते हैं। मैंने पूछा- यह आदमी कौन है? लोगों ने बताया यह अल्लाह तआ़ला के पैग़म्बर हैं। मैंने दो बार कहा 'अ़लैकस्सलामु' (ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर सलाम हो) आपने फ़रमाया- 'अ़लैकस्सलामु' के कलिमात तुम्हें नहीं कहने चाहियें (इसलिये) कि 'अ़लैकस्सलामु' जाहिलीयत (इस्लाम से पहले के) ज़माने में मुर्दे को सलाम कहने का तरीक़ा था। तुम्हें कहना चाहिये "अस्सलामु अ़लै-क" (यानी सलाम का लफ़्ज़ पहले कहा जाये) मैंने पूछा कि आप अल्लाह तआ़ला के पैग़म्बर हैं? आपने फ़रमाया- जी हाँ मैं उस अल्लाह तआ़ला का पैग़म्बर हूँ कि अगर तुम्हें कोई परेशानी पेश आये तो तुम उसकी बारगाह में दुआ़ करो तो अल्लाह तआ़ला तुम्हारी परेशानी को दूर फ़रमा देगा और अगर तुम्हें सूखे का सामना हो और तुम उससे दुआ़ करो तो वह ज़मीन पर तुम्हारे लिये सब्ज़ा उगायेगा और अगर तुम किसी जंगल में हो और तुम्हारी ऊँटनी गुम हो जाये और तुम अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करो तो अल्लाह तआ़ला तुम्हारी ऊँटनी वापस कर देगा।

मैंने अ़र्ज़ किया- मुझे वसीयत फ़रमाईये? आपने फ़रमाया। किसी आदमी बल्कि किसी ऊँट या बकरी को भी गाली न देना। उसके बाद मैंने किसी आदमी को चाहे वह आज़ाद था या ग़ुलाम था गाली नहीं दी। आपने फ़रमाया- किसी नेकी को मामूली न समझना और ख़ुश-मिज़ाजी के साथ अपने भाई से गुफ़्तगू करना, यह भी नेकी का काम है, और अपने तहबन्द को आधी पिंडली तक रखना, अगर ऐसा न कर सको तो टख़्नों से ऊँचा रखना और चादर टख़्नों से नीचे लटकाने से परहेज़ करना इसलिये कि इस तरह चादर लटकाना फ़ख़्र (इतराने) में शामिल है, और अल्लाह फ़ख़्र और तकब्बुर को अच्छा नहीं जानता, और अगर कोई आदमी तुम्हें गालियाँ दे और तुम्हें तुम्हारे उन ऐबों की वजह से ग़ैरत दिलाये जो तुम में हैं तो जवाब में तुम उसके उन ऐबों का ज़िक्र करके ग़ैरत न दिलाना जिनके बारे में तुम्हें इल्म है कि उसमें वो ऐब हैं, इसलिये कि उसके गुनाह का वबाल उसी पर होगा। (अबू दाऊद)

हदीस 397. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने

एक बकरी ज़िबह करके तक़सीम कर दी फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूछा कि उसमें से कुछ बाक़ी है? मैंने जवाब दिया कि उसमें से सिर्फ़ कन्धे का गोश्त बाक़ी बचा है। आपने फ़रमाया- कन्धे के गोश्त के अ़लावा सब बाक़ी है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- जो माल सदक़ा कर दिया वह अल्लाह तआ़ला के पास बाक़ी है और जो मौजूद रहा वह फ़ानी है।

हदीस 398. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो मुसलमान (हर क़िस्म के) माल में से अल्लाह की राह में जोड़ा ख़र्च करता है तो जन्नत के दरबान (फ़रिश्ते) उसका स्वागत करेंगे। हर फ़रिश्ता उसको उन इनामों की जानिब दावत देगा जो उसके पास होंगे। मैंने पूछा कि जोड़ा ख़र्च करने से क्या मतलब है? आपने फ़रमाया- अगर ऊँट है तो दो ऊँट और अगर गाय हैं तो दो गाय। (नसाई)

हदीस 399. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया- थोड़े माल वाले का, जिसका ख़र्च मुश्किल से चलता हो और ख़र्च करने का आग़ाज़ अपने अहल व अ़याल (घर वालों और बाल-बच्चों) से करे। (अबू दाऊद)

हदीस 400. हज़रत सुलेमान बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मिस्कीन पर सदक़ा करना सिर्फ़ सदक़ा है और रिश्तेदार पर सदक़ा करने का दोहरा सवाब है, एक (सवाब) सदक़े का और दूसरा सिला-रहमी का।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसाई)

हदीस 401. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहा कि मेरे पास एक दीनार है। आपने फ़रमाया- उसे अपने आप पर ख़र्च करो। उसने कहा मेरे पास एक और दीनार है। आपने फ़रमाया- उसे अपनी औलाद पर ख़र्च करो। उसने कहा मेरे पास एक और दीनार है।

आपने फ़रमाया- उसे अपनी बीवी पर ख़र्च करो। उसने कहा मेरे पास एक और दीनार है। आपने फ़रमाया- उसे अपने ख़ादिम पर ख़र्च करो। उसने कहा मेरे पास एक और दीनार है। आपने फ़रमाया- अब तुम जैसा चाहो ख़र्च करो। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 402. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या मैं तुम्हें न बताऊँ कि बेहतरीन आदमी कौन है? यह वह आदमी है जिसने अपने घोड़े की लगाम को अल्लाह की राह में थामे रखा है। क्या मैं तुम्हें उस आदमी के बारे में न बताऊँ जो दर्जे में उसके बाद है? यह वह आदमी है जो चन्द बकरियाँ लेकर लोगों से अलग-थलग रहता है और उन बकरियों में अल्लाह का हक़ अदा करता है। क्या मैं तुम्हें न बताऊँ कि बहुत बुरा आदमी कौन है? सबसे बुरा वह आदमी है जिससे अल्लाह तआ़ला के नाम पर सवाल किया जाता है लेकिन वह नहीं देता। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 403. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी तुम से अल्लाह तआ़ला की पनाह तलब करे तुम उसे पनाह दे दो और जो आदमी अल्लाह तआ़ला का वास्ता देकर सवाल करे उसका सवाल पूरा करो, और जो आदमी तुम्हें दावत दे उसकी दावत को क़ुबूल करो और जो आदमी तुम्हारे साथ एहसान करे तुम उसके एहसान का बदला दो। अगर तुम बदला न दे सको तो उसके हक़ में दुआ-ए-ख़ैर करो यहाँ तक कि तुम महसूस करो कि तुमने उसको बदला दे दिया है। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 404. हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब औ़रतों से बैअ़त की तो एक बड़े रुतबे वाली औ़रत खड़ी हुई। उसने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! हम तो अपने माँ-बाप, अपने बेटों और अपने शौहर पर बोझ हैं, हमारे लिये उनके माल में से किस क़द्र हलाल है? आपने फ़रमाया- वह चीज़ जिसको तुम ख़ुद भी खा सकती हो और हदिया भी दे सकती हो। (अबू दाऊद)

रोज़े के मसाईल

हदीस 405. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब रमज़ान-मुबारक की पहली रात होती हे तो शैतान और सरकश जिन्नात को जकड़ दिया जाता है और दोज़ख़ के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं, उसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं होता, जबकि जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, उसका कोई दरवाज़ा बन्द नहीं होता, और आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है- ऐ ख़ैर तलब करने वालो! नेक काम के लिये आगे बढ़ो और ऐ बुरे काम की तलब रखने वालो! बुरे कामों से रुक जाओ, और हर रात अल्लाह तआ़ला लोगों को दोज़ख़ से (बड़ी तायदाद में) आज़ाद फ़रमाते हैं। (इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

हदीस 406. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रमज़ान का (महीना) आया तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह बरकत वाला महीना आया है (उसको ग़नीमत जानो), इसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महिनों से बेहतर है। जो आदमी उस रात की ख़ैर व बरकत से मेहरूम रहा वह हर तरह की ख़ैर व बरकत से मेहरूम रहा, और उसकी ख़ैर व बरकत से सिर्फ़ वही आदमी मेहरूम रहता है जो (हर क़िस्म की नेक-बख़्तियों से) मेहरूम है। (इब्ने माजा)

हदीस 407. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब आधा शाबान गुज़र जाये तो तुम रोज़ा न रखो। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 408. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रमज़ान के लिये शाबान के चाँद (की तारिख़ों) का शुमार रखो। (तिर्मिज़ी)

हदीस 409. हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जिस आदमी ने शक वाले दिन का रोज़ा रखा उसने अबुल-क़ासिम (यानी रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नाफ़रमानी की।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 410. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि एक बदवी (देहाती) रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उसने कहा मैंने रमज़ान का चाँद देखा है। आपने उससे पूछा कि क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही माबूदे बरहक़ है? उसने इक़रार में जवाब दिया। आपने उससे पूछा क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मुहम्मद अल्लाह तआ़ला के रसूल हैं? उसने हाँ में जवाब दिया। आपने फ़रमाया- ऐ बिलाल! लोगों में ऐलान कर दो कि वे कल रोज़ा रखें।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 411. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि मदीना में लोग रमज़ान का चाँद देखने की कोशिश कर रहे थे इतने में मुझे चाँद नज़र आ गया तो मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़बर दी कि मैंने चाँद देखा है तो आपने ख़ुद भी रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। (अबू दाऊद)

हदीस 412. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (रमज़ान की वजह से) शाबान (के दिनों के शुमार) में जिस क़द्र एहतियात फ़रमाते थे उस क़द्र उसके अ़लावा महीने में नहीं फ़रमाते थे, फिर रमज़ान का (चाँद) देखते ही रोज़ा रखते अगर चाँद नज़र न आता तो शाबान के 30 दिन शुमार करते फिर रोज़े रख लेते।

(अबू दाऊद)

हदीस 413. हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने सुबह सादिक़ से पहले रोज़े की नीयत न की उसका रोज़ा नहीं है।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 414. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई आदमी अज़ान के कलिमात सुने और (खाने-पीने का) बर्तन उसके हाथ में हो तो ज़रूरत पूरी होने तक बर्तन न रखे (यानी उस वक़्त भी ज़रूरत के

हिसाब से खा-पी ले)। (अबू दाऊद)

हदीस 415. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि मुझे मेरे बन्दों में से ज़्यादा महबूब वे हैं जो इफ़्तार करने में जल्दी करते हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 416. हज़रत सलमान बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई आदमी रोज़ा इफ़्तार करे तो खजूर से इफ़्तार करे इसलिये कि खजूर बरकत वाली चीज़ है, अगर खजूर न मिले तो पानी से इफ़्तार करे इसलिये कि पानी पाक है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 417. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रोज़ा इफ़्तार करते तो यह दुआ़ माँगते थे-

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ.

ज़-हबज़्ज़-मउ वब्तल्लतिल्-अुरूकु व स-बतिल्-अज्रु इन् शाअल्लाहु।

तर्जुमाः- प्यास दूर हो गई और रगें तर हो गयीं, और अगर अल्लाह तआ़ला ने चाहा तो सवाब भी लिखा गया। (अबू दाऊद)

हदीस 418. हज़रत मुआ़ज़ बिन ज़ोहरा रहमतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब रोज़ा इफ़्तार करते तो यह दुआ़ (भी) माँगते-

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

अल्लाहुम्-म ल-क सुम्तु व अ़ला रिज़्क़ि-क अफ़्तर्तु।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैंने आपके लिये रोज़ा रखा और आप ही के दिये हुए रिज़्क़ पर इफ़्तार किया। (अबू दाऊद)

हदीस 419. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दीन इस्लाम (हमेशा)

ग़ालिब रहेगा जब तक लोग इफ़्तार में जल्दी करेंगे, जबकि यहूदी और ईसाई इफ़्तार में ताख़ीर (देरी) करते हैं। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 420. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- खजूर मोमिन की सेहरी का बेहतरीन खाना है। (अबू दाऊद)

हदीस 421. हज़रत आ़मिर बिन रबीआ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को रोज़े की हालत में कई बार मिस्वाक करते देखा। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 422. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं कि सिवाय प्यासे रहने के उन्हें कुछ (सवाब) हासिल नहीं होता, और बहुत से रातों का क़ियाम करने वाले (यानी रातों को नमाज़ें पढ़ने वाले) ऐसे होते हैं कि जिन्हें जागने के अ़लावा कुछ (सवाब) हासिल नहीं होता। (दारमी)

हदीस 423. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा अल्लाह तआ़ला ने मुसाफ़िर को आधी नमाज़ माफ़ कर दी है तथा मुसाफ़िर, दूध पिलाने वाली और हामिला (गर्भवति) औ़रत को रोज़े से मोहलत दी है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसाई)

हदीस 424. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 425. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह तआ़ला की बारगाह में आमाल पेश किये जाते हैं, मैं पसन्द करता हूँ कि जिस दिन मेरे आमाल पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। (तिर्मिज़ी)

हदीस 426. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अबूज़र! जब तुम्हें महीने

के तीन दिन के रोज़े रखने हों तो चाँद की 13, 14 और 15 तारीख़ के रोज़े रखा करो। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 427. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर महीने के शुरू में तीन दिन रोज़ा रखते और जुमे के दिन कम ही रोज़ा छोड़ते थे।

(तिर्मिज़ी, नसाई)

वज़ाहतः- सिर्फ़ जुमे के दिन का रोज़ा रखना जायज़ नहीं बल्कि जुमे के साथ जुमेरात या हफ़्ते के दिन का रोज़ा भी रखना चाहिये।

हदीस 428. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (कभी) किसी महीने में हफ़्ते, इतवार और पीर का रोज़ा रखते और दूसरे महीने में मंगल, बुध, और जुमेरात के दिन के रोज़े रखते थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 429. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हर महीने तीन रोज़े रखूँ। उनकी शुरूआ़त पीर या जुमेरात से करूँ।

(अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 430. हज़रत मुस्लिम क़रशी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूरी ज़िन्दगी के रोज़ों के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया- तेरी बीवी का तुझ पर हक़ है (अलबत्ता) रमज़ान के रोज़े रखो और उस महीने के जो रमज़ान से मिला हुआ है (यानी शव्वाल के छह रोज़े), और हर बुध व जुमेरात के रोज़े रखो, इस तरह गोया तुमने ज़माने भर के रोज़े रखे। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 431. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हफ़्ते के दिन रोज़ा न रखो मगर वह रोज़ा जो तुम पर फ़र्ज़ है, अगर तुम में से किसी आदमी को खाने के लिये अंगूर के छिलके या किसी पेड़ के पत्ते के सिवा कुछ नहीं मिलता तो उसे ही चबा ले ताकि हफ़्ते का रोज़ा साबित न हो।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- यह यहूदियों की इबादत का दिन है। रोज़ा रखने से उनके साथ मुशाबहत (उनके जैसा दिखना और समानता) होने की संभावना थी इसलिये सिर्फ़ उस दिन रोज़ा रखने से मना कर दिया गया, अलबत्ता उससे पहले या बाद वाले दिन को मिलाकर रोज़ा रखना दुरुस्त है।

हदीस 432. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे, आप से पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल! आप पीर और जुमेरात के दिनों का रोज़ा क्यों रखते हैं? आपने फ़रमाया- पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह हर मुसलमान को (सिवाय उन दो इनसानों के जिनके दरमियान ताल्लुक़ ख़त्म है) माफ़ फ़रमाते हैं, अल्लाह फ़रमाते हैं कि इन दोनों को रहने दो जब तक कि ये दोनों सुलह नहीं करते। (अहमद, इब्ने माजा)

हदीस 433. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैं और हज़रत हफ़्सा (नफ़्ली) रोज़े से थीं, हमें ऐसा खाना पेश किया गया जो हमें बहुत अच्छा लगता था, हमने उसमें से खाया। हज़रत हफ़्सा ने अल्लाह के रसूल से अ़र्ज़ किया कि हम रोज़े से थीं, हमें खाना पेश किया गया जो हमें अच्छा लगा तो हमने उसमें से खा लिया। आपने फ़रमाया- उसके बदले किसी दिन रोज़े की क़ज़ा कर देना। (तिर्मिज़ी)

हदीस 434. हज़रत उम्मे उमारा बिन्ते कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाये, मैंने आपके लिये खाना मंगवाया। आपने कहा आप भी खायें। मैंने जवाब दिया कि मैं रोज़े से हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब रोज़ेदार के सामने खाना खाया जाये तो फ़रिश्ते उसके लिये इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, जब तक कि खाने वाले फ़ारिग़ न हो जायें।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- रोज़ा रखने वाले के सामने जब कोई खाना खा रहा हो तो फ़रिश्ते उसके लिये इस्तिग़फ़ार करते हैं कि वह अल्लाह की रज़ा के लिये खाने की मौजूदगी में भी अपने नफ़्स को खाने-पीने से रोके रखता है।

शबे-क़द्र का बयान

हदीस 435. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि अगर मुझे इल्म हो जाये कि फ़ुलाँ रात शबे-क़द्र है तो उस रात मुझे क्या कहना चाहिये? आपने फ़रमाया कहो-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ.

अल्लाहुम्-म इन्न-क अ़फ़ुव्वुन् तुहिब्बुल्-अ़फ़्-व फ़अ़फ़ु अ़न्नी।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! बिला-शुबा आप माफ़ करने वाले हैं माफ़ करने को पसन्द करते हैं, पस आप मुझे माफ़ कर दीजिये। (इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

हदीस 436. हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- शबे-क़द्र को (रमज़ान-मुबारक के आख़िरी अ़शरे में) जब 9 या 7 या 5 या 3 रातें बाक़ी हों रात के आख़िरी हिस्से में तलाश करो। (तिर्मिज़ी)

हदीस 437. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जंगल में रहता हूँ और मैं वहाँ अल्लाह तआ़ला की मेहरबानी से नमाज़ अदा करता हूँ। आप मुझे ऐसी रात के बारे में बतायें कि जिस रात को मैं मस्जिदे नबवी में आ जाऊँ? आपने फ़रमाया- 23 वीं रात में आ जाओ। उनके बेटे से पूछा गया तुम्हारे वालिद क्या करते थे? उसने बयान किया कि वह मस्जिदे नबवी जाते, नमाज़े अ़सर अदा करते तो फिर वहाँ से सुबह की नमाज़ अदा करने तक नहीं निकलते थे, जब सुबह की नमाज़ अदा कर लेते तो वापस चले जाते।

(अबू दाऊद)

एतिकाफ़ के मसाईल का बयान

हदीस 438. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में एतिकाफ़ किया करते थे, एक साल आप एतिकाफ़ में न बैठ सके तो अगले साल आप बीस दिन एतिकाफ़ में बैठे। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- यानी रमज़ान के आख़िरी बीस दिनों का एतिकाफ़ फ़रमाया।

हदीस 439. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एतिकाफ़ में बैठने का इरादा फ़रमाते तो सुबह की नमाज़ अदा करके एतिकाफ़ की जगह में तशरीफ़ फ़रमा हो जाते।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- एतिकाफ़ करने वाला 21 वीं रात की शुरूआ़त होते ही मस्जिद में आ जाये और यह रात इबादत करते हुए मस्जिद ही में गुज़ारे, अलबत्ता जो जगह उसके एतिकाफ़ के लिये तैयार की गई है उसमें फ़जर की नमाज़ पढ़कर दाख़िल हो।

हदीस 440. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एतिकाफ़ की हालत में बीमार की इयादत फ़रमाते, अलबत्ता चलते-चलते बीमार-पुरसी करते, मरीज़ के पास ठहरते नहीं थे। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 441. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब एतिकाफ़ में बैठते तो आपके लिये बिछौना बिछाया जाता था। (इब्ने माजा)

क़ुरआने करीम के फ़ज़ाईल का बयान

हदीस 442. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ुरआने करीम के साथ ताल्लुक़ व जुड़ाव रखने वाले से कहा जायेगा कि तुम क़ुरआने करीम की तिलावत करते हुए जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ और क़ुरआने करीम की तिलावत आहिस्ता-आहिस्ता करना जैसा कि तुम दुनिया में आहिस्ता-आहिस्ता करते थे। तुम्हारा ठिकाना और दर्जा वह है जहां तुम अपनी आख़िरी आयत की तिलावत करोगे। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 443. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी के दिल में क़ुरआन मजीद से कुछ हिस्से नहीं हैं वह बेआबाद (वीरान) घर की तरह

है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 444. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से कहा- तुम नमाज़ में क्या तिलावत करते हो? उन्होंने सूरः फ़ातिहा की तिलावत फ़रमाई (इस पर) रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, इन्जील, ज़बूर और क़ुरआन मजीद में इस जैसी कोई और सूरत नाज़िल नहीं हुई है, बेशक इस सूरत की सात आयतें हैं जिनकी बार-बार तिलावत होती है और यह क़ुरआने अ़ज़ीम है जो मुझे अ़ता किया गया है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 445. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ुरआने करीम की तालीम हासिल करो (उसके बाद) उसकी तिलावत करते रहो। याद रखो जब कोई आदमी उसकी तालीम हासिल करता है फिर तिलावत करता है और उसको नमाज़ में पढ़ता है तो उसकी मिसाल उस थेले की तरह है जो कस्तूरी से भरा हुआ है, उसका मुँह खुला हुआ हो और उसकी ख़ुशबू हर जगह महक रही हो, और उस आदमी की मिसाल जिसने क़ुरआने करीम की तालीम हासिल की फिर वह (ग़ाफ़िल होकर) सोता रहा तो क़ुरआने करीम उसके दिल में उस थेले की तरह है जिसमें कस्तूरी भरी है (लेकिन) उसका मुँह (रस्सी के साथ) बाँधा गया हो। (तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 446. हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने आसमान व ज़मीन को पैदा करने से दो हज़ार साल पहले एक किताब लिखी उसमें से सूरः ब-क़रह की आख़िरी दो आयतें मुझ पर नाज़िल फ़रमायीं, जब किसी घर में ये दो आयतें रात को तिलावत की जायेंगी तो शैतान उस घर के क़रीब भी नहीं आयेगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस 447. हज़रत अबू-दर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने (रोज़ाना) सूरः कहफ़ (सूरत नम्बर 18) की शुरू की तीन आयतों की तिलावत की वह

दज्जाल के फ़ितने से महफ़ूज़ रहेगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस 448. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ुरआने करीम में एक ऐसी सूरत है जिसकी 30 आयतें हैं, वह उस आदमी के हक़ में सिफ़ारिश करेगी (जो उसकी तिलावत करता हो) यहाँ तक कि उसको माफ़ कर दिया जायेगा। वह सूरः मुल्क (सूरत नम्बर 67) है। (अबू दाऊद)

हदीस 449. हज़रत मअ़क़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने सुबह के वक़्त तीन बार 'अऊज़ु बिल्लाहिस्समीअ़िल्-अ़लीमि मिनश्शैतानिर्रजीम' पढ़कर सूरः हश्र की आख़िरी तीन आयतें तिलावत कीं तो अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त उसके लिये सत्तर हज़ार फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमाते हैं जो शाम तक उसके लिये इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। अगर वह उसी दिन मर गया तो उसे शहीदों की जमाअ़त में शामिल किया जायेगा, और जिसने शाम के वक़्त ये कलिमात पढ़े तो उसे भी यही अज्र मिलेगा। (तिर्मिज़ी, दारमी)

हदीस 450. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी सूरः "क़ुल् हुवल्लाहु अहद" की तिलावत कर रहे थे, रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सुन लिया और फ़रमाया- (तुम पर) वाजिब हो गई। मैंने पूछा क्या वाजिब हो गई? आपने फ़रमाया- जन्नत वाजिब हो गई। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 451. हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं एक दफ़ा रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ **जोहफ़ा** और **इबवा** स्थान के दरमियान जा रहा था, अचानक हमें सख़्त आँधी ने घेर लिया और अंधेरा हो गया। इस वजह से रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने 'क़ुल् अऊज़ु बि-रब्बिल्-फ़लक़' और 'क़ुल् अऊज़ु बि-रब्बिन्नास' (सूरतें) पढ़ना शुरू कर दिया और फ़रमाया- ऐ उक़बा! तुम भी इन दोनों सूरतों के साथ पनाह तलब करो, किसी पनाह तलब करने वाले के लिये इन दो सूरतों जैसी और कोई चीज़ नहीं। (अबू दाऊद)

हदीस 452. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ख़ुबैब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि हम बारिश और सख़्त आँधी वाली रात में बाहर निकलकर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तलाश कर रहे थे, आख़िरकार हम आप से जा मिले। आपने फ़रमाया- तुम पढ़ो। मैंने अ़र्ज़ किया क्या पढ़ूँ? आपने फ़रमाया- तुम "क़ुल् हुवल्लाहु अहद" और मुअ़व्वज़तैन (यानी सूरः फ़लक़ और सूरः नास) सुबह व शाम तीन बार पढ़ो, तुम्हें हर चीज़ से किफ़ायत करेंगी। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 453. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने किताबुल्लाह से एक हर्फ़ की तिलावत की उसको उसके बदले में एक नेकी मिलेगी और एक नेकी का सवाब दस गुना है। मैं यह नहीं कहता कि "अलिफ़्-लाम्-मीम्" एक हर्फ़ है, बल्कि अलिफ़ एक हर्फ़ है, लाम एक हर्फ़ है और मीम भी एक हर्फ़ है। (तिर्मिज़ी, दारामी)

हदीस 454. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक आदमी ने हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे तालीम दीजिये। आपने फ़रमाया- जिन सूरतों के शुरू में "अलिफ़्-लाम्-रा" है उनमें से तीन सूरतें तिलावत करो। उसने अ़र्ज़ किया मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और मेरे दिल पर भूल का ग़लबा है और मेरी ज़बान सख़्त हो चुकी है। आपने फ़रमाया- फिर जिन सूरतों के शुरू में "हा-मीम्" है उनमें से तीन सूरतों की तिलावत करो। इस पर उस आदमी ने फिर वही बात कही और अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे किसी जामे सूरत की तालीम दें। आपने उसको सूरः "इज़ा ज़ुल्ज़िलत्" की तिलावत का हुक्म दिया यहाँ तक कि आपने इस सूरत को ख़त्म किया (यह सुनकर) उस आदमी ने अ़र्ज़ किया- उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ व सच्चाई के साथ भेजा है मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा। उसके बाद वह आदमी चला गया, रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दो मर्तबा फ़रमाया- यह आदमी कामयाब है। (अहमद, अबू दाऊद)

हदीस 455. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है

कि मैं कमज़ोर मुहाजिरीन सहाबा (सुफ़्फ़ा वाले हज़रात) के दरमियान बैठा हुआ था, उनमें से कुछ मुहाजिरीन जिस्म पर लिबास न होने की वजह से दूसरे साथियों की आड़ में बैठे हुए थे, और एक क़ारी क़ुरआन की तिलावत कर रहा था। अचानक रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और हमारे सामने आकर खड़े हो गये, जब आप तशरीफ़ लाये तो क़ारी अदब की वजह से ख़ामोश हो गया। आपने "अस्सलामु अ़लैकुम" कहा, फिर आपने पूछा- तुम क्या कर रहे थे? हमने अ़र्ज़ किया हम अल्लाह तआ़ला की किताब (की तिलावत) सुन रहे थे। इस पर आपने फ़रमाया- तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआ़ला के लिये हैं जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोगों को पैदा किया जिनके बारे में मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपने आपको भी उनके साथ शामिल करूँ। आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फ़रमा हुए और आपने अपने हाथ से इशारा करते हुए फ़रमाया- इस तरह (हल्क़ा-बन्दी करके) बैठो चुनाँचे वे आपके सामने हल्क़ा बनाकर बैठ गये कि वे आपकी तरफ़ मुतवज्जह थे। आपने फ़रमाया- ऐ ग़रीब मुहाजिरीन की जमाअ़त! तुम ख़ुश हो जाओ कि क़ियामत के दिन तुम्हें मुकम्मल रोशनी अ़ता होगी और तुम मालदार लोगों से आधा दिन यानी 500 साल पहले जन्नत में दाख़िल हो जाओगे। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- क़ियामत का एक दिन हमारी दुनिया के हज़ार साल के बराबर होगा। (अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः अस्सज्दा 32, आयत 5)

हदीस 456. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ुरआने करीम को अच्छी आवाज़ के साथ तिलावत करके उसकी ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ा करो। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 457. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने क़ुरआने करीम को तीन दिनों से कम में पढ़ा उसने उसके मायने को समझा ही नहीं। (अबू दाऊद)

हदीस 458. हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बुलन्द आवाज़ से क़ुरआन मजीद की तिलावत करने वाला सब के सामने सदक़ा देने वाले की तरह है, और हल्की आवाज़ में तिलावत करने वाला छुपाकर सदक़ा देने वाले की तरह है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 459. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तिलावत बिल्कुल वाज़ेह (स्पष्ट) हुआ करती थी, एक-एक हर्फ़ अलग-अलग करके तिलावत फ़रमाते थे। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 460. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम हमारे पास तशरीफ़ लाये तो हम क़ुरआने करीम की तिलावत कर रहे थे, हम में देहाती भी थे और ग़ैर-अ़रबी भी। आपने फ़रमाया- तुम जिस तरह क़ुरआने करीम की तिलावत कर रहे हो, करते रहो, तुम सब की तिलावत दुरुस्त है (अलबत्ता) आगे चलकर कुछ लोग होंगे जो क़ुरआने करीम (के हर्फ़) तकल्लुफ़ (बनावट) के साथ (उनके मख़ारिज से निकालकर) पढ़ेंगे जैसा कि तीर को सीधा किया जाता है और वे क़ुरआने करीम (की मख़ारिज के साथ तिलावत) का बदला दुनिया में जल्द हासिल करना चाहेंगे, आख़िरत का अज्र उन्हें मक़सूद नहीं होगा। (बैहक़ी, अबू दाऊद)

हदीस 461. हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई। आपने (हज़रत जिब्राईल को मुख़ातब करते हुए) फ़रमाया- ऐ जिब्राईल! मुझे ऐसी उम्मत की तरफ़ भेजा गया है जो पढ़ी- लिखी नहीं है, उनमें बूढ़ी औ़रतें, बूढ़े मर्द, लड़के और लड़कियाँ हैं और वे लोग भी हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने कहा ऐ मुहम्मद! बेशक क़ुरआने करीम सात क़िराअतों पर नाज़िल हुआ है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- क़ुरआने मजीद सात अलग-अलग क़िराअतों (तरीक़ों) से पढ़ा जा सकता है, जो क़िराअत-ए-सबआ़ के नाम से मशहूर हैं।

हदीस 462. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है

कि मैंने एक वअ़ज़ (बयान) सुनाने वाले आदमी से सुना जो लोगों को क़ुरआने करीम सुना रहा था और उनसे माँग भी रहा था, यह देखकर मैंने "इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ़न" (सूरः ब-क़रह की आयत 156) पढ़ी। आपने फ़रमाया- जो आदमी क़ुरआने करीम की तिलावत करे वह अल्लाह तआ़ला से सवाल करे। आने वाले ज़माने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो क़ुरआने करीम की तिलावत करके लोगों से (माल का) सवाल करेंगे। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- क़ुरआने करीम पढ़ाकर मुआ़वज़ा लेने की सिर्फ़ उस आदमी को इजाज़त है जिसकी आमदनी का ज़रिया सिर्फ़ यही हो, अगर वह अमीर हो या कोई दूसरी माक़ूल आमदनी हो तो मुआ़वज़ा न लेना बेहतर है।

हदीस 463. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को एक सूरत के ख़त्म होने और दूसरी सूरत के शुरू होने का उस वक़्त इल्म होता था जब आप पर "बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम" नाज़िल होती। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- सूरः तौबा के अ़लावा हर सूरत की शुरूआ़त "बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम" पढ़कर करें।

दुआ़ओं का बयान

हदीस 464. हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दुआ़ ही असल इबादत है। फिर आपने फ़रमाया-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

व क़ा-ल रब्बुकुमुद्ऊनी अस्तजिब् लकुम्।

तर्जुमाः- और तुम्हारे रब ने ऐलान फ़रमाया है कि मुझसे सवाल करो मैं तुम्हारा सवाल पूरा करूँगा। (सूरः मोमिन 40, आयत 60)

(अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

हदीस 465. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दुआ़ इबादत का मग़ज़ है।

(तिर्मिज़ी)

हदीस 466. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह के यहाँ दुआ़ से ज़्यादा किसी चीज़ को बुलन्द मर्तबा हासिल नहीं है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 467. हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तक़दीर को सिर्फ़ दुआ़ ही बदल सकती है और उम्र में इज़ाफ़ा सिर्फ़ नेक आमाल से हो सकता है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- उम्र में इज़ाफ़े से मुराद यह है कि नेक आमाल करने से पुरसुकून ज़िन्दगी गुज़रती है और आख़िरत में उसका बड़ा अज्र मिलता है।

हदीस 468. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी अल्लाह तआ़ला से सवाल नहीं करता अल्लाह तआ़ला उसपर नाराज़ होते हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 469. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से जिस आदमी के लिये दुआ़ माँगने का दरवाज़ा खुल गया उसके लिये रहमत के दरवाज़े खुल गये, और अल्लाह तआ़ला से जितनी चीज़ों का सवाल होता है उनमें से अल्लाह तआ़ला को सबसे ज़्यादा पसन्द यह है कि उससे (दुनिया व आख़िरत की तमाम आफ़तों से) हिफ़ाज़त का सवाल किया जाये। (तिर्मिज़ी)

हदीस 470. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स यह चाहता है कि मुसीबतों में अल्लाह तआ़ला उसकी दुआ़ क़ुबूल फ़रमायें उसे चाहिये कि आ़म हालात में भी अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त से कसरत से दुआ़यें माँगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 471. हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक तुम्हारा रब बहुत हया वाला और करम करने वाला है, जब उसका बन्दा दुआ़ के लिये हाथ उठाता है तो वह अपने बन्दे से हया (शर्म) करता है कि उसके हाथों को ख़ाली वापस लौटाये। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 472. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जामे कलिमात वाली दुआ़ओं को पसन्द फ़रमाते थे। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- जामे कलिमात से मुराद वो कलिमात हैं जिनमें अलफ़ाज़ तो कम हों मगर उनमें दुनिया और आख़िरत की भलाईयों की तलब के सवालात बहुत ज़्यादा हों, जैसे-

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

रब्बना आतिना फ़ीद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल्-आख़ि-रति ह-स-नतंव्-व क़िना अ़ज़ाबन्नार।

तर्जुमाः- ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भी और आख़िरत में भी भलाई अ़ता फ़रमाईये, और हमें आग के अ़ज़ाब से बचाईये।

(सूरः ब-क़रह 2, आयत 201)

हदीस 473. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन दुआ़यें बेशक क़ुबूल होती हैं- 1. वालिद की दुआ़। 2. मुसाफ़िर की दुआ़। 3. मज़लूम की दुआ़। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- इन लोगों की बददुआ़ से बचना भी इन्तिहाई ज़रूरी है।

हदीस 474. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से हर आदमी अपने रब से अपनी तमाम ज़रूरतें तलब करे यहाँ तक कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाये तो वह भी अल्लाह तआ़ला से तलब करे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 475. हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब किसी आदमी के लिये दुआ़ (का इरादा) फ़रमाते तो पहले अपने लिये दुआ़ करते। (तिर्मिज़ी)

अल्लाह का ज़िक्र और उसकी निकटता हासिल करने का बयान

हदीस 476. हज़रत अबू-दर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या मैं तुम्हें ऐसा बेहतरीन अ़मल न बताऊँ जो अल्लाह तआ़ला के यहाँ बहुत ही ज़्यादा अज्र व सवाब वाला, जन्नत में दर्जे बुलन्द करने वाला, सोना-चाँदी के ख़र्च करने से बेहतर और जिहाद करने से भी बेहतर हो, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया ज़रूर बताईये। आपने फ़रमाया- वह अ़मल अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला का ख़ूब ज़्यादा ज़िक्र करना है। (तिर्मिज़ी, अहमद, इब्ने माजा)

हदीस 477. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक देहाती ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर पूछा कि कौनसा आदमी बेहतर है? आपने फ़रमाया- वह आदमी मुबारक है जिसकी उम्र लम्बी हो और उसके आमाल अच्छे हों। उसने फिर पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसा अ़मल अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया- जब तुम दुनिया को छोड़ रहे हो तो तुम्हारी ज़बान अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र से तर हो। (तिर्मिज़ी)

हदीस 478. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम्हारा जन्नत के बाग़ों में से गुज़र हो तो (वहाँ से) कुछ खा-पी लिया करो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने पूछा जन्नत के बाग़ात क्या हैं? आपने फ़रमाया- अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसें। (तिर्मिज़ी)

हदीस 479. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी किसी जगह बैठता है मगर वहाँ अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र नहीं करता तो वहाँ बैठना उस पर अल्लाह तआ़ला की जानिब से शर्मिन्दगी का सबब होता है, और जो आदमी किसी लेटने की जगह पर लेटे मगर वहाँ अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र न करे तो वहाँ लेटना उस पर अल्लाह तआ़ला की जानिब से शर्मिन्दगी का सबब होता है। (अबू दाऊद)

हदीस 480. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो लोग किसी मजलिस में बैठे और उन्होंने उस मजलिस में न अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र

किया और न नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद भेजा तो उन पर गुनाह होगा, अगर अल्लाह तआ़ला चाहेंगे तो उनको अ़ज़ाब में मुब्तला कर दें या उन्हें माफ़ कर दें। (तिर्मिज़ी)

हदीस 481. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह के ज़िक्र के अ़लावा ज़्यादा कलाम न किया करो, इसलिये कि अल्लाह के ज़िक्र के अ़लावा ज़्यादा बातें करना दिल की सख़्ती का सबब है और सब लोगों से ज़्यादा अल्लाह तआ़ला से दूर वह आदमी है जिसका दिल अल्लाह तआ़ला के ख़ौफ़ से ख़ाली है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 482. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे, कुछ सहाबा किराम ने कहा- काश! हमें इल्म हो जाये कि कौनसा अ़मल बेहतर है तो हम उसको करें। आपने फ़रमाया- बेहतरीन ज़बान वह है जो अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहती है और बेहतरीन दिल वह है जो (अल्लाह तआ़ला के इनामात पर) शुक्र अदा करता रहता है और बेहतरीन ईमान वाली बीवी वह है जो दीनी मामलात में अपने शौहर की मदद व सहयोग करती है।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

अल्लाह तआ़ला के प्यारे नाम

हदीस 483. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक आदमी से सुना, वह दुआ़ माँग रहा था-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क बि-अन्न-क अन्तल्लाहु ला इला-ह इल्ला अन्तल्-अ-हदुस्स-मदुल्लज़ी लम् यलिद् व लम् यूलद् व लम् यकुल्लहू कुफ़ुवन् अहद।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आप से इसलिये सवाल करता हूँ कि आप माबूदे बरहक़ हैं, आपके अ़लावा कोई माबूदे बरहक़ नहीं। आप एक हैं, बेनियाज़ हैं, न आपने किसी को जना है न आप किसी से जने गये हैं, और कोई आपकी बराबरी करने वाला नहीं है।

(इस पर) आपने फ़रमाया- उसने अल्लाह तआ़ला से उसके 'इस्मे आज़म' के साथ दुआ़ की है। जब इस 'इस्मे आज़म' के साथ अल्लाह तआ़ला से सवाल किया जाता है तो वह अ़ता करते हैं और जब इसके साथ दुआ़ की जाती है तो वह दुआ़ ज़रूर क़ुबूल करते हैं। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 484. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं मस्जिदे नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर था और एक आदमी नमाज़ अदा करते हुए दुआ़ माँग रहा था-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ اَسْأَلُكَ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क बि-अन्-न लकल्-हम्दु ला इला-ह इल्ला अन्तल्-हन्नानुल्-मन्नानु बदीअुस्समावाति वल्-अर्ज़ि या ज़ल्-जलालि वल्-इक्रामि या हय्यु या क़य्यूमु अस्अलु-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह करीम! तमाम तारीफ़ें आप ही के लिये हैं, आपके अ़लावा कोई माबूदे बरहक़ नहीं। आप (अपने बन्दों पर) बड़े शफ़ीक़ हैं, आप ही इनामात करने वाले हैं, बिना किसी नमूने के आसमानों और ज़मीन को बनाने वाले हैं। ऐ वह ज़ात जो बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाली है, ऐ वह ज़ात जो ज़िन्दा और क़ायम है, मैं आप ही से सवाल करता हूँ।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह दुआ़ सुनकर फ़रमाया- इस आदमी ने अल्लाह तआ़ला से उसके 'इस्मे आज़म' के साथ दुआ़ की है। जब इस 'इस्मे आज़म' के साथ दुआ़ की जाती है तो वह दुआ़ ज़रूर क़ुबूल होती है। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 485. हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यूनुस अ़लैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अपने रब से यूँ दुआ़ माँगी-

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ۔

ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन।

तर्जुमाः- आपके अ़लावा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, आप पाक हैं जबकि मैं ही ज़ुल्म करने वालों में से हूँ। (सूरः अम्बिया 21, 87)

जो मुसलमान भी इन कलिमात के साथ दुआ़ करता है तो उसकी दुआ़ ज़रूर क़ुबूल होती है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ क़ुबूल हुई थी। यह दुआ़ आयते करीमा के नाम से मशहूर है, आप भी बेचैनी और घबराहट में बार-बार यह आयते करीमा पढ़िये, क्योंकि अल्लाह तआ़ला का वायदा है कि वह मोमिनों को ग़मों से इसी तरह निजात देंगे।

'सुब्हानल्लाहि', 'अल्हम्दु लिल्लाहि', 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' और 'अल्लाहु अकबर' कहने का सवाब

हदीस 486. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने "सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही" के कलिमात कहे तो जन्नत में उसके लिये एक खजूर का दरख़्त लग जाता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 487. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ज़िक्रों में अफ़ज़ल ज़िक्र "ला इला-ह इल्लल्लाहु" है, और अफ़ज़ल दुआ़ "अल्हम्दु लिल्लाह" है।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 488. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर

के कलिमात कहे उसका रब उसकी तस्दीक़ करते हुए फ़रमाता है कि कोई माबूदे बरहक़ नहीं मगर मैं हूँ और मैं ही बड़ाई वाला हूँ। और जब

बन्दा-

لَآ اِلٰـہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू

कहता है तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि कोई माबूदे बरहक़ नहीं सिर्फ़ मैं एक हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं। और जब बन्दा-

لَآ اِلٰـہَ اِلَّا اللّٰہُ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ

ला इला-ह इल्लल्लाहु लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु

कहता है तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि कोई माबूदे बरहक़ नहीं सिर्फ़ मैं हूँ, मेरे लिये ही बादशाहत है और मेरे लिये ही तारीफ़ है। और जब बन्दा कहता है कि-

لَآ اِلٰـہَ اِلَّا اللّٰہُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ.

ला इला-ह इल्लल्लाहु व ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि

तर्जुमाः- कोई माबूदे बरहक़ नहीं मगर अल्लाह तआ़ला है और अल्लाह तआ़ला की तौफ़ीक़ के बग़ैर किसी में बुराई से बचने और नेकी करने की क़ुव्वत नहीं है।

तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि सिर्फ़ मैं ही माबूदे बरहक़ हूँ और सिर्फ़ मेरी ही मदद के साथ बुराई से महफ़ूज़ रहने और नेकी करने की क़ुव्वत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने ये कलिमात अपनी बीमारी में कहे, फिर मर गया तो उसको दोज़ख़ की आग नहीं जलायेगी। (तिर्मिज़ी, इब्ने मांजा)

हदीस 489. हज़रत युसैरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

سُبْحَانَ اللّٰہِ لَآ اِلٰـہَ اِلَّا اللّٰہُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

सुब्हानल्लाहि ला इला-ह इल्लल्लाहु सुब्हानल्-मलिकिल्-क़ुद्दूसि

के कलिमात को उंगलियों से गिनते हुए पढ़ा करो, क्योंकि क़ियामत के दिन उंगलियों से गवाही ली जायेगी, और ज़िक्रे इलाही से ग़ाफ़िल न हो जाओ वरना तुम अल्लाह की रहमत से मेहरूम हो जाओगे। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

इस्तिग़फ़ार और तौबा का बयान

हदीस 490. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं ऐ आदम के बेटे! जब तक तुम मुझसे दुआ़ करते रहोगे और मुझसे उम्मीदें बाँधे रखोगे मैं तुमको माफ़ करता रहूँगा, जो गुनाह भी तुमने किये होंगे, और मुझे कुछ परवाह नहीं (तुमने कितने गुनाह किये)। ऐ आदम के बेटे! अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच जायें फिर तुम मुझसे माफ़ी तलब करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा और मुझे कुछ परवाह नहीं। ऐ आदम के बेटे! अगर तुम ज़मीन के बराबर गुनाहों के साथ मुझसे मुलाक़ात करो लेकिन जब तेरी मुझसे मुलाक़ात हो तो मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराता हो तो मैं तेरे पास उन गुनाहों के बराबर बख़्शिश के साथ आऊँगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस 491. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लिया अल्लाह तआ़ला उसको हर तंगी से निकाल देंगे, उसके हर ग़म को दूर कर देंगे और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अ़ता फ़रमायेंगे जहाँ से उसको वहम व गुमान भी न होगा। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 492. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सब इनसान ख़ताकार हैं और वे ख़ताकार अच्छे हैं जो ख़ता के बाद अल्लाह तआ़ला से तौबा करते हैं। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 493. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ईमान वाला आदमी जब गुनाह करता है तो गुनाह का काला धब्बा उसके दिल पर ज़ाहिर हो जाता है। अगर वह तौबा व इस्तिग़फ़ार करे तो उसका दिल साफ़ हो जाता है और अगर वह और गुनाह करने में लग जाये तो ज़ंग में इज़ाफ़ा होता जाता है यहाँ तक कि ज़ंग (मैल) उसके दिल पर ग़ालिब आ जाता है। पस यही वह ज़ंग है जिसके बारे में अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۝

कल्ला बल् रा-न अ़ला क़ुलूबिहिम् मा कानू यक्सिबून।

(सूरः मुतफ़्फ़िफ़ीन 83, आयत 14)

तर्जुमाः- हरगिज़ नहीं बल्कि उनके गुनाहों की वजह से उनके दिल ज़ुंग से भरे हैं। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 494. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक अल्लाह तआ़ला बन्दे की तौबा उस वक़्त तक क़ुबूल करते हैं जब तक उस पर मरने की हालत तारी न हो जाये। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- जब तक रूह जिस्म से निकलने के लिये हलक़ तक न पहुँच जाये उस वक़्त तक तौबा क़ुबूल होती रहती है उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जाता है।

हदीस 495. हज़रत सफ़वान बिन अ़स्साल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक अल्लाह तआ़ला ने पश्चिम की दिशा में तौबा का दरवाज़ा बनाया है जिसकी चौड़ाई 70 साल की मसाफ़त (दूरी और चलने) के बराबर है, वह उस वक़्त तक बन्द नहीं होगा जब तक सूरज पश्चिम से नहीं निकलेगा। यह अल्लाह तआ़ला के इस क़ौल की वज़ाहत है-

يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَايَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ.

यौ-म यअ्ती बअ़्ज़ु आयाति रब्बि-क ला यन्फ़उ नफ़्सन् ईमानुहा लम् तकुन् आमनत् मिन् क़ब्लु। (सूरः अन्आम 6, आयत 158)

तर्जुमाः- जिस दिन तुम्हारे रब की बाज़ी निशानियाँ आयेंगी तो (उस वक़्त) किसी नफ़्स को उसका ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा जो उससे पहले ईमान नहीं लाया था। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 496. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि ऐ मेरे बन्दो! तुम सब गुमराह हो मगर जिसको मैं हिदायत दूँ। पस तुम

मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत अ़ता करूँगा। तुम सब मोहताज हो मगर जिसको मैं नवाज़ दूँ, तुम मुझसे सवाल करो मैं तुम्हें (नवाज़) दूँगा। तुम सब गुनाहगार हो मगर जिसको मैं महफ़ूज़ करूँ, पस तुम में से जो आदमी इस बात पर यक़ीन रखे कि मैं गुनाहों को माफ़ करने पर क़ुदरत रखता हूँ और मुझसे माफ़ी तलब करे तो मैं उसको माफ़ करूँगा और मुझे कुछ परवाह नहीं। अगर तुम्हारे अगले-पिछले ज़िन्दा-मुर्दा, जवान और बूढ़े मेरे बन्दों में से सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो जायें तो उससे मेरी बादशाहत में मच्छर के एक पर के बराबर भी इज़ाफ़ा नहीं होगा, और अगर तुम्हारे ज़िन्दा-मुर्दा, जवान और बूढ़े मेरे बन्दों में से सबसे ज़्यादा बदबख़्त हो जायें तो उससे मेरी बादशाहत में मच्छर के एक पर के बराबर भी कमी न होगी, और अगर तुम्हारे अगले-पिछले ज़िन्दा-मुर्दा, जवान और बूढ़े एक चटियल मैदान में जमा हो जायें और तुम में से हर आदमी अपनी-अपनी इन्तिहाई आरज़ू का सवाल करे और मैं तुम में से हर सवाल करने वाले के सवाल को पूरा करूँ तो उससे मेरी बादशाहत में इतनी कमी भी नहीं आयेगी जिस क़द्र कि तुम में से एक आदमी समन्दर के क़रीब से गुज़रे और उसमें सूई डुबोये फिर उसको निकाल ले। इसकी वजह यह है कि मैं सख़ी हूँ बड़ाई और करम वाला हूँ, मैं जो चाहता हूँ करता हूँ, मेरा अ़ता करना कलिमा "कुन्" (हो जा) से है और मेरा अ़ज़ाब भी कलिमा "कुन्" से है, मैं जब किसी काम के करने का इरादा करता हूँ तो मैं "कुन्" कहता हूँ तो वह काम हो जाता है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 497. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि हम मजलिस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के कलिमात को गिनते थे, आप 100 बार ये कलिमात पढ़ा करते थे-

رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَتُبْ عَلَیَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ.

रब्बिग़्फ़िर् ली व तुब् अ़लय्-य इन्न-क अन्तत्तव्वाबुल्-ग़फ़ूर।

तर्जुमाः- ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमाईये और मेरी तौबा क़ुबूल फ़रमाईये, बेशक आप ही तौबा क़ुबूल करने वाले, बख़्शने वाले हैं।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 498. हज़रत बिलाल बिन यसार बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स निम्नलिखित कलिमात के ज़रिये अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करेगा तो उसे ज़रूर माफ़ कर दिया जायेगा अगरचे वह मैदाने जिहाद से भागा हुआ ही क्यों न हो-

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

अस्तग़्फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इला-ह इल्ला हुवल्-हय्युल्-क़य्यूमु व अतूबु इलैहि।

तर्जुमाः- मैं अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगता हूँ जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वह हमेशा से ज़िन्दा और क़ायम है, और मैं उसी से तौबा करता हूँ। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 499. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस आदमी की (आख़िरत की ज़िन्दगी) निहायत उम्दा है जिसने अपने आमाल में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार लिखा हुआ पाया। (इब्ने माजा)

अल्लाह तआ़ला की रहमत की वुस्अ़तों का बयान

हदीस 500. हज़रत आ़मिरुर्राम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास थे कि एक आदमी आया, उस पर चादर थी और उसके हाथ में कोई चीज़ थी जिसको उसने चादर में लपेट रखा था। उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मैं घने दरख़्तों के पास से गुज़रा मुझे वहाँ परिन्दों के बच्चों की आवाज़ें सुनाई दीं चुनाँचे मैंने उन्हें उठाकर अपनी चादर में रख लिया। उनकी माँ आई वह मेरे सर पर चक्कर काटने लगी, मैंने उसके लिये बच्चों से कपड़ा उठाया तो वह आकर उन पर बैठ गई। फिर मैंने उन सब को चादर में लपेट लिया, अभी वे मेरे पास हैं। आपने फ़रमाया- उन्हें नीचे रख दो, चुनाँचे उसने उन्हें नीचे रख दिया, बच्चों की माँ उनसे चिमटी रही, उड़ी नहीं। इस पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या तुम बच्चों की माँ की

शफ़क़त पर जो वह अपने बच्चों पर कर रही है ताज्जुब करते हो? उस ज़ात की क़सम जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है यक़ीनन अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर बच्चों की माँ से ज़्यादा शफ़ीक़ (मेहरबान) है। (फिर आपने फ़रमाया) तुम इन बच्चों को माँ समेत ले जाओ और इन्हें वहीं रख दो जहाँ से तुमने इनको उठाया था, चुनाँचे वह उन्हें वापस ले गया। (अबू दाऊद)

सुबह, शाम और सोने के वक़्तों की दुआ़ओं का बयान

हदीस 501. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुबह के वक़्त यह दुआ़ माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

अल्लाहुम्-म बि-क अस्बह्ना व बि-क अमूसैना व बि-का नह्या व बि-क नमूतु व इलैकलू-मसीर।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आपकी हिफ़ाज़त में हमने सुबह की है और आपकी हिफ़ाज़त में शाम की है, आपके हुक्म ही से हम ज़िन्दा हैं और आपके हुक्म ही से हम मरेंगे और मौत के बाद आपकी जानिब उठना है।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- शाम के वक़्त की दुआ़ में 'अस्बह्ना' की जगह 'अमूसैना' और सुबह के वक़्त की दुआ़ में 'अमूसैना' की जगह 'अस्बह्ना' पढ़ा करते थे।

हदीस 502. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे किसी ऐसे अ़मल का हुक्म फ़रमाईये जो मैं सुबह व शाम के वक़्त किया करूँ। आपने फ़रमाया यह दुआ़ सुबह व शाम और सोते वक़्त माँगा करो-

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطٰنِ

وَشِرْكِهِ.

अल्लाहुम्-म आलिमल्-ग़ैबि वश्शहादति फ़ातिरस्समावाति वल्-अर्ज़ि रब्-ब कुल्लि शैइंव्-व मलीकहू, अश्हदु अल्ला इला-ह इल्ला अन्-त अऊज़ु बि-क मिन् शर्रि नफ़्सी व मिन् शर्रिश्शैतानि व शिर्किही।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! पोशीदा और ज़ाहिर का इल्म रखने वाले, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, हर चीज़ के पालने वाले और हर चीज़ के मालिक, मैं गवाही देता हूँ कि आपके सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, मैं अपने नफ़्स के शर (बुराई), शैतान के शर और उसके शिर्क में मुब्तला होने से आपकी पनाह तलब करता हूँ। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 503. हज़रत अबान बिन उस्मान से रिवायत है कि मैंने हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी हर दिन सुबह और शाम के वक़्त तीन बार यह दुआ माँगता है तो उसको कोई चीज़ तकलीफ़ न देगी-

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु म-अ इस्मिही शैउन् फ़िल्-अर्ज़ि व ला फ़िस्समा-इ व हुवस्समीउल्-अलीम।

तर्जुमाः- अल्लाह के नाम के साथ (मदद तलब करता हूँ) जिसके ज़िक्र के साथ ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं दे सकती, वह ज़्यादा सुनने वाला और ज़्यादा इल्म वाला है।

हज़रत अबान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं फ़ालिज का शिकार था, एक आदमी मेरी तरफ़ देखने लगा तो मैंने उससे कहा तुम मुझे क्यों देख रहे हो? यक़ीन करो हदीस इसी तरह है जिस तरह मैंने तुम्हें बताई है। अलबत्ता मैं उस दिन यह दुआ पढ़ना भूल गया था और अल्लाह तआला की तक़दीर पूरी हो गई। (इब्ने माजा, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 504. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से

रिवायत हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम शाम के वक़्त दुआ़ के ये कलिमात पढ़ा करते थे-

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. رَبِّ اَسْأَلُكَ خَيْرَمَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَمَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ شَرِّمَا بَعْدَهَا. رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَالْكُفْرِ.

अम्सैना व अम्सलू-मुल्कु लिल्लाहि वलू-हम्दु लिल्लाहि ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू, लहुलू-मुल्कु व लहुलू-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर। रब्बि अस्अलु-क ख़ै-र मा फ़ी हाज़िहिल्- लैलति व ख़ै-र मा बअ़्दहा व अऊ़ज़ु बि-क मिन् शर्रि मा फ़ी हाज़िहिल्-लैलति व शर्रि मा बअ़्दहा, रब्बि अऊ़ज़ु बि-क मिनल्- क-सलि व सूईलू-कि-बरि वलू-कुफ़्रि।

तर्जुमाः- हमने शाम की है और शाम के वक़्त अल्लाह तआ़ला की बादशाहत है और तमाम तारीफ़ व सना अल्लाह तआ़ला के लिये है। सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही माबूदे बरहक़ है, वह तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है, उसी के लिये तमाम तारीफ़ व सना है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। ऐ रब! मैं आप से इस रात की ख़ैर व बरकत का सवाल करता हूँ और इसके बाद वाली रातों की ख़ैर व बरकत का सवाल करता हूँ और मैं आप से इस रात के शर (बुराई) से भी आपकी पनाह तलब करता हूँ और इसके बाद वाली रातों के शर से भी आपकी पनाह तलब करता हूँ। ऐ मेरे रब! काहिली, बुढ़ापे की तकलीफ़ और कुफ़्र की बुराई से मैं आपकी पनाह तलब करता हूँ। और जब सुबह करते तो तब भी आप दुआ़ के यही कलिमात पढ़ते मगर "अम्सैना व अम्सलू-मुल्कु लिल्लाहि" की बजाय यह पढ़ते- अस्बह्ना व अस्बहलू-मुल्कु लिल्लाहि। (यानी हमने सुबह की और सुबह के वक़्त (भी) बादशाहत अल्लाह तआ़ला ही की है)। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 505. हज़रत उम्मे अ़ब्दुलू-हमीद रह्मतुल्लाहि अ़लैहा से रिवायत

है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक बेटी से रिवायत है कि आप उन्हें तालीम देते कि वह सुबह के वक़्त यह दुआ़ माँगा करें-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ، وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

सुब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही, व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि, मा शा-अल्लाहु का-न व मा लम् यशअ् लम् यकुन्, अअ़्लमु अन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीरुंव्-व अन्नल्ला-ह क़द् अहा-त बिकुल्लि शैइन् अ़िल्मा।

तर्जुमाः- अल्लाह पाक है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, नेकी करने की क़ुव्वत सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की तौफ़ीक़ से है, अल्लाह तआ़ला जो चाहते हैं वह होता है और जो नहीं चाहते वह नहीं होता। मेरा एतिक़ाद (यक़ीन) है कि अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है और अल्लाह तआ़ला के इल्म ने हर चीज़ का इहाता (घेराव) किया हुआ है। बेशक जो आदमी इन कलिमात को सुबह के वक़्त कहता है वह शाम तक (हर क़िस्म की आफ़तों से) महफ़ूज़ रहता है और जो आदमी इन कलिमात को शाम के वक़्त कहता है वह सुबह तक (हर क़िस्म की आफ़तों से) महफ़ूज़ रहता है। (अबू दाऊद)

हदीस 506. हज़रत अबू अ़य्याश ज़ुरक़ी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी सुबह के वक़्त दुआ़ के ये कलिमात कहेगा-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर।

तर्जुमाः- अल्लाह तआ़ला के अ़लावा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, वह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है, उसी के लिये तारीफ़ व सना है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है।

तो उसे इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की औलाद में से ग़ुलाम आज़ाद करने

के बराबर सवाब हासिल होगा, और उसके नामा-ए-आमाल में दस नेकियाँ शामिल होंगी और दस बुराईयाँ मिटा दी जायेंगी और दस दर्जे बुलन्द होंगे और वह शाम तक शैतान के शर (बुराई) से महफ़ूज़ रहेगा। और अगर ये कलिमात शाम के वक़्त कहे तो उसके लिये सुबह तक इसी के मुताबिक़ (यानी जो ऊपर बयान हुआ) बदला होगा। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 507. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुबह व शाम यह दुआ़ माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِیْ دِيْنِیْ وَدُنْيَایَ وَاَهْلِیْ وَمَالِیْ. اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِیْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِیْ. اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِیْ مِنْ بَيْنِ يَدَیَّ وَمِنْ خَلْفِیْ وَعَنْ يَّمِيْنِیْ وَعَنْ شِمَالِیْ وَمِنْ فَوْقِیْ وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِیْ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलुकल्-आ़फ़ि-य-त फ़िद्दुन्या वल्-आख़ि-रति, अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलुकल्-अ़फ़्-व वल्-आ़फ़ि-य-त फ़ी दीनी व दुन्या-य व अह्ली व माली, अल्लाहुम्मस्तुर् औ़राती व आमिन् रौआ़ती, अल्लाहुम्मह्फ़ज़्नी मिन् बैनि यदय्-य व मिन् ख़ल्फ़ी व अ़य्यमीनी व अ़न् शिमाली व मिन् फ़ौक़ी व अऊ़ज़ु बि-अ़ज़्मति-क अन् उग़्ता-ल मिन् तह्ती।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आप से दुनिया और आख़िरत में भलाई का तलबगार हूँ। ऐ अल्लाह! मैं आप से अपने दीन, अपनी दुनिया, अपने अहल (घर वालों) और अपने माल में माफ़ी और भलाई का तलबगार हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे ऐबों को ढाँप दीजिये और मुझे घबराहटों से अमन अ़ता कर दीजिये। ऐ अल्लाह! मेरे आगे-पीछे, दायें-बायें और मेरे ऊपर से मुझे महफ़ूज़ फ़रमा दीजिये और मैं आपकी अ़ज़्मत के वसीले से इस बात से पनाह तलब करता हूँ कि मैं अचानक नीचे से हलाक किया जाऊँ (यानी ज़लज़लों या दूसरी क़ुदरती आफ़तों में ज़मीन में धंसा दिया जाऊँ)। (अबू दाऊद)

हदीस 508. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स सुबह के वक़्त यह ज़िक्र करता है तो अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त उस दिन के उसके सारे गुनाह माफ़ फ़रमा देते हैं। इसी तरह अगर शाम के वक़्त यही ज़िक्र करता है तो रात के वक़्त के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं-

اَللّٰهُمَّ اَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ مَلٰٓئِكَتَكَ وَ جَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ.

अल्लाहुम्-म अस्बह्ना नुश्हिदु-क व नुश्हिदु ह-म-ल-त अ़र्शि-क व मला-इ-क-त-क व जमी-अ़ ख़ल्क़ि-क अन्न-क अन्तल्लाहु ला इला-ह इल्ला अन्-त वह्द-क ला शरी-क ल-क व अन्-न मुहम्मदन् अ़ब्दु-क व रसूलु-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! हमने सुबह की है, हम आपको, आपके अ़र्श उठाने वाले फ़रिश्तों को, आपके आ़म फ़रिश्तों को और आपकी तमाम मख़्लूक़ को गवाह बनाते हैं कि आप अकेले अल्लाह हैं, आपके सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं, आप अकेले हैं आपका कोई शरीक नहीं, और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आपके बन्दे और आपके रसूल हैं।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

नोटः- शाम के वक़्त "अस्बह्ना" की जगह "अम्सैना" पढ़ें।

हदीस 509. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो भी मुसलमान सुबह और शाम तीन बार (ये कलिमात) कहे तो यक़ीनन अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसको ख़ुश कर देंगे-

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا.

रज़ीतु बिल्लाहि रब्बवं-व बिल्-इस्लामि दीनंव्-व बिमुहम्मदिन् नबिय्यन्।

तर्जुमाः- मैंने अल्लाह तआ़ला को रब, इस्लाम को दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को पैग़म्बर तस्लीम किया। (तिर्मिज़ी)

हदीस 510. हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब सोने का इरादा फ़रमाते तो अपना दायाँ हाथ अपने दायें रुख़्सार (गाल) के नीचे रखते फिर तीन बार यह दुआ माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

अल्लाहुम्-म क़िनी अज़ाब-क यौ-म तब्असु अिबाद-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मुझे (उस दिन) अपने अज़ाब से महफ़ूज़ रखियेगा जिस दिन आप अपने बन्दों को उठायेंगे। (अबू दाऊद)

हदीस 511. हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लेटते वक़्त ये कलिमात फ़रमाते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَآ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَا صِيَتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَاْثَمَ. اَللّٰهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-वज्हिकल्-करीमि व कलिमातिकत्ताम्माति मिन् शर्रि मा अन्-त आख़िज़ुम् बिनासियतिही, अल्लाहुम्-म अन्-त तक्शिफ़ुल्-मग़्र-म वल्मअ्स-म, अल्लाहुम्-म ला युह्ज़मु जुन्दु-क व ला युख़्लफ़ु वअ्दुक व ला यन्फ़अु ज़ल्जद्दि मिन्कल्-जद्दु सुब्हान-क व बिहम्दि-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आपकी इज़्ज़त वाली ज़ात और आपके कामिल कलिमात के साथ हर उस चीज़ के शर (बुराई) से पनाह तलब करता हूँ जो आपके क़ब्ज़े व क़ुदरत में है। ऐ अल्लाह! आप ही क़र्ज़ और गुनाहों के बोझ को ख़त्म और दूर करते हैं। ऐ अल्लाह! आपके लश्कर को मग़लूब नहीं किया जा सकता और आपका वायदा झूठा नहीं है और दौलत मन्द को आपके यहाँ उनकी दौलत फ़ायदा नहीं दे सकती, आपकी ज़ात पाक है और हम आपकी तारीफ़ व सना करते हैं। (अबू दाऊद)

हदीस 512. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दो

आमाल ऐसे हैं कि जो मुसलमान उनकी हिफ़ाज़त करता है वह ज़रूर जन्नत में दाख़िल होगा। वे दोनों आमाल आसान हैं लेकिन उन पर अ़मल करने वाले बहुत कम लोग हैं—

1. हर (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद दस बार "सुब्हानल्लाहि", दस बार "अल्हम्दु लिल्लाहि" और दस बार "अल्लाहु अकबर" कहो (आप अपनी उंगलियों पर इनको शुमार फ़रमाते थे)। ये पढ़ने के लिहाज़ से पूरे दिन में 150 हैं और तराज़ू में 1500 हैं।

2. जब अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो "सुब्हानल्लाहि", "अल्हम्दु लिल्लाहि" 33, 33 बार और "अल्लाहु अकबर" 34 बार पढ़ो, ये पढ़ने के लिहाज़ से 100 हैं लेकिन तराज़ू में 1000 हैं। पास तुम में से कौन आदमी है जो रात दिन में 2500 गुनाह करता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया हम कैसे उन्हें शुमार करें? आपने फ़रमाया- तुम में से एक आदमी के पास शैतान आता है जबकि वह नमाज़ पढ़ रहा होता है, शैतान कहता है फ़ुलाँ-फ़ुलाँ दुनिया का काम याद करो यहाँ तक कि वह नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाता है, शायद वह इस पर हमेशगी न कर सकता हो, और शैतान उसके पास आता और उसे नींद पर मजबूर करता रहता है यहाँ तक कि वह इस ज़िक्र के बग़ैर ही सो जाता है। (अबू दाऊद)

हदीस 513. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई आदमी अपने बिस्तर पर जाये तो यह दुआ़ माँगे-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ نِاقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاَغْنِنِىْ مِنَ الْفَقْرِ.

अल्लाहुम्-म रब्बस्समावाति व रब्बल्-अर्ज़ि व रब्-ब कुल्लि शैइन्

फ़ालिक़ल्-हब्बि वन्नवा व मुनज़िलत्तौराति वल्-इन्जीलि वल्-क़ुरआनि अऊज़ु बि-क मिन् शर्रि कुल्लि ज़ी शर्रिन् अन्-त आख़िज़ुम् बिनासियतिही, अल्लाहुम्-म अन्तल्-अव्वलु फ़लै-स क़ब्ल-क शैउंव्-व अन्तल्-आख़िरु फ़लै-स बअ़्द-क शैउंव्-व अन्तज़्ज़ाहिरु फ़लै-स फ़ौक़-क शैउंव्-व अन्तल्-बातिनु फ़लै-स दून-क शैउ-निक़्ज़ि अ़न्निद्दै-न व अग़्निनी मिनल्-फ़क़्रि।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आसमानों, ज़मीन और हर चीज़ के रब! दानों और गुठलियों को फाड़ने वाले, तौरात, इन्जील और क़ुरआन मजीद को नाज़िल करने वाले, हर शर (बुराई) वाली चीज़ के शर से आपकी पनाह तलब करता हूँ जिसकी पेशानी को आप पकड़ने वाले हैं। आप अव्वल हैं, आप से पहले कोई चीज़ न थी, और आप बाक़ी रहने वाले हैं, आपके बाद कोई चीज़ नहीं है। आप ज़ाहिर हैं, आप पर कोई चीज़ ग़ालिब नहीं है और आप पर्दे में हैं लेकिन आप से कोई चीज़ पर्दे में नहीं है। मेरा क़र्ज़ दूर फ़रमा दीजिये और मुझे फ़क़ीरी से दौलत मन्दी अ़ता फ़रमा दीजिये।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

हदीस 514. हज़रत अबुल-अज़हर अनमारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब रात को लेटते तो यह दुआ़ माँगते-

بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِیْ لِلّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ ذَنْبِیْ وَاخْسَأْ شَیْطَانِیْ وَفُكَّ رِهَانِیْ وَاجْعَلْنِیْ فِی النَّدِیِّ الْاَعْلٰی.

बिस्मिल्लाहि वज़अ़्तु जम्बी लिल्लाहि, अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली ज़म्बी वख़्सअ् शैतानी व फ़ुक्-क रिहानी वज्अ़ल्नी फ़िन्निदिय्यिल्-अअ़्ला।

तर्जुमाः- अल्लाह तआ़ला के नाम के साथ मैंने अपने पहलू (करवट) को अल्लाह तआ़ला की रज़ा के लिये रखा है। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ़ फ़रमाईये और मेरे शैतान को ज़लील कीजिये और मेरे (नफ़्स को) जो गिरवी है निजात अ़ता फ़रमाईये और मुझे ऊँची मजलिस में जगह अ़ता फ़रमाईये। (अबू दाऊद)

हदीस 515. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात के वक़्त जब बिस्तर पर लेटते तो यह दुआ माँगते थे-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَفَانِىْ وَاٰوَانِىْ وَاَطْعَمَنِىْ وَسَقَانِىْ وَالَّذِىْ مَنَّ عَلَىَّ فَاَفْضَلَ وَالَّذِىْ اَعْطَانِىْ فَاَجْزَلَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ. اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَّمَلِيْكَهٗ وَاِلٰهَ كُلِّ شَىْءٍ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ.

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी कफ़ानी व आवानी व अत्अ-मनी व सक़ानी वल्लज़ी मन्-न अलय्-य फ़-अफ्ज़-ल वल्लज़ी अअ्तानी फ़-अजज़्-ल, अल्हम्दु लिल्लाहि अला कुल्लि हालिन्, अल्लाहुम्-म रब्-ब कुल्लि शैइंव्-व मली-कहू व इला-ह कुल्लि शैइन् अऊज़ु बि-क मिनन्नार।

तर्जुमाः- तमाम तारीफ़ व सना अल्लाह तआला के लिये है जिसने मुझे हर तकलीफ़ देने वाली चीज़ के शर (बुराई) से महफ़ूज़ किया, मुझे रहने की जगह अता की और मुझे खिलाया-पिलाया, जिसने मुझ पर बेशुमार एहसानात किये और जिसने मुझे कसरत के साथ (इनामात से) नवाज़ा। हर हालत में अल्लाह तआला के लिये तारीफ़ व सना है। ऐ अल्लाह! हर चीज़ के रब, मालिक, हर चीज़ के माबूदे बरहक़, मैं दोज़ख़ से आपकी पनाह तलब करता हूँ। (अबू दाऊद)

हदीस 516. हज़रत अबू मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई आदमी सुबह करे तो यह दुआ माँगे-

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَافِيْهِ وَمِنْ شَرِّ مَابَعْدَهٗ.

अस्बह्ना व अस्बहल्-मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल्-आलमीन, अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क ख़ै-र हाज़ल्-यौमि फ़त्हहू व नस्रहू व नूरहू व

ब-र-क-तहू व हुदाहु व अऊ़ज़ु बि-क मिन् शर्रि मा फ़ीहि व मिन् शर्रि मा बअ़्दहू।

तर्जुमाः- हमने सुबह की और बादशाहत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन की है। ऐ अल्लाह! मैं आप से इस दिन की ख़ैर व बरकत, कामयाबी, दुश्मन पर ग़लबा, रोशनी, बरकत और हिदायत पर साबित-क़दमी (जमे रहने) का सवाल करता हूँ और आपकी पनाह चाहता हूँ उस चीज़ के शर (बुराई) से जो इस (दिन) में है और इसके बाद के शर से भी पनाह तलब करता हूँ।

इसी तरह जब शाम हो तो यही दुआ़ माँगे। (अबू दाऊद)

विभिन्न वक़्तों में विभिन्न दुआ़यें

हदीस 517. हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब नया चाँद देखते तो यह दुआ़ माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

अल्लाहुम्-म अहिल्लहू अ़लैना बिल्-अम्नि वल्-ईमानि वस्सलामति वल्-इस्लामि रब्बी व रब्बुकल्लाहु।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! हमें अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ चाँद दिखाईये। ऐ चाँद! मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 518. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी किसी मुसीबत के मारे को देखकर यह दुआ़ (दिल में) माँगे तो उसको वह मुसीबत (बीमारी वग़ैरह) न पहुँचेगी चाहे वह तकलीफ़ कैसी ही क्यों न हो।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी आ़फ़ानी मिम्मब्तला-क बिही व फ़ज़्ज़-लनी अ़ला कसीरिम् मिम्मन् ख़-ल-क़ तफ़्ज़ीला।

तर्जुमाः- तमाम तारीफ़ व सना अल्लाह तआ़ला के लिये है जिसने मुझे इस मुसीबत से बचाया, जिसमें तुम्हें मुब्तला किया, और मुझे अपनी बहुत सारी मख़्लूक़ पर फ़ज़ीलत बख़्शी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 519. हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक आदमी से सुना वह दुआ़ माँग रहा था-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیٓ اَسْاَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क तमामन्-निअ़्मति।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आप से मुकम्मल नेमत का सवाल करता हूँ।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उससे पूछा- मुकम्मल नेमत क्या चीज़ है? उसने जवाब दिया ऐसी नेमत जिससे मैं भलाई की उम्मीद रखता हूँ। आपने फ़रमाया- मुकम्मल नेमत तो जन्नत में दाख़िल होना और दोज़ख़ से निजात हासिल करना है।

और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक आदमी को-

يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

या ज़ल्-जलालि वल्-इक्रामि।

तर्जुमाः- ऐ बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाले।

कहते सुना तो फ़रमाया तेरी दुआ़ मक़बूल है जो चाहे माँग ले।

और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक आदमी को यह दुआ़ माँगते हुए सुना-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیٓ اَسْاَلُكَ الصَّبْرَ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलुकस्सब्-र।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आप से सब्र का सवाल करता हूँ।

आपने फ़रमाया- तुमने अल्लाह तआ़ला से मुसीबत का सवाल किया है, फिर फ़रमाया- तुम उससे आ़फ़ियत का सवाल करो। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- 'सब्र' मुसीबत के आने पर किया जाता है, लिहाज़ा अल्लाह तआ़ला से आ़फ़ियत का सवाल करना चाहिये।

हदीस 520. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी किसी मजलिस में बैठे और उससे दुनियावी फ़ुज़ूल बातें हो जायें तो वह उस मजलिस से उठने से पहले यह दुआ़ माँग ले तो उसके उस मजलिस में किये हुए गुनाह माफ़ हो जायेंगे-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

सुब्हानकल्लाहुम्-म व बि-हम्दि-क अश्हदु अल्ला इला-ह इल्ला अन्-त अस्तग़्फ़िरु-क व अतूबु इलै-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आप पाक हैं और हम आपकी तारीफ़ व सना करते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि आपके अ़लावा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, मैं आपसे मग़्फ़िरत तलब करता हूँ और आपकी तरफ़ तौबा करता हूँ। (तिर्मिज़ी)

हदीस 521. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मेरे क़रीब एक जानवर लाया गया ताकि मैं उस पर सवार हूँ फिर जब मैंने अपना पाँव रकाब में रखा तो "बिस्मिल्लाह" पढ़ी। जब सवारी पर जमकर बैठ गया तो "अल्हम्दु लिल्लाह" कहा, फिर यह दुआ़ माँगी-

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَاهٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़-र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़्रिनीन, व इन्ना इला रब्बिना ल-मुन्क़लिबून।

तर्जुमाः- वह ज़ात पाक है जिसने हमारे लिये इस सवारी को क़ाबू में कर दिया जबकि हम इसको क़ाबू में करने की ताक़त नहीं रखते थे। बेशक हम अपने रब की तरफ़ लौटकर जाने वाले हैं। फिर तीन बार "अल्हम्दु लिल्लाह" और तीन बार "अल्लाहु अकबर" कहा, फिर यह दुआ़ माँगी-

سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُالذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ.

सुब्हान-क इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी फ़ग़्फ़िर् ली फ़-इन्नहू ला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनू-ब इल्ला अन्-त।

तर्जुमाः- आप पाक हैं, बिला-शुब्हा मैंने अपने नफ़्स पर ज़ुल्म किया है

आप मुझे माफ़ फ़रमा दीजिये, आपके अ़लावा कोई गुनाह माफ़ नहीं कर सकता।

फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सुन्नत पर अ़मल करते हुए मुस्कुरा दिया, लोगों ने मुझसे पूछा आप क्यों मुस्कुराये? मैंने कहा मैंने यही सवाल नबी करीम से किया था तो आपने फ़रमाया- जब बन्दा ऊपर दर्ज हुए तरीक़े के मुताबिक़ दुआ़यें पढ़कर सवारी पर सवार होता है तो अल्लाह तआ़ला अपने बन्दे पर ताज्जुब करता है, जब वह यह दुआ़ करता है-

رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ.

रब्बिग़्फ़िर् ली ज़ुनूबी।

तर्जुमाः- ऐ मेरे रब! मेरे गुनाह माफ़ फ़रमाईये।

अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि मेरा बन्दा यक़ीन रखता है कि मेरे अ़लावा कोई गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 522. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी आदमी को विदा करते तो उसका हाथ पकड़ते और उसके लिये यह दुआ़ फ़रमाते-

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

अस्तौदिअुल्ला-ह दीन-क व अमान-त-क व ख़वाती-म अ़-मलि-क।

तर्जुमाः- मैंने तुम्हारा दीन, तुम्हारी अमानत और तुम्हारा आख़िरी अ़मल अल्लाह तआ़ला को सौंप दिया है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 523. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सफ़र करना चाहता हूँ आप मुझे कोई वसीयत फ़रमाईये। आपने फ़रमाया- अल्लाह (के अ़ज़ाब) से डरते रहो और हर ऊँचाई पर चढ़ते हुए "अल्लाहु अकबर" कहो। जब वह आदमी चला गया तो आपने उसके लिये यह दुआ़ फ़रमाई-

اَللّٰهُمَّ اطْوِلَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ.

अल्लाहुम्मत्‌वि लहुल्-बुअ़्-द व हव्विन् अ़लैहिस्स-फ़-र।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! उसके सफ़र को इसके हक़ में नज़दीक और आसान फ़रमाईये। (तिर्मिज़ी)

हदीस 524. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि सफ़र के दौरान रात क़रीब आती तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह दुआ़ फ़रमाते-

يَآ اَرْضُ، رَبِّیْ وَ رَبُّكِ اللّٰهُ. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَّشَرِّمَا فِيْكِ وَشَرِّمَا خُلِقَ فِيْكِ وَ شَرِّمَا يُدِبُّ عَلَيْكِ وَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَسَدٍ وَّاَسْوَدٍ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّسَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَّالِدٍ وَّمَاوَلَدَ.

या अर्ज़ु, रब्बी व रब्बुकल्लाहु अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिन् शर्रिकिवं-व शर्रि मा फ़ीकि व शर्रि मा ख़ुलि-क़ फ़ीकि व शर्रि मा युदिब्बु अ़लैकि व अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिन् अ-सदिंव्-व अस्वदिन् व मिनल्-हय्यति वल्-अ़क़रबि व मिन् शर्रि साकिनिल्-ब-लदि व मिंव्-वालिदिंव्-व मा व-ल-द।

तर्जुमाः- ऐ ज़मीन! मेरा और तेरा रब अल्लाह तआ़ला है, मैं अल्लाह तआ़ला की पनाह तलब करता हूँ तेरे शर (बुराई) से और उस चीज़ के शर से जो तुझमें है और उस चीज़ के शर से जो तुझमें पैदा की गई है, और उस चीज़ के शर से जो तेरी सतह (ऊपर के हिस्से) पर हरकत कर रही है, और मैं अल्लाह तआ़ला की पनाह माँगता हूँ, शेर, काले साँप, आ़म साँप और बिच्छू के डसने से, और शहर में आबाद होने वाले के शर और वालिद और औलाद के शर से। (अबू दाऊद)

हदीस 525. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब जिहाद के लिये निकलते तो यह दुआ़ माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِیْ وَنَصِيْرِیْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ.

अल्लाहुम्-म अन्-त अ़ज़ुदी व नसीरी बि-क अहूलु व बि-क असूलु व बि-क उक़ातिलु।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आप मेरी क़ुव्वत हैं और आप मेरे मददगार हैं, मैं

आपकी मदद से दुश्मन की चालों से बचता हूँ और आपकी मदद के साथ दुश्मन पर हमलावर होता हूँ और आपकी मदद के साथ दुश्मन से लड़ाई करता हूँ। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 526. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब किसी क़ौम की तरफ़ से ख़तरा महसूस करते तो यह दुआ़ करते-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

अल्लाहुम्-म इन्ना नज्अ़लु-क फ़ी नुहूरिहिम् व नऊ़ज़ु बि-क मिन् शुरूरिहिम।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! हम आपको बचाव के लिये दुश्मनों के मुक़ाबले में आगे करते हैं और उनके शर (बुराई) से आप ही की पनाह तलब करते हैं। (अबू दाऊद, अहमद)

हदीस 527. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब अपने घर से निकलते तो यह दुआ़ माँगा करते थे-

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نَّزِلَّ اَوْ نَضِلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ نُظْلَمَ اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا.

बिस्मिल्लाहि तवक्कल्तु अ़लल्लाहि अल्लाहुम्-म इन्ना नऊ़ज़ु बि-क मिन् अन्-नज़िल्-ल औ नज़िल्-ल औ नज़्लि-म औ नुज़्ल-म औ नज्ह-ल औ युज्ह-ल अ़लैना।

तर्जुमाः- मैं अल्लाह तआ़ला के नाम का ज़िक्र करते हुए निकला हूँ मेरा मुकम्मल यक़ीन अल्लाह तआ़ला पर है। ऐ अल्लाह! हम आप से इस बात से पनाह तलब करते हैं कि हम फिसल जायें (यानी बिना इरादे के गुनाह में मुब्तला हो जायें) या हम गुमराह हों (यानी जान-बूझकर गुनाह करें) या हम ज़ुल्म करें या हम पर ज़ुल्म हो या हम जहालत में मुब्तला हों या हमें जहालत में मुब्तला किया जाये। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 528. हज़रत अबू मालिक अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई आदमी अपने घर में दाख़िल हो तो वह यह दुआ़ माँगे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क ख़ैरल्-मौलजि व ख़ैरल्-मख़्रजि बिस्मिल्लाहि वलज्ना व बिस्मिल्लाहि ख़रज्ना व अ़लल्लाहि रब्बना तवक्कल्ना।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आप से घर में दाख़िल होते हुए और घर से बाहर निकलते हुए भलाई का सवाल करता हूँ। अल्लाह तआ़ला के नाम के साथ हम (घर में) दाख़िल हुए और अल्लाह तआ़ला पर, जो हमारा रब है, हमारा भरोसा है।

फिर अपने घर वालों को "अस्सलामु अ़लैकुम" कहे। (अबू दाऊद)

हदीस 529. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम निकाह करने वाले को मुबारकबाद देते तो उसके लिये यह दुआ़ माँगा करते थे-

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ.

बारकल्लाहु ल-क व बार-क अ़लैकुमा व ज-म-अ़ बैनकुमा फ़ी ख़ैरिन्।

तर्जुमाः- अल्लाह तआ़ला इस निकाह को तुम्हारे लिये बरकत वाला बना दे और तुम पर बरकत नाज़िल फ़रमाये और तुम्हारे दरमियान मुहब्बत पैदा फ़रमा दे। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 530. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई आदमी किसी औ़रत से निकाह करे या कोई सवारी ख़रीदे तो उसकी पेशानी (माथे) पर हाथ रखकर यह दुआ़ माँगे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क ख़ैरहा व ख़ै-र मा जबल्तहा अ़लैहि व अऊ़ज़ु बि-क मिन् शर्रिहा व शर्रि मा जबल्तहा अ़लैहि।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आप से इस (औ़रत या सवारी) की ख़ैर व बरकत और जिस ख़ैर व बरकत पर आपने इसको पैदा किया है, उसका सवाल करता हूँ। और इसके शर (बुराई) और जिस शर पर आपने इसे पैदा किया है उससे आपकी पनाह माँगता हूँ। (अबू दाऊद)

हदीस 531. हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर परेशानी के वक़्त यह दुआ़ माँगो-

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّ اَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ.

अल्लाहुम्-म रह्मत-क अर्जू फ़ला तकिल्नी इला नफ़्सी तर्फ़-त अ़ैनिंव्-व अस्लिह् ली शअ्नी कुल्लहू ला इला-ह इल्ला अन्-त।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आप से रहमत ही की उम्मीद रखता हूँ, मुझे आँख के झपकने के बराबर भी मेरे नफ़्स के सुपुर्द न करना, और मेरे तमाम मामलात की इस्लाह (सुधार) फ़रमाईये, आपके अ़लावा कोई माबूदे बरहक़ नहीं है। (अबू दाऊद)

हदीस 532. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे दुआ़ के ये कलिमात सिखलाये और फ़रमाया, अगर तुझ पर बहुत बड़े पहाड़ के बराबर भी क़र्ज़ होगा तो यह पढ़ने से अल्लाह रब्बुल्-इज़्ज़त तुम से उस क़र्ज़ को अदा करवा देंगे।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

अल्लाहुम्मक्फ़िनी बि-हलालि-क अ़न् हरामि-क व अग़्निनी बिफ़ज़्लि-क अ़म्मन् सिवा-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मुझे हलाल आमदनी देकर, हराम से महफ़ूज़ रखिये, और मुझे अपने फ़ज़्ल के साथ अपने अ़लावा दूसरों से बेपरवाह कर दीजिये। (तिर्मिज़ी)

पनाह माँगने की दुआओं का बयान

हदीस 533. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَّفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَآءٍ لَّا يُسْمَعُ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल्-अर्बअ़ि मिन् अ़िल्मिल्-ला यन्फ़-उ व मिन् क़ल्बिल्-ला यख़्शा-उ व मिन्-नफ़्सिल्-ला तश्ब-उ व मिन् दुआइल्-ला युस्म-उ।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आप से चार चीज़ों से पनाह माँगता हूँ–

1. ऐसा इल्म जो मुफ़ीद न हो।
2. ऐसा दिल जिसमें अल्लाह तआ़ला का ख़ौफ़ न हो।
3. ऐसा नफ़्स जिसमें क़नाअ़त न हो।
4. ऐसी दुआ़ जो क़ुबूल न हो। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 534. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ़ फ़रमाते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल्-फ़क़्रि वल्-क़िल्लति वज़्ज़िल्लति व अऊज़ु बि-क मिन् अन् अज़्लि-म औ उज़्ल-म।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आप से मोहताजी, माल की कमी और ज़िल्लत से पनाह माँगता हूँ, और मैं आपकी पनाह चाहता हूँ कि मैं ज़ुल्म करूँ या मुझ पर ज़ुल्म किया जाये। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 535. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ़ भी माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनश्शिक़ाक़ि वन्निफ़ाक़ि व

सूइल्-अख़्लाकि।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं इख़्तिलाफ़ (झगड़े), निफ़ाक़ (दिल के खोट) और बुरे अख़्लाक़ से आपकी पनाह चाहता हूँ। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 536. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ भी माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَیِّئِ الْاَسْقَامِ.

अल्लाहुम-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल्-ब-रसि वल्-जुज़ामि वल्-जुनूनि व मिन् सय्यिइल्-अस्क़ामि।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं बरस (सफ़ेद दाग़ की बीमारी), कोढ़, दीवानगी और बदतरीन क़िस्म की बीमारियों से आपकी पनाह चाहता हूँ।

(अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 537. हज़रत शक्ल बिन हुमैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे वो कलिमात बतायें जिनके साथ मैं पनाह माँगूँ। आपने फ़रमाया तुम (यह) दुआ माँगा करो-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِیْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِیْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِیْ وَمِنْ شَرِّ مَنِیِّیْ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिन् शर्रि समूओ़ व मिन् शर्रि ब-सरी व मिन् शर्रि लिसानी व मिन् शर्रि क़ल्बी व मिन् शर्रि मनिय्यी।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं अपने कानों, आँखों, ज़बान, दिल और मनी (वीर्य) के शर (बुराई) से आपकी पनाह चाहता हूँ। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 538. हज़रत अबुल-युसर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ भी फ़रमाते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّیْ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ یَّتَخَبَّطَنِیَ الشَّیْطٰنُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِیْ سَبِیْلِكَ مُدْبِرًا وَّاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِیْغًا.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊ़जु बि-क मिनल्-ह-दमि व अऊ़जु बि-क मिनत्तरद्दी व मिनल्-ग़-रक़ि वल्-ह-रक़ि वल्-ह-रमि व अऊ़जु बि-क मिन् अंय्यतख़ब्ब-तनियश्शैतानु अ़िन्दल्-मौति व अऊ़जु बि-क मिन् अन् अमू-त फ़ी सबीलि-क मुद्बिरंव्-व अऊ़जु बि-क मिन् अन् अमू-त लदीग़न्।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आपकी पनाह चाहता हूँ (अपने ऊपर) दीवार गिरने, ऊँचाई से गिरने, डूबने, आग में जलने, ज़्यादा बुढ़ापे, मौत के वक़्त शैतान के गुमराह करने, (काफ़िरों से) जंग के दौरान पीठ फेरने और (ज़हरीले जानवरों के) डसने की वजह से मर जाने से। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 539. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने अल्लाह तआ़ला से तीन बार जन्नत माँगी तो जन्नत उसके हक़ में यह दुआ़ करती है-

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.

अल्लाहुम्-म अद्ख़िल्हुल्-जन्न-त।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! उसको जन्नत में दाख़िल फ़रमा दीजिये।

जिस आदमी ने तीन बार दोज़ख़ से पनाह तलब की तो आग यह दुआ़ करती है-

اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ.

अल्लाहुम्-म अजिर्हु मिनन्नारि।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! उसको दोज़ख़ से महफ़ूज़ फ़रमा लीजिये।

(तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 540. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पाँच चीज़ों से पनाह तलब करते थे-

1. बुज़दिली 2. कन्जूसी 3. बुढ़ापे की उम्र 4. दिल के वस्वसे 5. और अ़ज़ाबे क़ब्र से। (अबू दाऊद)

हदीस 541. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह दुआ़ माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِیْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِیَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल्-जूअि फ़-इन्नहू बिअ्सज़्ज़जीअु व अऊज़ु बि-क मिनल्-ख़ियानति फ़-इन्नहा बिअ्सतिल्-बितानतु।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आपकी पनाह चाहता हूँ भूख से क्योंकि भूख तकलीफ़देह है, और ख़्यानत से आपकी पनाह चाहता हूँ क्योंकि ख़्यानत बुरी ख़स्लत (बड़ा गुनाह) है। (अबू दाऊद)

हदीस 542. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह दुआ़ भी माँगा करते थे-

رَبِّ اَعِنِّیْ وَلَا تُعِنْ عَلَیَّ وَانْصُرْنِیْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَیَّ وَامْكُرْ لِیْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَیَّ وَاهْدِنِیْ وَیَسِّرِ الْهُدٰی لِیْ وَانْصُرْنِیْ عَلٰی مَنْ بَغٰی عَلَیَّ. رَبِّ اجْعَلْنِیْ لَكَ شَاكِرًا لَّكَ ذَاكِرًا لَّكَ رَاهِبًا لَّكَ مِطْوَاعًا لَّكَ مُخْبِتًا اِلَیْكَ اَوَّاهًا مُّنِیْبًا. رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِیْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِیْ وَاَجِبْ دَعْوَتِیْ وَ ثَبِّتْ حُجَّتِیْ وَ سَدِّدْ لِسَانِیْ وَاهْدِ قَلْبِیْ وَاسْلُلْ سَخِیْمَةَ صَدْرِیْ.

रब्बि अअ़िन्नी व ला तुअ़िन् अ़लय्-य वन्सुर्नी व ला तन्सुर् अ़लय्-य वम्कुर् ली व ला तम्कुर् अ़लय्-य वह्दिनी व यस्सिरिल्-हुदा ली वन्सुर्नी अ़ला मन् बग़ा अ़लय्-य, रब्बिज्अ़ल्नी ल-क शाकिरन् ल-क ज़ाकिरन् ल-क राहिबन् ल-क मित्वाअ़न् ल-क मुख़्बितन् इलै-क अव्वाहाम्-मुनीबन्, रब्बि तक़ब्बल् तौबती वग़्सिल् हौबती व अजिब् दअ़्वती व सब्बित् हुज्जती व सद्दिद् लिसानी वह्दि क़ल्बी वस्लुल् सख़ीम-त सद्री।

तर्जुमाः- ऐ मेरे रब! मुझ पर ग़लबा नहीं बल्कि मुझे ग़लबा दीजिये, मेरे ख़िलाफ़ मदद नहीं बल्कि मेरी मदद कीजिये, मेरे ख़िलाफ़ तदबीर नहीं बल्कि मेरे हक़ में तदबीर कीजिये और मुझे हिदायत देकर उस पर चलना मेरे लिये आसान बना दीजिये। मुझ पर ज़्यादती करने वालों पर मुझे ग़लबा अ़ता

फ़रमाईये। ऐ मेरे रब! मुझे अपना शुक्र अदा करने वाला, आपका ज़िक्र करने वाला, आप से डरने वाला आपकी कसरत से इबादत करने वाला, आपके लिये ख़ुशूअ़ करने वाला, आपके सामने आह व फ़रियदा करने वाला, आपकी तरफ़ रुजू करने वाला बना दीजिये। ऐ मेरे रब! मेरी तौबा क़ुबूल फ़रमाईये। मेरे गुनाहों को माफ़ फ़रमा दीजिये, मेरी दुआ़ को क़ुबूल फ़रमाईये, मेरी दलील को मज़बूत बनाईये, मेरी ज़बान को दुरुस्त कर दीजिये, मेरे दिल को हिदायत पर चलाईये और मेरे दिल से बुग़ज़ व कीना को निकाल दीजिये। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, अबू दाऊद)

जामे दुआ़एँ

हदीस 543. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जब **वही** (अल्लाह की तरफ़ से पैग़ाम) नाज़िल होती तो आपके चेहरे मुबारक के नज़दीक शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट के जैसी आवाज़ सुनाई देती थी। एक दिन आप पर वही नाज़िल हुई तो हमने थोड़ी देर इन्तिज़ार किया, जब वही नाज़िल होने की हालत ख़त्म हुई तो आपने क़िब्ला-रुख़ होकर अपने दोनों हाथों को बुलन्द किया और यह दुआ़ माँगी-

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا.

अल्लाहुम्-म ज़िद्ना व ला तन्क़ुस्ना व अक्रिम्ना व ला तुहिन्ना व अअ़्तिना व ला तह्रिम्ना व आसिर्ना व ला तुअ्सिर् अ़लैना व अर्ज़िना वर्-ज़ अ़न्ना।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! हमें कसरत के साथ (ख़ैर व बरकत) अ़ता कीजिये, उसमें कमी न कीजिये और हमें इज़्ज़त से नवाज़िये और हमें ज़लील न कीजिये और हमें अ़ता फ़रमाईये हमें मेहरूम न कीजिये, और हमें (अपनी रहमत के लिये) तरजीह दीजिये दूसरों को हम पर तरजीह न दीजिये, और हमें ख़ुश कर दीजिये और हमसे ख़ुश हो जाईये। फिर आपने फ़रमाया- मुझ पर दस आयतें नाज़िल की गयी हैं जो आदमी उन (पर

अ़मली तौर) पर क़ायम रहेगा वह जन्नत में दाख़िल होगा, फिर आपने सूरः मुअ्मिनून (सूरत नम्बर 40) की शुरू की 10 आयतें तिलावत कीं-

"क़द् अफ़्लहल्-मुअ्मिनून............." (सूरः मुअ्मिनून 40, आयत 1 से 10 तक) (तिर्मिज़ी)

हज के आमाल

हदीस 544. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ लोगो! बिला-शुब्हा अल्लाह तआ़ला ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है (आपके इस इरशाद के बाद) अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने खड़े होकर पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हर साल हज फ़र्ज़ है? आपने फ़रमाया- अगर मैं हाँ में जवाब दे देता तो (हर साल) हज फ़र्ज़ हो जाता, और अगर फ़र्ज़ हो जाता तो तुम इस पर अ़मल न कर सकते और न इसकी क़ुदरत रखते। हज (ज़िन्दगी में सिर्फ़) एक बार फ़र्ज़ है जो आदमी (एक बार से) ज़्यादा हज करे वह नफ़िल है। (नसाई)

हदीस 545. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसी चीज़ हज को फ़र्ज़ क़रार देती है? आपने फ़रमाया- (हज के लिये) सफ़र का ख़र्चा और सवारी का होना। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 546. हज़रत अबू रज़ीन उक़ैली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर मैंने पूछा- ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं वह हज और उमरे की क़ुदरत नहीं रखते और सवार भी नहीं हो सकते, क्या मैं उनकी तरफ़ से हज अदा कर सकता हूँ? आपने फ़रमाया- तुम अपने वालिद की तरफ़ से हज और उमरा कर लो। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 547. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज के दौरान

एक आदमी से सुना कि वह शुबरुमा की तरफ़ से "लब्बैक" पुकार रहा था। आपने पूछा शुबरुमा कौन है? उसने जवाब दिया मेरा भाई है। आपने पूछा क्या तुमने अपना हज अदा किया है? उसने नफ़ी (इनकार) में जवाब दिया। आपने फ़रमाया- तुम पहले अपना फ़र्ज़ हज अदा करो फिर शुबरुमा की जानिब से हज करना। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- किसी की तरफ़ से हज अदा करने वाले को पहले अपना हज करना ज़रूरी है।

हदीस 548. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हज व उमरा लगातार करते रहो। बिला-शुब्हा हज और उमरा फ़क्र (तंगदस्ती) और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जैसा कि भट्टी लोहे, सोने और चाँदी का मैल-कुचैल दूर कर देती है, और हज्जे मक़बूल का सवाब सिर्फ़ जन्नत है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 549. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूरब वालों के लिये 'अ़क़ीक़' के स्थान को मीक़ात (एहराम बाँधने की जगह और हद) मुक़र्रर फ़रमाया। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 550. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इराक़ वालों के लिये "ज़ाते इरक़" मुक़ाम को मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाया। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- 'मीक़ात' से मुराद वह जगह है जहाँ से हज और उमरे का एहराम बाँधकर तलबिया (लब्बैक कहना) शुरू करते हैं। पूरब वालों के लिये "अ़क़ीक़" मक़ाम और इराक़ियों के लिये "ज़ाते इरक़" और यमन वालों के लिये "यलमूलम्" मीक़ात है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान वालों के लिये भी "यलमूलम्" ही मीक़ात है।

हदीस 551. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने पूछा- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या औ़रतों पर भी जिहाद (फ़र्ज़) है? आपने फ़रमाया- हाँ उन पर ऐसा जिहाद फ़र्ज़ है जिसमें लड़ाई नहीं है और वह हज

और उमरा है। (इब्ने माजा)

हदीस 552. हज़रत साइब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे पास जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम आये, उन्होंने मुझसे कहा कि अपने सहाबा को हुक्म दो कि वे "लब्बैक" (के कलिमात) बुलन्द आवाज़ से कहें।

(नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

हदीस 553. हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो भी मुसलमान "लब्बैक" पुकारता है तो उसकी दायीं-बायीं जानिब के पत्थर, दरख़्त, मिट्टी के ढेले सब "लब्बैक" कहते हैं यहाँ तक कि पूरब व पश्चिम की इन्तिहा तक सारी ज़मीन उसमें शामिल होती है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 554. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुए तो हजरे-अस्वद की तरफ़ गये उसको बोसा दिया, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया उसके बाद सफ़ा (पहाड़ी) पर चढ़े बैतुल्लाह की तरफ़ नज़र उठाई उसको देखा और अपने हाथों को ऊपर उठाया और जब तक अल्लाह ने चाहा आप ज़िक्र करते रहे और दुआयें माँगते रहे। (अबू दाऊद)

हदीस 555. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ करना, नमाज़ अदा करने की तरह है। तवाफ़ करते हुए अगर बात करने की ज़रूरत पेश आये तो सिर्फ़ अच्छी बात करो।

(तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 556. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हजरे-अस्वद जन्नत से उतरा था, वह उस वक़्त दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन इनसानों के गुनाहों ने उसको सियाह (काला) कर दिया। (तिर्मिज़ी)

हदीस 557. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हजरे-अस्वद के

बारे में फ़रमाया- अल्लाह की क़सम, अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन हजरे-अस्वद को लायेंगे, उसकी दो आँखें होंगी जिनसे वह देखेगा और ज़बान होगी जिससे वह बात करेगा। वह उस आदमी के बारे में गवाही देगा जिसने उसको सुन्नते नबवी की पैरवी करते हुए बोसा दिया (चूमा) होगा।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 558. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा हजरे-अस्वद और मक़ामे-इब्राहीम जन्नत के क़ीमती पत्थरों में से दो क़ीमती पत्थर हैं। अल्लाह तआ़ला ने उन दोनों की रोशनी को ख़त्म कर दिया है, अगर अल्लाह उन दोनों की रोशनी को ख़त्म न करता तो उनमें से हर एक पूरब और पश्चिम के दरमियान (यानी पूरी दुनिया) को रोशन कर देता। (तिर्मिज़ी)

हदीस 559. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी बैतुल्लाह के तवाफ़ के दौरान सात चक्कर लगाये तो उसे एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलता है। इसी तरह जो आदमी (तवाफ़ करते हुए) एक क़दम (ज़मीन पर) रखे और दूसरा क़दम ज़मीन से उठाये तो अल्लाह उसके हर क़दम के बदले उसका एक गुनाह माफ़ फ़रमा देते हैं और एक नेकी लिख देते हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 560. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन साइब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हजरे-अस्वद और रुक्ने-यमानी के दरमियान यह दुआ़ पढ़ते हुए सुना-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल्-आख़ि-रति ह-स-नतंव्-व क़िना अ़ज़ाबन्नार।

तर्जुमाः- ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भी भलाई अ़ता फ़रमा और आख़िरत में भी, और हमें आग के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ फ़रमा। (अबू दाऊद)

हदीस 561. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके सहाबा किराम ने "जिअ़राना मक़ाम" से उमरा किया। बैतुल्लाह के तीन चक्कर रमल के साथ किये और अपनी चादरों को अपनी बग़लों (के नीचे) से निकाल कर अपने बायें कंधों पर डाला हुआ था (और चार चक्कर बग़ैर रमल के किये)। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- रमल छोटे-छोटे क़दम उठाकर और सीना आगे निकाल कर चलने को कहा जाता है।

हदीस 562. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अ़रफ़ात और मुज़्दलिफ़ा की सारी जगह हाजियों के ठहरने की जगह है (जहाँ चाहें ठहरें), मिना की सारी जगह क़ुरबानी का स्थान है (कहीं भी क़ुरबानी की जा सकती है), और मक्का मुकर्रमा की सारी गलियाँ उसमें दाख़िल होने के रास्ते हैं (किसी भी गली से दाख़िल हुआ जा सकता है)। (अबू दाऊद, दारमी)

हदीस 563. हज़रत ख़ालिद बिन हौज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अ़रफ़ा के दिन ऊँट पर सवार, दोनों रकाबों में पाँव दाख़िल किये हुए और खड़े होकर लोगों को ख़ुतबा देते हुए देखा। (अबू दाऊद)

हदीस 564. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अ़रफ़ा के दिन दुआ़ करना बहुत ही बेहतरीन अ़मल है, और (अ़रफ़ा की) दुआ़ जो मैंने और मुझसे पहले नबियों ने माँगी वह यह है-

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर।

तर्जुमाः- अल्लाह के अ़लावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिये बादशाही है और उसी के लिये

तमाम तारीफ़ें हैं और वही हर चीज़ पर क़ादिर है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 565. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि मुज़्दलिफ़ा की रात रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें (यानी अ़ब्दुल्-मुत्तलिब के बच्चों को) गधों पर सवार करके मिना भेजा। आप प्यार से हमारी रानों पर हथेली से मारते हुए कह रहे थे- ऐ मेरे बेटो! सूरज निकलने तक जमरा-ए-अ़क़बा को कंकरियाँ न मारना।

(अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 566. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि दस ज़िलहिज्जा की रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को (मिना) भेज दिया, चुनाँचे उन्होंने फ़जर से पहले जमरा-ए-अ़क़बा को कंकर मारे और फिर वहाँ से मक्का आयीं, तवाफ़े ज़ियारत किया और यह वह दिन था कि जिसमें रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनके यहाँ थे। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- आ़म हाजियों को सूरज निकलने के बाद जमरा-ए-अ़क़बा को कंकर मारने का हुक्म है लेकिन माज़ूर लोगों को फ़जर से पहले जमरा-ए-अ़क़बा को कंकरियाँ मारने की इजाज़त है।

हदीस 567. हज़रत क़िदामा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्मार रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दस ज़िलहिज्जा को ऊँटनी पर सवार होकर जमरा-ए-अ़क़बा को कंकर मारे, न (किसी को) मारना था, न दूर हटाना था और न ही यह ऐलान करना था कि आप से दूर रहो। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसाई)

हदीस 568. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (हज के दौरान मर्दों की तरह) सर मुंडाना औ़रतों के लिये जायज़ नहीं है बल्कि उन्हें सिर्फ़ अपने बाल कतरवाने चाहियें। (अबू दाऊद)

हदीस 569. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने आपकी ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने सर मुंडाने से पहले तवाफ़ कर लिया है, आपने फ़रमाया- कोई हर्ज नहीं।

एक दूसरे सहाबी ने बयान किया- मैंने जमरा-ए-अक़बा को कंकर मारने से पहले क़ुरबानी कर दी? आपने फ़रमाया- कोई हर्ज नहीं है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- ग़लती से हज के अरकान आगे पीछे हो जायें तो कोई हर्ज नहीं लेकिन कोशिश करनी चाहिये कि तरतीब सही रहे।

हदीस 570. हज़रत उसामा बिन शुरैक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ हज करने के लिये निकला चुनाँचे सहाबा किराम आपकी ख़िदमत में हाज़िर होते, कोई कहता- ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने बैतुल्लाह के तवाफ़ से पहले सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की है, या मैंने फ़ुलाँ काम को पहले किया है या फ़ुलाँ काम को बाद में किया है, आप जवाब में फ़रमाते कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता वह इनसान गुनाहगार है जिसने किसी मुसलमान की इज़्ज़त को ज़ुल्म करते हुए पामाल किया, यह इनसान हलाक होने वाला है। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- हज के दौरान सब्र व बरदाश्त से काम लें।

हदीस 571. हज़रत अ़मर बिन अहवस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज्जतुल्-विदा में फ़रमाया यह कौनसा दिन है? सहाबा किराम ने जवाब दिया यह हज्जे-अकबर का दिन है। आपने फ़रमाया- बेशक तुम्हारे ख़ून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़्ज़तें आपस में इसी तरह हुर्मत (आबरू) वाली हैं जैसा कि तुम्हारा यह दिन और तुम्हारा यह शहर हुर्मत (सम्मान) वाला है। ख़बरदार! सिर्फ़ मुजरिम को उसके जुर्म की सज़ा दी जायेगी। बाप के जुर्म में बेटे और बेटे के जुर्म में बाप को सज़ा नहीं दी जाये। ख़बरदार! शैतान इस बात से नाउम्मीद है कि तुम्हारे इस शहर में कभी उसकी इबादत हो, अलबत्ता उन कामों में उसकी इताअ़त होगी जिनको तुम मामूली समझते हो, वह उन पर ख़ुश होगा। (इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

हदीस 572. हज़रत अबुल्-बद्दाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऊँटों के चरवाहों को मिना में रात गुज़ारने की इजाज़त दी ताकि वे दस ज़िलहिज्जा को कंकर मारें, फिर दो दिनों के कंकर इकट्ठे एक दिन में मारें। (तिर्मिज़ी)

हदीस 573. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एहराम की हालत में शिकार का गोश्त तुम्हारे लिये हलाल है अगर तुमने ख़ुद शिकार न किया हो, या तुम्हारे लिये शिकार न किया गया हो। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

ख़रीद व फ़रोख़्त के मसाईल

हदीस 574. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा निहायत पाकीज़ा आमदनी वह है जो तुम हलाल कमाई करके हासिल करते हो और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कमाई है। (तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 575. हज़रत हसन बिन अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मुझे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह इरशाद याद है- शक व शुब्हे वाली चीज़ों को छोड़कर ऐसी चीज़ों को इख़्तियार करो जिनमें शक व शुब्हा (किसी तरह का संदेह) न हो, बेशक सच्चाई इत्मीनान का ज़रिया है और झूठ बेचैनी पैदा करता है। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 576. हज़रत अ़तीया सअ़दी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई आदमी (उस वक़्त तक) परहेज़गारों में शुमार नहीं होता जब तक कि वह उन कामों को नहीं छोड़ता जिनमें कुछ शक व शुब्हा है, लिहाज़ा वह परहेज़गार शक व शुब्हे वाले कामों से दूर रहे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 577. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने शराब पर और उसे पीने वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले, ख़रीदने वाले, निचोड़ने वाले, निचुड़वाने वाले, उठाने वाले और जिसकी जानिब उठाया गया है (सब पर) लानत फ़रमाई है। (इब्ने माजा, अबू दाऊद)

मामलात में नर्मी करने का बयान

हदीस 578. हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में हमें दलाल कहा जाता था (यानी ख़रीद व फ़रोख़्त करने वालों के दरमियान मामला क़ायम कराने वाले), हमारे पास से रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम गुज़रे, आपने हमें उससे बेहतर नाम के साथ पुकारते हुए फ़रमाया- तिजारत करने वालो! बिला-शुब्हा ख़रीद व फ़रोख़्त में बेहूदा बातें और क़समें उठाई जाती हैं, पस तुम्हें सदक़ा व ख़ैरात करना चाहिये।

(अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

सूद के अहकाम

हदीस 579. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया कि ताज़ा खजूर के बदले में सूखी खजूर को ख़रीदना कैसा है? आपने सवाल किया (बताओ) ताज़ा खजूर सूखी होने के बाद (वज़न में) कम हो जाती है? जवाब दिया- जी हाँ, इस पर आपने मना फ़रमाया। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 580. हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जानवर को जानवर के बदले उधार बेचने से मना फ़रमाया। (तिर्मिज़ी)

हदीस 581. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उसको लिखने वाले और (मालदार होने के बावजूद) सदक़ा न देने वाले पर लानत फ़रमाई है। तथा आप नोहा करने से भी मना फ़रमाते थे। (नसाई)

जिन तिजारतों के करने से मना किया गया है

हदीस 582. हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे ऐसी चीज़ फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया जो मेरे पास मौजूद नहीं है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 583. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक बै में दो बै से मना किया।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

वज़ाहतः- दो बै का मतलब है कि फ़रोख़्त करने वाला शर्त लगाकर कहे कि मैं इस कपड़े को नक़द दस रुपये और उधार पन्द्रह रुपये में फ़रोख़्त करता हूँ।

हदीस 584. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि मैं नक़ीअ़ (स्थान) में दीनारों के बदले ऊँट फ़रोख़्त करता था और दीनारों के बदले दिरहम हासिल कर लेता था, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर इसका ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया- इसमें कोई हर्ज नहीं, जब तुम उस दिन के भाव के मुताबिक़ सौदा कर लो और जब तुम दोनों अलग-अलग होओ तो तुम्हारे दरमियान लेन-देन बाक़ी न हो। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 585. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ग़ैर-मालूम अलग की हुई बै से मना किया। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- कोई दरख़्तों का बाग़ फ़रोख़्त करे और उसमें से चन्द दरख़्त फ़रोख़्त करने से अलग करके अपने लिये ख़ास करे और उन दरख़्तों की निशानदेही भी न करे तो यह बै मना (वर्जित) है।

शर्त के साथ बै का बयान

हदीस 586. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी किसी मुसलमान से ख़रीदी हुई चीज़ के ख़रीदने पर पछता रहा हो और उसको बेचने वाला वापस ले ले और सौदा ख़त्म कर दे तो क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसकी ग़लतियों को माफ़ कर देंगे। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- जब दो आदमी किसी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख़्त का फ़ैसला करें फिर उनमें से ख़रीदार को ख़रीदने पर पछतावा हो और वह बेचने वाले साथी से उसका ज़िक्र करे जिस पर वह सौदा वापस ले ले तो क़ियामत के दिन बेचने वाले के गुनाह माफ़ हो जायेंगे।

हदीस 587. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब

फ़रोख़्त करने वाले और ख़रीदने वाले का इख़्तिलाफ़ (झगड़ा) हो जाये तो फ़रोख़्त करने वाले की बात का एतिबार किया जाये और ख़रीदार को (बै बरक़रार रखने या ख़त्म करने का) इख़्तियार होगा। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

बै-ए-सलम और रहन (गिरवी) का बयान

बै-ए-सलम के मायने हैं- ख़रीदी जाने वाली चीज़ की क़ीमत पहले अदा की जाये और वह चीज़ बाद में ली जाये। रहन के मायने है किसी से क़र्ज़ लेते वक़्त कोई चीज़ गिरवी रखवा दी जाये।

हदीस 588. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- माप (में मेयारी माप) मदीना वालों का माप है, और वज़न (में मेयारी वज़न) मक्का वालों का है। (अबू दाऊद)

हदीस 589. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नापने और तोलने वालों को मुख़ातब करके फ़रमाया- बिला-शुब्हा तुम उन दो आमाल के ज़िम्मेदार ठहराये गये हो जिनके ग़लत इस्तेमाल से तुमसे पहली उम्मतें तबाह व बरबाद हो गयीं। (तिर्मिज़ी)

दीवालिया होने और मोहलत देने का बयान

हदीस 590. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन की रूह उसके क़र्ज़ की वजह से बीच में रुकी रहती है जब तक कि उसका क़र्ज़ अदा न हो जाये। (शाफ़ई)

हदीस 591. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी इस हाल में फ़ौत हुआ (मरा) कि वह तकब्बुर, ख़्यानत और क़र्ज़ से बरी है तो वह जन्नत में दाख़िल होगा। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 592. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह के यहाँ

उन कबीरा (बड़े) गुनाहों के बाद जिनसे अल्लाह ने मना किया है बहुत बड़ा गुनाह यह है कि जब बन्दा मरकर अल्लाह से मुलाक़ात करे तो वह क़र्ज़दार हो और उसने क़र्ज़ की अदायेगी के लिये दुनिया में कुछ भी न छोड़ा हो। (अबू दाऊद)

हदीस 593. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी रबीअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे चालीस हज़ार (दिरहम) क़र्ज़ लिया, फिर आपके पास माल आया तो आपने यह रक़म मेरी तरफ़ भिजवाई और यह दुआ फ़रमाई-

بَارَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْاَدَآءُ.

बारकल्लाहु तआ़ला फ़ी अह्लि-क व मालि-क इन्नमा जज़ाउस्सल्फ़िल्-हम्दु वल्-अदा-उ।

तर्जुमाः- अल्लाह तेरे अहल (घर वालों) और तेरे माल में बरकत अ़ता करे, बेशक क़र्ज़ का बदला क़र्ज़ देने वाले का शुक्रिया अदा करना और क़र्ज़ अदा करना है। (नसाई)

साझेदारी और ज़िम्मेदारी का बयान

हदीस 594. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं- दो कारोबार में शरीक इनसानों के साथ मैं तीसरा हूँ जब तक कि वे दोनों एक दूसरे की ख़्यानत न करें। अगर वे ख़्यानत करें तो मैं उनसे अलग हो जाता हूँ। (अबू दाऊद)

हदीस 595. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने तुम्हारे पास अमानत रखवाई हो उसे उसकी अमानत वापस पहुँचा दो और जिसने तुम्हारी ख़्यानत की है उसकी ख़्यानत न करो। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

ग़सब करने और माँगकर लेने का बयान

हदीस 596. हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने ऐसी

बेआबाद ज़मीन को आबाद किया जो किसी की मिल्कियत न हो वह उसी की मिल्कियत है। किसी को दूसरे की ज़मीन में किसी चीज़ की काश्त करने का हक़ नहीं है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 597. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- शोर व ग़ुल करना, घुड़दौड़ में दूसरा घोड़ा साथ ले जाना, अदले-बदले की शादी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। माल लूटने वाला वह हम में से नहीं। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- घुड़दौड़ में एक आदमी जो समझता है कि फ़ुलाँ घोड़ा मेरे घोड़े से आगे निकल जायेगा तो वह उसकी रुकावट के लिये एक आदमी को मैदान में किसी जगह मुक़र्रर करता है कि फ़ुलाँ घोड़ा दौड़ता हुआ वहाँ से गुज़रे तो तुम्हें ज़ोर से शोर व ग़ुल करना होगा और शोर व ग़ुल से प्रभावित होकर वह घोड़ा अपनी रफ़्तार को तेज़ नहीं रख सकेगा। या एक आदमी घोड़ा दौड़ाते वक़्त घोड़े के साथ-साथ एक दूसरा घोड़ा रखता है कि अगर पहला घोड़ा पीछे रहता नज़र आयेगा तो उसको छोड़कर वह साथ वाले घोड़े पर सवार हो जायेगा ताकि मुक़ाबले में कामयाबी हो।

अदले-बदले में यह है कि कोई आदमी अपनी लड़की का निकाह दूसरे आदमी के लड़के से इस शर्त पर करता है कि वह अपनी लड़की का निकाह उसके लड़के के साथ करे, और दरमियान में मेहर मुक़र्रर न हो।

हदीस 598. हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई आदमी अपने भाई की लाठी को न ले, न मज़ाक़ के तौर पर और न ही हक़ीक़त में, पस जो आदमी अपने भाई की लाठी लेता है उसे चाहिये कि वह उसे वापस करे। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- कोई मामूली चीज़ भी न मज़ाक़ में और न ही सचमुच लेनी चाहिये, और कभी ग़लती से भी कोई चीज़ ले लें तो वह चीज़ वापस कर दें।

हदीस 599. हज़रत समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी हाथ ने जो माल ज़ुल्म के तौर पर पकड़ा उसको उसे वापस करना है (चाहे उसे दुनिया में दे

दे चाहे आख़िरत में)। (तिर्मिज़ी)

हदीस 600. हज़रत हराम बिन सअ़द बिन महीसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ऊँटनी एक बाग़ में दाख़िल हुई, उसने खेती को ख़राब कर दिया, रसूले करीम ने फ़ैसला फ़रमाया- बाग़ वालों की ज़िम्मेदारी यह है कि वे दिन में अपने बाग़ की हिफ़ाज़त करें और अगर रात में चौपाये खेती को ख़राब करें तो चौपाये के मालिक उसके ज़िम्मदार होंगे। (मुवत्ता इमाम मालिक)

हदीस 601. हज़रत समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई आदमी जानवरों के पास जाये, अगर उनका मालिक मौजूद हो तो उससे इजाज़त तलब करे, अगर मौजूद न हो तो तीन बार आवाज़ दे, अगर जवाब आये तो उससे इजाज़त हासिल करे और अगर जवाब न आये तो जानवरों का दूध पी ले लेकिन उठाकर न ले जाये। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- यह हुक्म भूख और लाचारी की सूरत में है वरना किसी मुसलमान के माल को उसकी इजाज़त के बग़ैर हासिल करना दुरुस्त नहीं।

हदीस 602. हज़रत उमैया बिन सफ़वान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे ग़ज़्वा-ए-हुनैन के दिन चन्द ज़िरहें (जंगी लिबास) माँगे के तौर पर हासिल कीं। मैंने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप अपने क़ब्ज़े में रखने के लिये ले रहे हैं? आपने जवाब दिया नहीं, माँगे के तौर पर (यानी उधार), यह क़ाबिले वापसी होंगी। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 603. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आपने फ़रमाया- माँगे के तौर पर ली हुई चीज़ को वापस किया जाये और (दूध के लिये हासिल किया जाने वाला) जानवर वापस किया जाये और क़र्ज़ अदा किया जाये और सरपरसत क़र्ज़ अदा करने का ज़िम्मेदार है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 604. हज़रत राफ़ेअ़ बिन अ़मर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं (अभी) छोटा लड़का था, अन्सार की खजूरों पर पत्थर फेंकता था, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास लाया

गया, आपने पूछा ऐ लड़के! तुम खजूर के दरख़्तों पर पत्थर क्यों फेंकते हो? मैंने जवाब दिया खजूरें खाने के लिये। आपने फ़रमाया- पत्थर मत फेंको, जो नीचे गिरी हुई हों उन्हें खा लिया करो, फिर मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआ की-

اَللّٰهُمَّ اَشْبِعْ بَطْنَهٗ.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! इसके पेट को सैर फ़रमा। (तिर्मिज़ी)

शुफ़ा का बयान

हदीस 605. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पड़ोसी (घर या ज़मीन में) शुफ़ा का ज़्यादा हक़दार है बशर्ते कि दोनों का रास्ता एक हो। अगर पड़ोसी मौजूद न हो तो उसका इन्तिज़ार किया जाये। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- एक पड़ोसी को अपनी जायदाद बेचने के वक़्त अपने पड़ोसी से पहले पूछना चाहिये कि आप यह ख़रीदना चाहते हैं या नहीं, अगर वह ख़रीदना चाहता हो तो पहले उसे फ़रोख़्त करना चाहिये, अगर वह न ख़रीदना चाहे तो किसी और से संपर्क करें, और अगर रास्ता अलग- अलग हो तो फिर यह ज़रूरी नहीं है।

हदीस 606. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- घर या कारोबार में शरीक शुफ़ा का ज़्यादा हक़दार है, और शुफ़ा (यानी पड़ोसी का पहला हक़) हर चीज़ में साबित है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- जब दो आदमी मिलकर कोई कारोबार करें या कोई जायदाद ख़रीदें फिर उनमें से कोई आदमी अपना हिस्सा बेचना चाहे तो अपने कारोबार में शरीक भाई को पहले बताये, अगर वह ख़रीदना चाहे तो उसका ज़्यादा हक़ है और वह किसी और को बेचने की इजाज़त दे तो फिर किसी और को बेच सकता है।

उजरत (मज़दूरी) देने का बयान

हदीस 607. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा करो। (इब्ने माजा)

ग़ैर-आबाद (बंजर) ज़मीन को आबाद करने और पानी की बारी का बयान

हदीस 608. हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अ़न्हु) को मिल्कियत के तौर पर खजूर के दरख़्त अ़ता किये थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 609. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन चीज़ों में तमाम मुसलमान शरीक हैं— पानी, आग और घास।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 610. हज़रत अस्मर बिन मुज़र्रिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर आप से बैअ़त की। आपने फ़रमाया- जो आदमी किसी चश्मे की तरफ़ पहले पहुँचा कि अभी वहाँ कोई मुसलमान नहीं पहुँचा तो वह उसकी मिल्कियत है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 611. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने खेतों के लिये पानी रोकने के बारे में फ़ैसला किया जब तक पानी टख़्नों तक न पहुँचे पानी को रोक लिया जाये, उसके बाद ऊपर की ज़मीन वाला आदमी नीचे की ज़मीन वाले आदमी के लिये पानी छोड़ दे। (अबू दाऊद)

हदिये और तोहफ़े का बयान

हदीस 612. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी आदमी के लिये

जायज़ नहीं कि वह अ़तीया (तोहफ़ा/हदिया) देकर उसको वापस ले, अलबत्ता वालिद अपने लड़के को जो अ़तीया दे वह उससे वापस ले सकता है, और जो आदमी अ़तीया (दी हुई चीज़) देकर वापस लेता है उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है जो खाता है और जब सैर हो जाता है तो कै़ कर देता है, फिर वही कै़ चाट लेता है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसाई)

हदीस 613. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक देहाती ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ऊँटनी हदिये में दी, आपने उसको बदले में छह ऊँटनियाँ दीं लेकिन उसने नाराज़गी का इज़हार किया, यह ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को पहुँची, आपने अल्लाह की तारीफ़ व सना बयान की, फिर आपने वाज़ेह किया कि फ़ुलाँ आदमी ने मुझे एक ऊँटनी हदिये में दी, मैंने उसके बदले में छह ऊँटनियाँ दीं, इससे वह नाराज़ हो गया। मैंने इरादा कर लिया है कि मैं क़ुरैशी, अन्सारी, सक़फ़ी या दोसी क़बीले के लोगों के अ़लावा किसी दूसरे से हदिया क़ुबूल न करूँगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस 614. हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी को अ़तीया (हदिया/तोहफ़ा) दिया गया वह अगर मालदार है तो उसका बदला दे और अगर मालदार नहीं तो वह उसके लिये दुआ़ करे, इसलिये कि जिस आदमी ने दुआ़ की उसने शुक्रिया अदा किया और जिसने दुआ़ न की उसने नाशुक्री की, और जिसने ऐसी चीज़ को ज़ाहिर किया जो उसे नहीं दी गई है तो वह उस आदमी की तरह है जिसने झूठ के दो कपड़े पहन लिये हों।

(तिर्मिज़ी)

हदीस 615. हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसके साथ एहसान किया जाये वह एहसान करने वाले से कहे "जज़ाकल्लाहु ख़ैरन" (तुम्हें अल्लाह तआ़ला बेहतरीन बदला अ़ता फ़रमाये) तो उसने शुक्रिया अदा कर दिया। (तिर्मिज़ी)

हदीस 616. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने लोगों का शुक्रिया अदा न किया उसने अल्लाह तआ़ला का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। (तिर्मिज़ी)

हदीस 617. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो मुहाजिरीन ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! हमने किसी क़ौम को उस क़ौम से ज़्यादा बावजूद कम माल होने के माल ख़र्च करने वाली और ज़्यादा हमदर्दी करने वाली नहीं देखा, जिसमें हम रहते हैं। उन्होंने हमारे ख़र्चों की ज़िम्मेदारी ली और हमें मुनाफ़े में शरीक किया, हमें ख़तरा है कि कहीं तमाम अज्र व सवाब ये लोग ही न समेटकर ले जायें। आपने फ़रमाया- नहीं, तुम उनके लिये दुआ़यें करते रहो और उनका शुक्रिया अदा करते रहो। (तिर्मिज़ी)

गिरी हुई चीज़ को उठा लेने का बयान

हदीस 618. हज़रत इयाज़ बिन हिमार रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी खोई हुई चीज़ पाये तो वह गवाह बनाये और उस चीज़ को न छुपाये। अगर उसका मालिक मिल जाये तो उसको दे दे वरना अल्लाह तआ़ला का माल है वह जिसे चाहते हैं उसको अ़ता फ़रमाते हैं। (अबू दाऊद)

हदीस 619. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रास्ते में गिरी हुई मिलने वाली लाठी, कोड़ा और रस्सी जैसी चीज़ों के बारे में इजाज़त दे दी कि उनको उठाने वाला उनसे फ़ायदा हासिल कर सकता है। (अबू दाऊद)

वज़ाहत:- अगर खाने की चीज़ मिले तो उसे खाया जा सकता है, जैसा कि नबी करीम को रास्ते से गिरी हुई खजूर मिली तो आपने फ़रमाया- अगर मुझे यह ख़तरा न होता कि कहीं यह सदक़े की न हो तो मैं इसे खा लेता। अगर मिलने वाली चीज़ अहम है तो उसका साल भर ऐलान किया जाये और अगर कम अहमियत वाली हो तो तीन दिन तक ऐलान किया जाये।

विरासत के मसाईल का बयान

हदीस 620. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दो अलग-अलग मज़हब वाले एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- मुसलमान ग़ैर-मुस्लिम का और ग़ैर-मुस्लिम मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता।

हदीस 621. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दादी के लिये माँ की ग़ैर-मौजूदगी पर छठा हिस्सा मुक़र्रर किया। (अबू दाऊद)

हदीस 622. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि बनू ख़ुजाआ़ क़बीले का एक आदमी मर गया। उसका मीरास का माल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास लाया गया। आपने हुक्म दिया कि उसका वारिस या क़रीबी रिश्तेदार तलाश करो, सहाबा किराम को उसका कोई वारिस या क़रीबी रिश्तेदार न मिल सका तो आपने फ़रमाया- यह माल ख़ुज़ाआ़ क़बीले के सरदार को दे दो। (अबू दाऊद)

हदीस 623. हज़रत क़बीसा बिन ज़ुवैब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक दादी अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास आकर अपने विरासती हिस्से का मुतालबा करने लगी। आपने दादी के लिये छठा हिस्सा देने का हुक्म दिया। उसके बाद एक और दादी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास आई वह आप से (विरासत में से) अपना हिस्सा तलब कर रही थी, आपने बताया कि छठा हिस्सा है अगर तुम दोनों इकट्ठी हो तो यह हिस्सा तुम्हारे दरमियान (बराबर) तक़सीम होगा और तुम में से जो अकेली हो तो छठा हिस्सा उसका है। (अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- दादी, नानी दोनों बराबर हैं एक हो या एक से ज़्यादा हों सब छठे हिस्से में बराबर शरीक होंगी, लेकिन माँ की मौजूदगी में दादी या नानी वारिस नहीं है।

हदीस 624. हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं (रिश्तेदारी में) हर ईमान वाले आदमी से उसके नफ़्स (जान) से ज़्यादा क़रीब हूँ, जो आदमी क़र्ज़ या अहल व अ़याल (बाल-बच्चे) छोड़ जाये तो उनकी परवरिश हमारे ज़िम्मे है और जो आदमी माल छोड़ जाये वह उसके वारिसों के लिये है, और मैं उस आदमी का ज़िम्मेदार हूँ जिसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। (अबू दाऊद)

हदीस 625. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी किसी आज़ाद औ़रत या किसी दूसरे की बाँदी के साथ ज़िना करे तो पैदा होने वाले ज़िना के बच्चे शुमार होंगे, न वह ज़िना करने वाला उसका वारिस होगा और न वे बच्चे उसके वारिस होंगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 626. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम मर गया और कुछ माल छोड़ गया लेकिन उसका कोई क़रीबी रिश्तेदार और कोई औलाद नहीं थी, इस पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उसका छोड़ा हुआ माल उसकी बस्ती वालों में से किसी (ग़रीब) आदमी को दे दो। (अबू दाऊद)

हदीस 627. हज़रत ज़ह्हाक बिन सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे ख़त में लिखा कि अश्यम ज़िबाबी की बीवी को उसके शौहर की दियत में से हिस्सा दो। (तिर्मिज़ी)

हदीस 628. हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया- उस मुश्रिक इनसान के बारे में क्या हुक्म है जो किसी मुसलमान आदमी के हाथ पर इस्लाम लाता है? आपने फ़रमाया- वह मुसलमान उसकी ज़िन्दगी और उसकी वफ़ात दोनों सूरतों में उसका ज़्यादा हक़दार (वारिस) है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 629. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी मर गया और उसने एक ग़ुलाम अपनी विरासत में छोड़ा जिसको उसने आज़ाद किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम ने मालूम किया- क्या उसका कोई वारिस है? सहाबा किराम ने कहा नहीं, अलबत्ता उसका एक ग़ुलाम है जिसको उसने आज़ाद किया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसका मीरास का माल उस ग़ुलाम को दिया। (तिर्मिज़ी)

वसीयतों का बयान

हदीस 630. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हज्जतुल्-विदा में ख़ुतबा इरशाद फ़रमाते हुए सुना- बिला-शुब्हा अल्लाह तआ़ला ने हर वारिस को उसका हिस्सा दे दिया है, अब वारिस के लिये वसीयत जायज़ नहीं।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- ग़ैर-वारिस के लिये एक तिहाई तक वसीयत की जा सकती है। शरई वसीयत की तफ़सील किसी आ़लिम से मालूम कीजिये।

हदीस 631. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं बीमार था, रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेरी बीमार-पुरसी की। आपने पूछा- क्या तुमने वसीयत की है? मैंने कहा जी हाँ, आपने मालूम किया कितने माल की? मैंने अ़र्ज़ किया पूरे माल की। आपने पूछा अपनी औलाद के लिये क्या छोड़ा है? मैंने अ़र्ज़ किया उन्हें माल की ज़रूरत नहीं वे तो ख़ुद ही मालदार हैं। आपने फ़रमाया- दसवें हिस्से की वसीयत करो। मैं लगातार उसमें बढ़ाने का मुतालबा करता रहा यहाँ तक कि आपने फ़रमाया- तिहाई हिस्से (33.33%) की वसीयत करो, जबकि तिहाई हिस्सा भी ज़्यादा है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 632. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा शौहर और बीवी साठ साल अल्लाह तआ़ला की इताअ़त में गुज़ारते हैं फिर उन पर मौत के आसार ज़ाहिर होते हैं, वे वसीयत करने में वारिसों को नुक़सान पहुँचाते हैं जिससे उनके लिये दोज़ख़ वाजिब हो जाती है। (तिर्मिज़ी)

निकाह का बयान

हदीस 633. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई ऐसा शख़्स (तुम्हारी परवरिश और ज़िम्मेदारी में मौजूद लड़की के लिये) निकाह का पैग़ाम भेजे जिसकी दीनी और अख़्लाक़ी हालत तुम्हें पसन्द हो तो तुम अपनी लड़की का निकाह उससे कर दो। अगर इस तरह नहीं करोगे तो ज़मीन पर बड़े फ़ितने और फ़सादात ज़ाहिर होंगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 634. हज़रत मअ़्क़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुहब्बत करने वाली और बच्चे जनने वाली औ़रतों से निकाह करो ताकि मैं दूसरी उम्मतों पर तुम्हारी (अधिकता की) वजह से फ़ख़्र कर सकूँ। (अबू दाऊद)

हदीस 635. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी अल्लाह तआ़ला ज़रूर मदद फ़रमाते हैं–

1. वह ग़ुलाम जिसने (आज़ाद होने के लिये अपने आक़ा से) मुकातबत (अपनी आज़ादी की कुछ रक़म मुक़र्रर) कर रखी है और वह मुकातबत की रक़म अदा करना चाहता है।

2. वह आदमी जो ज़िना से बचने के लिये निकाह करना चाहता है।

3. वह आदमी जो अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिये निकल पड़ता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 636. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- निकाह के रिश्ते से बढ़कर कोई चीज़ मुहब्बत करने वालों के दरमियान ताल्लुक़ात को बढ़ाने वाली नहीं है। (इब्ने माजा)

हदीस 637. हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने एक औ़रत की तरफ़ मंगनी का पैग़ाम भेजा तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे पूछा- क्या तुमने उसको देखा है? मैंने

इनकार में जवाब दिया। आपने फ़रमाया- उसको देख लो, इस तरह ज़्यादा उम्मीद है कि तुम में मुहब्बत पैदा हो (और बाद में पछताना न पड़े)।

(तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 638. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाह अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- औरत छुपाने की चीज़ है, जब वह बाहर निकलती है तो शैतान उसको घूर-घूरकर देखता है।

(तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- ग़ैर-मेहरम औरत को ग़ौर और ध्यान से देखना शैतानी आ़दत है, एहतियात कीजिये।

हदीस 639. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई मर्द जब भी किसी ग़ैर-मेहरम औरत के साथ तन्हाई में होता है तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 640. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अ़ली से फ़रमाया- ऐ अ़ली! ग़ैर-मेहरम औरत पर एक नज़र पड़ने के बाद दूसरी नज़र न दौड़ाओ, इसलिये कि पहली नज़र तुम्हारे लिये माफ़ है और दूसरी नज़र माफ़ नहीं है।

(तिर्मिज़ी)

हदीस 641. हज़रत जरहद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुझे मालूम नहीं कि रान सतर (छुपाने की चीज़) है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 642. हज़रत बहज़ बिन हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपनी शर्मगाह को बीवी और बाँदी के अ़लावा किसी के सामने ज़ाहिर न करो। मैंने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! अगर कोई आदमी अकेला है? आपने जवाब दिया तो अल्लाह ज़्यादा लायक़ है कि उससे शर्म व हया की जाये। (तिर्मिज़ी)

हदीस 643. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिन औरतों के शौहर घर

में मौजूद नहीं होते उनके यहाँ न जाया करो, शैतान तुम में से हर आदमी के साथ इस तरह घुल-मिल जाता है जैसे ख़ून जिस्म में जारी रहता है। हमने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! आपके साथ भी शैतान इसी तरह है? आपने जवाब दिया जी हाँ मेरे साथ भी है, अलबत्ता अल्लाह तआ़ला ने उस के ख़िलाफ़ मेरी मदद की है इसलिये मैं उससे महफ़ूज़ रहता हूँ। (तिर्मिज़ी)

हदीस 644. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के यहाँ एक ग़ुलाम लेकर आये, जिसको आपने उनके लिये हिबा किया था और फ़ातिमा पर एक चादर थी जब वह उसके साथ अपना सर ढाँपतीं तो चादर उनके पाँव तक न पहुँचती और जब पाँव ढाँपतीं तो सर तक न पहुँचती थी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनकी इस परेशानी को महसूस किया तो फ़रमाया- ऐ फ़ातिमा! पर्दा न करने में कोई हर्ज नहीं यहाँ सिर्फ़ तेरा वालिद और तेरा ग़ुलाम है (यानी इन दोनों से पर्दा नहीं है)। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- ग़ुलाम अपनी मालिका को देख सकता है, उससे पर्दा नहीं, लेकिन उसके लिये मालिका उसकी मेहरम नहीं, जब ग़ुलाम आज़ाद हो जाये तो वह अपनी पूर्व मालिका से निकाह कर सकता है।

हदीस 645. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वली के बग़ैर निकाह नहीं है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 646. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कुंवारी यतीम बच्ची के निकाह के बारे में उससे इजाज़त ली जाये, अगर वह ख़ामोश रहे तो यह उसकी इजाज़त है और अगर वह इनकार कर दे तो उस पर ज़्यादती न की जाये। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 647. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि एक कुंवारी बालिग़ लड़की नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और बताया कि उसके वालिद ने उसका

निकाह कर दिया है जबकि वह इस निकाह को पसन्द नहीं करती, तो नबी पाक ने उस लड़की को (निकाह बाक़ी रखने या तोड़ देने का) इख़्तियार दे दिया। (अबू दाऊद)

हदीस 648. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स की बेटी बालिग़ हो गई और उसने उसका निकाह न किया और वह गुनाह कर बैठी तो उसका गुनाह उसके वालिद पर होगा। (बैहक़ी)

हदीस 649. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें नमाज़ के तशह्हुद (अत्तहिय्यात) और निकाह के ख़ुतबे की तालीम दी। आपने फ़रमाया कि नमाज़ का तशह्हुद यह है-

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अ़लै-क अय्युहन्नबिय्यु व रह्मतुल्लाहि व ब-रकातुहू अस्सलामु अ़लैना व अ़ला अ़िबादिल्लाहिस्सालिहीन, अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्-न मुहम्मदन् अ़ब्दुहू व रसूलुहू।

तर्जुमाः- तमाम क़ौली, बदनी और माली इबादतें सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर सलाम हो और अल्लाह तआ़ला की रहमतें और उसकी बरकतें हों, हम पर और उसके नेक बन्दों पर सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूदे बरहक़ नहीं सिवाय अल्लाह तआ़ला के, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद उसके बन्दे और उसके रसूल हैं।

निकाह का ख़ुतबा यह है-

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

इन्नल्-हम्-द लिल्लाहि नस्तईनुहू व नस्तग़्फ़िरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन् शुरूरि अन्फ़ुसिना मंय्यह्दिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्-ल लहू व मंय्युज़्लिल् फ़ला हादि-य लहू व अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्-न मुहम्मदन् अ़ब्दुहू व रसूलुहू।

तर्जुमाः- तमाम तारीफ़ व सना अल्लाह तआ़ला के लिये हैं, हम उससे मदद माँगते हैं और उसी से मग़फ़िरत तलब करते हैं और हम अल्लाह तआ़ला से अपने नफ़्सों के शर से पनाह माँगते हैं। जिस आदमी को अल्लाह हिदायत अ़ता फ़रमाये उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसको वह गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआ़ला के अ़लावा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) उसके बन्दे और उसके रसूल हैं।

और तीन आयतें तिलावत कीं-

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

(آل عمران ٣، آیت ١٠٢)

1. या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तक़ुल्ला-ह हक़्-क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्-न इल्ला व अन्तुम्-मुस्लिमून।

तर्जुमाः- ऐ मोमिनो! अल्लाह (के अ़ज़ाब) से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और जब मरना तो मुसलमान ही मरना।

(सूरः आले इमरान 3, आयत 102)

(٢) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○ (النساء ٤، آیت ١)

2. या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़-ल-क़कुम् मिन्-नफ़्सिंव्-वाहि-दतिंव्-व ख़-ल-क़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्-स मिन्हुमा रिजालन्

कसीरंव्-व निसाअन् वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलू-न बिही वल्-अर्हा-म इन्नल्ला-ह का-न अ़लैकुम् रक़ीबा।

तर्जुमाः- ऐ लोगो! अपने रब से डरो, जिसने तुमको एक आदमी (आदम अ़लैहिस्सलाम) से पैदा किया, उससे उसका जोड़ा बनाया फिर उन दोनों से कसरत से मर्द व औ़रत पैदा करके रू-ए-ज़मीन पर फैला दिये, और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से रिश्तों का सवाल करते हो, बेशक अल्लाह तुम्हें देख रहा है। (सूरः निसा 4, आयत 1)

(٣) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٥ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٥

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तक़ुल्ला-ह व क़ूलू क़ौलन् सदीदा। युस्लिह् लकुम् अअ़्मालकुम् व यग़्फ़िर् लकुम् ज़ुनू-बकुम् व मंय्युतिअ़िल्ला-ह व रसूलहू फ़क़द् फ़ा-ज़ फ़ौज़न् अ़ज़ीमा।

(सूरः अहज़ाब 33, आयत 70-71)

तर्जुमाः- ऐ मोमिनो! अल्लाह (के अ़ज़ाब से) डरो और बात सीधी किया करो वह तुम्हारे आमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा, और जो आदमी अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी करेगा तो वही बड़ी मुराद पायेगा। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 650. हज़रत आ़मिर बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक निकाह की मजलिस में क़रज़ा बिन कअ़ब और अबू मसऊद अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा के यहाँ जाना हुआ, वहाँ कुछ (नाबालिग़) लड़कियाँ गीत गा रही थीं, मैंने उनसे कहा आपको रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का सहाबी होने का सम्मान और ग़ज़वा-ए-बदर में शिर्कत का भी गौरव हासिल है, यह आपके सामने क्या हो रहा है? उन दोनों ने मुझसे कहा अगर आप पसन्द करें तो हमारे साथ बैठ जायें और गीत सुनें और अगर जाना पसन्द करें तो चले जायें इसलिये कि हमें निकाह के मौक़े पर गीत गाने की इजाज़त अ़ता की गई है। (नसाई)

वज़ाहतः- अच्छे अश्आ़र पर आधारित गीत गाना जायज़ है। इश्क़िया

अश्आर जिनमें हुस्न व सुन्दरता के मनाज़िर (दृश्यों) का नक़्शा खींचा गया हो और बुराई व गुनाह की जानिब रुझान हो और जिनके सुनने से शहवत (वासना) में भड़काव व उत्तेजना ज़ाहिर हो वो नाजायज़ हैं।

हदीस 651. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मना फ़रमाया कि बीवी की मौजूदगी में उसकी फूफी से निकाह किया जाये या फूफी (बीवी) की मौजूदगी में उसकी भतीजी से निकाह किया जाये, या ख़ाला (बीवी) की मौजूदगी में उसकी भांजी से निकाह किया जाये या छोटी बहन से बड़ी बहन की मौजूदगी में और बड़ी बहन से छोटी बहन की मौजूदगी में निकाह किया जाये। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- अगर एक निकाह में हो तो सगी रिश्तेदार औ़रतें हराम हो जाती हैं उनसे निकाह नहीं हो सकता।

हदीस 652. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मेरे पास मेरे मामूँ अबू बुरदा बिन नियार आये मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक ऐसे आदमी की जानिब भेजा है जिसने अपनी सौतेली माँ से निकाह किया है, कि मैं आपके पास उसका सर क़लम करके लाऊँ और उसके माल को भी ज़ब्त कर लूँ। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- क्योंकि उस आदमी ने शरीअ़त की मुख़ालफ़त की थी और हराम को हलाल समझ लिया था और अ़मली तौर पर उसका मुजरिम हुआ और इस्लाम से मुर्तद हो गया था इसलिये रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐसे आदमी के क़त्ल करने का हुक्म दिया जिसने खुले तौर पर हराम चीज़ों को हलाल जाना।

हदीस 653. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि ग़ैलान बन सलमा सक़फ़ी जब मुसलमान हुआ तो जाहिलीयत के ज़माने में उसके निकाह में दस औ़रतें थीं, वे सब उसके साथ मुसलमान हो गयीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- चार औ़रतों को रख लो और बाक़ी को अपने से जुदा कर दो (तलाक़ दे दो)।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 654. हज़रत ज़ह्हाक बिन फ़ीरोज़ दैलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मेरे वालिद ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं मुसलमान हुआ तो मेरे निकाह में एक साथ दो बहनें थीं। आपने फ़रमाया- उनमें से जिसको चाहो रख लो और दूसरी को तलाक़ दे दो।

(इब्ने माजा, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 655. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक औरत मुसलमान हो गई और उसने किसी मुसलमान से निकाह कर लिया, उसका पहले वाला शौहर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया, उसने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं मुसलमान हो चुका था और मेरी उस बीवी को मेरे इस्लाम लाने का इल्म था। आपने उस औरत को दूसरे शौहर से जुदा करके पहले शौहर के निकाह में दे दिया। (अबू दाऊद)

हदीस 656. हज़रत ख़ुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा अल्लाह तआला हक़ के बयान करने से शर्म नहीं करता, तुम औरतों की दुबुर (पाख़ाने की जगह) में सोहबत न करो। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 657. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वह आदमी मलऊन है जो अपनी बीवी की दुबुर में सोहबत करता है। (अहमद)

हदीस 658. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के वलीमे पर सत्तू और खजूर का इन्तिज़ाम फ़रमाया। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 659. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर किसी आदमी के निकाह में दो औरतें हैं और वह उनके दरमियान अदल (इन्साफ़ और बराबरी) नहीं करता तो वह क़ियामत के दिन इस हालत में आयेगा कि उसका एक पहलू (करवट) नाकारा होगा। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई)

हदीस 660. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा बयान करती हैं कि एक दफ़ा मैंने नबी पाक से दौड़ में मुक़ाबला किया तो मैं आप से आगे निकल गई, जब मैं मोटी हो गई तो मैंने फिर आप से दौड़ में मुक़ाबला किया तो आप मुझ से आगे निकल गये, आपने फ़रमाया- यह उसका बदला हो गया। (अबू दाऊद)

हदीस 661. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से वह आदमी बहुत अच्छा है जो अपने घर वालों (के हक़) में अच्छा हो और मैं अपने घर वालों के लिये तुम सबसे अच्छा हूँ, और जब तुम्हारा कोई साथी मर जाये तो उसके ऐब बयान न करो। (तिर्मिज़ी)

हदीस 662. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी शरीअ़त में अल्लाह तआ़ला के अ़लावा किसी और को सज्दा करना जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सज्दा करे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 663. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो औ़रत मर गयी और उसका शौहर उससे ख़ुश था तो वह जन्नत में दाख़िल होगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 664. हज़रत तलक़ बिन अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब शौहर अपनी बीवी को सोहबत (हमबिस्तरी) के लिये बुलाये तो उसे उसके पास जाना चाहिये चाहे वह तन्दूर पर (रोटी पका रही) हो। (तिर्मिज़ी)

हदीस 665. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वह आदमी हमारा फ़रमाँबरदार नहीं जो किसी औ़रत को उसके शौहर के ख़िलाफ़ या किसी गुलाम को उसके मालिक के खिलाफ़ भड़काये। (अबू दाऊद)

हदीस 666. हज़रत इयास बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह की बन्दियों (अपनी बीवियों) को मत मारो। हज़रत उमर आपकी ख़िदमत में

आये और बयान किया कि बीवियाँ अपने शौहरों पर ग़ालिब आ गई हैं तो रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उन्हें हल्की सज़ा देने की इजाज़त दे दी, फिर बहुत सारी औ़रतें आपकी पाक बीवियों के पास पहुँचीं, वे अपने शौहरों की शिकायत कर रही थीं इस पर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुहम्मद की बीवियों के पास कसरत के साथ औ़रतें जमा हो गई हैं, वे अपने शौहरों की शिकायत कर रही हैं, तुम में ऐसे लोग अच्छे अख़्लाक़ वाले नहीं हैं जो अपनी बीवियों पर ज़्यादती करते हैं। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- सज़ा देने में बीवियों को चेहरे या ऐसी जगह चोट मारने से मना किया गया है जिससे उसका हुस्न मुतास्सिर हो।

हदीस 667. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिन लोगों के अख़्लाक़ अच्छे हैं उनका ईमान मुकम्मल है, और तुम में बेहतरीन वे लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 668. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जंगे-तबूक से वापस लौटे, मेरे कमरे की खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली उससे पर्दे का किनारा हटा तो मेरी गुड़ियाँ नज़र आयीं। आपने पूछा ऐ आ़यशा! ये क्या हैं? मैंने कहा ये मेरी गुड़ियाँ हैं। आपने गुड़ियों के दरमियान एक घोड़ा भी देखा जिस पर कपड़े के टुकड़ों से बने हुए दो पर (पंख) भी थे। आपने पूछा गुड़ियों के दरमियान यह क्या है? मैंने कहा यह घोड़ा है। आपने पूछा- घोड़े के ऊपर क्या है? मैंने बताया दो पर हैं। आपने फ़रमाया- क्या घोड़े के भी पर होते हैं? मैंने कहा क्या आपने नहीं सुना कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के पास दो घोड़े थे जिनके पर थे। (यह सुनकर) आप हंस पड़े यहाँ तक कि मैंने आपकी (दाँतों की) कुचलियों को देख लिया। (अबू दाऊद)

हदीस 669. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया तीन क़िस्म के लोगों की न नमाज़ क़ुबूल होती है और न कोई नेक अ़मल आसमान की तरफ़ चढ़ता है-

1. भागा हुआ ग़ुलाम जब तक वापस न आये।

2. वह औ़रत जिससे उसका शौहर नाराज़ हो जब तक वह राज़ी न हो जाये।

3. नशा करने वाला शख़्स जब तक नशा न छोड़े। (बैहक़ी)

हदीस 670. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया कि कौनसी औ़रत बेहतर है? आपने फ़रमाया- वह औ़रत कि जब उसका शौहर उसकी तरफ़ नज़र उठाये तो शौहर को ख़ुश कर दे, जब वह कोई हुक्म दे तो उसका हुक्म बजा लाये, अपनी ज़ात और शौहर के माल में शौहर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ऐसा काम न करे जो उसके शौहर को नापसन्द हो। (नसाई)

ख़ुला और तलाक़ का बयान

हदीस 671. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो औ़रत अपने शौहर से बग़ैर किसी (शरई) वजह के तलाक़ का मुतालबा करे तो उस पर जन्नत की ख़ुशबू हराम है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 672. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आदम अ़लैहिस्सलाम का बेटा (यानी इनसान) उस चीज़ की नज़्र (मन्नत) न माने जो उसकी मिल्कियत में नहीं और और जिस चीज़ पर उसकी मिल्कियत नहीं उसको आज़ाद न करे, और जिस पर उसका बीवी होने का हक़ नहीं उसको तलाक़ न दे। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- कोई आदमी किसी और की बीवी को तलाक़ देने का इख़्तियार नहीं रखता, इसी तरह किसी और के ग़ुलाम को आज़ाद करने का भी हक़ नहीं रखता।

हदीस 673. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ज़बरदस्ती दिलवाई जाने वाली तलाक़ और ज़बरदस्ती (ग़ुलाम) आज़ाद कराना लागू नहीं होता।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- अगर किसी आदमी को डरा-धमका कर उसकी बीवी को तलाक़ दिलवा दी जाये या ग़ुलाम आज़ाद करवाया जाये तो न तो ग़ुलाम आज़ाद होता है और न ही तलाक़ पड़ती है।

हदीस 674. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन आदमी ऐसे हैं जिनसे पूछगछ नहीं होगी (उनके अच्छे या बुरे आमाल का कोई एतिबार नहीं है)– सोने वाले जब तक जाग न जाये, बच्चा जब तक बालिग़ न हो जाये और दीवाना (पागल) जब तक (उसके) होश ठिकाने न आ जायें।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 675. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वे औ़रतें जो अपने आपको (बिना किसी जायज़ उज़्र के) शौहर के निकाह से निकलना चाहती हैं और ख़ुला लेना चाहती हैं, वे मुनाफ़िक़ हैं। (नसाई)

हदीस 676. हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सलमान बिन सख़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपनी बीवी को ख़ुद अपने ऊपर हराम क़रार देते हुए यानी उससे ज़िहार करते हुए उसको रमज़ान-मुबारक के ख़त्म होने तक अपनी माँ की तरह क़रार दिया। जब आधा रमज़ान गुज़र गया तो रात के वक़्त बीवी से सोहबत कर ली, उसके बाद आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप से इसका ज़िक्र किया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसको हुक्म दिया कि वह एक ग़ुलाम को आज़ाद करे, उसने (माज़िरत के अन्दाज़ में) कहा मुझमें ग़ुलाम आज़ाद करने की ताक़त नहीं है। आपने फ़रमाया- फिर तुम लगातार दो महीने के रोज़े रखो, उसने कहा इसकी भी मुझमें ताक़त नहीं। आपने फ़रमाया फिर तुम साठ मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उसने अ़र्ज़ किया- मुझमें इसकी भी ताक़त नहीं। (इस पर) रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रवा बिन अ़मर से कहा- इसको वह टोकरा दे दो जिसमें 15 या 16 साअ़ खजूर होती है ताकि यह 60 मिस्कीनों को खिलाकर ज़िहार का कफ़्फ़ारा अदा कर ले। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः

मुजादला 58, आयत 1-4।

हदीस 677. हज़रत सलमा बिन सख़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ज़िहार करने वाला अगर कफ़्फ़ारा अदा करने से पहले अपनी बीवी से सोहबत कर ले तो एक ही कफ़्फ़ारा काफ़ी है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- ज़िहार के मायने हैं "अपनी बीवी को माँ की तरह क़रार देना"।

लिआन का बयान

नोटः- लिआन की तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर (सूरः नूर 24, आयत 6 से 9 तक)।

हदीस 678. हज़रत जाबिर बिन अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बाज़ी ग़ैरत को अल्लाह तआला पसन्द फ़रमाते हैं और बाज़ी ग़ैरत को नापसन्द करते हैं। जिस ग़ैरत को अल्लाह तआला पसन्द फ़रमाते हैं वह शक व शुब्हे की वजह से पैदा होने वाली ग़ैरत है, और जिस ग़ैरत को अल्लाह तआला नापसन्द फ़रमाते हैं वह बग़ैर शक व शुब्हे के पैदा होने वाली ग़ैरत है (यानी यह कि बीवी पर तोहमत लगाई जाये)। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 679. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जब दो लिआन करने वाले लिआन कर रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को हुक्म दिया कि वह पाँचवीं बार में अपना हाथ मर्द के मुँह पर रखे और उसे बताये कि पाँचवीं बार का इक़रार वाजिब करने वाला है। (नसाई)

वज़ाहतः- पाँचवीं बार जो अल्लाह तआला की लानत को दावत दे रहा है अगर वह झूठा हुआ तो अल्लाह की लानत उस तक पहुँचकर रहेगी।

इद्दत गुज़ारने का बयान

हदीस 680. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस औ़रत का शौहर मर जाये वह ज़र्द (पीले) रंग और गेरू रंग का लिबास न पहने, न ज़ेवर पहने, न मेहंदी लगाये और न सुर्मा लगाये। (अबू दाऊद)

ख़र्चों और ग़ुलाम के हुक़ूक़ का बयान

हदीस 681. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर पूछा- मेरे पास माल है जबकि मेरे वालिद को मेरे माल की ज़रूरत है। आपने फ़रमाया- तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे वालिद का है, बिला-शुब्हा औलाद बेहतरीन कमाई है। तुम अपनी औलाद की कमाई अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 682. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा- मैं ज़रूरत मन्द हूँ मेरे पास कुछ नहीं और मेरी ज़िम्मेदारी में एक यतीम है; आपने इजाज़त दी कि तुम अपने (मातहत) यतीम के माल में से ज़रूरत के मुताबिक़ ख़र्च कर सकते हो लेकिन उसमें फ़ुज़ूलख़र्ची न हो, ज़रूरत से ज़्यादा ज़ल्दी-जल्दी ख़र्च न करो और न ही उससे जायदाद बनाओ। (अबू दाऊद, इब्ने माज, नसाई)

हदीस 683. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि एक सहाबी रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए उन्होंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! ख़ादिम को हम कितनी बार माफ़ करें? आप ख़ामोश रहे। फिर उन्होंने इसी सवाल को दोहराया, आप फिर भी ख़ामोश रहे। जब उन्होंने तीसरी बार पूछा तो आपने फ़रमाया- उसे हर दिन सत्तर बार माफ़ किया करो। (अबू दाऊद)

हदीस 684. हज़रत सहल बिन हन्ज़लिया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक ऊँट के पास से गुज़रे जिसकी कमर (भूख की वजह) उसके पेट के साथ लगी हुई थी। आपने फ़रमाया- उन जानवरों के बारे में अल्लाह तआ़ला का ख़ौफ़ करो जो बोल

नहीं सकते। उन पर उस वक़्त सवारी करो जब वे सवारी के क़ाबिल हों और उनको उस हाल (कमज़ोरी) में छोड़ दो ताकि वे (खा-पीकर) अच्छे हो जायें। (अबू दाऊद)

हदीस 685. हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने माँ और उसकी औलाद के दरमियान जुदाई डाली, क़ियामत के दिन अल्लाह उसके और उसके महबूबों (प्यारों) के दरमियान जुदाई डालेगा।

(तिर्मिज़ी, दारमी)

छोटे बच्चों की परवरिश, तरबियत और उनके बालिग़ होने का बयान

हदीस 686. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक तलाक़-याफ़्ता औ़रत ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर बयान किया कि मेरा शौहर चाहता है कि वह मुझको मेरे बेटे से अलग कर दे जबकि मेरा बेटा मेरे लिये पानी लाता है और मेरी ख़िदमत करता है। रसूले पाक ने (बच्चे को मुख़ातब करते हुए) फ़रमाया- यह तुम्हारा वालिद है और यह तुम्हारी वालिदा हैं इनमें से जिसके पास तुम जाना चाहो चले जाओ, चुनाँचे उसने अपनी वालिदा (माँ) का हाथ पकड़ा (फिर) वह उसको अपने साथ ले गई। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 687. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक औ़रत ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! यह मेरा बेटा है इसके वालिद ने मुझे तलाक़ दे दी है और वह इसको मुझसे छीनना चाहता है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम इसकी ज़्यादा हक़दार हो जब तक तुम दूसरी जगह निकाह न करो।

(अहमद, अबू दाऊद)

क़समें खाने और नज़्र (मन्नत) मानने का बयान

हदीस 688. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से

रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने अल्लाह तआ़ला के अ़लावा किसी और के नाम की क़सम खाई, उसने शिर्क किया। (तिर्मिज़ी)

हदीस 689. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी क़सम खाते हुए "इन्शा-अल्लाह" कहे उसकी क़सम नहीं टूटती।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 690. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बाप-दादाओं के नाम की क़समें न खाओ, बुतों की क़समें न खाओ और अल्लाह तआ़ला की क़सम भी सिर्फ़ उस वक़्त खाओ जब तुम सच्चे हो। (अबू दाऊद)

हदीस 691. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने क़सम खाते हुए कहा कि अगर मामला यूँ हो तो मैं इस्लाम से दूर हुआ। पस अगर वह झूठा है तो वह (यक़ीनन) इस्लाम से दूर हो जायेगा, और अगर वह सच्चा है तो फिर भी इस्लाम की जानिब सही सालिम नहीं पहुँचेगा। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- क़सम खाते वक़्त इस्लाम से दूर होने की क़सम हरगिज़ न खाईये।

हदीस 692. हज़रत औ़फ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने चचाज़ाद भाई के पास जाता हूँ और उससे माँगता हूँ, वह मुझे न कुछ देता है और न सिला-रहमी करता है, उसके बाद जब उसे मेरी ज़रूरत पड़ती है तो वह मेरे पास आता है और मुझसे माँगता है जबकि मैंने क़सम खाई है कि मैं भी उसको नहीं दूँगा और न ही उसके साथ सिला-रहमी करूँगा, तो आपने मुझे हुक्म दिया कि वह काम (सिला-रहमी) करो जो बेहतर है और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करो। (नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 693. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नाफ़रमानी की नज़्र (मन्नत)

जायज़ नहीं और उसका कफ़्फ़ारा क़सम का कफ़्फ़ारा है।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई)

वज़ाहतः- क़सम का कफ़्फ़ारा दस मिस्कीनों को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना या एक ग़ुलाम को आज़ाद करना या तीन दिन के रोज़े रखना है।

(अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः मायदा 5, आयत 89)

हदीस 694. हज़रत साबित बिन ज़ह्हाक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में एक आदमी ने नज़्र (मन्नत) मानी कि वह "बवाना" मुक़ाम में ऊँट ज़िबह करेगा। उसने नबी करीम को यह बात बताई तो आपने उससे पूछा- वहाँ जाहिलीयत (इस्लाम से पहले दौर) के बुतों में से कोई बुत था? जिसकी पूजा होती रही हो। उसने नफ़ी में जवाब दिया। आपने पूछा- वहाँ जाहिलीयत के मेलों में से कोई मेला लगता था? उसने नफ़ी में जवाब दिया (यह सुनकर) रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया तुम अपनी मन्नत पूरी करो। उस मन्नत को पूरी न किया जाये जिसमें अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी होती हो, और न ही उस मन्नत को पूरा किया जाये जिसको इनसान पूरा करने से क़ासिर (असमर्थ) हो। (अबू दाऊद)

हदीस 695. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने मक्का फ़तह होने के दिन खड़े होकर अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अल्लाह के लिये मन्नत मान रखी है कि जब अल्लाह ने आपको फ़त्हे-मक्का से नवाज़ा तो मैं बैतुल-मुक़द्दस में दो रक्अ़त (नफ़िल) अदा करूँगा। आपने फ़रमाया- बजाय बैतुल-मुक़द्दस के यहीं नफ़िल अदा करो, फिर उसने इस सवाल को दोहराया, आपने फ़रमाया- यहीं अदा करो। उसने फिर इस सवाल को दोहराया, इस पर आपने फ़रमाया- जैसे तुम्हें पसन्द हो कर लो। (अबू दाऊद, दारमी)

क़िसास (ख़ून के बदले) का बयान

हदीस 696. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर आसमान व ज़मीन वाले सब मिलकर किसी मोमिन के नाहक़ क़त्ल में शरीक हो जायें तो अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त उन तमाम को मुँह के बल जहन्नम में डाल देंगे।

(तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- नाहक़ क़त्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचिये।

हदीस 697. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम न फ़रमाया- मक़्तूल (क़त्ल होने वाला शख़्स) क़ियामत के दिन क़ातिल को लेकर आयेगा, उसकी पेशानी और उसका सर उसके हाथ में होगा और उसकी रगों से ख़ून बह रहा होगा और कहेगा- ऐ मेरे रब! यह मेरा क़ातिल है यहाँ तक कि वह उसको अ़र्श के क़रीब ले जायेगा (फिर क़ातिल को जहन्नम में डाल दिया जायेगा)। (तिर्मिज़ी, नसाई)

(अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः निसा 4, आयत 93)

हदीस 698. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी किसी लड़ाई में क़त्ल हो गया (जबकि लड़ने वाले) आपस में एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे, कोड़े मार रहे थे, लाठियाँ बरसा रहे थे, यह क़त्ल तो 'क़त्ल-ए-ख़ता' (ग़लती और चूक से हुआ क़त्ल) है। इसकी दियत (माली जुर्माना) भी 'क़त्ल-ए-ख़ता' की दियत होगी, और जिस आदमी को इरादे के साथ (यानी जान-बूझकर) क़त्ल किया तो उसका क़िसास है, और जो आदमी उससे क़िसास लेने में रुकावट बनेगा उस पर अल्लाह तआ़ला की लानत और नाराज़गी है। उसका फ़र्ज़, नफ़िल कोई भी अ़मल अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मक़बूल नहीं होगा। (नसाई, अबू दाऊद)

हदीस 699. हज़रत अबू उमामा बिन हुनैफ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से

रिवायत है कि हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान जब घर में (बन्दी बना लिये गये थे) तो आपने छत पर आकर कहा- मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ क्या तुम रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह फ़रमान नहीं जानते कि किसी मुसलमान आदमी का ख़ून सिर्फ़ तीन सूरतों में से किसी एक सूरत में बहाना (जायज़) है—

1. शादीशुदा होने के बावजूद ज़िना करे।
2. इस्लाम लाने बाद कुफ़्र इख़्तियार करे (मुर्तद हो जाये)।
3. नाहक़ किसी आदमी को क़त्ल करे।

अल्लाह की क़सम मैंने जाहिलीयत में (यानी इस्लाम से पहले) और न ही इस्लाम में कभी ज़िना किया, और जब से मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बैअ़त की है, मैं मुर्तद नहीं हुआ, और मैंने किसी ऐसे नफ़्स (जान) को क़त्ल भी नहीं किया जिसके क़त्ल को अल्लाह ने हराम क़रार दिया हो, तो तुम मुझे क़त्ल क्यों करना चाहते हो?

(तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा)

हदीस 700. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़त्ल-ए-ख़ता (ग़लती से क़त्ल) की दियत सौ ऊँट है उनमें से चालीस ऊँटनियाँ हामिला (गर्भवती) होनी चाहियें। (नसाई, इब्ने माजा, दारमी)

हदीस 701. हज़रत अ़मर बिन हज़्म रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यमन वालों को ख़त भेजा, उसमें लिखा था कि जो आदमी किसी ईमान वाले आदमी को बग़ैर किसी क़सूर के जान से मार डाले (तो) उससे क़िसास (बदला) लिया जाये, हाँ अगर मक़्तूल के वारिस (दियत पर या माफ़ करने पर) रज़ामन्दी हो जायें तो अलग बात है। और उसमें तहरीर था कि मर्द को औ़रत के बदले क़त्ल नहीं किया जाये। उसमें यह भी लिखा था कि एक जान के बदले 100 ऊँट (दियत) हैं और सोने के हिसाब से 1000 दीनार दियत हैं, और जब किसी आदमी की नाक जड़ से काट दी जाये तो उसकी दियत 100 ऊँट हैं। दाँतों, होंठों, फ़ोतों, ख़ास अंग, कमर और दोनों आँखों की मुकम्मल दियत है। एक

पाँव में आधी दियत है, और दिमाग़ के ज़ख़्म तथा पेट के ज़ख़्म में दियत का तीसरा हिस्सा (यानी तिहाई) है। हड्डी टूटने पर 15 ऊँट हैं, हाथ-पाँव की हर उंगली में 10 ऊँट हैं और एक दाँत की दियत 5 ऊँट हैं। (नसाई)

हदीस 702. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दियत देने के एतिबार से तमाम उंगलियाँ बराबर हैं, तमाम दाँत भी बराबर हैं। सामने के ऊपर वाले दो दाँत और नीचे के दो दाँत और दाढ़ बराबर हैं। उंगली और अंगूठा बराबर हैं। (अबू दाऊद)

हदीस 703. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तलवार को (म्यान से) बाहर निकाल कर पकड़ने से मना फ़रमाया है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 704. हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी अपने दीन, अपनी जान, अपने माल और अपने घर वालों की हिफ़ाज़त करते वक़्त मारा गया तो वह शहीद है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

इस्लाम से फिर जाने वालों और फ़सादियों को क़त्ल करने का बयान

हदीस 705. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमें सदक़ा (देने) की रग़बत (रुचि) दिलाते और हमें किसी का मुसला करने (यानी नाक, कान और दूसरे बदनी अंग काटकर उसकी शक्ल बिगाड़ने) से मना करते थे। (अबू दाऊद)

हदीस 706. हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम एक सफ़र में रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे, आप लेट्रीन की ज़रूरत के लिये तशरीफ़ ले गये, हमने एक चिड़िया को पाया, उसके साथ दो बच्चे थे, हमने उसके दोनों बच्चों को पकड़ा तो चिड़िया आई, वह अपने परों को फैला रही थी, उसी दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ ले आये। आपने पूछा इस चिड़िया को और इसके

बच्चों को किसने परेशान किया है? इसके बच्चे इसके हवाले कर दो। साथ ही आपने चींटियों का बिल (सुराख़) देखा जिसे हमने जला दिया था, आपने मालूम किया इसको किसने जलाया है? हमने अ़र्ज़ किया हमने जलाया है। आपने फ़रमाया- यह हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि आग के मालिक के अ़लावा कोई और किसी को आग के अ़ज़ाब में मुब्तला करे। (अबू दाऊद)

हदीस 707. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आने वाले दौर में मेरी उम्मत में झगड़े और फूट ज़ाहिर होगी, कुछ लोग अच्छी बातें करेंगे (जबकि) उनके काम बुरे होंगे। क़ुरआने करीम की तिलावत करेंगे (लेकिन) क़ुरआने करीम उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा, वे इस्लाम से (यूँ) ख़ारिज हो जायेंगे जैसा कि तीर निशाने से पार हो जाता है। वे (इस्लाम की तरफ़) उस वक़्त तक वापस न लौटेंगे जब तक तीर जहाँ से निकल गया था वहाँ वापस न आ जाये (यानी हरगिज़ इस्लाम की जानिब वापस नहीं आयेंगे), ये लोग जानवरों से भी बदतर होंगे। वे लोग मुबारकबाद के लायक़ हैं जो उन्हें क़त्ल करेंगे। (अबू दाऊद)

हदीस 708. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐसे मुसलमान आदमी का क़त्ल हलाल नहीं जो यह गवाही देता है कि अल्लाह तआ़ला के अ़लावा कोई माबूदे बरहक़ नहीं और मुहम्मद अल्लाह तआ़ला के रसूल हैं, अलबत्ता तीन कारणों में से एक हो तो तब (उसका क़त्ल) हलाल है—

1. शादीशुदा होने के बाद ज़िना करने वाले को रजम (पत्थर मार-मारकर हलाक) किया जाये।

2. जो आदमी अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल के साथ लड़ाई करे उसे क़त्ल किया जाये या उसे जिला-वतन कर दिया जाये।

3. जो आदमी किसी (मुसलमान) आदमी को क़त्ल करे तो उसे बदले में क़त्ल किया जाये। (अबू दाऊद)

हदीस 709. हज़रत इब्ने अबी लैला रहमतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि हमें सहाबा किराम ने बताया कि वे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम के साथ रात के वक़्त चल रहे थे, उनमें से एक आदमी सो गया तो किसी आदमी ने अपनी रस्सी ली और (उसकी तरफ़) चल दिया और उसे उस रस्सी के साथ बाँधना चाहा तो वह आदमी घबरा गया। इस पर रसूले पाक ने फ़रमाया- किसी मुसलमान के लिये जायज़ नहीं कि वह किसी दूसरे मुसलमान को इस तरह परेशान करे। (अबू दाऊद)

हदीस 710. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ईमान क़त्ल करने से रोकता है, लिहाज़ा कोई मोमिन किसी को नाहक़ क़त्ल न करे। (अबू दाऊद)

हदीस 711. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक यहूदी औ़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को गालियाँ दिया करती थी और आप में ऐब निकाला करती थी, एक आदमी ने उसका इतना गला दबाया कि वह मर गई। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसके ख़ून का बदला नहीं दिलवाया। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- गुस्ताख़े रसूल को क़त्ल करना जायज़ है।

हदों (सज़ाओं) का बयान

हदीस 712. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आपस में एक दूसरे के हद लगने के क़ाबिल क़सूर भी माफ़ कर दिया करो क्योंकि जब मेरे पास मामला पहुँचेगा तो हद (सज़ा) का जारी करना लाज़िम हो जायेगा। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 713. हज़रत वाईल बिन हजर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में एक औ़रत नमाज़ अदा करने के इरादे से अपने घर से निकली, उसे एक आदमी मिला, उसने उसको एक चादर से ढाँप लिया, फिर उसने उस औ़रत से अपनी इच्छा को पूरा किया (यानी उसके साथ ज़िना किया), वह औ़रत चीख़ती रही उसके बाद वह आदमी भाग गया। वहाँ से मुहाजिरीन की एक जमाअ़त गुज़री। उस औ़रत ने उनसे कहा कि एक आदमी ने मेरे साथ ज़िना किया है।

चुनाँचे वे लोग उस आदमी को पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास ले आये। आपने उस औ़रत से कहा तुम जाओ अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, फिर आपने उस (ज़ानी) आदमी के बारे में हुक्म दिया कि इसे रजम करो, फिर जब उसे रजम किया गया तो आपने उसके बारे में फ़रमाया- इस आदमी ने ऐसी तौबा की है कि अगर ऐसी तौबा मदीना वाले करें तो उन (सब) की तौबा क़ुबूल हो जाये।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 714. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने एक औ़रत के साथ ज़िना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसके बारे में हुक्म दिया कि इसको हद (सज़ा) के कोड़े लगाये जायें, फिर आपको बताया गया कि यह तो शादीशुदा है तब आपने उसे रजम (पत्थरों से मार-मारकर ख़त्म) करने का हुक्म दिया। (अबू दाऊद)

हदीस 715. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी को तुम क़ौमे लूत के अ़मल (यानी अप्राकृतिक तौर पर अपनी जिन्सी इच्छा पूरी करने) में मुब्तला पाओ तो इस काम के करने वाले और कराने वाले दोनों को क़त्ल कर दो। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 716. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा मुझे अपनी उम्मत से ज़्यादा ख़तरा इस बात का है कि कहीं वह क़ौमे लूत के अ़मल (यानी औ़रत या मर्द के साथ पाख़ाने की जगह में सोहबत करने) में मुब्तला न हो जाये। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 717. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मे फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला उस आदमी की तरफ़ रहमत की नज़र से नहीं देखते जो किसी मर्द या औ़रत से उसकी दुबुर (पाख़ाने की जगह) में बदफ़ेली (कुकर्म) करता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 718. हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है

कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रिश्तेदारों और ग़ैर-रिश्तेदारों सब पर अल्लाह की हदों (सज़ाओं) को क़ायम करो, और अल्लाह के बारे में तुम पर किसी मलामत करने वाले (बुरा कहने वाले) की मलामत का असर नहीं होना चाहिये। (इब्ने माजा)

हदीस 719. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ख़ुदाई हदों (शरई सज़ाओं) में से किसी हद को क़ायम करना, चालीस रात (रहमत की) बारिश बरसने से बेहतर है। (इब्ने माजा, नसाई)

हदीस 720. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, वह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बयान करते हैं कि आपसे उस फल की चोरी के बारे में पूछा गया जो (पेड़ पर) लटक रहा है, आपने फ़रमाया- जो आदमी फल के ढेर से कुछ चुराता है अगर वह ढाल की क़ीमत के बराबर है तो उसका हाथ काटा जाये। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 721. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक चोर लाया गया, आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। उसके वारिसों ने कहा हमारा ख़्याल न था कि आप इस पर हद जारी कर देंगे। आपने फ़रमाया- अगर फ़ातिमा (बिन्ते मुहम्मद) भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ भी काटने का हुक्म दूँगा।
(नसाई)

हदीस 722. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी की सिफ़ारिश अल्लाह की हदों (शरई सज़ाओं) में से किसी हद (के जारी करने में) रुकावट हो तो उसने अल्लाह तआ़ला की मुख़ालफ़त की, और जिस आदमी ने ग़लत बात (साबित करने) में झगड़ा किया हालाँकि वह जानता है कि यह बात ग़लत है, वह उस बात से जब तक नहीं रुकेगा हमेशा अल्लाह तआ़ला की नाराज़गी में रहेगा, और जिस आदमी ने किसी ईमान वाले आदमी के बारे मे ऐसी बात कह दी जो उसमें नहीं है तो अल्लाह तआ़ला उसको दोज़ख़ों के ख़ून और पीप की जगह में ठहरायेगा

यहाँ तक कि वह अपनी कही हुई बात की सज़ा भुगत लेगा। (अबू दाऊद)

हदीस 723. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक शराबी को लाया गया, आपने फ़रमाया- इसे सज़ा दो। हम में से कुछ लोग उसे घूँसे मार रहे थे और कुछ उसे कपड़े से मार रहे थे जबकि कुछ लोग उसे जूते मार रहे थे, फिर आपने फ़रमाया- इसको बुरा-भला कहो, लोगों ने उसे (डाँट पिलाते हुए) कहा तुमने नेकी और परहेज़गारी इख़्तियार नहीं की, तुम अल्लाह तआ़ला से बेख़ौफ़ हो गये, तुमने रसूले पाक की भी शर्म नहीं की? कुछ लोगों ने कहा तुम्हें अल्लाह तआ़ला ज़लील करे। यह सुनकर आपने फ़रमाया- ऐसी बात कहकर इसके ख़िलाफ़ शैतान की मदद न करो, अलबत्ता यह कहो-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ. اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ.

तर्जमाः- ऐ अल्लाह! इसको माफ़ कीजिये, इस पर रहम फ़रमाईये।

(अबू दाऊद)

हदीस 724. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन शख़्स ऐसे-हैं जिन पर अल्लाह तआ़ला ने जन्नत हराम कर दी है—

1. हमेशा शराब पीने वाला। 2. माँ-बाप का नाफ़रमान। 3. वह बेग़ैरत जो अपने घर में बेहयाई को (देखने के बावजूद उसे) बरक़रार रखता है।

(अहमद, नसाई)

हदीस 725. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई आदमी किसी को मारे तो चेहरे पर मारने से परहेज़ करे। (अबू दाऊद)

हदीस 726. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- शराब पीने वाले की नमाज़ 40 दिन तक क़ुबूल नहीं होती। अगर वह तौबा कर ले तो अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़ुबूल करते हैं, अगर वह फिर दूसरी बार शराब पी ले तो 40 दिन तक उसकी नमाज़ क़ुबूल नहीं होती, अगर वह

तौबा कर ले तो अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़ुबूल करते हैं, अगर वह फिर तीसरी बार शराब पी ले तो 40 दिन तक उसकी नमाज़ क़ुबूल नहीं होती, अगर वह तौबा कर ले तो अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़ुबूल करते हैं, अगर वह चौथी बार शराब पी ले तो 40 दिन तक अल्लाह तआ़ला उसकी नमाज़ क़ुबूल नहीं करते, अब अगर वह तौबा भी करे तो अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़ुबूल नहीं करते और उसे दोज़ख़ियों के (ज़ख़्मों से निकले हुए) ख़ून और पीप की नहर से पिलायेंगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 727. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो चीज़ ज़्यादा पीने से नशा लाये उसकी थोड़ी मिक़्दार (मात्रा) भी हराम है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 728. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हमारे पास एक यतीम की शराब थी जब सूरः मायदा नाज़िल हुई तो मैंने उस शराब के बारे में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा, और मैंने स्पष्ट भी किया कि शराब एक यतीम की है तो आपने उसके बहा देने का हुक्म फ़रमाया। (तिर्मिज़ी)

हुकूमत और फ़ैसलों का बयान

हदीस 729. हज़रत हारिस अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं तुम्हें पाँच बातों का हुक्म देता हूँ–

1. जमाअ़त को लाज़िम पकड़ना। 2. अमीर की बात सुनना। 3. अमीर की इताअ़त करना। 4. हिजरत करना। 5. अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। बिला-शुब्हा जो आदमी जमाअ़त से एक बालिश्त के बराबर दूर हुआ उसने इस्लाम का हुक्म मानने से इनकार क़िया, मगर यह कि वह जमाअ़त में वापस आ जाये, और जिस आदमी ने जाहिलीयत का नारा बुलन्द किया, उसका शुमार दोज़ख़ियों में होगा अगरचे वह रोज़े रखे, नमाज़ें अदा करे और मुसलमान होने का दावा करे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 730. हज़रत नवास बिन समआ़न रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब किसी मख़्लूक़ (अमीर/हाकिम) के हुक्म से अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी हो रही हो तो उसकी इताअ़त न की जाये। (शरहुस्सुन्ना)

हदीस 731. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स किसी दस आदमियों का भी अमीर मुक़र्रर किया गया तो उसे क़ियामत के दिन गले में ज़न्जीर डालकर लाया जायेगा। फिर या तो उसका अ़दल (इन्साफ़) उसे ज़न्जीरों से निजात दिलायेगा या उसका ज़ुल्म उसे तबाह व बरबाद कर देगा। (दारमी)

वज़ाहतः- यानी अमीर को अ़दल व इन्साफ़ से काम करना चाहिये अपनी हुकूमत व सरदारी में किसी पर ज़ुल्म न होने दे और न ही ख़ुद किसी पर ज़ुल्म करे।

हदीस 732. हज़रत कअ़ब बिन अ़जरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मेरे लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दुआ़ करते हुए फ़रमाया- मैं तुम्हें बेवक़ूफ़ों की इमारत (हाकिम व सरदार बनने) से अल्लाह तआ़ला की पनाह में देता हूँ। मैंने पूछा वह क्या है? आपने फ़रमाया- मेरे बाद हाकिम व सरदार लोग होंगे जो लोग उनके पास गये और उनकी झूठी बातों को भी सच्चा कहा और उनके ज़ुल्म करने में उनका हाथ बटाया और उनके ज़ुल्म के बावजूद उनकी मदद की तो वे मुझसे नहीं हैं और मैं उनसे नहीं हूँ और न ही वे मेरे हौज़-ए-कौसर पर आयेंगे। और जो लोग उनके पास नहीं गये और न उनकी झूठी बातों को सच्चा कहा और न उनके ज़ुल्म पर उनकी मदद की, पस ऐसे लोग मुझसे हैं और मैं उनसे हूँ और ये लोग मेरे हौज़-ए-कौसर पर आयेंगे। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 733. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अफ़ज़ल जिहाद उस आदमी का है जो ज़ालिम बादशाह के सामने सच्ची बात कहे।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 734. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब अल्लाह तआ़ला किसी हाकिम के साथ भलाई का इरादा फ़रमाते हैं तो उसको सच बोलने वाला वज़ीर अ़ता करते हैं। अगर हाकिम भूलता है तो वह याद दिला देता है, और अगर उसे याद होता है तो वह उसकी मदद करता है। और जब अल्लाह तआ़ला उसके साथ भलाई का इरादा नहीं फ़रमाते तो उसके लिये बुरा वज़ीर मुहैया फ़रमाते हैं, अगर वह भूलता है तो उसे याद नहीं दिलाता और अगर उसे याद होता है तो भी उसकी मदद नहीं करता।

(अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 735. हज़रत अ़मर बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत मुआ़विया से कहा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी को अल्लाह तआ़ला मुसलमानों के मामलात में से किसी काम पर हाकिम बना देता है और वह लोगों की ज़रूरतें, शिकायतें और उनकी समस्यायें हल नहीं करता तो अल्लाह तआ़ला उसकी ज़रूरतों, उसकी शिकायतों और उसकी समस्याओं को हल नहीं फ़रमाते। चुनाँचे हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने (यह हदीस सुनने के बाद) एक आदमी को लोगों की ज़रूरतों और शिकायतों के सुनने पर मुक़र्रर कर दिया। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 736. हज़रत अबुश्शम्माख़ अज़दी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी को लोगों का हाकिम मुक़र्रर किया जाये फिर वह मज़लूम और ज़रूरत-मन्द इनसान के लिये अपना दरवाज़ा बन्द कर ले तो अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त अपनी रहमत के दरवाज़े उसके लिये उस दिन बन्द कर देंगे जिस दिन अल्लाह की रहमत की उसे सख़्त ज़रूरत होगी। (बैहक़ी)

हदीस 737. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ाज़ी तीन क़िस्म के हैं, एक क़ाज़ी जन्नत में होगा जबकि दो क़ाज़ी दोज़ख़ में होंगे। वह क़ाज़ी जन्नत में होगा जिसने हक़ व सच्चाई को मालूम किया और उसके मुताबिक़ फ़ैसला किया। और वह क़ाज़ी जिसने हक़ व सच्चाई को मालूम किया

लेकिन फ़ैसला करने में ज़ुल्म किया वह दोज़ख़ में होगा, और जिस क़ाज़ी ने लोगों के दरमियान जाँच-पड़ताल किये बग़ैर फ़ैसला किया वह भी दोज़ख़ में होगा। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 738. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी को हम कोई ज़िम्मेदारी सौंपें और उसका वज़ीफ़ा (तन्ख़्वाह) मुक़र्रर कर दें तो उस (वज़ीफ़े) के अलावा जो माल वह लेगा वह ख़्यानत होगी। (अबू दाऊद)

हदीस 739. हज़रत मुस्तौरिद बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी को हमने कहीं आमिल (मुलाज़िम) बनाया, अगर उसके पास बीवी नहीं है तो वह शादी करके बीवी हासिल करे, अगर उसके पास ख़ादिम नहीं है तो ख़ादिम हासिल करे, अगर उसका घर नहीं है तो वह घर हासिल करे, और जो आदमी इसके अलावा कुछ और लेगा तो ख़्यानत (चोरी व बददियानती) करने वाला है। (अबू दाऊद)

हदीस 740. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रिश्वत देने वाले और लेने वाले पर लानत की है। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 741. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुद्दई (किसी चीज़ का दावा करने वाला) दलील लाये और मुद्दआ अलैहि (जिस पर दावा किया गया है) क़सम उठाये। (तिर्मिज़ी)

हदीस 742. हज़रत अश्अस बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मेरे और एक यहूदी के दरमियान ज़मीन का झगड़ा था, उसने मेरे दावे का इनकार (खंडन) किया तो मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास ले गया, आपने (मुझसे) मालूम फ़रमाया- तुम्हारे पास कोई दलील है? मैंने नफ़ी में जवाब दिया (तो) आपने यहूदी से कहा तुम क़सम खाओ। मैंने अर्ज़ किया यह तो क़सम खा लेगा और मेरी ज़मीन ग़सब (हड़प) कर जायेगा, तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- जो लोग अल्लाह तआला के इक़रारों और अपनी क़समों को बेच डालते हैं और उनके बदले में थोड़ी-सी क़ीमत हासिल करते हैं उनका आख़िरत में कुछ हिस्सा नहीं। उनसे अल्लाह तआला न तो बात करेंगे और न क़ियामत के दिन उनकी तरफ़ (रहमत की नज़र से) देखेंगे, और न ही उनको (गुनाहों से) पाक करेंगे, और उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब होगा।

(सूरः आले इमरान 3, आयत 77) (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 743. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ख़्यानत (चोरी व बददियानती) करने वाले मर्द और औ़रत, ज़िना करने वाले मर्द और औ़रत और अपने भाई से दुश्मनी रखने वाले की गवाही क़ाबिले क़ुबूल नहीं, और न ही घर वालों के लिये घर में पलने वाले की गवाही क़ाबिले क़ुबूल होगी। (अबू दाऊद)

हदीस 744. हज़रत औ़फ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला किया। जिस आदमी के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ उसने वापस लौटते हुए कहा- मुझे अल्लाह तआ़ला काफ़ी है और वह अच्छा वकील है। (यह सुनकर) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा अल्लाह तआ़ला कोताही पर मलामत करता है, तुझे एहतियात करनी चाहिये। जब कोशिश के बावजूद कोई चीज़ उम्मीद के ख़िलाफ़ ज़ाहिर हो तो यह कहना चाहिये-

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

हस्बियल्लाहु व निअ़्मल्-वकील।

तर्जुमाः- मुझे अल्लाह ही काफ़ी है और वह बेहतरीन कारसाज़ है।

(अबू दाऊद)

जिहाद का बयान

हदीस 745. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी उम्मत से

एक जमाअ़त हक़ (की हिफ़ाज़त) के लिये हमेशा जिहाद करती रहेगी, अपने मुख़ालिफ़ों पर ग़ालिब रहेगी यहाँ तक कि उनका आख़िरी (दस्ता) मसीह दज्जाल से जंग करेगा। (अबू दाऊद)

हदीस 746. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपने माल, अपनी जान और अपनी ज़बान के साथ मुश्रिकों से जिहाद करो। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 747. हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर मरने वाले आदमी का अ़मल ख़त्म हो जाता है सिवाय उस आदमी के जो अल्लाह तआ़ला के रास्ते में पहरा देते हुए मरा, तो ऐसे आदमी के अ़मल में क़ियामत तक इज़ाफ़ा होता रहेगा और क़ब्र के फ़ितने (इम्तिहान और आज़माईश) से महफ़ूज़ रहेगा। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 748. हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने अल्लाह तआ़ला के रास्ते में ऊँटनी का दूध दूहने के वक़्त के बराबर भी जिहाद किया, उसके लिये जन्नत वाजिब हो गई, और जिस आदमी को अल्लाह तआ़ला के रास्ते में ज़ख़्म या चोट लगी वह ज़ख़्म या चोट क़ियामत के दिन इतना बड़ा ज़ाहिर होगा जैसा कि दुनिया में बड़े से बड़ा ज़ख़्म या चोट होती है। उसके ज़ख़्म के ख़ून का रंग ज़ाफ़रान जैसा और ख़ुशबू कस्तूरी जैसी होगी। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 749. हज़रत ख़ुरैम बिन फ़ातिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने अल्लाह तआ़ला के रास्ते में ख़र्च किया उसके लिये 700 गुना तक अज्र व सवाब बढ़ाकर उसके नामा-ए-आमाल में शामिल होगा। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 750. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दो आँखें दोज़ख़ (की आग) से महफ़ूज़ होंगी– एक वह आँख जो अल्लाह तआ़ला के डर से रो पड़ी, दूसरी वह आँख जो अल्लाह तआ़ला के रास्ते में रात भर पहरा देती

रही। (तिर्मिज़ी)

हदीस 751. हज़रत मिक्दाम बिन मअ्दीकरब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआला के यहाँ शहीद के लिये छह इनामात हैं– 1. ख़ून के पहले क़तरे के गिरने पर उसको माफ़ कर दिया जाता है। 2. उसे जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है। 3. वह अज़ाबे क़ब्र से महफ़ूज़ रहता है। 4. वह क़ियामत की बड़ी घबराहट से अमन में होगा। 5. उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जायेगा जिसका एक याक़ूत (मोती) दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। 6. उसका निकाह 72 ख़ूबसूरत बड़ी आँखों वाली हूरों से कर दिया जायेगा और उसके 70 क़रीबी रिश्तेदारों के बारे में उसकी सिफ़ारिश क़ुबूल होगी। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 752. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जिहाद का इरादा रखता है (लेकिन उसके साथ-साथ) वह दुनियावी फ़ायदों का भी तलबगार है, आपने फ़रमाया- उसके लिये कोई सवाब नहीं।

(अबू दाऊद)

हदीस 753. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुक़ाबला सिर्फ़ नेज़ेबाज़ी, ऊँटों या घोड़ों के दौड़ने में है। (तिर्मिज़ी, नसाई, अबू दाऊद)

वज़ाहतः- मुर्ग़, कुत्ते और दूसरे जानवरों की लड़ाई का मुक़ाबला करवाना जायज़ नहीं है।

हदीस 754. हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़च्चर का हदिया दिया गया। आप उस पर सवार हुए तो हज़रत अली ने इस इच्छा का इज़हार किया कि काश! हम गधों को घोड़ियों पर चढ़ाते तो हमें इस तरह के ख़च्चर मयस्सर आ सकते। (उनकी यह बात सुनकर) रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह काम वे लोग करते हैं जो (दीन का) इल्म नहीं रखते। (अबू दाऊद, नसाई)

सफ़र के आदाब का बयान

हदीस 755. हज़रत सख़र बिन वदाआ ग़ामिदी रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अल्लाह तआ़ला से यह दुआ़ माँगी-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا.

अल्लाहुम्-म बारिक् लि-उम्मती फ़ी बुकूरिहा।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत के लिये उनके सुबह के वक़्तों में बरकत नाज़िल फ़रमा।

और आप जब कोई छोटा या बड़ा लश्कर रवाना फ़रमाते तो सुबह के वक़्त रवाना फ़रमाते। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 756. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रात के शुरू के हिस्से में सफ़र करो इसलिये कि रात के वक़्त सफ़र जल्दी तय होता है। (अबू दाऊद)

हदीस 757. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तीन आदमी सफ़र कर रहे हों तो वे अपने में से किसी एक को अपना अमीर बना लें। (अबू दाऊद)

हदीस 758. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम जानवरों की कमर को मिम्बर न बनाओ बेशक अल्लाह तआ़ला ने उन्हें तुम्हारे ताबे किया है ताकि वे तुम्हें ऐसे स्थानों तक ले जायें जहाँ तुम इन्तिहाई मशक़्क़त के बग़ैर नहीं पहुँच सकते थे, और अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये ज़मीन को बनाया पस तुम ज़मीन पर अपने काम करो। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- यानी जानवरों की कमर पर सवार होकर किसी से बातचीत करने न लग जाओ बल्कि उतरकर बातचीत करो फिर उस पर दोबारा सवार हो जाओ, क्योंकि वह भी एक जानदार है।

हदीस 759. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब हम

किसी मन्ज़िल पर उतरते तो जब तक हम (जानवरों पर से) अपना सामान न उतार लेते, नफ़िल नमाज़ अदा नहीं करते थे। (अबू दाऊद)

हदीस 760. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पैदल चल रहे थे अचानक एक आदमी आपके पास आया, उसके साथ उसका गधा था। उसने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! इस पर सवार हो जायें और वह (ख़ुद) पीछे हो गया। रसूले पाक ने (सवार होने से) इनकार किया और फ़रमाया- तुम अपने जानवरों के अगले हिस्से पर सवारी करने का ज़्यादा हक़ रखते हो अलबत्ता अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो फिर हो सकता है, उसने कहा मैंने आपको इजाज़त दी, फिर आप उस पर सवार हो गये। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

वज़ाहतः- सवारी के आगे बैठने का हक़ उसके मालिक को है, अगर मालिक किसी और को आगे बैठने की इजाज़त दे दे तो जायज़ है।

हदीस 761. हज़रत मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हमने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ जिहाद किया, लोगों ने (घाटी से) उतरने के मक़ामात को तंग बना दिया और रास्तों को बन्द कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐलान करने वाले को भेजा कि लोगों में यह ऐलान कर दो जिस आदमी ने उतरने के मक़ामात (जगहों) को तंग किया या रास्ता बन्द किया तो उसका जिहाद नहीं है।

(अबू दाऊद)

जिहाद में क़िताल करने का बयान

हदीस 762. हज़रत मुहल्लब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर दुश्मन तुम पर रात के वक़्त हमला करे तो तुम्हारा पहचान का निशान (कोड वर्ड) "हा-मीम ला युन्सरून" (हा-मीम, वे फ़तह व कामयाबी नहीं पायेंगे) होना चाहिये।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- जंगी उसूलों में एक उसूल यह भी है कि मुजाहिदीन आपस में गोपनीय अलफ़ाज़ मुक़र्रर करें जिसे 'कोड वर्ड' कहा जाता है।

हदीस 763. हज़रत रबाह बिन रबीअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले पाक के साथ एक जंग में थे, आपने देखा कि लोग किसी चीज़ के गिर्द जमा हैं। आपने एक आदमी को भेजा और उससे कहा- मालूम करो कि लोग किस लिये जमा हैं। उसने बताया कि एक मक्तूल (क़त्ल की गयी) औरत पर जमा हैं। आपने फ़रमाया- यह औरत तो लड़ाई करने वाली न थी (इसे क्यों क़त्ल किया गया?) लश्कर के आगे वाले हिस्से पर ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु मुतैयन थे आपने एक आदमी को उनके पास भेजा और हुक्म दिया कि ख़ालिद से कहो कि वह किसी औरत और मज़दूर को क़त्ल न करे। (अबू दाऊद)

हदीस 764. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जंगे-बदर के दिन उतबा बिन रबीआ़ मैदान में आया और उसके पीछे उसका बेटा और उसका भाई निकला, उसने ऐलान किया कि कौन मुक़ाबले में आयेगा? चुनाँचे उसका मुक़ाबला करने के लिये अन्सार में से चन्द नौजवान निकले। उतबा ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने उसको (अपने बारे में) बताया। उसने कहा हमें तुमसे क्या वास्ता? हमारा मक़सद तो हमारे चचाज़ाद भाई हैं। (यह सुनकर) आपने फ़रमाया- ऐ हमज़ा! ऐ अ़ली! ऐ उबैदा बिन हारिस! तुम निकलो, चुनाँचे हमज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु उतबा के मुक़ाबले में आये (और उसे मार डाला) और मैं शैबा के मुक़ाबले में आया (और उसे मार डाला), उबैदा वलीद बिन उतबा के मुक़ाबले में आये, उनकी और वलीद की एक दूसरे को ज़रबें (चोटें) लगीं। उन दोनों में से हर एक ने दूसरे को ज़ख़्मी कर दिया, उसके बाद हम वलीद (उतबा बिन रबीआ़ के बेटा) पर टूट पड़े और उसे क़त्ल कर दिया और हम (ज़ख़्मी) उबैदा को उठाकर ले आये। (अबू दाऊद)

हदीस 765. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुदैबिया के दिन सुलह से पहले चन्द ग़ुलाम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आये, उनके आक़ाओं ने नबी करीम को ख़त भेजा (जिसमें) उन्होंने कहा ऐ मुहम्मद! अल्लाह की क़सम ये लोग आपकी तरफ़ रग़बत करते (दिलचस्पी लेते) हुए नहीं आये हैं, ये तो ग़ुलामी से भाग कर आये

हैं। कुछ लोगों ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! यह सच कहते हैं आप इन्हें वापस कर दें, इस पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नाराज़ हो गये और कहा ऐ क़ुरैश! मेरा ख़्याल है कि तुम बाज़ नहीं आओगे जब तक अल्लाह तआ़ला तुम पर उन लोगों को मुसल्लत न करे जो इस गुरूर पर तुम्हारी गर्दनें क़लम करें, चुनाँचे आपने उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया और ऐलान फ़रमाया कि ये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से आज़ाद किये हुए हैं। (अबू दाऊद)

हदीस 766. हज़रत अ़मर बिन हुमुक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स किसी को जान की अमान दे फिर उसे क़त्ल कर दे तो क़ियामत के दिन उसे ग़द्दारी के जुर्म में पकड़ा जायेगा। (शरहुस्सुन्ना)

हदीस 767. हज़रत सुलैम बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स का किसी क़ौम के साथ मुआ़हदा हो तो मुद्दत मुकम्मल होने तक उसे न तोड़े। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 768. हज़रत अबू राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मक्का के क़ुरैश ने मुझे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास अपना क़ासिद बनाकर भेजा, जब मैंने आपको देखा तो मेरे दिल में इस्लाम घर गया, तो मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं काफ़िरों की तरफ़ हरगिज़ नहीं जाऊँगा। आपने फ़रमाया- मैं अ़हद नहीं तोड़ता और न ही क़ासिदों को रोकता हूँ। तुझे वापस जाना चाहिये, अग़र तुम्हारे दिल में वही बात क़ायम रही जो अब तुम्हारे दिल में है तब तुम वापस आ जाना। फिर मैं चला गया और मैं वापस आकर मुसलमान हो गया। (अबू दाऊद)

हदीस 769. हज़रत नुऐम बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ़ से दो क़ासिद रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये तो आपने फ़रमाया- अ़ल्लाह की क़सम! अगर क़ासिदों को क़त्ल करना जायज़ होता तो मैं तुम दोनों को क़त्ल करवा देता। (अबू दाऊद, अहमद)

हदीस 770. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा अल्लाह तआ़ला ने मुझे तमाम नबियों पर फ़ज़ीलत अ़ता फ़रमाई है और मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों पर फ़ज़ीलत दी गई है, और हमारे लिये माले ग़नीमत हलाल क़रार दिया गया है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 771. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जंगे हुनैन के दिन फ़रमाया- जो आदमी किसी काफ़िर को क़त्ल करेगा तो उस (काफ़िर) का जंगी सामान उसी को मिलेगा। अबू तल्हा ने कहा कि मैंने उस दिन बीस काफ़िरों को क़त्ल किया तो आपने उनका सामान मुझे दे दिया। (दारमी)

हदीस 772. हज़रत अबुल्-जुवैरिया जुरमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मुआ़विया के दौरे हुकूमत में रूम के इलाक़े में मुझे सुर्ख़ रंग का एक मटका मिला जिसमें दीनार थे और हमारे अमीर बनू सुलैम (क़बीले) के एक सहाबी मअ़न बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। चुनाँचे मैं दीनार उनके पास लाया उन्होंने उनको वहाँ के मुसलमानों में तक़सीम कर दिया और मुझे भी उतने ही दीनार दिये जितने कि उनमें से हर आदमी को दिये, फिर उन्होंने कहा कि अगर मैंने रसूले पाक से यह न सुना होता कि तोहफ़ा (यानी किसी को कुछ देना) माले ग़नीमत का पाँचवाँ हिस्सा जो ग़रीबों और लावारिसों के लिये होता है उसके निकालने के बाद ही है, तो मैं तुम्हें कुछ माल तोहफ़े में दे देता। (अबू दाऊद)

हदीस 773. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब माले ग़नीमत को जमा फ़रमाकर तक़सीम करने का इरादा फ़रमाते तो हज़रत बिलाल को लोगों में ऐलान करने का हुक्म देते तो लोग ग़नीमत का माल लेकर हाज़िर हो जाते। फिर आप उस माल में से पाँचवाँ हिस्सा निकालकर बाक़ी माल लोगों में तक़सीम फ़रमा देते थे। (अबू दाऊद)

हदीस 774. हज़रत ख़ौला बिन्ते क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक माल

ख़ुशनुमा और लज़ीज़ होता है, जो आदमी उसको सही तरीके से हासिल करेगा उसके लिये उसमें बरकत होगी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल के माल में ग़नीमत का माल अपनी चाहत के मुताबिक़ ख़र्च करते हैं तो क़ियामत के दिन उनके लिये सिर्फ़ जहन्नम की आग होगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 775. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ लोगो! माल-ए-फ़ै (दुश्मन से बग़ैर जंग के जो माल मिलता है) में से मेरे लिये कोई चीज़ जायज़ नहीं और फिर अपनी उंगली को बुलन्द फ़रमाया (और कहा) सिवाय पाँचवें हिस्से के (माले ग़नीमत का पाँचवाँ हिस्सा जो ग़रीबों और लावारिसों के लिये होता है) और पाँचवाँ हिस्सा भी तुम पर ही तक़सीम होगा। पस धागे और सूई तक को भी माले ग़नीमत में पहुँचाओ।
(अबू दाऊद)

हदीस 776. हज़रत मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब हज़रत मुआ़ज़ को यमन की तरफ़ भेजा तो उनको हुक्म दिया कि वह हर (ग़ैर-मुस्लिम) बालिग़ से एक दीनार या उसके बराबर मआ़फ़री (यमनी कपड़ा, जिज़्ये के तौर पर) वसूल करें। (अबू दाऊद)

हदीस 777. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक मुल्क में दो क़िब्ले (यानी दो दीन) दुरुस्त नहीं हैं, और किसी मुसलमान पर जिज़या नहीं है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 778. हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास जब माल-ए-फ़ै आता तो आप उसी दिन उसे तक़सीम फ़रमा देते थे, शादीशुदा को दो हिस्से और ग़ैर-शादीशुदा को एक हिस्सा देते थे। मुझे बुलाया गया तो आपने मुझे दो हिस्से अ़ता किये क्योंकि मैं शादीशुदा था, फिर मेरे बाद अ़म्मार बिन यासिर को बुलाया गया, उन्हें आपने एक हिस्सा दिया। (अबू दाऊद)

शिकार और हलाल जानवरों का बयान

हदीस 779. हज़रत अ़दी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! अगर हम में से किसी के पास छुरी न हो तो क्या तेज़ पत्थर या लकड़ी के टुकड़े से शिकार को ज़िबह कर सकता है? आपने फ़रमाया- बिस्मिल्लाह पढ़कर जैसे भी मुम्किन हो शिकार का ख़ून बहा दो। (अबू दाऊद, नसाई)

वज़ाहतः- नाख़ुन या हड्डी के अ़लावा किसी भी तेज़ धार वाली चीज़ से जानवर को ज़िबह किया जा सकता है।

हदीस 780. हज़रत अ़दी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं शिकार को तीर मारता हूँ और दूसरे दिन जानवर मुर्दा हालत में मिलता है और मेरा तीर उसमें मिलता है। आपने फ़रमाया- जब तुम्हें यक़ीन हो जाये कि तुम्हारे तीर ने ही उसे मारा है और तुम्हें उसमें किसी दरिन्दे (के दाँतों या पंजों) का निशान भी न मिले तो तुम उसे खा लो। (अबू दाऊद)

हदीस 781. हज़रत अबू सालबा ख़शनी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! हम सफ़र करने वाले लोग हैं, हम यहूदियों, ईसाईयों और मजूसियों के पास से गुज़रते हैं, हमें उनके बर्तनों के अ़लावा और बर्तन नहीं मिलते। आपने फ़रमाया- अगर तुम्हें उनके अ़लावा बर्तन न मिलें तो उन्हें पानी के साथ धोकर फिर उनमें खाओ, पियो। (तिर्मिज़ी)

हदीस 782. हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ैबर के मौक़े पर हर कुचली वाला दरिन्दा, हर पंजे वाला परिन्दा, घरेलू गधे का गोश्त, वह जानवर जिस पर बाँधकर तीर बरसाये गये हों और (वह जानवर) जिसे दरिन्दे के मुँह से निकला गया हो, उन सब के खाने से मना फ़रमाया। (तिर्मिज़ी)

हदीस 783. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! हम ऊँटनी को ज़िबह (क़ुरबान) करते हैं,

गाय और बकरी को ज़िबह करते हैं और उनके पेट में बच्चे पाते हैं, क्या हम बच्चे को फेंक दें या उसे खायें? आपने फ़रमाया- अगर पसन्द करो तो उसे खाओ इसलिये कि उसकी माँ का ज़िबह होना उसका ज़िबह होना है।

(अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 784. हज़रत अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि (जब) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो उन दिनों मदीना वाले ज़िन्दा ऊँटों की कोहान और दुंबे की चक्की (दुम के नीचे की चर्बी) काट लेते (और खाते) थे। आपने फ़रमाया- ज़िन्दा जानवर में से जो गोश्त काटा जाये वह मुर्दार है, उसे न खाया जाये।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 785. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हमारे लिये दो मुर्दार और दो ख़ून हलाल हैं, दो मुर्दार- मछली और टिड्डी हैं और दो ख़ून- जिगर और तिल्ली हैं। (इब्ने माजा)

वज़ाहतः- तमाम जानवर अपनी फ़ितरी (नेचुरल) मौत मरने पर हराम हो जाते हैं लेकिन मछली और टिड्डी मरने के बाद भी हलाल ही रहती हैं, बशर्ते कि बदबूदार न हों।

हदीस 786. हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुर्ग़ को गाली न दो (इसलिये कि) वह नमाज़ के लिये जगाता है। (अबू दाऊद)

हदीस 787. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर क़िस्म के साँप को मार डालो (और) जो आदमी डरा कि साँप उससे बदला लेंगे उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। (अबू दाऊद, नसाई)

वज़ाहतः- हर क़िस्म के साँप को मारना इसलिये ज़रूरी है कि साँप की इनसान से दुश्मनी है, अगर इनसान उसे छोड़ दे और न मारे तो वह मौक़ा पाकर इनसान को डस लेगा।

हदीस 788. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम्हारे किसी बर्तन में मक्खी गिर जाये तो मक्खी को मुकम्मल डुबूकर निकाल दो, क्योंकि उसके दोनों परों में से एक पर (पंख) में बीमारी और दूसरे में शिफ़ा होती है, और मक्खी उस पर को पहले डालती है जिसमें बीमारी होती है, इसलिये मक्खी को मुकम्मल तौर पर डुबू दें। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- मौजूदा ज़माने की नई वैज्ञानिक तहक़ीक़ात ने भी इसकी तस्दीक़ (पुष्टि) की है।

हदीस 789. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने चार जानदारों- चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटूरा (एक परिन्दे का नाम है) को मारने से मना फ़रमाया। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- चींटी जो इनसान को नुक़सान नहीं पहुँचाती, शहद की मक्खी इनसान को शहद पहुँचाती है, हुदहुद और लटूरा नुक़सान न देने वाले परिन्दे हैं, इसलिये उन्हें मारना जायज़ नहीं।

अ़क़ीक़े का बयान

हदीस 790. हज़रत उम्मे कुरज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- परिन्दों को उनके घौंसलों में रहने दो (उन्हें फ़ुज़ूल न उड़ाओ) और लड़के की जानिब से (अ़क़ीक़े में) दो बकरियाँ और लड़की की जानिब से एक बकरी है, और इसमें कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि जानवर नर हो या मादा। (अबू दाऊद)

हदीस 791. हज़रत समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बच्चा अपने अ़क़ीक़े की वजह से गिरवी रहता है, सातवें दिन उसकी तरफ़ से अ़क़ीक़े का जानवर ज़िबह करो और उसका नाम रखो और उसके सर के बाल मुंडवाओ।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

खाने-पीने के आदाब का बयान

हदीस 792. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई आदमी खाना खाने लगे (और) वह खाना खाते वक़्त (शुरू में) "बिस्मिल्लाह" पढ़नी भूल जाये तो वह (जब याद आ जाये) "बिस्मिल्लाहि अव्व-लहू व आख़ि-रहू" पढ़े। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 793. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला की नेमतों को खाने वाला और शुक्र अदा करने वाला, उस आदमी जैसा है जो रोज़ेदार है और सब्र कर रहा है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- हर खाने और पीने के बाद "अल्हम्दु लिल्लाह" कहें और जो मिल जाये उस पर क़नाअ़त (ख़ुश रहें और सब्र) करें। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

तर्जुमाः- अगर तुम शुक्र करो तो हम और ज़्यादा (नेमतें) देंगे।

(सूरः इब्राहीम 14, आयत 7)

हदीस 794. हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब खाने-पीने से फ़ारिग़ हो जाते तो यह दुआ़ माँगते थे-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَ وَسَقٰی وَسَوَّغَهٗ وَجَعَلَ لَهٗ مَخْرَجًا.

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अत्अ़-म व सक़ा व सव्व-ग़हू व ज-अ़-ल लहू मख़्रजा।

तर्जुमाः- तमाम तारीफ़ व सना अल्लाह तआ़ला के लिये है जिसने हमें खिलाया, पिलाया और उसको हलक़ से गुज़ारा और उसके बाहर जाने का इन्तिज़ाम भी किया। (अबू दाऊद)

हदीस 795. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़ज़ा-ए-हाजत (पाख़ाने की ज़रूरत) से फ़ारिग़ हुए तो आपकी ख़िदमत में खाना पेश किया

गया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने पूछा- क्या आपके पास वुज़ू करने के लिये पानी लायें? आपने फ़रमाया- मुझे वुज़ू करने का हुक्म सिर्फ़ उस वक़्त दिया गया है जब मैं नमाज़ अदा करने के लिये खड़ा हूँ।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 796. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास सरीद का प्याला लाया गया, आपने फ़रमाया- इसके किनारों से खाओ, दरमियान से न खाओ, इसलिये कि दरमियान में बरकत नाज़िल होती है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 797. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने (खाना खाने के बाद) रात इस हाल में गुज़ारी कि उसके हाथ पर चिकनाहट थी, उसने अपने हाथ नहीं धोये और उस दौरान उसे कोई तकलीफ़ पहुँच जाये तो फिर वह अपने आप ही को मलामत करे। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 798. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कच्चा लहसुन खाने से मना किया है, अलबत्ता पका हुआ लहसुन खाने की इजाज़त है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 799. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये, हमने मक्खन और खजूरें पेश कीं। आपने मक्खन और खजूरों को पसन्द फ़रमाया। (अबू दाऊद)

हदीस 800. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- "अ़जवा" खजूर जन्नत से है, इसके इस्तेमाल से ज़हर दूर हो जाता है और "खुमबी" (साँप की छतरी जिसको 'शहमुल-अर्ज़' भी कहते हैं) 'मन्न व सलवा' से है और उसका पानी आँख को शिफ़ा बख़्शता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 801. हज़रत मालिक बिन नज़ला रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मेरे वालिद ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे बतायें अगर मैं किसी आदमी के पास से गुज़रूँ और वह मेरी मेहमान-नवाज़ी न करे,

फिर उसके बाद उसका गुज़र मेरे पास से हो जाये तो क्या मैं उसकी मेहमान-नवाज़ी करूँ या उसी जैसा सुलूक करूँ? आपने जवाब दिया तुम उसकी मेहमान-नवाज़ी करो। (तिर्मिज़ी)

हदीस 802. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मिलने के लिये आये और उनसे अन्दर आने की इजाज़त तलब करते हुए "अस्सलामु अ़लैकुम व रह्मतुल्लाह" कहा। हज़रत सअ़द ने आहिस्ता से "व अ़लैकुमुस्सलामु व रह्मतुल्लाहि व बरकातुहू" कहा लेकिन आपको ये अलफ़ाज़ सुनाई नहीं दिये, यहाँ तक आपने तीन बार सलाम कहा और हज़रत सअ़द ने तीन बार ही आहिस्ता से जवाब दिया। आप वापस लौटने लगे तो हज़रत सअ़द ने आपके पीछे आकर अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुरबान हों, आपने जितनी बार सलाम कहा मैं इसलिये उसका जवाब आहिस्ता से देता रहा ताकि मैं अपकी ज़बाने मुबारक से ज़्यादा से ज़्यादा सलाम व बरकत हासिल करूँ, फिर आप हज़रत सअ़द के घर में दाख़िल हुए और उन्होंने आपकी ख़िदमत में 'मुनक़्क़ा' पेश की जिसे आपने खाया। आपने खाने से फ़ारिग़ होकर उनके लिये यह दुआ़ माँगी-

اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَآئِكَةُ اَفْطَرَعِنْدَ كُمُ الصَّآئِمُوْنَ.

अ-क-ल तआ़मकुमुल्-अब्रारु व सल्लत् अ़लैकुमुल्-मलाइ-कतु अफ़्त़-र अ़िन्दकुस्साइमून।

तर्जुमाः- अल्लाह करे तुम्हारा खाना नेक लोग खाते रहें और फ़रिश्ते तुम्हारे लिये इस्तिग़फ़ार करते रहें और रोज़ेदार तुम्हारे यहाँ इफ़्तार करते रहें। (शरहुस्सुन्ना)

हदीस 803. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का एक बर्तन था जिसे चार आदमी उठाते थे। उसका नाम ग़र्रा था। जब सहाबा किराम चाश्त के नफ़िल अदा करते तो उसे लाया जाता उसमें सरीद बना हुआ होता था, तमाम सहाबा उसके गिर्द जमा हो जाते। जब (अफ़राद) ज़्यादा होते तो

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम घुटनों के बल बैठते। एक सहाबी ने आप से पूछा यह कैसी बैठक है? आपने जवाब दिया बेशक अल्लाह तआ़ला ने मुझे तवाज़ो (आ़जिज़ी) करने वाला बन्दा बनाया है और मुझे घमंडी और सरकश नहीं बनाया। उसके बाद आपने फ़रमाया- इस (बर्तन) के किनारों से खाओ और इसके बीच को न छेड़ो, बीच में अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त की तरफ़ से बरकत नाज़िल होती है। (अबू दाऊद)

हदीस 804. हज़रत असमा बिन्ते यज़ीद रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में खाना पेश किया गया। आपने वह खाना हमारे सामने रख दिया, हमने अ़र्ज़ किया- हमें भूख नहीं है। आपने फ़रमाया झूठ और भूख को जमा न करो। (इब्ने माजा)

हदीस 805. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (पानी वग़ैरह) बैठकर पीते थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 806. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बर्तन में साँस लेने या बर्तन में फूँक मारने से मना फ़रमाया है। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

बर्तनों को ढाँपने और दूसरी चीज़ों का बयान

तंबीहः- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हर हुक्म में ज़रूर कोई हिक्मत होती है जिस पर अ़मल करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है।

हदीस 807. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि एक चूहिया चिराग़ की बत्ती खींचकर ले गई और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के आगे जाय-नमाज़ पर रख दी, जिस पर आप बैठे हुए थे। जाय-नमाज़ दिरहम के बराबर (यानी थोड़ी सी) जल गई। इस पर आपने फ़रमाया- सोते वक़्त चिराग़ बुझा दिया करो क्योंकि शैतान इस जैसे (ख़बीस जानवरों) को ऐसा काम सुझाता है जो तुम्हें आग की लपेट में ले लेता है। (अबू दाऊद)

हदीस 808. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम कुत्तों और गधों

की आवाज़ सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह माँगो। (अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ो) इसलिये कि शैतान उन चीज़ों को भी देखते हैं जिनको तुम नहीं देख सकते। रात के वक़्त ज़रूरत के बग़ैर बाहर मत निकलो इसलिये कि अल्लाह तआ़ला रात के वक़्त अपनी दूसरी मख़्लूक़ को ज़मीन में फैला देते हैं। "बिस्मिल्लाह" पढ़कर दरवाज़ों को बन्द कर लिया करो क्योंकि शैतान उस दरवाज़े को नहीं खोल सकता जो "बिस्मिल्लाह" पढ़कर बन्द किया गया हो, बर्तनों को ढाँप कर रखो या उन्हें उल्टा करके रखो और मशकीज़ों के मुँह रस्सी से अच्छी तरह बाँधकर रखो। (शरहुस्सुन्ना)

नोटः- आजकल टंकियों का दौर है अब मश्कीज़े और घड़े कम हो गये हैं, तो जहाँ टंकी हो वहाँ कम से कम इतना तो करें कि अगर पानी पीना हो तो डायरेक्ट पानी लेकर न पियें, हो सकता है कोई जानवर उसमें घुस गया हो, बल्कि पानी चलाकर देख लें और देखकर पियें, एहतियात का तक़ाज़ा इससे भी पूरा हो जायेगा। **मुहम्मद इमरान क़ासमी विज्ञानवी**

लिबास और उसके आदाब का बयान

हदीस 809. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तमाम कपड़ों में क़मीज़ सबसे ज़्यादा महबूब थी। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 810. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब क़मीज़ पहनते तो दाईं तरफ़ से शुरू करते। (तिर्मिज़ी)

हदीस 811. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन का तहबन्द आधी पिंडली तक होना चाहिये। अगर टख़्नों तक हो जाये तब भी कुछ गुनाह नहीं लेकिन उससे नीचे दोज़ख़ में ले जाने का सबब है। आपने यह बात तीन मर्तबा फ़रमाई कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उस आदमी की तरफ़ नहीं देखेंगे जो तकब्बुर की वजह से तहबन्द (टख़्नों से

नीचे) लटकाकर चलता है। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

हदीस 812. हज़रत समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सफ़ेद लिबास पहनो, इसलिये कि सफ़ेद लिबास पाकीज़ा और उम्दा होता है, और इसी तरह अपने मुर्दों को सफ़ेद कफ़न पहनाया करो। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 813. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सोना और रेशम मेरी उम्मत की औ़रतों के लिये हलाल और मर्दों के लिये हराम है।

(तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 814. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब कभी नया लिबास पहनते तो यह दुआ़ करते-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْأَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَمَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهٗ.

अल्लाहुम्-म लकल्-हम्दु कमा कसौतनीहि अस्अलु-क ख़ैरहू व ख़ै-र मा सुनि-अ़ लहू व अऊज़ु बि-क मिन् शर्रिही व शर्रि मा सुनि-अ़ लहू।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आपकी तारीफ़ बयान करता हूँ कि आपने मुझे यह लिबास अ़ता किया, मैं आप से इसकी भलाई और जिस अच्छे मक़सद के लिये इसे तैयार किया गया उसकी भलाई का सवाल करता हूँ। और मैं आप से इसके शर (बुराई) और जिस बुरे मक़सद के लिये इसे बनाया गया है उसके शर से पनाह माँगता हूँ। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 815. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना, क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसको ज़िल्लत का लिबास पहनायेंगे। (इब्ने माजा, अबू दाऊद)

हदीस 816. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारे पास मुलाक़ात के लिये तशरीफ़ लाये। आपने एक आदमी को देखा जो परेशान हाल था, उसके बाल बिखरे हुए थे। आपने फ़रमाया- क्या यह आदमी ऐसा इन्तिज़ाम नहीं कर सकता कि अपने सर के बाल दुरुस्त कर सके? और फ़िर एक दूसरा आदमी देखा, जिसके कपड़े मैले-कुचैले थे तो आपने फ़रमाया- क्या यह आदमी अपने लिबास को साफ़ करने का इन्तिज़ाम नहीं कर सकता। (नसाई)

वज़ाहतः- कपड़े साफ़ सुथरे हों चाहे सस्ते (कम क़ीमत के) हों।

हदीस 817. हज़रत अबू मालिक बिन रबीआ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, मेरा लिबास (मेरी हैसियत के लिहाज़ से) मामूली था। आपने मुझसे पूछा क्या तुम मालदार हो? मैंने हाँ में जवाब दिया। (फिर) आपने पूछा- किस क़िस्म का माल है? मैंने जवाब दिया अल्लाह तआ़ला ने मुझे ऊँट, गाय, बकरी, घोड़े और ग़ुलाम हर तरह के माल से नवाज़ा है। आपने फ़रमाया- जब अल्लाह तआ़ला ने तुमको हर क़िस्म के माल से नवाज़ा है तो अल्लाह तआ़ला के इनाम व इकराम के असरात तुम पर दिखाई देने चाहियें। (नसाई)

वज़ाहतः- कपड़े अच्छे साफ़ पहनने चाहियें लेकिन शोहरत (नाम और दिखावे) के लिये क़ीमती और ज़माने के मशहूर कपड़े नहीं पहनने चाहियें, इसलिये कि जो दुनिया में शोहरत वाला लिबास पहनेगा क़ियामत के दिन उसे ज़िल्लत का लिबास पहनाया जायेगा।

हदीस 818. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे सोने की अंगूठी, रेशमी धारीदार क़सी (कपड़े का नाम) और सुर्ख़ गद्दे (बिस्तर) के इस्तेमाल से मना फ़रमाया। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई)

अंगूठी पहनने का बयान

हदीस 819. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने दायें हाथ में

(चाँदी की) अंगूठी पहनते थे। (इब्ने माजा)

वज़ाहतः- अंगूठी पहनना आपकी सुन्नत है, और आपका हर अ़मल हमारे लिये बेहतरीन नमूना है।

हदीस 820. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रेशम को अपने दायें हाथ में और सोने को अपने बायें हाथ में लिया और फिर फ़रमाया- बेशक ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं। (अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 821. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक ऐसे आदमी से फ़रमाया जिसने पीतल की अंगूठी पहन रखी थी, क्या वजह है कि मुझे तुम में बुतों की बू आती है। उस आदमी ने अंगूठी फेंक दी, फिर वह आया और उस वक़्त उसने लोहे की अंगूठी पहन रखी थी, आपने फ़रमाया- क्या वजह है मैं देख रहा हूँ कि तुमने दोज़ख़ियों का ज़ेवर पहन रखा है। उस आदमी ने अंगूठी को फेंक दिया और अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं किस धात से अंगूठी बनवाऊँ? आपने फ़रमाया- चाँदी की, लेकिन उसका वज़न एक मिस्क़ाल (तक़रीबन साढ़े चार ग्राम) से कम हो। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

कंघी करने (बालों को संवारने) का बयान

हदीस 822. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी मूँछें काटकर हल्की किया करते थे, और फ़रमाया कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम भी इस तरह किया करते थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 823. हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी अपनी मूँछें नहीं कटवाता वह हम में से नहीं। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 824. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मर्दों की ख़ूशबू वह है जिसकी महक हो और रंग न हो, और औ़रतों की ख़ुशबू वह है जिसका रंग

हो और महक न हो। (तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 825. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास उम्दा क़िस्म की ख़ुशबू थी जिसको आप इस्तेमाल करते थे। (अबू दाऊद)

हदीस 826. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सबसे अच्छा ख़िज़ाब, जिससे बालों का रंग तब्दील किया जाये मेहंदी और वसमा (एक क़िस्म के पत्ते) मिलाकर लगाना है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

हदीस 827. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवाय़त है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सफ़ेद बालों को रंग देकर तब्दील करो और यहूदियों के साथ मुशाबहत (समानता) न रखो। (तिर्मिज़ी)

हदीस 828. हज़रत कअ़ब बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी इस्लाम में बुढ़ापे को पहुँचा तो क़ियामत के दिन बुढ़ापा उसके लिये नूर का ज़रिया होगा। (तिर्मिज़ी, नसाई)

वज़ाहतः- हर नमाज़ के बाद लम्बी उम्र और ईमान पर ख़ात्मा होने की दुआ़ माँगिये।

हदीस 829. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस आदमी पर लानत की है जो औ़रतों का लिबास पहनता है, और उस औ़रत पर लानत की है जो मर्दों का लिबास पहनती है। (अबू दाऊद)

हदीस 830. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी अल्लाह तआ़ला और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है वह हम्माम में तहबन्द के बग़ैर दाख़िल न हो, और जो आदमी अल्लाह तआ़ला और आख़िरत पर ईमान रखता है वह ऐसे दस्तरख़्वान (या होटल) पर न बैठे जिसमें शराब का दौर चलता हो। (तिर्मिज़ी, नसाई)

तस्वीर बनाने का बयान

हदीस 831. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे पास जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने आकर बताया कि वह पिछली रात आये थे लेकिन आपके पास इसलिये न आये कि आपके घर में बारीक पर्दा था जिस पर जानदारों की तस्वीरें थीं, तथा उन्होंने पर्दे की चादर को उतारने और उसके दो तकिये बनाने का मश्विरा दिया। चुनाँचे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐसा ही किया। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 832. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन दोज़ख़ से एक गर्दन निकलेगी उसकी दो आँखें होंगी जिनसे वह देख रही होगी और दो कान होंगे जिनसे वह सुन रही होगी, और उसकी ज़बान होगी जिससे वह बात करेगी। वह कहेगी मुझे तीन क़िस्म के लोगों पर अ़ज़ाब मुसल्लत करने के लिये मुक़र्रर किया गया है–

1. हर वह आदमी जो दुनिया में सरकश (नाफ़रमान) और हठ-धर्म था।
2. हर वह आदमी जो दुनिया में अल्लाह तआ़ला के साथ किसी और को इबादत के लायक़ समझता था।
3. हर वह आदमी जो दुनिया में जानदारों की तस्वीरें बनाता था।

(तिर्मिज़ी)

तिब्ब (चिकित्सा) और दम (झाड़-फूँक) से इलाज

हदीस 833. हज़रत उसामा बिन शुरैक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने पूछा- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम इलाज करें? आपने फ़रमाया- अल्लाह के बन्दो ज़रूर इलाज करो, क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने बुढ़ापे की बीमारी के अ़लावा हर बीमारी का इलाज पैदा किया है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, अहमद)

हदीस 834. हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें हुक्म दिया कि नमूनिया

बुख़ार का इलाज क़ुस्ते बहरी और ज़ैतून से करो। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- "क़ुस्ते बहरी" को "ऊदे हिन्दी" भी कहा जाता है।

हदीस 835. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हराम दवा के इस्तेमाल से मना फ़रमाया। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 836. हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब भी ज़ख़्म या चोट लगती तो आप मुझे वहाँ मेहंदी लगाने का हुक्म देते। (तिर्मिज़ी)

हदीस 837. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मोच आ जाने की वजह से अपने कूल्हे पर सींगी लगवाई। (अबू दाऊद)

हदीस 838. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक तबीब (हकीम) ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मेंढक के बारे में पूछा कि क्या उसको दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उसे नहीं मारना चाहिये। (अबू दाऊद)

हदीस 839. हज़रत असमा बिन्ते अ़मीस रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! जाफ़र के बच्चों को जल्दी नज़र लग जाती है, क्या मैं उन्हें दम कराऊँ? आपने फ़रमाया- हाँ, अगर कोई चीज़ तक़दीर पर ग़ालिब आने वाली होती तो नज़र ग़ालिब आ जाती।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- बुरी नज़र हक़ीक़त (एक वास्तविकता) है लेकिन तक़दीर पर ग़ालिब नहीं आती है।

नेक फ़ाल और अपशगुन का बयान

हदीस 840. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी भी चीज़ से बदशगूनी (अपशगुन) नहीं लेते थे। आप जब किसी आ़मिल (कारकुन) को भेजते तो उसका नाम

पूछते, अगर आपको उसका नाम अच्छा लगता तो आप ख़ुश होते और ख़ुशी के आसार आपके चेहरे पर दिखाई देते, और अगर उसके नाम को नापसन्द जानते तो आपके चेहरे पर नागवारी के आसार दिखाई देते, और जब आप किसी बस्ती में दाख़िल होते तो बस्ती का नाम पूछते, अगर आपको उसका नाम अच्छा लगता तो आप ख़ुश होते और ख़ुशी के आसार चेहरे पर दिखाई देते, और अगर उसके नाम को नापसन्द फ़रमाते तो नागवारी के असरात आपके चेहरे पर नुमायाँ होते। (अबू दाऊद)

हदीस 841. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने इल्मे नजूम (सितारों का इल्म) हासिल किया उसने जादू का एक हिस्सा सीखा। वह जितना ज़्यादा इल्मे नजूम सीखेगा उतना ही ज़्यादा जादू में मुब्तला होगा। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

ख़्वाब की शरई हैसियत और उसकी ताबीर का बयान

हदीस 842. हज़रत रज़ीन उक़ैली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन का ख़्वाब नुबुव्वत का छियालीसवाँ हिस्सा है, और ख़्वाब परिन्दे के पाँव पर होता है, यानी उसे एक जगह जमाव और ठहराव हासिल नहीं होता जब तक कि ख़्वाब को बयान न किया जाये। जब ख़्वाब बयान कर दिया जाये तो ख़्वाब वाक़े हो जाता है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- ख़्वाब सिर्फ़ दोस्त या समझदार आदमी से बयान करें।

हदीस 843. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सबसे ज़्यादा सच्चे ख़्वाब सेहरी के वक़्त (फ़जर की अज़ान से पहले) आते हैं। (तिर्मिज़ी, दारमी)

आदाब का बयान

हदीस 844. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है

कि एक आदमी रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, उसने "अस्सलामु अ़लैकुम" कहा। आपने उसके सलाम का जवाब दिया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दस नेकियाँ हो गयीं। फिर एक दूसरा आदमी आया उसने "अस्सलामु अ़लैकुम व रह्मतुल्लाहि" कहा। आपने उसके सलाम का जवाब दिया। आपने फ़रमाया- बीस नेकियाँ हो गयीं। फिर एक आदमी आया उसने "अस्सलामु अ़लैकुम व रह्मतुल्लाहि व ब-रकातुहू" कहा। आपने उसके सलाम का जवाब दिया। आपने फ़रमाया- तीस नेकियाँ हो गयीं। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

वज़ाहतः- बाद में आने वालों ने "व रह्मतुल्लाहि" और "व ब-रकातुहू" के अलफ़ाज़ का इज़ाफ़ा किया था। यानी मुकम्मल सलाम कहने से तीस नेकियाँ मिलती हैं।

हदीस 845. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सबसे ज़्यादा अल्लाह तआ़ला के क़रीब वे लोग होंगे जो सलाम करने में पहल करते हैं।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 846. हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम घर में दाख़िल हुआ करो तो घर वालों को सलाम किया करो, और जब तुम घर से बाहर निकला करो तो भी घर वालों को सलाम किया करो। (बैहक़ी)

हदीस 847. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ मेरे बेटे! जब तुम अपने घर में दाख़िल हो तो घर वालों को सलाम करो, इससे तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर बरकत नाज़िल होगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 848. हज़रत असमा बिन्ते यज़ीद रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हम औ़रतों के पास से गुज़रे तो हमें सलाम किया। (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

वज़ाहतः- अगर फ़ितने में पड़ने का ख़तरा न हो तो ग़ैर-मेहरम औ़रतों को भी सलाम करना जायज़ है।

हदीस 849. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी होता है। (बैहक़ी)

हदीस 850. हज़रत सफ़वान बिन उमैया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में बग़ैर सलाम किये और बग़ैर इजाज़त तलब किये हाज़िर हुआ, आपने फ़रमाया- ऐ सफ़वान! वापस जाओ और "अस्सलामु अ़लैकुम" कहकर इजाज़त तलब करो कि क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ? (अबू दाऊद, अहमद)

हदीस 851. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से जब किसी को क़ासिद के ज़रिये बुलाया जाये और वह उसी क़ासिद के साथ चला जाये तो उसकी यही की इजाज़त है (अलग से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं)।

(अबू दाऊद)

हदीस 852. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब किसी के दरवाज़े पर जाते तो दरवाज़े के बिल्कुल सामने खड़े न होते बल्कि दरवाज़े की दायीं या बायीं तरफ़ खड़े होते और "अस्सलामु अ़लैकुम" कहते। (अबू दाऊद)

हदीस 853. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा जो अख़्लाक़ व आ़दात के लिहाज़ से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से ज़्यादा रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ मुशाबहत रखता (यानी मिलता-जुलता) हो। जब आपके पास आतीं तो आप उनके लिये खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़ते, उनका बोसा लेते और उन्हें अपने बैठने की जगह पर बैठाते, और जब आप उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो वह आपके लिये खड़ी जो जातीं, आपके हाथ पकड़तीं, आपका बोसा लेतीं और आपको अपनी जगह पर बैठातीं।

(अबू दाऊद)

हदीस 854. हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब मैं मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आया तो रसूले अकरम

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुझसे गले मिले। (शरहुस्सुन्ना)

हदीस 855. हज़रत यअ़ला रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत हसन और हुसैन रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ दौड़ते हुए आये, आपने उन दोनों को गले लगा लिया। (अहमद)

हदीस 856. हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स यह पसन्द करता है कि उसके आने पर लोग (उसके सम्मान के तौर पर) खड़े हो जायें तो वह शख़्स अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

वज़ाहतः- अगर लोग ख़ुद एहतिराम व सम्मान के तौर पर खड़े हो जायें तो कोई हर्ज नहीं है।

हदीस 857. हज़रत मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी के लिये यह जायज़ नहीं कि वह दो बैठे हुए आदमियों के दरमियान, उनकी इजाज़त के बग़ैर उन दोनों को अलग-अलग करके बैठ जाये। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- किसी जगह दो आदमी बैठे बातें कर रहे हों तो तीसरा वहाँ जाकर उनकी इजाज़त के बग़ैर उनके दरमियान में न बैठे।

हदीस 858. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा कि आप तकिये पर बायें हाथ की टेक लगाये हुए थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 859. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब फ़जर की नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाते तो उसी जगह पर ज़िक्र व अज़कार करते (यानी तस्बीह वग़ैरह पढ़ते) रहते यहाँ तक कि सूरज अच्छी तरह निकल आता। (अबू दाऊद)

हदीस 860. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक आदमी को देखा जो पेट के बल (उल्टा) लेटा हुआ है। आपने फ़रमाया- इस तरह लेटने को अल्लाह तआ़ला पसन्द नहीं फ़रमाते। (तिर्मिज़ी)

हदीस 861. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई आदमी ऐसी छत पर न सोये जिसका कोई पर्दा (यानी दीवार) न हो। (तिर्मिज़ी)

हदीस 862. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब छींक आती तो आप अपने मुँह पर हाथ या कपड़ा रख लेते और छींक की आवाज़ को पस्त करते थे। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- छींक लेते वक़्त आवाज़ को बुलन्द करना अदब के ख़िलाफ़ है।

हदीस 863. हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से किसी आदमी को छींक आये तो वह कहे- "अल्हम्दु लिल्लाहि अ़ला कुल्लि हालिन्" (हर हाल में अल्लाह तआ़ला के लिये तमाम तारीफ़ें हैं), और इसका सुनने वाला "यर्हमुकल्लाहु" (अल्लाह आप पर रहम फ़रमाये) कहे, और फिर छींक मारने वाला कहे- "यह्दीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम्" (अल्लाह आपको हिदायत दे और आपके हालात दुरुस्त रखे)। (तिर्मिज़ी)

नाम रखने का बयान

हदीस 864. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा- ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपके बाद मेरे यहाँ लड़का पैदा हो तो क्या मैं उसका नाम आपके नाम और उसकी कुन्नियत आपकी कुन्नियत पर रख लूँ? आपने फ़रमाया जी हाँ। (अबू दाऊद)

हदीस 865. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि आप नामुनासिब नाम (जिसके मायने बुरे होते) बदल देते थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 866. हज़रत उसामा बिन अख़्दरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक वफ़्द (जमाअ़त) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उनमें से एक शख़्स का नाम "अस्रम" था, आपने फरमाया आज से तुम्हारा नाम ज़ुरआ़ है। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- असूरम अ़रबी भाषा में कटे हुए अंगों वाले शख़्स को कहते हैं, इसलिये आपने उसका नाम बदल दिया।

हदीस 867. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम किसी को सरदार और आक़ा न कहो इसलिये कि अगर वह तुम्हारा सरदार है तो तुमने अपने रब को नाराज़ कर दिया। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- अल्लाह जल्ल शानुहू ही सरदार और आक़ा हैं उनके अ़लावा किसी को भी सरदार या आक़ा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि किसी को सरदार या आक़ा कहने से अल्लाह तआ़ला नाराज़ होते हैं।

गुफ़्तगू के आदाब

हदीस 868. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बुरी बातों से ख़ामोश रहना ईमान की शाख़ (हिस्सा) है, और बेहूदा फ़ुज़ूल बातें करना निफ़ाक़ (दिल के खोट) की निशानी है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 869. हज़रत अबू सालबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक क़ियामत के दिन तुम में से सबसे ज़्यादा मुझे महबूब और सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वे लोग होंगे जो तुम में से सबसे अच्छे अख़्लाक़ के मालिक होंगे, और मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नफ़रत के क़ाबिल और मुझसे बहुत दूर वे लोग होंगे जिनके अख़्लाक़ बुरे, जो फ़ुज़ूल बातें ज़्यादा बनाने वाले, गुफ़्तगू में एहतियात न करने वाले और जो तकब्बुर करते हुए मुँह फेरकर बातें करने वाले होंगे। (बैहक़ी)

हदीस 870. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या तुम जानते हो कि लोगों को सबसे ज़्यादा जन्नत में कौनसी चीज़ ले जायेगी? वह अल्लाह तआ़ला (के अ़ज़ाब) का डर और बेहतरीन अख़्लाक़ है। क्या तुम जानते हो कि लोगों को कसरत के साथ कौनसी चीज़ जहन्नम में दाख़िल करेगी? वह

दो खोखली चीज़ें, ज़बान और शर्मगाह हैं। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 871. हज़रत हकीम बिन मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वह आदमी तबाह व बरबाद हो गया जो लोगों को खुश करने के लिये झूठ बोलता है। उसके लिये दोज़ख़ है, उसके लिये दोज़ख़ है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 872. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब इनसान सुबह करता है तो उसके तमाम आंज़ा (बदनी हिस्से) ज़बान की मिन्नत खुशामद करते हुए कहते हैं कि हमारे बारे में तुम्हें अल्लाह तआ़ला (के अ़ज़ाब) से डरना चाहिये, बिला-शुब्हा हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम दुरुस्त रहोगी तो हम भी दुरुस्त रहेंगे और अगर तुम में टेढ़ापन आ गया तो हम भी सीधे रास्ते से हट जायेंगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 873. हज़रत अ़ली बिन हुसैन रहमतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- फ़ुज़ूल बातों को छोड़ देना मुसलमान की अ़लामत (निशानी और पहचान) है। (अहमद, मालिक)

हदीस 874. हज़रत सुफ़ियान बिन अ़ब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया कि आप सबसे ज़्यादा मेरे लिये किस चीज़ से ख़तरा महसूस करते हैं तो आपने अपनी ज़बान मुबारक पकड़कर फ़रमाया- ज़बान के (नाजायज़) इस्तेमाल से। (तिर्मिज़ी)

हदीस 875. हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम एक दूसरे पर अल्लाह तआ़ला की लानत के साथ बददुआ़ न करो, और न यह कहो कि तुम पर अल्लाह तआ़ला का ग़ज़ब हो, और न यह कहो कि तुम जहन्नमी हो। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 876. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा (आपकी बीवी) के बारे में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा कि वह ऐसी-ऐसी है (यानी वह छोटे

क़द वाली है)। आपने फ़रमाया- ऐ आयशा! तुम ऐसा कलिमा ज़बान पर लाई हो कि अगर उसे समन्दर के बराबर पानी में मिलाया जाये तो उसकी कड़वाहट इतने ज़्यादा पानी पर भी ग़ालिब आ जाये। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 877. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बुरी बात जहाँ कहीं भी हो क़ाबिले मलामत है, और शर्म व हया जहाँ कहीं भी हो फ़ख़्र का ज़रिया है। (तिर्मिज़ी)

वायदे की अहमियत

हदीस 878. हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा आप गोरे रंग के थे, बुढ़ापा शुरू हो चुका था और हसन बिन अ़ली आप से मुशाबह (मिलते-जुलते) थे। आपने हमें 13 ऊँट देने का हुक्म दिया, चुनाँचे हम ऊँट लेने के लिये गये तो हमें आपकी वफ़ात की ख़बर पहुँची, हमें कुछ न मिला। जब हज़रत अबू बक्र ख़लीफ़ा बने तो उन्होंने ऐलान किया कि जिस आदमी से रसूले पाक ने कुछ वायदा किया था वह हमारे पास आये, चुनाँचे मैं हज़रत अबू बक्र के पास पहुँचा और मैंने उन्हें यह बात बताई तो उन्होंने हमें ऊँट देने का हुक्म दिया (फिर आपने हमें 13 ऊँट दे दिये)। (तिर्मिज़ी)

(अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः बनी इस्राईल 17, आयत 34 और सूरः मोमिनून 23, आयत 8)

मज़ाक़ व दिल्लगी करने का बयान

हदीस 879. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवारी का मुतालबा किया, आपने फ़रमाया- मैं तुम्हें ऊँटनी के बच्चे पर सवार कराऊँगा। उसने कहा ऊँटनी का बच्चा मेरे किस काम का? (उसका वहम दूर करते हुए) रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सब ऊँट, ऊँटनियों के बच्चे ही तो होते हैं। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

वज़ाहतः- मज़ाक़ करते हुए भी झूठ बोलने से परेहज़ कीजिये, इसलिये

कि हमारी गुफ़्तगू नोट की जा रही होती है जिसका हमें क़ियामत के दिन बदला मिलेगा। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः "क़ाफ़" 50, आयत 18।

फ़ख़्र और बेजा तरफ़दारी की मनाही

हदीस 880. हज़रत मुतर्रिफ़ बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं बनू आ़मिर के वफ़्द (प्रतिनिधि मण्डल) में (शामिल होकर) रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हमने अ़र्ज़ किया- आप हमारे आक़ा हैं। आपने फ़रमाया- आक़ा तो बस अल्लाह तआ़ला है। हमने अ़र्ज़ किया आप सबसे ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले हैं और हम सबसे ज़्यादा अ़तिय्यात (तोहफ़े-हदिये) देने वाले हैं। (इस पर) आपने फ़रमाया- तुम इस तरह की बात न कहो (ख़्याल रहे कि) शैतान तुम्हें (कोई नाजायज़ बात कहने पर) दिलेर न बना दे। (अबू दाऊद)

हदीस 881. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी अपनी क़ौम की नाजायज़ मदद करता है वह उस ऊँट की तरह है जो (कुएँ में) गिर गया हो और उसकी दुम पकड़कर उसे (कुएँ से) निकाला जा रहा हो। (अबू दाऊद)

नेकी और सिला-रहमी

हदीस 882. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तक़दीर को दुआ़ ही बदल सकती है और नेक आमाल से ही उम्र में इज़ाफ़ा हो सकता है, इसमें कुछ शुब्हा नहीं कि गुनाह करने की वजह से इनसान रिज़्क़ से मेहरूम हो जाता है। (इब्ने माजा)

हदीस 883. हज़रत मुआ़विया बिन हैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं किसके साथ एहसान करूँ? आपने फ़रमाया- अपनी वालिदा (माँ) के साथ। मैंने अ़र्ज़ किया फिर किसके साथ? आपने फ़रमाया- अपनी वालिदा के साथ। मैंने कहा फिर किसके

साथ? आपने फ़रमाया- अपनी वालिदा के साथ। मैंने अ़र्ज़ किया फिर किसके साथ? आपने फ़रमाया- अपने वालिद (बाप) के साथ, फिर मर्तबे की तरतीब से अपने क़रीबी रिश्तेदारों के साथ। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस 884. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तबारक व तआ़ला फ़रमाते हैं कि मैं अल्लाह हूँ और मैं रहमान हूँ, मैंने रिश्तेदारी को पैदा किया और मैंने उसके लिये नाम अपने नाम रहमान से निकाला है। पस जो आदमी रहम (रिश्तेदारी) को क़ायम रखेगा मैं उससे ताल्लुक़ क़ायम रखूँगा, और जो आदमी रिश्तेदारी को तोड़ेगा मैं उससे नाता तोड़ूँगा।

(अबू दाऊद)

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला का एक नाम रहमान भी है और रिश्तेदारी को अ़रबी भाषा में "रहम" कहते हैं जो रहमान से निकला है।

हदीस 885. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि एक सहाबी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आकर अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! बिला-शुब्हा मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या मेरे लिये तौबा है? आपने फ़रमाया- क्या तुम्हारी वालिदा (माँ) है? उसने इनकार में जवाब दिया। आपने पूछा क्या तुम्हारी ख़ाला है? उसने हाँ में जवाब दिया। आपने फ़रमाया- उनसे अच्छा सुलूक करो (तो तुम्हारा गुनाह माफ़ हो जायेगा)। (तिर्मिज़ी)

मख़्लूक़ पर शफ़क़त और रहम करने का बयान

हदीस 886. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ पर रहम करने वालों पर अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त रहम फ़रमाते हैं, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम फ़रमायेगा।

(अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 887. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा ऐ अल्लाह

के रसूल! मुझे कैसे मालूम होगा कि मैंने नेकी की है या बुराई? रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम सुनो कि तुम्हारे पड़ोसी कह रहे हैं कि तुमने अच्छा काम क्या है तो वाक़ई तुमने अच्छा काम किया है, और जब तुम उनसे सुनो कि वे कह रहे हैं कि तुमने ग़लत काम किया है तो वाक़ई तुमने ग़लत काम किया है। (इब्ने माजा)

हदीस 888. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- लोगों के साथ उनके मर्तबे के लिहाज़ से सुलूक करो। (अबू दाऊद)

अल्लाह ही के लिये मुहब्बत का बयान

हदीस 889. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह तआ़ला के बन्दों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो न नबी हैं और न शहीद (लेकिन) नबी और शहीद क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला के यहाँ उनके मुक़ाम व मर्तबे पर रश्क करेंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें बतायें वे कौन लोग हैं? आपने फ़रमाया- ये वे लोग होंगे जो अल्लाह तआ़ला की रूह (यानी क़ुरआन मजीद) के सबब आपस में मुहब्बत रखते हैं हालाँकि उनके दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं होती है (कि जिसकी वजह से वे एक दूसरे से मुहब्बत करें) और न ही माल व दौलत के लेन-देन का मामला होता है। पस अल्लाह की क़सम! बिला-शुब्हा उनके चेहरे रोशन होंगे और वे लोग रोशनी पर होंगे जब लोगों को ख़ौफ़ लगा होगा तो उन्हें कोई ख़ौफ़ नहीं होगा और जब लोग ग़मगीन होंगे तो उन्हें कोई ग़म न होगा। फिर आपने यह आयते मुबारका तिलावत फ़रमाई–

तर्जुमाः- ख़बरदार बेशक अल्लाह के औलिया को न डर होगा और न वे ग़मगीन होंगे। (सूरः यूनुस 10, आयत 62) (अबू दाऊद)

हदीस 890. हज़रत मिक़दाम बिन मअ़्दीकरब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब

कोई आदमी अपने भाई से मुहब्बत करे तो उसे बताये कि मैं आप से मुहब्बत करता हूँ। (अबू दाऊद)

हदीस 891. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दोस्त सिर्फ़ मोमिन इनसान को बनाओ और सिर्फ़ परहेज़गार आदमी ही तुम्हारा खाना खाये। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

वज़ाहतः- ग़ैर-मुस्लिमों मसलन यहूदियों व ईसाईयों से दिली दोस्ती नहीं करनी चाहिये।

मुलाक़ात का छोड़ देना, ताल्लुक़ तोड़ना और ऐबों की तलाश में रहना

हदीस 892. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी मुसलमान के लिये जायज़ नहीं कि वह अपने भाई से तीन दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे, जिस आदमी ने तीन दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ ख़त्म रखा और वह उस दौरान मर गया तो वह दोज़ख़ में दाख़िल होगा। (अबू दाऊद)

हदीस 893. हज़रत अबू-दर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या मैं तुम्हें रोज़ा, सदक़ा और नमाज़ से अफ़ज़ल काम न बताऊँ? हमने अ़र्ज़ किया क्यों नहीं, आपने फ़रमाया- आपस में सुलह कराना, क्योंकि आपस की लाड़ाई और नाइत्तिफ़ाक़ी ऐसी बुराई है जो इस्लाम से ख़ारिज कर देती है? (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- आपस में सुलह कराना अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसन्द है, और सुलह कराने में अगर झूठ बोलने की नौबत आये तो झूठ बोलना भी जायज़ है। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः हुजुरात 49, आयत 10।

हदीस 894. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मिम्बर पर

तशरीफ़ लाकर बुलन्द आवाज़ के साथ ऐलान फ़रमाया- ऐ लोगो! जो इस्लाम लाये हो, तुम मुसलमानों को तकलीफ़ न पहुँचाओ, न उनको गुस्सा दिलाओ और न ही उनके ऐब ढूँढो, क्योंकि जो आदमी अपने मुसलमान भाई का ऐब तलाश करेगा तो अल्लाह तआला उसके ऐब ढूँढेंगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 895. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब मेरा रब मुझे मेराज पर ले गया तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुज़रा जिनके नाख़ुन ताँबे के थे, वे अपने चेहरों और सीनों को (नाख़ुनों से) नोच रहे थे। मैंने पूछा ऐ जिब्राईल! ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि ये वे लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे (यानी उनकी ग़ीबतें करते थे) और उनकी इज़्ज़तें पामाल (बरबाद) करते थे। (अबू दाऊद)

मामलात में सोच-विचार और एहतियात करनी चाहिये

हदीस 896. हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पसन्दीदा आदतें, बरदाश्त करना और दरमियानी चाल इख़्तियार करना, नुबुव्वत के 24 हिस्सों में से एक हिस्सा है। (तिर्मिज़ी)

नर्मी, हया और अच्छे अख़्लाक़

हदीस 897. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत में ले जायेगा, और बेहयाई बुराई का हिस्सा है जो दोज़ख़ में ले जायेगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 898. हज़रत अबू-दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा ज़्यादा वज़नी अमल (जिसे) क़ियामत के दिन मोमिन की तराज़ू में रखा जायेगा (वह) अच्छी आदत है, और अल्लाह तआला उस आदमी को बुरा समझता है जो

गन्दा (बुरा) कलाम (और) बेहूदा बातें करता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 899. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक मोमिन अच्छी आदत की वजह से (उस आदमी के) मर्तबे पर पहुँच जायेगा जो रात को क़याम करता (नफ़िल नमाज़ें पढ़ता) है और दिन को रोज़ा रखता है।

(अबू दाऊद)

हदीस 900. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐसा मुसलमान आदमी जो लोगों के साथ घुल-मिलकर रहता है और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है उस आदमी से अफ़ज़ल है जो लोगों के साथ घुल-मिलकर नहीं रहता और न लोगों की तकलीफ़ पर सब्र करता है।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

गुस्सा और तकब्बुर का बयान

हदीस 901. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन हर घमण्डी को चींटियों की तरह इनसानी शक्लों में उठाया जायेगा, ज़िल्लत ने उन पर हर तरफ़ से घेरा डाल रखा होगा, उन्हें जहन्नम के एक क़ैदख़ाने की तरफ़ हाँका जायेगा जिसे "बोलस्" (जहन्नम की एक वादी का नाम) कहा जाता है, उन पर ज़बरदस्त आग मुसल्लत होगी, उन्हें जहन्नम वालों की पीप वग़ैरह पीने के लिये दी जायेगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 902. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से किसी आदमी को ग़ुस्सा आये तो वह बैठ जाये, अगर उसका ग़ुस्सा दूर हो जाये (तो बेहतर है) वरना वह लेट जाये। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- ग़ुस्से के दौरान "अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम" बार-बार पढ़ें और पानी भी पियें।

अच्छी बातों का हुक्म देना

हदीस 903. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अच्छे कामों का हुक्म देते रहना और बुरे कामों से रोकते रहना वरना क़रीब है कि अल्लाह तआ़ला तुम पर अ़ज़ाब मुसल्लत कर दे, फिर तुम उससे दुआ़ करो लेकिन तुम्हारी दुआ़ क़ुबूल न होगी।

(तिर्मिज़ी)

हदीस 904. हज़रत अबुल्-बख़्तरी रह्मतुल्लाहि अलैहि से रिवायत है कि एक सहाबी फ़रमाते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- लोग उस वक़्त तक हरगिज़ तबाह व बरबाद न होंगे जब तक वे अपने गुनाहों को दुरुस्त (सही) साबित करने के लिये झूठे उज़्र (बहाने) पेश न करने लगेंगे। (अबू दाऊद)

दिलों में नर्मी पैदा करने वाली बातें

हदीस 905. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि ऐ आदम के बेटे! मेरी इबादत के लिये वक़्त निकाला करो मैं तुम्हारे दिल को दौलत से भर दूँगा और तुम्हारी ग़ुर्बत को ख़त्म कर दूँगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको मसरूफ़ियत में रखूँगा और तुम्हारी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं करूँगा। (इब्ने माजा)

हदीस 906. हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर अल्लाह तआ़ला के नज़दीक दुनिया (की क़द्र व क़ीमत) मच्छर के पर के बराबर भी होती तो वह किसी काफ़िर को दुनिया के पानी से एक घूँट भी न पिलाता।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 907. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दीनार और दिरहम (यानी माल व दौलत) का ग़ुलाम मलऊन है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- जो आदमी माल व दौलत की मुहब्बत में इस तरह गिरफ़्तार हो जाये कि उसकी वजह से अल्लाह की इबादत को भी भुला दे तो ऐसा आदमी मलऊन (क़ाबिले लानत) है।

हदीस 908. हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दो भूखे भेड़िये जिनको बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाये वे इतना नुक़सान नहीं पहुँचाते जिस क़द्र इनसान की माली हिर्स (दौलत का लालच) दीन को नुक़सान पहुँचाती है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 909. हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ईमान वाला आदमी जिस क़द्र माल ख़र्च करता है उसको उसके बदले सवाब हासिल होगा अलबत्ता जिस माल को उसने (बिना ज़रूरत) ख़र्च किया उसमें सवाब नहीं।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 910. हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ऐसा अ़मल बतायें कि जिसके करने से अल्लाह तआ़ला और लोग भी मुझसे मुहब्बत करें, आपने फ़रमाया- दुनिया से मुहब्बत न करो अल्लाह तआ़ला तुमसे मुहब्बत करेंगे और लोगों के पास जो माल है उससे भी मुहब्बत न करो लोग तुम से मुहब्बत करेंगे। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 911. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम चटाई पर सो रहे थे, जब आप जागे तो जिस्म मुबारक पर चटाई के निशानात थे। हज़रत इब्ने मसऊद ने अ़र्ज़ किया अगर आप हमें हुक्म फ़रमाते तो हम आपके लिये नर्म बिछौना बिछा देते और ख़ूबसूरत चादर तैयार करवाते। आपने फ़रमाया- मुझे न तो दुनिया के साथ (मुहब्बत है) और न ही दुनिया को मेरे साथ (मुहब्बत है), मेरा ताल्लुक़ दुनिया के साथ सिर्फ़ इतना है जितना कि एक आदमी किसी पेड़ के साये में आराम करता है फिर वह पेड़ को छोड़कर चला जाता है।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 912. हज़रत मिक़दाम बिन मअ़्दीकरब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पेट से ज़्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं जिसको इनसान भरता है (जबकि) आदम के बेटे के लिये चन्द लुक़मे ही काफ़ी हैं जो उसकी कमर को सीधा रखें, अगर खाने के सिवा कोई चारा न हो तो पेट का एक हिस्सा खाने के लिये, दूसरा हिस्सा पानी के लिये और तीसरा हिस्सा साँस लेने के लिये रखो।

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

फ़क़ीरी की फ़ज़ीलत और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़िन्दगी

हदीस 913. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह दुआ़ फ़रमाते थे-

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ.

अल्लाहुम्-म अहयिनी मिस्कीनंव्-व अमित्नी मिस्कीनंव्-वह्शुर्नी फ़ी ज़ुम्रतिल्-मसाकीन।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मुझे मिस्कीन (ग़रीब) ज़िन्दा रखिये, मुझे मिस्कीनी की हालत में मौत दीजिये और मुझे मिस्कीनों की जमाअ़त में उठाईये।

हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! किस लिये? आपने फ़रमाया- इसलिये कि वे लोग मालदारों से 40 साल पहले जन्नत में दाख़िल होंगे। ऐ आ़यशा! तुम मिस्कीन को ख़ाली हाथ न लौटाओ अगरचे खजूर का कोई हिस्सा ही देकर रवाना करो। आ़यशा! तुम मिस्कीनों से मुहब्बत करो और उन्हें अपने क़रीब करो, बिला-शुब्हा क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला तुम्हें अपने क़रीब करेगा। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- फ़क़ीर व ग़रीब लोगों को झिड़कना सख़्त मना है बल्कि उनसे मुहब्बत करनी चाहिये। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः अज़्ज़ुहा 93, आयत 10।

हदीस 914. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझे अल्लाह तआ़ला की राह में (इतना) डराया गया है कि किसी (और) आदमी को इतना नहीं डराया गया होगा, और बिला-शुब्हा मुझे अल्लाह तआ़ला की राह में इस क़द्र तकलीफ़ पहुँची है कि इस क़द्र तकलीफ़ किसी को नहीं पहुँची होगी, बिला-शुब्हा मुझ पर तीस दिन और रातें ऐसी गुज़री हैं कि मेरे और बिलाल के पास इतना खाना भी न होता कि जो किसी आदमी की ख़ुराक बन सके अलबत्ता इस क़द्र जो बिलाल की बग़ल में आ सके। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- दीने इस्लाम की तब्लीग़ की ख़ातिर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बेशुमार तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा यहाँ तक कि खाने-पीने के लिये भी कुछ नहीं होता था।

अल्लाह तआ़ला की फ़रमाँबरदारी के लिये माल और उम्र से मुहब्बत करना

हदीस 915. हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! कौन आदमी बेहतर है? आपने फ़रमाया- वह आदमी जिसकी उम्र लम्बी है और उसके आमाल अच्छे हैं। उसने पूछा कौन आदमी बदतर है? आपने फ़रमाया- जिसकी उम्र लम्बी है लेकिन उसके आमाल बुरे हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 916. हज़रत अबू कबशा अन्मारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं तीन बातों के बारे में तुम्हें क़सम खाकर बयान करता हूँ, तुम उन्हें महफ़ूज़ रखना—

1. किसी आदमी का माल सदक़े (की बरकत) से कम नहीं होता।
2. किसी आदमी पर जब भी ज़ुल्म होता है और वह उस पर सब्र करता है तो अल्लाह तआ़ला ज़ुल्म की वजह से उसकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं।
3. कोई आदमी जब भी सवाल के दरवाज़े को खोलता (लोगों से माँगना शुरू कर देता) है तो अल्लाह तआ़ला उस पर फ़क़ीरी का दरवाज़ा खोल देते हैं।

इसके बाद आपने फ़रमाया- ये बातें भी याद रखना कि बिला-शुब्हा

दुनिया सिर्फ़ चार इनसानों के लिये है-

एक वह आदमी जिसको अल्लाह तआ़ला ने माल और इल्म अ़ता किया है, वह उसमें अपने रब से डरता है और सिला-रहमी करता है और उसमें हुक़ूक़ के मुताबिक़ ख़र्च करता है तो ऐसा इनसान बहुत ऊँचे मर्तबे पर है।

और (दूसरा) वह आदमी जिसको अल्लाह ने इल्म अ़ता किया है (लेकिन) उसे माल नहीं दिया, पस यह आदमी सही नीयत वाला है। कहता है कि काश! मेरे पास भी माल होता तो मैं भी फ़ुलाँ इनसान की तरह ख़र्च करता, पस उन दोनों का सवाब बराबर है।

और (तीसरा) वह आदमी जिसको अल्लाह तआ़ला ने माल दिया है और उसे इल्म नहीं दिया, वह अपने माल में शरीअ़त के ख़िलाफ़ अ़मल व इख़्तियार चला रहा है, वह उसमें न अपने रब से ख़ौफ़ खाता है और न ही सिला-रहमी करता है और न ही माल में शरीअ़त के मुताबिक़ अ़मल (ख़र्च वग़ैरह) करता है, पस ऐसा आदमी बहुत बुरे ठिकाने वाला है।

और (चौथा) वह आदमी है जिसे अल्लाह तआ़ला ने माल और इल्म दोनों नहीं दिये पस वह कहता है काश! मेरे पास माल होता तो मैं भी उसमें फ़ुलाँ इनसान की तरह (बुरे) अ़मल करता, पस (उसका ठिकाना) उसकी नीयत के मुताबिक़ है और उन दोनों का गुनाह बराबर है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 917. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा अल्लाह तआ़ला जब किसी इनसान के बारे में भलाई का इरादा फ़रमाते हैं तो उसे इताअ़त (नेक कामों) में लगा देते हैं। आप से पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआ़ला उसको कैसे (इताअ़त में) लगा देते हैं? आपने फ़रमाया- मौत से पहले उसे नेक अ़मल की तौफ़ीक़ देते हैं। (तिर्मिज़ी)

तवक्कुल (अल्लाह पर भरोसे) और सब्र की फ़ज़ीलत

हदीस 918. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर तुम अल्लाह

तआ़ला पर सही तवक्कुल करो तो अल्लाह तआ़ला तुम्हें रिज़्क़ देगा जैसा कि वह परिन्दों को रिज़्क़ देता है, कि वे सुबह सवेरे भूखे जाते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 919. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पीछे सवार था। आपने फ़रमाया- ऐ लड़के! अल्लाह तआ़ला (के अहकामात) की हिफ़ाज़त करो, अल्लाह तआ़ला तुम्हारी हिफ़ाज़त करेगा। अल्लाह तआ़ला के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त करो तो अल्लाह तआ़ला को अपने सामने पाओगे, और जब तुम सवाल (का इरादा) करो तो अल्लाह तआ़ला से सवाल करो, और तुम्हें मदद तलब करनी हो तो अल्लाह तआ़ला से मदद तलब करो, और यक़ीन करो कि (मान लो) तमाम मख़्लूक़ अगर तुम्हें कुछ फ़ायदा पहुँचाने के लिये जमा हो जाये तो तुम्हें सिर्फ़ उसी क़द्र फ़ायदा पहुँचा सकती है जिस क़द्र अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया है, और अगर तमाम मख़्लूक़ तुम्हें कुछ तकलीफ़ देने के लिये जमा हो जाये तो तुम्हें सिर्फ़ उसी क़द्र तकलीफ़ दे सकती है जिस क़द्र अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे बारे में लिख दी है, क़लम उठा दिये गये हैं (अहकामात लिख दिये जाने से रुक गये हैं) और सहीफ़ों (किताबों) की सियाही ख़ुश्क हो चुकी है। (तिर्मिज़ी)

दिखावे और शोहरत से बचना

हदीस 920. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी का मक़सद आख़िरत तलब करना हो तो अल्लाह तआ़ला उसके दिल को ग़नी (मालदार और दूसरों से बेपरवाह) कर देते हैं और उसके तमाम कामों के लिये असबाब मुहैया कर देते हैं और दुनिया उसके पास ताबेदार होकर आती है, और जिस आदमी का मक़सद दुनिया हासिल करना हो अल्लाह तआ़ला उसकी ग़ुर्बत को ज़ाहिर कर देते हैं और उसके तमाम कामों को मुश्किल कर देते हैं। दुनिया उसे सिर्फ़ उस क़द्र मिलती है जितनी उसके मुक़द्दर में है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- दोनों क़िस्म के इनसानों को रिज़्क़ तक़दीर के मुताबिक़ ही मिलता है मगर पहले आदमी के लिये उसका हासिल करना आसान जबकि दूसरे के लिये मुश्किल बना दिया जाता है।

अल्लाह के ख़ौफ़ से रोना और उसके अ़ज़ाब से डरना

हदीस 921. हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब रात का दो तिहाई हिस्सा गुज़र जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (तहज्जुद की नमाज़ के लिये) खड़े होते और दो मर्तबा फ़रमाते ऐ लोगो! अल्लाह तआ़ला को याद करो, फिर फ़रमाते- यक़ीनन ज़लज़ला आने वाला है (यानी पहला सूर फूँका जाने वाला है जिसके साथ ही सब मर जायेंगे), उसके बाद दूसरा सूर भी आ रहा है (यानी पहले सूर के बाद दूसरा सूर भी बस फूँका जाने वाला है जिसकी आवाज़ पर सब दोबारा ज़िन्दा हो जायेंगे और अपनी-अपनी क़ब्रों से उठकर मैदाने हश्र में जमा हो जायेंगे)। फिर आपने दो मर्तबा फ़रमाया कि मौत अपने से जुड़ी तमाम सख़्तियों के साथ आ रही है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 922. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! आप तो बुढ़े हो चुके हैं? आपने फ़रमाया- मुझे (सूरः) हूद, (सूरः) अल्-वाक़िआ़, (सूरः) अल्-मुर्सलात, (सूरः) अन्-नबा और (सूरः) अत्तक्वीर ने बुढ़ा कर दिया है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- इन सूरतों में क़ियामत के हौलनाक हालात का तज़किरा है।

लोगों में तब्दीली पैदा होने का बयान

हदीस 923. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम अपने इमाम (हाकिम) को क़त्ल करोगे और अपनी तलवारों के साथ आपस में ही लड़ाई करोगे और तुम में से बदतरीन लोग तुम्हारी दुनिया के वारिस होंगे, तो उस

वक़्त क़ियामत क़ायम हो जायेगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 924. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बहुत जल्दी (काफ़िर) लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो जायेंगे जैसा कि खाने वाले लोग खाने के बर्तन पर जमा होते हैं। एक आदमी ने पूछा क्या उन दिनों हम तादाद में कम होंगे? आपने फ़रमाया- (नहीं) बल्कि उन दिनों तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह होगे। अल्लाह तआ़ला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब व दबदबा निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में कमज़ोरी पैदा हो जायेगी। एक आदमी ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! कमज़ोरी का सबब क्या होगा? आपने फ़रमाया- दुनिया से मुहब्बत और मौत से बेज़ारी (नफ़रत)। (अबू दाऊद)

फ़ितनों और उनसे बचने का बयान

हदीस 925. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी यह उम्मत, उम्मते मरहूमा है (यानी इस पर ख़ास तौर पर रहमत की गई है) आख़िरत में इस पर सख़्त अ़ज़ाब नहीं होगा, दुनिया में इसका अ़ज़ाब फ़ितने, ज़लज़ले और नाहक़ क़त्ल है। (अबू दाऊद)

हदीस 926. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपनी उम्मत के बारे में मुझे उन इमामों से ख़तरा है जो (उम्मत को) गुमराह करने वाले हैं, और जब मेरी उम्मंत में तलवार नियामों से निकल आयेगी तो क़ियामत के दिन तक नहीं रुकेगी। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

हदीस 927. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम्हारा उस वक़्त क्या हाल होगा जब तुम नाकारा लोगों में ज़िन्दगी बसर करोगे जिनका वायदा और अमानत दुरुस्त न होगी और उनमें इख़्तिलाफ़ (झगड़ा) पैदा होगा। पस वे इस तरह हो जायेंगे। आपने (मिसाल देते हुए) अपनी

उंगलियों को एक-दूसरे में दाख़िल किया (यानी अमानतदार को ख़्यानत वाले से और नेक को बदकार से अलग नहीं किया जा सकेगा)। मैंने अ़र्ज़ किया आप (उन हालात में) मुझे क्या हुक्म देते हैं? आपने जवाब दिया तुम्हें अच्छी बातों को अपनाना चाहिये और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिये तथा तुम अपने काम से ग़र्ज़ रखो और आ़म लोगों के मामलात को छोड़ दो।
(तिर्मिज़ी)

हदीस 928. हज़रत उम्मे मालिक बहज़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक फ़ितने का ज़िक्र करते हुए उसे क़रीब बताया, मैंने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! उस फ़ितने में सबसे बेहतर कौन आदमी होगा? आपने फ़रमाया- (एक) वह आदमी है जो अपने मवेशियों में रहता हो, उनकी ज़कात अदा करता हो और अपने रब की इबादत करता हो, और (दूसरा) वह आदमी है जिसने अपने घोड़े की लगाम को थामा हुआ हो और वह दुश्मनों में ख़ौफ़ पैदा करता हो और दुश्मन उसे ख़ौफ़ ज़दा करते हों। (तिर्मिज़ी)

हदीस 929. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठे हुए थे आपने कसरत के साथ फ़ितनों का ज़िक्र फ़रमाया यहाँ तक कि आपने 'अल-एहलास' फ़ितने का भी ज़िक्र किया। किसी ने आपसे पूछा कि 'अल-एहलास' फ़ितना क्या है? आपने जवाब दिया वह ऐसा फ़ितना है जिसमें लोग (एक दूसरे से) भागेंगे और (माल व सामान) छीनेंगे, उसके बाद ख़ुशहाली का फ़ितना होगा उस फ़ितने को मेरे अहले बैत (घर वालों) में से एक आदमी मेरी तरफ़ मन्सूब करता हुआ भड़कायेगा, वह अपने आपको मेरे ख़ानदान की तरफ़ मन्सूब करेगा लेकिन वह आदमी अ़मली तौर पर मुझसे नहीं होगा, इसलिये कि मेरा ताल्लुक़ तो परहेज़गार लोगों से है। उसके बाद लोग एक ऐसे आदमी पर सहमत हो जायेंगे जो गोश्त के उस लोथड़े की तरह हो जायेगा जो पस्ली की हड्डी पर होता है, फिर बहुत बड़ा फ़ितना होगा जो इस उम्मत के किसी आदमी को नहीं छोड़ेगा मगर उसे (ज़बरदस्त) मुसीबत में मुब्तला कर देगा, जब (कानों में) आवाज़ आयेगी कि

फ़ितना ख़त्म हो चुका है तो उसमें और अधिक इज़ाफ़ा हो जायेगा, लोग उस फ़ितने में सुबह के वक़्त मोमिन और शाम के वक़्त काफ़िर हो जायेंगे यहाँ तक कि लोग दो गिरोह में बंट जायेंगे- एक गिरोह ख़ालिस ईमान वालों का होगा जिनमें निफ़ाक़ (दिल का खोट) नहीं होगा, और दूसरा गिरोह स्पष्ट तौर पर मुनाफ़िक़ लोगों का होगा जिनमें ईमान नहीं होगा, जब यह सूरतेहाल ज़ाहिर होगी तो तुम उस दिन या दूसरे दिन दज्जाल का इन्तिज़ार करना। (अबू दाऊद)

हदीस 930. हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तीन मर्तबा फ़रमाया- जो आदमी फ़ितनों में मुब्तला किया गया और उसने सब्र किया वह भी बहुत ही अच्छा है। (अबू दाऊद)

हदीस 931. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब मेरी उम्मत के कुछ लोगों में तलवार नियाम से बाहर निकल आयेगी तो क़ियामत के दिन तक तलवार (क़त्ल व ग़ारतगरी से) बाज़ नहीं आयेगी और क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मुश्रिकों के साथ न मिल जायें, और जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ क़बीले बुतों की पूजा न शुरू कर दें, और यह बात यक़ीनी है कि मेरी उम्मत में 30 झूठे नबी ज़ाहिर होंगे, उनमें से हर एक यह गुमान करेगा कि वह अल्लाह तआ़ला का नबी है हालाँकि मैं आख़िरी नबी हूँ मेरे बाद कोई पैग़म्बर नहीं है, और मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा हक़ पर रहेगा, वह ग़ालिब होगा, उस जमाअ़त की मुख़ालफ़त करने वाले उसे कुछ नुक़सान नहीं पहुँचा सकेंगे यहाँ तक कि क़ियामत क़ायम हो जायेगी। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

लड़ाईयों के बारे में पेशीनगोईयाँ (भविष्यवाणियाँ)

हदीस 932. हज़रत ज़ी-मिख़्बर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आने वाले ज़माने में तुम रूम वालों से सुलह करोगे जो अमन के साथ तय पायेगी। फिर तुम

उनके साथ मिलकर अपने दुश्मनों से जंग करोगे जो तुम्हारे पीछे होंगे, तुम्हें ग़लबा हासिल होगा, तुम माले ग़नीमत (दुश्मन से हासिल हुआ माल) जमा करोगे और अमन में रहोगे, उसके बाद तुम वापस आओगे यहाँ तक कि तुम बुलन्द जगह की चरागाह में पड़ाव डालोगे तो ईसाईयों में से एक आदमी सलीब (सूली का निशान) बुलन्द करते हुए नारा लगायेगा कि सलीब को ग़लबा हासिल हो गया है, (उसका यह नारा सुनकर) एक मुसलमान आदमी गुस्से में आकर उसकी सलीब को तोड़ डालेगा, उस वक़्त रूम के लोग अ़हद तोड़ डालेंगे और लड़ाई के लिये जमा हो जायेंगे, और कुछ मुसलमान अपने हथियारों की जानिब गुस्से की हालत में लपकेंगे और लड़ाई शुरू कर देंगे तो अल्लाह तआ़ला उस जमाअ़त को शहादत के सम्मान से नवाज़ेगा। (अबू दाऊद)

हदीस 933. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अनस! इसमें कुछ शुब्हा नहीं कि लोग नये शहर आबाद करेंगे। उनमें से एक शहर का नाम बसरा होगा, जब तुम उसके पास से गुज़रो या उसमें दाख़िल हो तो वहाँ की खारी ज़मीन से दूर रहना। इसी तरह उसकी चरागाह, उसकी खजूरें, उसके बाज़ारों और उसके हुकमरानों (शासकों) के दरवाज़ों से ख़ुद को बचाना, और उस शहर के किनारों में रहना इसलिये कि उस शहर में ज़मीन में धंस जाने, पत्थरों की बारिश होने और सख़्त ज़लज़लों का अ़ज़ाब नाज़िल होगा और कुछ लोग रात गुज़ारेंगे और जब वे सुबह उठेंगे तो वे बन्दरों और ख़िन्ज़ीरों के जैसी शक्ल वाले बन जायेगे। (अबू दाऊद)

क़ियामत की निशानियाँ

हदीस 934. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक कि वक़्त तेज़ी से न गुज़रने लग जाये, साल महीने के बराबर, महीना हफ़्ते के बराबर और हफ़्ता दिन के बराबर और दिन घन्टे के बराबर और घन्टा आग के शोले की तरह होगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस 935. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- महदी मेरी (यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की) औलाद में से होगा। (अबू दाऊद)

हदीस 936. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- महदी मेरे अहले बैत (घर वालों) में से होगा जो खुली पेशानी और ऊँची नाक वाला होगा। ज़मीन में हर जगह ज़ुल्म व सितम होगा महदी उसे अ़दल व इन्साफ़ में तब्दील करेगा और उसकी ख़िलाफ़त सात साल होगी। (अबू दाऊद)

हदीस 937. हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने तुमसे दज्जाल के बारे में बयान किया था लेकिन मैंने महसूस किया कि तुम उसे समझ नहीं सके। इसमें कुछ शक नहीं कि मसीह दज्जाल का क़द छोटा, चलते हुए उसके दोनों क़दमों के दरमियान आगे से थोड़ा फ़ासला, एड़ियों की जानिब से ज़्यादा फ़ासला होगा और वह काना होगा, उसकी (एक) आँख जिस्म के साथ बराबर होगी न उभरी हुई और न ही अन्दर धंसी हुई होगी। तुम पर मामला पैचीदा हो जाये तो इतनी बात याद रखना कि तुम्हारा रब काना नहीं है। (अबू दाऊद)

हदीस 938. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी दज्जाल के फ़ितने के बारे में सुने तो वह उससे दूर रहे। अल्लाह की क़सम! एक आदमी उसके पास जायेगा जो ख़ुद को मोमिन समझता होगा लेकिन जिन शुब्हात के साथ वह दज्जाल भेजा गया होगा उनकी वजह से वह उसकी ताबेदारी करने लग जायेगा। (अबू दाऊद)

हदीस 939. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इस दुनिया की मिसाल उस कपड़े की तरह है जिसको मुकम्मल फाड़ दिया गया है और फटा हुआ कपड़ा सिर्फ़ एक धागे से लटक रहा है, क़रीब है कि वह धागा भी टूट जाये (और दुनिया का ख़ात्मा हो जाये)। (बैहक़ी)

हदीस 940. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं कैसे ख़ुश रहूँ जबकि (सूर फूँकने वाले फ़रिश्ते ने) सूर को मुँह में थामा हुआ है, अपने कानों को झुका रखा है, अपनी पेशानी को नीचे किया हुआ है, वह इस इन्तिज़ार में है कि कब उसे सूर (फूँकने) का हुक्म मिलता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! (इस हालत में) आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फ़रमाया तुम कहो-

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

हस्बुनल्लाहु व निअ़्मल्-वकील।

तर्जुमाः- हमें अल्लाह ही काफ़ी है, वही बेहतर कारसाज़ है। (तिर्मिज़ी)

हिसाब व किताब और तराज़ू का बयान

हदीस 941. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे रब ने मुझसे वायदा किया है कि वह मेरी उम्मत के 70 हज़ार लोगों को बग़ैर हिसाब और बग़ैर अ़ज़ाब के जन्नत में दाख़िल फ़रमायेंगे, तथा हर हज़ार के साथ 70 हज़ार मज़ीद लोग होंगे और उसके अ़लावा अल्लाह तआ़ला अपने तीन चुल्लू भरकर लोगों को जन्नत में दाख़िल करेंगे। (इब्ने माजा, तिर्मिज़ी)

हदीस 942. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि एक सहाबी ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- मेरे कुछ गुलाम हैं जो झूठ बोलते हैं, माल में ख़्यानत करते हैं, मेरी नाफ़रमानी करते हैं और मैं उन्हें इसके बदले में बुरा-भला कहता हूँ और मारता हूँ, क्या क़ियामत के दिन उन सब का मुझसे क़िसास (बदला) लिया जायेगा? आपने फ़रमाया- जी हाँ। इस पर वह शख़्स रोने लगा तो आपने फ़रमाया- क्या तुमको अल्लाह तआ़ला का यह फ़रमान मालूम नहीं–

तर्जुमाः- हम क़ियामत दिन इन्साफ़ का तराज़ू रखेंगे और किसी आदमी पर ज़ुल्म नहीं होगा, राई के बराबर भी अ़मल हमारे सामने लेकर आयेंगे

और हम ठीक-ठीक हिसाब लेने वाले हैं। (सूरः अम्बिया 21, आयत 47)

यह सुनकर उन सहाबी ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! आप गवाह रहिये आख़िरत में सज़ा से बचने के लिये मैंने अपने तमाम ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया है। (तिर्मिज़ी)

हौज़-ए-कौसर और शफ़ाअ़त का बयान

हदीस 943. हज़रत औ़फ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे रब की जानिब से मेरे पास फ़रिश्ता आया, उसने मुझे अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से दो बातों में से एक बात चुन लेने का इख़्तियार दिया कि या तो मेरी आधी उम्मत जन्नत में दाख़िल हो जाये या (पूरी उम्मत के लिये) शफ़ाअ़त का हक़ मुझे हासिल हो जाये, पस मैंने शफ़ाअ़त को पसन्द किया और शफ़ाअ़त उन लोगों के लिये है जो इस हाल में मरें कि वे अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक न ठहराते थे। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 944. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- लोग दोज़ख़ पर से गुज़रेंगे फिर अपने अच्छे आमाल के साथ उससे निजात पायेंगे। उनमें से अव्वल (और अफ़ज़ल) वे होंगे जो बिजली की चमक की तरह गुज़र जायेंगे, फिर (वे लोग होंगे) जो हवा के झोंके की तरह गुज़र जायेंगे, फिर (वे लोग होंगे) जो तेज़-रफ़्तार घोड़े की तरह गुज़रेंगे, फिर (वे लोग होंगे) जो सवारी पर सवार की तरह गुज़रेंगे, फिर (वे लोग होंगे) जो आदमी के दौड़ने की तरह गुज़रेंगे, और फिर (आख़िर में वे लोग होंगे) जो पैदल चलने वालों की तरह गुज़रेंगे। (तिर्मिज़ी)

जन्नत और जन्नत वालों के हालात

हदीस 945. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मख़्लूक़ को किस चीज़ से पैदा किया गया है? आपने फ़रमाया- (मिट्टी और) पानी से। फिर हमने पूछा कि जन्नत

किस चीज़ से बनाई गई है? आपने फ़रमाया- जन्नत (ईंटों से तामीर की गई है) एक ईंट सोने की और एक चाँदी की, उसका गारा (सीमेंट) तेज़ ख़ुशबूदार कस्तूरी का है, उसकी कंकरियाँ मोती और याक़ूत हैं और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान (की तरह ज़र्द व ख़ुशबूदार) है। जो आदमी उस (जन्नत) में दाख़िल होगा वह नाज़ व नेमत में रहेगा, उसको कभी कोई फ़िक्र से वास्ता नहीं पड़ेगा, वह उसमें हमेशा ज़िन्दा रहेगा, उस पर मौत नहीं आयेगी, न उसके कपड़े बोसीदा (पुराने और ख़राब) होंगे और न ही उसकी जवानी ख़त्म होगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 946. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन को जन्नत में इतने-इतने लोगों की सोहबत की क़ुव्वत हासिल होगी। पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल! क्या एक मर्द इतनी ताक़त रखेगा? आपने फ़रमाया- (जन्नत में एक मर्द को) 100 आदमियों की (मर्दाना) क़ुव्वत अ़ता की जायेगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 947. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से हौज़-ए-कौसर के बारे में पूछा गया, आपने फ़रमाया- वह जन्नत की एक नहर है जो अल्लाह तआ़ला ने मुझे अ़ता फ़रमाई है, (उसका पानी) दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है, उसमें ऐसे परिन्दे (पक्षी) हैं जिनकी गर्दनें ऊँटों की गर्दनों की तरह हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पूछा बेशक वे परिन्दे तो बहुत ज़्यादा उम्दा होंगे? रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उनको खाने वाले उनसे भी ज़्यादा उम्दा होंगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 948. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नतियों की 120 सफ़ें होंगी उनमें से 80 सफ़ें इस उम्मत की और 40 सफ़ें दूसरी उम्मतों की होंगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 949. हज़रत हकीम बिन मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा जन्नत में पानी का दरिया, शहद का दरिया और शराब का दरिया है, फिर

उन दरियाओं से नहरें निकलेंगी। (तिर्मिज़ी)

दोज़ख़ और दोज़ख़ियों का बयान

हदीस 950. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई–

तर्जुमाः- तुम अल्लाह तआ़ला (के अ़ज़ाब) से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और तुम पर जब मौत आये तो तुम मुसलमान ही मरना।

(सूरः आले इमरान 3, आयत नम्बर 102)

तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर (जहन्नम के) थोहर (दरख़्त के पानी) का एक क़तरा भी दुनिया में गिर पड़े तो तमाम ज़मीन वालों की मईशत (गुज़ारे और खाने-पीने की चीज़ें) ख़राब हो जायें, तो फिर उस आदमी का क्या हाल होगा जिसकी खुराक ही थोहर (यह बहुत ही कड़वा और काँटोंदार पेड़ होगा) होगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 951. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब अल्लाह तआ़ला ने जन्नत को पैदा किया तो जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम से फ़रमाया जाओ ज़रा जन्नत को देखो। चुनाँचे वह गये, उन्होंने जन्नत को और उन चीज़ों को ग़ौर से देखा जो अल्लाह तआ़ला ने जन्नत वालों के लिये तैयार की हैं। फिर जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम (वापस) आये और बताया ऐ मेरे रब! आपकी इ़ज़्ज़त की क़सम, जन्नत के बारे में जो आदमी भी सुनेगा वह उसमें दाख़िल होने की इच्छा करेगा। फिर अल्लाह तआ़ला ने जन्नत को शरई पाबन्दियों से ढाँप दिया और फ़रमाया- ऐ जिब्राईल! जाओ, जन्नत को दोबारा देखो। चुनाँचे गये, उन्होंने जन्नत का दोबारा जायज़ा लिया फिर वापस आये और बताया ऐ मेरे रब! आपकी इ़ज़्ज़त की क़सम, मुझे शंका और डर है कि जन्नत में कोई आदमी भी दाख़िल न हो सकेगा। आपने फ़रमाया- (इसी तरह) जब अल्लाह तआ़ला ने दोज़ख़ को पैदा किया तो अल्लाह तआ़ला ने जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम से फ़रमाया- जाओ, दोज़ख़ को देखो। चुनाँचे वह

गये उन्होंने दोज़ख़ को देखा फिर वापस आये और बताया ऐ मेरे रब! दोज़ख़ के बारे में जो आदमी भी सुनेगा वह उसमें दाख़िल होने से घबरायेगा। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने दोज़ख़ को इच्छाओं और लज़्ज़तों के साथ ढाँप दिया। फिर फ़रमाया- ऐ जिब्राईल! जाओ दोज़ख़ को दोबारा देखो। चुनाँचे वह गये, उन्होंने दोज़ख़ को देखा फिर (वापस आये और) बताया ऐ मेरे रब! आपकी इज़्ज़त की क़सम, मुझे डर है कि उसमें सब ही दाख़िल होंगे। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई)

कायनात की शुरूआ़त और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का तज़किरा

हदीस 952. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अ़र्श को उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के बारे में वज़ाहत करूँ कि उसके दोनों कानों की लौ और उसके कन्धों के दरमियान 700 बरस की दूरी (फ़ासला) है। (अबू दाऊद)

हदीस 953. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा अल्लाह तआ़ला ने इस्राफ़ील अ़लैहिस्सलाम को जिस वक़्त से पैदा फ़रमाया है वह (उस वक़्त से) तैयार खड़े हैं, अपनी नज़र तक को ऊपर नहीं करते, उनके और रब (अल्लाह तआ़ला) के दरमियान नूर के 70 पर्दे हाईल (आड़) हैं। (तिर्मिज़ी)

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़ज़ाईल

हदीस 954. हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें (एक) नमाज़ की इमामत करवाई और उसे (ख़िलाफ़े मामूल) लम्बा किया। सहाबा किराम ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! आपने इतनी लम्बी नमाज़ पढ़ाई है कि ऐसी

लम्बी नमाज़ (पहले) कभी नहीं पढ़ाई थी। आपने फ़रमाया- सही है, बेशक यह नमाज़ ऐसी थी कि जिसमें सवाब (की उम्मीद) और (अ़ज़ाब का) ख़ौफ़ बरक़रार रहा और मैंने नमाज़ में अल्लाह तआ़ला से तीन सवाल किया थे फिर दो को मेरे लिये क़ुबूल किया गया और एक को क़ुबूल न किया गया। मैंने अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त से सवाल किया कि वह मेरी उम्मत को क़हत-साली (सूखे के अ़ज़ाब) से हलाक न करे। इस दुआ़ को अल्लाह तआ़ला ने क़ुबूल कर लिया, और मैंने अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त से दूसरा सवाल किया कि मुसलमानों पर उनके अ़लावा किसी ग़ैर दुश्मन को मुसल्लत न करे, चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने इस दुआ़ को भी क़ुबूल किया। और मैंने अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त से तीसरा सवाल यह किया था कि मुसलमान आपस में एक दूसरे से न लड़ें तो अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त ने इस दुआ़ को क़ुबूल नहीं किया।

(तिर्मिज़ी, नसाई)

हदीस 955. हज़रत औ़फ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त इस उम्मत के ख़िलाफ़ दो तलवारों को हरगिज़ इकट्ठा नहीं करेगा— एक तलवार तो ख़ुद मुसलमानों की और दूसरी तलवार उनके दुश्मनों की। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- इस उम्मत के ख़िलाफ़ दो तलवारें जमा नहीं होंगी कि एक तो मुसलमान आपस में जंग लड़ रहे हों फिर दुश्मन उस मौक़े से फ़ायदा उठाकर उन पर हमला करना चाहे तो ऐसा नहीं होगा बल्कि वे आपस के झगड़े मिटाकर दुश्मन के ख़िलाफ़ एकजुट हो जायेंगे।

हदीस 956. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम ने पूछा- ऐ अल्लाह के रसूल! नुबुव्वत के लिये आप कब नामज़द हुए? आपने फ़रमाया- उस वक़्त जब आदम अ़लैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी रूह फूँकी जा चुकी थी लेकिन जिस्म में हरकत पैदा नहीं हुई थी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 957. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम मेरे लिये

अल्लाह तआ़ला से वसीला तलब किया करो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! वसीला क्या है? आपने फ़रमाया- जन्नत का सबसे आ़ला मुक़ाम है जहाँ सिर्फ़ एक ही आदमी पहुँच पायेगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वह आदमी मैं हूँगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस 958. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर नबी के दूसरे नबियों में से दोस्त होते हैं, मेरे दोस्त मेरे (रूहानी) बाप, रब के ख़लील इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम हैं। फिर आपने (यह) आयत तिलावत की–

तर्जुमाः- बिला-शुब्हा लोगों में से इब्राहीम के ज़्यादा क़रीब वे लोग हैं जो ईमान लाये और अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है।

(सूरः आले इमरान 3, आयत 68) (तिर्मिज़ी)

हदीस 959. हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दरमियानी क़द के थे, आपका सर मुबारक बड़ा और दाढ़ी घनी थी, आपकी दोनों हथेलियाँ और दोनों पाँव गोश्त से भरे थे, आपका रंग सुर्ख़ व सफ़ेद था, आपकी हड्डियों के जोड़ मोटे और मज़बूत थे और सीने से नाफ़ तक बालों की एक लम्बी लकीर थी। जब आप चलते तो झुककर चलते गोया आप बुलन्दी से नीचे की तरफ़ जा रहे हों, मैंने आप जैसा कोई आदमी न तो आप से पहले देखा और न ही आपके बाद। (तिर्मिज़ी)

हदीस 960. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पिंडलियाँ पतली थीं, आप (आ़म तौर पर) हंसा नहीं करते थे, और जब आपको देखता तो मैं (अपने दिल में) कहता कि आपने अपनी आँखों में सुर्मा लगा रखा है हालाँकि आपने सुर्मा नहीं लगाया होता था। (तिर्मिज़ी)

हदीस 961. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बुरी और बेहयाई की बात नहीं करते थे, न ही तकल्लुफ़ (बनावट) के साथ गुफ़्तगू फ़रमाते, न ही आप बाज़ारों में शोर व गुल करते थे और न ही आप बुराई का बदला बुराई के साथ देते

थे, लेकिन आप माफ़ फ़रमाते और दरगुज़र करते थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 962. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि आप इनसानों में से एक इनसान थे। आप अपना जूता ख़ुद गाँठ लेते थे, अपने कपड़े ख़ुद ही सी लेते थे और अपने घर में (इस तरह) काम करते थे जैसे कि तुम में से कोई आदमी अपने घर में करता है। आप ख़ुद जुएँ देखते, अपनी बकरी का दूध ख़ुद दूह लेते और अपनी ख़िदमत आप करते थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 963. हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि चन्द लोग मिलकर हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास गये और उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें रसूले करीम की हदीसें सुनायें। हज़रत साबित ने कहा कि मैं आपका पड़ोसी था, जब आप पर वही नाज़िल होती तो आप मेरी जानिब पैग़ाम भेजते, मैं आपकी वही लिखता। आपका मामूल था कि जब हम दुनिया की बातें करते तो आप भी हमारे साथ दुनिया की बातें करते और जब हम आख़िरत का ज़िक्र करते तो आप भी हमारे साथ आख़िरत का ज़िक्र करते, और जब हम खाने की बातें करते तो आप भी हमारे साथ खाने की बातें करते थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 964. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (आने वाली) कल के लिये किसी चीज़ का ज़ख़ीरा नहीं करते थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 965. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम लगातार और बेतुकी बातें नहीं किया करते थे जिस तरह तुम लगातार और बेतुका बोलते हो, बल्कि जब आप गुफ़्तगू फ़रमाते तो ठहर-ठहरकर गुफ़्तगू फ़रमाते कि आपके पास बैठने वाला गुफ़्तगू को आसानी के साथ महफ़ूज़ कर लेता था। (तिर्मिज़ी)

हदीस 966. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि एक देहाती ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आकर पूछा- मैं कैसे मालूम करूँ कि आप रसूल हैं? आपने फ़रमाया- मैं खजूर के उस ख़ोशे (गुच्छे) को बुलाऊँ ताकि वह गवाही दे कि मैं

अल्लाह तआ़ला का रसूल हूँ? चुनाँचे आपने उसे बुलाया। खजूर का ख़ोशा रसूले पाक के पास आ गया। फिर आपने उसे हुक्म दिया कि वह वापस जाये तो वह वापस चला गया (यह मोजिज़ा देखकर) देहाती मुसलमान हो गया। (तिर्मिज़ी)

हदीस 967. हज़रत समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक बड़े प्याले में से सुबह से रात तक खाना खाते, दस अफ़राद खाना खाकर फ़ारिग़ होते फिर और दस अफ़राद खाने के लिये बैठ जाते। हमसे पूछा गया खाने में इस क़द्र इज़ाफ़ा किस तरह होता था तो हमने जवाब दिया- तुम किस बात पर ताज्जुब कर रहे हो? उसमें इज़ाफ़ा आसमान वाले की जानिब से होता था। (तिर्मिज़ी)

हदीस 968. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा तुम्हें दुश्मनों पर ग़लबा हासिल होगा और तुम माले ग़नीमत हासिल करोगे और तुम बहुत से शहरों को फ़तह करोगे। तुम में से जो उस (वक़्त) को पाये उसे चाहिये कि वह अल्लाह तआ़ला (के अ़ज़ाब) से डरे, अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरी बातों से मना करे। (अबू दाऊद)

हदीस 969. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक यहूदी औ़रत ने एक भुनी हुई बकरी में ज़हर मिलाकर उसे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये हदिया भेजा। आपने उसमें से हाथ का टुकड़ा लेकर खाया। आपके सहाबा किराम में से एक जमाअ़त ने भी आपके साथ खाया। फिर आपने फ़रमाया- अपने हाथों को रोक लो, खाना न खाओ और आपने यहूदी औ़रत की तरफ़ पैग़ाम भेजा और उसे बुलाया। आपने उससे कहा कि तुमने इस बकरी में ज़हर मिलाया था? उस औ़रत ने पूछा कि आपको किसने बताया है? आपने फ़रमाया- मुझे इसके हाथ के इस टुकड़े ने बताया जो मेरे हाथ में है। उसने इक़रार किया और कहा मैंने सोचा कि अगर आप वाक़ई रसूल हैं तो ज़हर आपको नुक़सान नहीं पहुँचायेगा और अगर आप रसूल नहीं हैं तो हम आप से छुटकारा पा लेंगे।

रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसे माफ़ कर दिया और उसे कुछ सज़ा नहीं दी। और आपके साथ जिन सहाबा किराम ने बकरी का गोश्त खाया था उनकी मौत हो गयी और रसूले करीम ने अपने कन्धे पर उस ज़हर की वजह से सिंगियाँ लगवायीं। (अबू दाऊद)

हदीस 970. हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ जंगे हुनैन के लिये रवाना हुए। वह लम्बे समय तक चलते रहे यहाँ तक कि शाम का वक़्त हो गया। उस दौरान एक घोड़े सवार आया उसने बताया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं फ़ुलाँ-फ़ुलाँ पहाड़ पर पहुँचा, वहाँ मैंने हवाज़िन के लोगों को पाया कि उनके सब मर्द, औ़रतें और जानवर हुनैन (के स्थान) में जमा हैं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुस्कुराये और फ़रमाया "इन्शा-अल्लाह" कल यह माले ग़नीमत मुसलमानों का होगा। उसके बाद आपने फ़रमाया- आज रात कौन (हमारी) निगरानी करेगा? हज़रत अनस बिन अबी मुर्सद ग़नवी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हाज़िर हूँ। आपने फ़रमाया- सवार हो जाओ। चुनाँचे वह अपने घोड़े पर सवार हो गये। आपने (उन्हें) हुक्म दिया कि इस घाटी की ऊँचाई पर चले जाओ। जब सुबह हुई तो रसूले करीम नमाज़ की अदायेगी के लिये मस्जिद की जानिब निकले, आपने फ़जर की सुन्नतें अदा कीं, उसके बाद आपने पूछा क्या तुमने अपने घुड़-सवार (की हरकतों) को महसूस किया है? एक सहाबी ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! हमने (बिल्कुल) महसूस नहीं किया। फिर नमाज़ की तकबीर कही गई तो रसूले पाक ने नमाज़ की इमामत फ़रमाई। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो आपने फ़रमाया- ख़ुश हो जाओ कि तुम्हारा घुड़-सवार आ गया है। चुनाँचे हमने घाटी के पेड़ों के दरमियान देखना शुरू किया तो अचानक वह ज़ाहिर हुए और रसूले करीम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने बताया कि मैं रवाना हुआ यहाँ तक कि मैं घाटी की बुलन्दी पर चला गया, जहाँ जाने का मुझे आपने हुक्म दिया था। जब सुबह हुई तो मैंने दोनों घाटियों का जायज़ा लिया, मुझे कोई आदमी नज़र न आया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे पूछा कि क्या

आज रात तुम सवारी से उतरे थे? उन्होंने इनकार में जवाब देते हुए स्पष्ट किया (और कहा कि) लेकिन नमाज़ अदा करने और बड़े इस्तिंन्जे की ज़रूरत पूरी करने के लिये (उतरा था)। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम पर कोई हर्ज नहीं अगर इसके बाद तुम कोई अ़मल न भी करो तो तुम्हारे लिये आज का यही अ़मल काफ़ी है। (अबू दाऊद)

करामतों का बयान

नोटः- "करामत" कहते हैं उस असाधारण और ख़िलाफ़े अ़क्ल काम को जो वलियों के ज़रिये ज़ाहिर हो। **मुहम्मद इमरान क़ासमी विज्ञानवी**

हदीस 971. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जब (हब्शा के बादशाह) नजाशी का इन्तिक़ाल हुआ तो हमारे दरमियान चर्चा हुई कि उसकी क़ब्र पर रोशनी दिखाई दे जाती है। (अबू दाऊद)

वज़ाहतः- यह नजाशी बादशाह की करामत थी।

हदीस 972. हज़रत अबू ख़ुलदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अनस ने दस साल ख़िदमत की और आपने ख़ुश होकर उनके हक़ में दुआ़ फ़रमाई, हज़रत अनस का एक बाग़ था जो साल में दो मर्तबा फल देता था और उस बाग़ में रेहान का एक पेड़ था जिससे कस्तूरी की ख़ुशबू आती थी। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- आपने हज़रत अनस के लिये तीन दुआ़एँ की थीं—

1. उनकी औलाद में इज़ाफ़ा। 2. उनके माल में इज़ाफ़ा। 3. उनके जन्नत में दाख़ले की। तो अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने पहली दो दुआ़ओं की क़ुबूलियत दुनिया में ही ज़ाहिर फ़रमा दी कि उनका बाग़ साल में दो मर्तबा फल देता था, और उनकी औलाद भी काफ़ी तादाद में थी।

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मदीना की तरफ़ हिजरत और वफ़ात का बयान

हदीस 973. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो आपके आने पर ख़ुशी से हब्शी नेज़ों के साथ नाचने लगे। (अबू दाऊद)

हदीस 974. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मौत की बीमारी में मस्जिद में तशरीफ़ लाये और आपके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। आपने मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा होकर फ़रमाया- उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं इस मुक़ाम से हौज़-ए-कौसर को देख रहा हूँ। फिर फ़रमाया- बिला-शुब्हा एक इनसान पर दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत (चमक-दमक) पेश की गई लेकिन उसने आख़िरत को तरजीह दी है। यह सुनकर हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु रोने लगे और कहने लगे- अल्लाह के रसूल! हमारी जानें, माल, और माँ-बाप आप पर क़ुरबान हों। फिर आप मिम्बर से नीचे उतर आये और इन्तिक़ाल होने तक मिम्बर पर तशरीफ़ न लाये। (दारमी)

क़ुरैश के फ़ज़ाईल और क़बीलों का तज़किरा

हदीस 975. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे पूछा- आप किस (क़बीले) से हैं? मैंने अ़र्ज़ किया दोस (क़बीले) से हूँ। आपने फ़रमाया- मेरा ख़्याल नहीं था कि दोस (क़बीले) में से कोई आदमी ऐसा होगा जिसमें कोई फ़ज़ीलत होगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस 976. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ख़िलाफ़त क़ुरैश में है, फ़ैसला करना अन्सार में है, अज़ान देना हब्शियों में है और अमानत दारी अज़्द (क़बीले) यानी यमनियों में है। (तिर्मिज़ी)

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के फ़ज़ाईल

हदीस 977. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे सहाबा किराम की इज़्ज़त करो, ये लोग तुम में बेहतर हैं। फिर वे लोग बेहतर हैं जो इनके

क़रीब (ज़माने के) हैं, फिर वे लोग बेहतर हैं जो उनके क़रीब हैं। फिर झूठ आ़म हो जायेगा यहाँ तक कि एक आदमी क़सम उठायेगा हालाँकि उससे क़सम उठवाई नहीं जायेगी, वह ख़ुद गवाही देगा जबकि उससे गवाही तलब नहीं की जायेगी। ख़बरदार! जिस आदमी को जन्नत महबूब है वह जमाअ़त के साथ मिला रहे क्योंकि शैतान अकेले (जमाअ़त से अलग रहने वाले) आदमी के साथ होता है जबकि शैतान दो आदमियों से (उनके एकजुट होने की बदौलत) दूर हो जाता है, और किसी आदमी को अजनबी औ़रत के साथ तन्हा नहीं होना चाहिये क्योंकि शैतान उनके साथ तीसरा होता है, और जिस आदमी को अपनी नेकी पसन्द आती है और अपनी बुराई से दुखी हो जाता है तो वह ईमान वाला है। (नसाई)

हदीस 978. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस आदमी को (दोज़ख़ की) आग नहीं छुयेगी जिसने मुझे (ईमान की हालत में) देखा है या उन लोगों को देखा है जिन्होंने मुझे देखा है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 979. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र हमारे सरदार थे, हमसे बेहतर थे और हमसे ज़्यादा रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को महबूब (प्यारे) थे। (तिर्मिज़ी)

हदीस 980. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम सदक़ा करें। इस दौरान मेरे पास कुछ माल आ गया, मैंने (दिल में) ख़्याल किया कि आज मैं हज़रत अबू बक्र से (सदक़ा करने में) आगे बढ़ जाऊँगा तो आज के दिन उनसे आगे रह सकूँगा। मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बयान किया कि मैं अपना माल ले आया हूँ रसूले पाक ने मुझसे पूछा- तुमने अपने घर वालों के लिये क्या छोड़ा है? मैंने जवाब दिया कि इसी क़द्र (यानी आधा माल घर छोड़ आया और आधा माल आपकी ख़िदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ)। हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु भी अपना माल ले आये। आपने पूछा- ऐ अबू बक्र! तुमने अपने घर वालों के लिये क्या छोड़ा है? हज़रत अबू बक्र ने जवाब दिया- मैंने अपने घर वालों

के लिये अल्लाह और उसके रसूल (की रज़ा) को छोड़ा है। मैं (यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु) ने ख़्याल किया कि मैं कभी भी हज़रत अबू बक्र से आगे नहीं बढ़ सकता। (तिर्मिज़ी)

हदीस 981. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा अल्लाह तआला ने हक़ को उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की ज़बान और उसके दिल पर उतारा है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 982. हज़रत मुर्रा बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़ितनों का ज़िक्र किया और उन्हें बहुत नज़दीक बताया। चुनाँचे (उसी दौरान वहाँ से) एक आदमी चादर में लिपटा हुआ गुज़रा, आपने उसकी तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमाया- यह आदमी हिदायत पर होगा। फिर मैं उठकर उसकी तरफ़ गया तो वह आदमी हज़रत उस्मान थे। मैंने हज़रत उस्मान के चेहरे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ किया और कहा कि यह आदमी है जो हिदायत पर होगा? आपने फ़रमाया- जी हाँ। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 983. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत उस्मान को मुख़ातब करते हुए फ़रमाया- ऐ उस्मान! शायद अल्लाह तआला तुझे ख़िलाफ़त का लिबास पहनाये, अगर लोग तुझसे ख़िलाफ़त को छीनने के लिये अड़ें (और ज़िद) करें तो फिर तुम उसे उनके लिये हरगिज़ न छोड़ना। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस 984. हज़रत अबू सहला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उस्मान ने अपने घर के घेराव के दिन मुझे बताया कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे एक वसीयत फ़रमाई थी और मैं उसके मुताबिक़ सब्र कर रहा हूँ। (तिर्मिज़ी)

हदीस 985. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बिला-शुब्हा अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) नसब के लिहाज़ से मुझसे बहुत ज़्यादा क़रीब हैं और मैं उनसे क़रीब हूँ और वह हर मोमिन के दोस्त हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 986. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अबू बक्र जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अ़ली जन्नती है, तल्हा जन्नती है, ज़ुबैर जन्नती है, अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ जन्नती है, सअ़द बिन अबी वक़्क़ास जन्नती है, सईद बिन ज़ैद जन्नती है और अबू उबैदा बिन जर्राह भी जन्नती है। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- इनको अ़शरा-ए-मुबश्शरा (ख़ुश-ख़बरी दिये जाने वाले दस अफ़राद) कहा जाता है, क्योंकि इनको दुनिया ही में आपने जन्नत की ख़ुशख़बरी दे दी थी।

हदीस 987. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा रहम करने वाले अबू बक्र हैं और (दीन के अहकाम में) सबसे ज़्यादा मज़बूत उमर हैं और बहुत ज़्यादा हया वाले उस्मान हैं और फ़राईज़ (मीरास के इल्म) का ज़्यादा इल्म रखने वाले ज़ैद बिन साबित हैं और क़िराअत का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले उबई बिन कअ़ब हैं और हलाल व हराम का ज़्यादा इल्म रखने वाले मुआ़ज़ बिन जबल हैं, और हर उम्मत में एक अमानत दार आदमी होता है इस उम्मत में अमानत दार आदमी अबू उबैदा बिन जर्राह हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 988. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत सअ़द के सिवा किसी आदमी के लिये यह नहीं फ़रमाया कि तुम पर मेरे माँ-बाप क़ुरबान हों। आपने जंगे उहुद के दिन हज़रत सअ़द के लिये फ़रमाया- तीर फेंको तुम पर मेरे माँ-बाप क़ुरबान हों, और (एक मौक़े पर) उनके लिये फ़रमाया- ऐ मज़बूत नौजवान! आप तीर फेंकिये। (तिर्मिज़ी)

हदीस 989. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- जन्नत में सब ही लोग नौजवान उम्र के होंगे लेकिन जो

लोग जवानी के आलम में मरे होंगे वे उनके सरदार होंगे क्योंकि एक हदीस में आता है कि हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर जन्नत के अधेड़ उम्र के लोगों के सरदार होंगे।

हदीस 990. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 991. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (ऐ औ़रतो!) दुनिया वालों की औ़रतों में से तुम्हें मरियम बिन्ते इमरान अ़लैहस्सलाम, ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलद रज़ियल्लाहु अ़न्हा, फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद रज़ियल्लाहु अ़न्हा और फ़िरऔ़न की बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा की सीरत (ज़िन्दगी के हालात को जानना और उस पर अ़मल करना) काफ़ी है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 992. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम सब्ज़ रेशम के टुकड़े में हज़रत आ़यशा की तस्वीर लाये और बताया कि यह दुनिया और आख़िरत में आपकी बीवी हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस 993. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत सफ़िया को यह ख़बर पहुँची कि हज़रत हफ़्सा ने उन्हें यहूदी की बेटी कहा है, यह सुनकर वह रोने लगीं। रसूले करीम स़ल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनके पास तशरीफ़ लाये और पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने बताया कि मुझे हफ़्सा ने यहूदी की बेटी कहा है। रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इसमें कुछ शक नहीं कि तुम एक पैग़म्बर की बेटी हो और तुम्हारे चचा भी पैग़म्बर थे और बेशक तुम ख़ुद भी एक पैग़म्बर के निकाह में हो, वह किस वजह से तुम पर फ़ख़्र कर रही हैं? फिर आपने हज़रत हफ़्सा से कहा कि हफ़्सा! अल्लाह तआ़ला से डरो। (तिर्मिज़ी, नसाई)

वज़ाहतः- हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के वालिद हुय्यि बिन अख़्तब थे जो हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम की औलाद में से थे और हज़रत हारून मूसा अ़लैहिस्सलाम के भाई थे, इस लिहाज़ से उनके पूर्वज पैग़म्बर हुए।

हदीस 994. हज़रत ख़ेसमा बिन अबी सबरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने मदीना मुनव्वरा में आकर अल्लाह तआ़ला से दुआ़ की- ऐ अल्लाह! मुझे नेक साथी अ़ता फ़रमा। चुनाँचे मुझे अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु जैसा अ़ज़ीम सहाबी-ए-रसूल मिला। मैंने उनके पास बैठकर उन्हें बताया कि मैंने अल्लाह तआ़ला से दुआ़ की थी कि ऐ अल्लाह! मुझे नेक साथी अ़ता कीजिये। चुनाँचे मेरे लिये आप जैसे उस्ताद का चुनाव किया गया। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मुझसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने बताया कि कूफ़े का रहने वाला हूँ और इल्म हासिल करने के लिये आया हूँ। अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पूछा कि क्या आपके शहर में सअ़द बिन मालिक (अबू वक़्क़ास) हैं जो मुस्तजाबुद्दअ़वात (यानी उनकी दुआ़यें क़ुबूल होती) हैं? और अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद हैं जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के वुज़ू का बर्तन और आपके जूते उठाने वाले हैं? और हुज़ैफ़ा हैं जो रसूले करीम के राज़दार हैं? और अ़म्मार हैं जिन्हें अल्लाह तआ़ला ने अपने पैग़म्बर की ज़बान पर शैतान से महफ़ूज़ फ़रमाया? और सलमान (फ़ारसी) हैं जो इन्जील और क़ुरआने करीम पर ईमान लाने वाले हैं? (यानी जब इल्म व फ़ज़्ल वाली ये सब हस्तियाँ ख़ुद तुम्हारे शहर में मौजूद हैं तो तुम्हें इल्म हासिल करने के लिये कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं।) (तिर्मिज़ी)

हदीस 995. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ का जनाज़ा उठाया गया तो मुनाफ़िक़ों ने कहा- ताज्जुब है कि इसका जनाज़ा बिल्कुल हल्का-फुल्का है, यह इसलिये कि इसने बनू क़ुरैज़ा के बारे में ग़लत फ़ैसला किया था। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब यह बात पहुँची तो आपने फ़रमाया- उसके जनाज़े को फ़रिश्तों ने उठाया हुआ था (इसलिये वह हल्का-फुल्का महसूस हो रहा था)। (तिर्मिज़ी)

हदीस 996. हज़रत यज़ीद बिन उमैर से रिवायत है कि हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल पर जब मौत का वक़्त आया तो उन्होंने कहा कि किताब व सुन्नत का इल्म चार आदमियों से हासिल करो-- 1. अबू-दर्दा। 2. सलमान

फ़ारसी। 3. अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद 4. और अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम से जो पहले यहूदी थे और फिर मुसलमान हुए थे। मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि आपने फ़रमाया- वह दस जन्नतियों में से दसवाँ है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 997. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुझसे मुलाक़ात हुई तो आपने फ़रमाया- ऐ जाबिर! क्या बात है मैं तुम्हें ग़मगीन देख रहा हूँ। मैंने अ़र्ज़ किया कि मेरे वालिद शहीद हो गये हैं और उन्होंने बाल-बच्चे और क़र्ज़ छोड़ा है। आपने फ़रमाया- क्या मैं तुम्हें ख़ुशख़बरी न दूँ कि अल्लाह तआ़ला ने किस तरह तुम्हारे वालिद से मुलाक़ात की? मैंने अ़र्ज़ किया ज़रूर बताईये ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने कभी किसी आदमी से बग़ैर पर्दे के बात नहीं की लेकिन अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे वालिद को ज़िन्दा करके उनसे आमने-सामने गुफ़्तगू की है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- ऐ मेरे बन्दे! जो तुम चाहते हो मुझसे तलब करो मैं तुम्हें अ़ता कर दूँगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के वालिद ने अ़र्ज़ किया ऐ मेरे रब! आप मुझे ज़िन्दा कर दें मैं दोबारा आपकी राह में शहीद हो जाऊँ। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- मेरी तरफ़ से यह तयशुदा है कि मर जाने वाले इनसानों को वापस नहीं किया जायेगा। चुनाँचे यह आयत नाज़िल हुई—

तर्जुमाः- जो लोग अल्लाह की राह में क़त्ल हो गये हैं उन्हें आप मुर्दा न समझें। (सूरः आले इमरान 3, आयत 169) (तिर्मिज़ी)

यमन और शाम का ज़िक्र

हदीस 998. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यमन की जानिब देखकर यह दुआ़ माँगी-

اَللّٰهُمَّ اَقْبِلْ بِقُلُوْبِهِمْ وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا.

अल्लाहुम्-म अक़्बिल् बिक़ुलूबिहिम् व बारिक् लना फ़ी साअ़िना व मुद्दिना।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! उनके दिलों को हमारी जानिब मुतवज्जह कीजिये और हमारे लिये हमारे **साअ** और **मुद्द** (नाप तौल) में बरकत अ़ता फ़रमाईये। (तिर्मिज़ी)

हदीस 999. हज़रत इब्ने हवाला रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बहुत जल्दी इस्लाम का मामला यहाँ तक हो जायेगा कि तुम्हारे इस्लामी लश्कर इस्लाम के झण्डे लिये जमा होंगे। एक लश्कर शाम (सीरिया) में, एक लश्कर यमन में और एक इराक़ में होगा। मैं (यानी इब्ने हवाला रज़ियल्लाहु अ़न्हु) ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं उस दौर को पा लूँ तो मेरे लिये आप लश्कर का इन्तिख़ाब फ़रमायें (कि मैं किस लश्कर में रहूँ?) आपने फ़रमाया- तुम शाम के लश्कर में शरीक होना इसलिये कि शाम का इलाक़ा अल्लाह तआ़ला की ज़मीन में से अल्लाह का पसन्दीदा इलाक़ा है। उसमें अल्लाह तआ़ला के बेहतरीन बन्दे जमा होंगे, अगर तुम (शाम में रहने से) इनकारी हो तो तुम मुल्क यमन में रहना और तुम अपने आपको और अपने जानवरों को अपने हौज़ से पानी पिलाना। बेशक अल्लाह तआ़ला ने मुझे शाम और उसके बाशिन्दों (रहने वालों) की हिफ़ाज़त की ज़मानत दी है। (अबू दाऊद)

हदीस 1000. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी उम्मत की मिसाल बारिश के जैसी है, कुछ मालूम नहीं कि बारिश के पहले क़तरे ज़्यादा मुफ़ीद हैं या आख़िरी क़तरे। (तिर्मिज़ी)

वज़ाहतः- हर दौर में उलेमा-ए-किराम शरीअ़ते पाक को फैलाते रहेंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सोहबत में तालीम व तरबियत हासिल की और मोजिज़ों को देखा, ज़ाहिर है कि इस लिहाज़ से उनका मुक़ाम बहुत ऊँचा है और बाद में आने वाले लोग ग़यबाना ईमान लाये और उन्होंने पहले नेक लोगों के नक़्शे-क़दम पर चलकर दीन इस्लाम को फैलाया और अपनी क़ीमती उम्र को शरीअ़त के अहकाम में लगाया, उनकी कोशिशें भी क़ाबिले क़द्र हैं, जिस तरह बारिश के क़तरों में फ़र्क़ नहीं किया जा सकता कि कौनसे क़तरे

ज़्यादा फ़ायदेमन्द हैं इसी तरह इस उम्मत में भी फ़र्क़ और भेद नहीं किया जा सकता। इस हदीस में दर असल बाद में आने वालों को तसल्ली दी गई है कि वे भी अपनी क़ीमती ज़िन्दगी को शरीअ़ते पाक की तब्लीग़ व इशाअ़त में ख़र्च करें।

हर काम के समापन पर यह दुआ़ पढ़नी चाहिये

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (سورة الصّٰفّٰت آيات ۱۸۰تا۱۸۲)

सुब्हान-क रब्बि-क रब्बिल्-अ़िज़्ज़ति अ़म्मा यसिफ़ून। व सलामुन् अ़लल्-मुर्सलीन। वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन।

(सूरः अस्साफ़्फ़ात 37, आयत 180-182)

तर्जुमाः- पाक है आपका रब जो अ़ज़्मत वाला है हर उस चीज़ से जो (मुश्रिक) बयान करते हैं, और (तमाम) रसूलों पर सलामती हो और तमाम तारीफ़ व सना उसी अल्लाह करीम के लिये है जो तमाम जहानों का पालने वाला है।

दुआ-ए-क़ुनूते नाज़िला

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ. اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَآءَكَ. اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لَا تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَلَكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ الْجِدَّ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ.

अल्लाहुम्मग़्फ़िर् लना व लिल्मुअ्मिनी-न वल्-मुअ्मिनाति वल्-मुस्लिमी-न वल्-मुस्लिमाति व अल्लिफ़् बै-न क़ुलूबिहिम् व अस्लिह् ज़ा-त बैनिहिम् वन्सुर्हुम् अ़ला अ़दुव्वि-क व अ़दुव्विहिम्। अल्लाहुम्मल्-अ़निल्-क-फ़-र-तल्लज़ी-न यसुद्दू-न अ़न् सबीलि-क व युकज़्ज़िबू-न रुसुल-क व युक़ातिलू-न औलियाअ-क। अल्लाहुम्-म ख़ालिफ़् बै-न कलि-मतिहिम् व ज़ल्ज़िल् अक़्दामहुम् व अन्ज़िल् बिहिम् बअ्सकल्लज़ी ला तरुद्दुहू अ़निल्-क़ौमिल्-मुज्रिमी-न बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्-म इन्ना नस्तअ़ीनु-क व नस्तग़्फ़िरु-क व नुस्नी अ़लै-क व ला नक्फ़ुरु-क व नख़्ल-अ़ु व नत्रुकु मंय्यफ़्जुरु-क बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम, अल्लाहुम्-म इय्या-क नअ़्बुदु व ल-का नुसल्ली व नस्जुदु व ल-का नस्आ व नह्फ़िदु व नख़्शा अ़ज़ाबकल्-जिद्-द व नर्जू रह्मत-क इन्-न अ़ज़ाब-क बिल्काफ़िरी-न मुल्हिक़्।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आप हमें और तमाम मोमिन मर्दों और तमाम मोमिन औ़रतों को, तमाम मुसलमान मर्दों और तमाम मुसलमान औ़रतों को

बख़्श दीजिये। उनके दिलों में उल्फ़त व मुहब्बत डाल दीजिये, उनके कामों की इस्लाह (सुधार) कर दीजिये, अपने और उनके दुश्मनों पर उनकी मदद फ़रमाईये। ऐ अल्लाह! उन काफ़िरों पर लानत भेजिये जो आपके रास्ते से लोगों को रोकते हैं, आपके रसूलों को झुठलाते हैं और आपके दोस्तों से लड़ते हैं। ऐ अल्लाह! आप उनकी बातों में मुख़ालफ़त और फूट डाल दीजिये, उनके क़दमों को डगमगा दीजिये और उन पर ऐसा अज़ाब नाज़िल फ़रमाईये जो मुजरिमों से आप वापस नहीं लौटाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐ अल्लाह! हम आप से मदद और बख़्शिश तलब करते हैं और आप ही की तारीफ़ करते हैं, आपकी नाशुक्री नहीं करते, जो आपकी नाफ़रमानी करे हम उससे ताल्लुक़ ख़त्म करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह! हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही के लिये नमाज़ पढ़ते हैं, आप ही को सज्दा करते हैं, आप ही की राह में मेहनत औ जिद्दोजहद करते हैं, आप ही के अ़ज़ाब से डरते हैं और आप ही की रहमत के उम्मीदवार हैं। यक़ीनन काफ़िरों को आपका अ़ज़ाब पहुँचकर रहेगा। (बैहक़ी। हज़रत उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाहि अ़लैहि की रिवायत से)

इस सदक़ा-ए-जारिया में हिस्सा लेने के तरीक़े

1. तारीख़ गवाह है कि कोई क़ौम हलाकत (तबाही व बरबादी) से महफ़ूज़ नहीं जब तक वह खुद भी नेक अ़मल न करे और अपने भाईयों के सुधार की भी कोशिश न करे। तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः मायदा 5, आयत 78-80)

2. इन किताबों को ख़रीदकर अपने दोस्तों और घर की क़रीबी मस्जिदों में फ़्री सबीलिल्लाह तक़सीम करें, ये किताबें बेहतरीन तोहफ़ा भी हैं।

3. आपको किसी बीमारी के इलाज का इल्म हो जो मुसलमानों के लिये फ़ायदेमन्द हो तो हमें लिखें। इन्शा-अल्लाह तआ़ला अगले प्रकाशन में उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे।

4. जब आपको इस किताब से फ़ायदा उठाने की बदौलत लाभ हो तो चन्द किताबें फ़्री सबीलिल्लाह ज़रूर तक़सीम करें ताकि दूसरों को भी आपकी ज़ात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिये सदक़ा-ए-जारिया भी हो जाये।

5. किताबों की ज़रूरत हो तो रजिस्टर्ड पार्सल मंगायें जिसके लिये मनी आर्डर के ज़रिये पेशगी रक़म भेजें। डाक ख़र्च ख़रीदार के ज़िम्मे है।

एक बहुत ही अहम बात

किताबों की क़ीमत या माली सहयोग के लिये नक़द रक़म डाक या कूरियर के लिफ़ाफ़े में हरगिज़-हरगिज़ रवाना न करें, बहुत सी बार रास्ते में रक़म ग़ायब हो जाती है जिसके लिये इदारा ज़िम्मेदार नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी ऑर्डर या बैंक एकाउंट के द्वारा ही रक़म भेजें या खुद तशरीफ़ लाकर इदारे के दफ़्तर में दस्ती तौर पर जमा करायें। शुक्रिया।